वित्त मन्त्रालय (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड), भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक पुस्तक के रूप में पुरस्कृत

आयकर
एवं
अप्रत्यक्ष कर

[INCOME TAX & INDIRECT TAXES]

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
बी. कॉम. (फाइनल) हेतु पूर्णतः पाठ्यक्रमानुसार

30 जून, 2020 तक अद्यतन 'आयकर' पर एकमात्र प्रामाणिक पुस्तक

Including
Significant Direct Tax Amendments upto June 2020

डॉ. एच. सी. मेहरोत्रा
एवं
डॉ. एस. पी. गोयल

61वां संशोधित संस्करण, 2020-21

साहित्य भवन पब्लिकेशन्स : आगरा

कॉपीराइट की गई सामग्री

Our Other Important Publications

❑ पर्यावरण अध्ययन	✍ डॉ. रतन जोशी
❑ वित्तीय बाजारों की कार्यप्रणाली	✍ प्रो. वी. पी. अग्रवाल
❑ वित्तीय प्रबन्ध	✍ डॉ. एस. पी. गुप्ता एवं डॉ. बी कुमार मित्तल
❑ अन्तर्राष्ट्रीय विपणन	✍ डॉ. एस. सी. जैन
❑ ENVIRONMENT STUDIES	✍ Dr. Sachi Gupta
❑ FINANCIAL MARKET OPERATIONS	✍ Prof. (Dr.) Bimal Jaiswal & Dr. Bhuvana Venkatraman
❑ FINANCIAL MANAGEMENT	✍ Dr. S. P. Gupta
❑ INTERNATIONAL MARKETING	✍ Dr. Shalini Agarwal

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संशोधित एकमात्र पुस्तकें

❑ प्रबन्धकीय लेखाविधि	✍ डॉ. के. एल. गुप्ता
❑ अंकेक्षण	✍ डॉ. टी. आर. शर्मा
❑ MANAGEMENT ACCOUNTING	✍ Dr. K. L. Gupta
❑ PRACTICE MANUAL OF MANAGEMENT ACCOUNTING	✍ Dr. K. L. Gupta
❑ AUDITING	✍ Dr. T. R. Sharma

Code : 1774

1st Edition : 1962
61st Edition : 2020

ISBN 978-93-5173-227-3

Price : ₹ 550/-

Printed & Published by

SAHITYA BHAWAN PUBLICATIONS
HOSPITAL ROAD, AGRA-282 003
Tel. 0562-4058468, 4030565
Email : sales.sbp1960@gmail.com; info.sbp1960@gmail.com
www.sahityabhawanpublications.com
Follow us on : /sahitya.bhawan.publications /sahitya_bhawan /company/sahitya-bhawan-publications

© Publishers

No part of this publication can be reproduced or copied in any form or by any means without permission in writing of the Publishers. Breach of this condition is liable for legal action.

Note : This publication is being sold on the condition and understanding that the information, comments, and views it contains are merely for guidance and reference and must not be taken as having the authority of, or being binding in any way on, the author, editors, publishers, and sellers, who do not owe any responsibility whatsoever for any loss, damage, or distress to any person, whether or not a purchaser of this publication, on account of any action taken or not taken on the basis of this publication. Despite all the care taken, errors or omissions may have crept inadvertently into this publication.

All disputes are subject to the jurisdiction of competent courts in Agra.

कॉपीराइट की गई सामग्री

1

आयकर
(INCOME TAX)

विषय-प्रवेश तथा महत्वपूर्ण परिभाषाएं
(INTRODUCTION AND IMPORTANT DEFINITIONS)

आयकर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है। केन्द्रीय बजट में आय कर से सम्बन्धित परिवर्तनों का प्रभाव केवल साधारण नागरिक पर ही नहीं होता है वरन् शेयर बाजार, पूंजी निवेश, बैंक जमा तथा जीवन बीमा व्यवसाय तक को भी यह प्रभावित करता है। सरकार की वित्तीय नीति से इन सभी का गहरा सम्बन्ध है।

आयकर से तात्पर्य
(MEANING OF INCOME TAX)

आय कर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष भर में कमाई गई कर-योग्य आय पर लगाया जाता है। कर-योग्य आय का निर्धारण आय कर अधिनियम के अनुसार किया जाता है।

कर-योग्य आय में से कर-मुक्त सीमा तक की आय घटा कर शेष बची हुई आय पर निर्धारित दरों से आय कर चुकाया जाता है। जैसे—यदि किसी व्यक्ति की कुल कर-योग्य आय 6,80,000 ₹ है तो 2,50,000 ₹ घटा कर शेष 4,30,000 ₹ पर निर्धारित दरों से वह आय कर चुकाएगा।

करदाता कई प्रकार के होते हैं; जैसे—एक व्यक्ति, फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, व्यक्तियों के समुदाय, सहकारी समिति, ट्रस्ट, आदि।

आयकर किसे देना होता है—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी गत वित्तीय वर्ष की कर-योग्य आय कर-मुक्त सीमा से अधिक हो, चालू वित्तीय वर्ष में लागू दरों से आय कर देना होता है।

भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास

1. **आयकर का आरम्भ**—भारत में आयकर प्रथम बार सन् 1860 में सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम (सैनिकों द्वारा) के कारण हुई हानियों की पूर्ति करने के लिए सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था।

2. **आयकर अधिनियम**, 1886—आयकर अधिनियम, 1860 में 1863, 1867, 1871, 1873 और 1878 में विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए। अन्त में सन् 1886 में आयकर अधिनियम, 1886 पारित करके आय कर को स्थायी रूप प्रदान किया गया। यह अधिनियम सन् 1917 तक यथावत् लागू रहा।

3. **आयकर अधिनियम**, 1918—सन् 1918 में एक नया आयकर अधिनियम बनाया गया जिसमें कर की दरें बढ़ा दी गईं।

4. **आयकर अधिनियम**, 1922—अखिल भारतीय कर जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर सन् 1922 में पुनः एक नया आयकर अधिनियम पास किया गया जिसमें प्रथम बार यह नियम बनाया गया कि आय कर गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष में लगाया जायेगा। चालू वर्ष को कर-निर्धारण वर्ष कहते हैं।

5. **आयकर संशोधन अधिनियम,** 1939—आयकर अधिनियम, 1922 कर-निर्धारण वर्ष 1961-62 तक लागू रहा परन्तु इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे। 1939 में इस अधिनियम में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किये गये। इसमें श्रेणी के अनुसार करारोपण की पद्धति को बदल कर खण्ड प्रणाली लागू की गई।

कॉपीराइट की गई सामग्री

6. **आयकर अधिनियम**, 1961—आयकर अधिनियम, 1922 में अनेक बार संशोधन होने से यह अधिनियम बहुत जटिल हो गया था, अतः इसे सरल एवं स्पष्ट करने के लिए तथा कर की चोरी को रोकने के लिए सन् 1961 में नया आय कर अधिनियम, 1961 पारित हुआ।

आयकर अधिनियम, 1961, 1 अप्रैल, 1962 से लागू किया गया। यह सम्पूर्ण भारत (जम्मू व कश्मीर सहित) में लागू होता है। 1.4.1990 से यह सिक्किम में भी लागू हो गया। आयकर अधिनियम में प्रत्येक वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई संशोधित अधिनियम भी समय-समय पर पारित हुए हैं। इस अधिनियम में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर कई समितियां गठित कीं तथा उनकी सिफारिशों को अधिकतर कार्यान्वित भी किया। इनमें प्रमुख हैं—चौकसी कमेटी तथा राजा चलैया कमेटी।

आयकर की विशेषताएं
(CHARACTERISTICS OF INCOME TAX)

1. **प्रत्यक्ष कर**—आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर से तात्पर्य उस कर से है जिसका भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे चुकाता है।

2. **केन्द्रीय कर**—आयकर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया एवं वसूल किया जाता है।

3. **कुल आय पर कर**—आयकर कुल आय पर लगाया जाता है। कुल आय को कर-योग्य आय भी कहते हैं। कुल आय की गणना अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

4. **कर-मुक्त सीमा**—यदि आय निर्धारित राशि से अधिक होती है तो आय कर लगता है। कर-मुक्त सीमा तक की आय पर आयकर नहीं लगता। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर-मुक्त सीमा निम्न है :

(क) वरिष्ठ नागरिक—भारत में निवासी जिसकी आयु 60 वर्ष या अधिक है, परन्तु 80 वर्ष से कम है—3,00,000 ₹;

(ख) अति वरिष्ठ नागरिक—भारत में निवासी जिसकी आयु 80 वर्ष या अधिक है : 5,00,000 ₹;

(ग) अन्य व्यक्ति (individuals), हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह—2,50,000 ₹;

(घ) फर्म, कम्पनी, स्थानीय सत्ता—शून्य।

5. **प्रगतिशील कर की दरें**—एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ या समूह की सम्पूर्ण आय पर एक दर से कर नहीं देना होता। जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है कर की दर भी बढ़ती जाती है। आय कर की दर न्यूनतम 5% तथा अधिकतम 30% है। फर्म एवं कम्पनी की आय पर 30% की दर से आय कर लगता है।

6. **अधिभार**—आय कर की राशि पर अधिभार भी लगाया जाता है। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अधिभार की दरें पृष्ठ 4 पर देखिए।

7. **स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर**—सभी करदाताओं को आयकर एवं अधिभार की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर देना होता है।

8. **कर-भार**—व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार पर कर प्रगतिशील दरों से लगता है इससे धनी व्यक्तियों पर कर भार अधिक होता है।

9. **प्रशासन**—आयकर लगाने एवं वसूल करने का कार्य आयकर विभाग द्वारा किया जाता है। यह विभाग प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के नियन्त्रण में कार्य करता है।

10. **आयकर की राशि का बंटवारा**—आयकर से एकत्रित राशि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को प्राप्त होती है। परन्तु निम्न राशियों में से राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं मिलता :

(i) कम्पनियों से प्राप्त आयकर;

(ii) अधिभार की राशि;

(iii) स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर।

आयकर लगाने का आधार
(BASIS OF CHARGING OF INCOME TAX)

1. आयकर आय पर एक वार्षिक कर है।

2. गत वर्ष की आय पर अगले कर-निर्धारण वर्ष में उस वर्ष के लिए प्रस्तावित आयकर की दरों से कर लगता है।

3. आयकर की दरें वित्त अधिनियम द्वारा प्रत्येक वर्ष निश्चित की जाती हैं।

कॉपीराइट की गई सामग्री

4. आयकर अधिनियम की धारा 2(31) में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगाया जाता है।
5. आयकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार गणना की गई प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर आयकर लगाया जाता है।
6. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आयकर आय के स्रोत के स्थान पर काटा जाता है या अग्रिम रूप में चुकाया जाता है।

❑ आयकर लगाने की विधि

करदाता की कुल कर-योग्य आय की गणना उसकी निवासीय स्थिति के आधार पर निम्न पांच शीर्षकों में वर्गीकृत करके की जाती है :

(1) वेतन से आय;

(2) मकान-सम्पत्ति से आय;

(3) व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियां;

(4) पूंजी लाभ;

(5) अन्य साधनों से आय।

एक करदाता की कुल कर-योग्य आय तथा उसके द्वारा देय कर की गणना करने के लिए क्रमवार निम्न विधि अपनायी जाती है :

(1) ऊपर वर्णित आय के प्रत्येक शीर्षक में आय को वर्गीकृत करके उसी शीर्षक में स्वीकृत कटौतियों को घटाने के बाद शेष राशि उस शीर्षक की शुद्ध कर-योग्य आय होगी।

(2) प्रत्येक शीर्षक की शुद्ध कर-योग्य आय के योग को 'सकल कुल आय' कहते हैं।

(3) सकल कुल आय में से उन कटौतियों को घटाने पर (जो कुल आय की गणना करने के लिए अधिनियम की धाराएं 80C से 80U के अन्तर्गत स्वीकृत हैं) जो राशि शेष बचेगी वह 'कुल आय' अथवा 'कुल कर-योग्य आय' कहलाती है।

(4) तत्पश्चात् कुल कर-योग्य आय पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जाती है।

❑ कर-मुक्त आय के सम्बन्ध में किए गए खर्चों की कटौती नहीं (धारा 14A)

कुल आय की गणना करते समय, ऐसी आय के सम्बन्ध में जो कुल आय का भाग नहीं है (आय कर-मुक्त है), करदाता द्वारा किए गए किसी खर्चे की कटौती नहीं मिलेगी।

यदि करदाता ऐसी आय के सम्बन्ध में जो कुल आय का भाग नहीं है, यह कहता है कि इस आय के सम्बन्ध में कोई व्यय नहीं किया गया है या व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में कर-निर्धारण अधिकारी सन्तुष्ट नहीं है तो वह निर्धारित नियमों के आधार पर व्यय की राशि निर्धारित कर सकता है।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आयकर की गणना

(COMPUTATION OF TAX FOR THE ASSESSMENT YEAR 2020-21)

❑ I. व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार तथा व्यक्तियों का समुदाय के लिए आयकर की दरें :

(अ) सामान्य दरें [अल्पकालीन पूंजी लाभ (धारा 111A में वर्णित), दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लॉटरी, घुड़दौड़, वर्ग पहेली आदि को छोड़कर]

1. वरिष्ठ नागरिक (भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है, परन्तु 80 वर्ष से कम है) :

प्रथम 3,00,000 ₹ पर (न्यूनतम कर-योग्य सीमा)	शून्य
अगले 2,00,000 ₹ पर	5%
अगले 5,00,000 ₹ पर	20%
शेष आय पर	30%

2. अति वरिष्ठ नागरिक (भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 80 वर्ष या अधिक है) :

प्रथम 5,00,000 ₹ पर	शून्य
अगले 5,00,000 ₹ पर	20%
शेष आय पर	30%

कॉपीराइट की गई सामग्री

3. अन्य व्यक्ति (Individuals) (पुरुष या महिला), हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का समूह (BOI) एवं व्यक्तियों का संघ

प्रथम 2,50,000 ₹ पर (न्यूनतम कर-योग्य सीमा)	शून्य
अगले 2,50,000 ₹ पर	5%
अगले 5,00,000 ₹ पर	20%
शेष आय पर	30%

(ब) विशिष्ट दरें—निम्न विशिष्ट आयों पर निर्धारित दर से आय कर की गणना की जाती है :

1. अल्पकालीन पूंजी लाभ (धारा 111A में वर्णित) पर	15%
2. दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर	20%
3. सूचीकृत अंशों की लागत को बिना सूचकांकित किए लाभों की गणना पर	10%
3A. धारा 112A के अन्तर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ	10%
4. लॉटरी, घुड़दौड़, वर्ग पहेली, आदि पर	30%

यदि भारत में निवासी एक व्यक्ति (Individual) **की कुल आय 5,00,000 ₹ से अधिक नहीं है तो देय कर में से 12,500 ₹ तक की कटौती मिलेगी।** (**धारा** 87A)

❑ II. **अधिभार :**

(i) एक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय 50 लाख ₹ से अधिक, किन्तु 1 करोड़ ₹ से कम है, आयकर पर 10% की दर से;

(ii) एक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय 1 करोड़ ₹ से अधिक, किन्तु 2 करोड़ ₹ से कम है, आयकर पर 15% की दर से;

(iii) एक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय 2 करोड़ ₹ से अधिक, किन्तु 5 करोड़ ₹ से कम है, आयकर पर 25% की दर से; तथा

(iv) एक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय 5 करोड़ ₹ से अधिक है, आयकर पर 37% की दर से।

❑ III. **सीमान्त राहत :**

(i) यदि कुल आय 50 लाख ₹ से अधिक है, परन्तु 1 करोड़ ₹ से अधिक नहीं है, तो कर की राशि अधिभार सहित 50 लाख ₹ से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी;

(ii) यदि कुल आय 1 करोड़ ₹ से अधिक है, परन्तु 2 करोड़ ₹ से अधिक नहीं है, तो कर की राशि अधिभार सहित 1 करोड़ ₹ से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी;

(iii) यदि कुल आय 2 करोड़ ₹ से अधिक है, परन्तु 5 करोड़ ₹ से अधिक नहीं है, तो कर की राशि अधिभार सहित 2 करोड़ ₹ से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी; तथा

(iv) यदि कुल आय 5 करोड़ ₹ से अधिक है, तो कर की राशि अधिभार सहित 5 करोड़ ₹ से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी।

''स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर'' पर सीमान्त राहत नहीं मिलेगी।

उदाहरण (Example) : **सीमान्त राहत**

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 को श्री X की कुल आय 1,02,00,000 ₹ है सीमान्त राहत एवं देय कर निम्न होगा :

Total income of Mr. X for the Assessment Year 2020-21 is ₹ 1,02,00,000. The marginal relief and tax payable shall be as under :

	₹
Tax on ₹ 2,50,000	—
Tax on ₹ 2,50,000 @ 5%	12,500
Tax on ₹ 5,00,000 @ 20%	1,00,000
Tax on ₹ 92,00,000 @ 30%	27,60,000
	28,72,500

कॉपीराइट की गई सामग्री

Add : Surcharge @ 15%		4,30,875
		33,03,375
Less : Marginal relief		2,90,875
		30,12,500
Add : Health and Education Cess @ 4%		1,20,500
	Tax Payable	31,33,000

Marginal refief has been computed as under :

Tax on ₹ 2,00,000 @ 30% (excess over ₹ one crore)		60,000
Add : Surcharge		4,30,875
		4,90,875
Tax and Surcharge cannot exceed the amount of income that exceeds ₹ one crore		2,00,000
	Marginal Relief	2,90,875

❑ IV. **जोड़ें**—**स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर**—आयकर एवं अधिभार की राशि पर @ 4%।

संक्षेप में—

कुल आय पर निर्धारित दरों से आय कर .....

जोड़ें : अधिभार, यदि देय है @ 10%/15%/25%/37% .....

.....

जोड़ें : स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर @ 4% .....

देय आयकर .....

यदि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि 1 अप्रैल है तो यह माना जाएगा कि उसकी सालगिरह से पूर्व 31 मार्च को वर्ष पूरा हो गया।

इसी आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति (भारत में निवासी) कब वरिष्ठ नागरिक/अति वरिष्ठ नागरिक हुआ। [*Circular No.* 28/2016 (*F.No.* 225/182/2016) *ITA.II Dated* 27.7. 2016]

उदाहरणार्थ, राम (भारत में निवासी) की जन्म तिथि 1.4.1960 है। वह 31.3.2020 को वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा। उसे कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 से कर लाभ मिलेगा।

फर्म करदाता—

एक फर्म की आय पर कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए निम्न दरों से कर लगेगा :

(i) धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ 15%;

(ii) दीर्घकालीन पूंजी लाभ 10% या 20% (धारा 112);

(iia) धारा 112A के अन्तर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 10%;

(iii) लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, आदि के इनाम 30%;

(iv) अन्य आय 30%।

अधिभार—यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है @ 12%।

सीमान्त राहत—यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है तो कर की राशि अधिभार सहित एक करोड़ रुपए से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर—आयकर एवं अधिभार की राशि पर 4%।

नोट—(1) फर्म की आय की गणना करने में साझेदारों को ब्याज एवं वेतन या पारिश्रमिक के सम्बन्ध में जो कटौती मिली है वह साझेदारों की आय मानी जाएगी और व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर-योग्य होगी।

(2) फर्म की कर-योग्य आय में से कर चुकाने के बाद शेष आय में से जो हिस्सा साझेदार को मिलता है उस पर साझेदार को कर नहीं चुकाना पड़ता अर्थात् यह आय उसकी कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी।

कॉपीराइट की गई सामग्री

महत्वपूर्ण नोट

धारा 68, 69, 69A, 69B 69C या 69D के अन्तर्गत मानी गई आय पर निम्न दर से कर लगाया जाएगा :
आयकर @ 60%, अधिभार @ 25%, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% (**धारा** 115BBE)

महत्वपूर्ण परिभाषाएं
(IMPORTANT DEFINITIONS)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 व 3 में प्रमुख शब्दों की परिभाषाएं दी गयी हैं। जिन शब्दों का प्रयोग इस अधिनियम में किया गया है उन में से कुछ 'महत्वपूर्ण परिभाषाएं' निम्नलिखित हैं :

आय
(INCOME) [**धारा** 2(24)]

यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आय कर, आय पर ही लगता है।

(**क**) **आय की परिभाषा**—आय कर अधिनियम में इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है, केवल यह दिया गया है कि आय में क्या-क्या सम्मिलित है। इस धारा के अनुसार 'आय' में निम्न सम्मिलित हैं :

(i) लाभ;

(ii) लाभांश;

(iii) पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित हुई ट्रस्ट अथवा संस्था, वैज्ञानिक शोध संघ, खेलकूद संघ, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान या निर्वाचन ट्रस्ट (electoral trust) को स्वेच्छा से प्राप्त चन्दों से आय;

(iv) कर्मचारी को प्राप्त अनुलाभ (perquisites) या वेतन के बदले में मिले हुए लाभ (profits in lieu of salary);

(v) कोई विशेष भत्ता अथवा लाभ जो करदाता को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए किये गये व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकार किये गये हों;

(vi) करदाता को अपने कर्तव्य-पालन करने के लिए अपने निजी व्ययों की पूर्ति के लिए अथवा जीवन-निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्त क्षतिपूरक भत्ता;

(vii) प्रतिनिधि करदाता को प्राप्त कोई लाभ अथवा अनुलाभ का मूल्य;

(viii) वह धन जो व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में कर-योग्य है;

(ix) पूंजी लाभ;

(x) एक पारस्परिक बीमा कम्पनी (Mutual Insurance Co.) या सहकारी समिति (Co-operative Society) के बीमा के व्यवसाय के लाभ;

(xi) लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, घुड़दौड़, आदि के इनाम, ताश तथा अन्य खेलों में जीत अथवा जुए या शर्त (दांव) से आय;
स्पष्टीकरण—(i) 'लॉटरी' के अन्तर्गत किसी स्कीम या व्यवस्था के अधीन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लॉटरी निकालकर या संयोग से या किसी भी अन्य रीति से प्रदान किए गए इनामों से जीत है। (ii) 'ताश के खेल तथा अन्य खेल' के अन्तर्गत टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर ऐसा कोई खेल प्रदर्शन, कोई मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमें लोग इनाम जीतने के लिए प्रतिस्पर्द्धा करते हैं या कोई अन्य समरूप खेल शामिल है।

(xii) प्रॉविडेण्ट फण्ड अथवा सुपरऐनुएशन फण्ड अथवा कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित किसी फण्ड में कर्मचारियों का अंशदान नियोक्ता की आय होगी;

(xiii) Keyman बीमा पॉलिसी से प्राप्त कोई राशि (बोनस सहित);

नोट—कीमैन (Keyman) बीमा पॉलिसी का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन पर ली गई जीवन बीमा पॉलिसी से है। दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति का कर्मचारी हो सकता है अथवा ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जो प्रथम व्यक्ति के व्यवसाय से किसी प्रकार सम्बन्धित हो।

(xiv) किसी सहकारी समिति के बैंक के व्यापार एवं अपने सदस्यों को ऋण की सुविधा देने के व्यापार के लाभ।

(xv) अंशों के जारी करने पर प्राप्त प्रतिफल एवं अंशों के उचित बाजार मूल्य का अन्तर आय माना जाएगा।

(xvi) यदि किसी पूंजी सम्पत्ति के अन्तरण के लिए बातचीत के अनुक्रम में अग्रिम के रूप में कोई राशि प्राप्त होती है और ऐसे अनुबन्ध के असफल होने पर अग्रिम राशि जब्त कर ली जाती है तो ऐसी जब्त राशि आय मानी जाएगी।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(xvii) यदि करदाता को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकारी निकाय या एजेन्सी से सहायता के रूप में (रोकड़ में या वस्तु के रूप में) निम्न मिलता है तो वह आय मानी जाएगी :

अनुदान, रोकड़ में प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, शुल्क में छूट, या प्रतिपूर्ति आदि।

यदि अनुदान या प्रतिपूर्ति की राशि सम्पत्ति की लागत में से घटा दी गई है तो इसे आय नहीं माना जाएगा।

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी न्यास या संस्था के कोष (Corpus) के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता आय नहीं मानी जाएगी।

यदि घरेलू गैस (LPG) पर अनुदान मिलता है या व्यक्तियों को उनके कल्याण के लिए अन्य अनुदान मिलते हैं तो इन्हें आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

(xviii) किसी व्यक्ति (person) को 1.4.2017 या इसके पश्चात् किसी व्यक्ति (person) या व्यक्तियों से बिना प्रतिफल या अपूर्ण प्रतिफल प्राप्त राशि या सम्पत्ति का मूल्य आय में शामिल किया जाएगा। (विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए अध्याय 12)

(xix) किसी व्यक्ति को नौकरी से निकालते या उसकी सेवा शर्तों में परिवर्तन के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।

(xx) जिस तिथि को रहतिये को पूंजी सम्पत्ति में परिवर्तित किया जाता है उस तिथि को रहतिये का उचित बाजार मूल्य। **(*w.e.f.* the A.Y. 2019-20)**

(**ख**) **आय से आशय**—वास्तव में 'आय' शब्द का तात्पर्य उस मौद्रिक आय से है, जो निश्चित साधनों से प्राप्त होती है। ये निश्चित साधन वेतन, मकान-सम्पत्ति की आय, व्यापार या पेशे के लाभ, पूंजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय हैं।

(**ग**) **अन्य महत्वपूर्ण बातें**—(i) आय का कोई विशिष्ट साधन होना चाहिए।

(ii) **कानूनी ढंग से अथवा गैर-कानूनी ढंग से कमाई गयी कोई आय**—आयकर अधिनियम में कानूनी अथवा गैर-कानूनी आय में कोई अन्तर नहीं है; जैसे—चोरी करने या डाका डालने या तस्करी करने से आय। गैर-कानूनी आय को कमाने का व्यय गैर-कानूनी आय में से ही स्वीकार्य होगा।

(iii) यह आवश्यक नहीं है कि आय नियमित रूप से साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक ही प्राप्त हो। **इकट्ठी मिली हुई रकम भी आय हो सकती है**, बशर्ते कि वह अन्य सिद्धान्तों के अनुसार आय हो।

(iv) **आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए** अर्थात् अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त होनी चाहिए। जैसे, किसी संस्था में अपने सदस्यों से चन्दे की आय उसके द्वारा अपने सदस्यों पर किये गये व्यय से अधिक हो तो वह आधिक्य कर-योग्य आय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह चन्दा आपस में सदस्यों ने ही दिया था और उन्हीं के हित के लिए किये गये व्ययों का आधिक्य है, अतः यह आधिक्य कहीं बाहर से प्राप्त नहीं हुआ है।

(v) **यह आवश्यक नहीं है कि आय मुद्रा के रूप में ही प्राप्त हो।** मुद्रा तुल्य वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्ति भी आय हो सकती है। वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्ति का मुद्रा में मूल्यांकन कर लिया जाता है। जैसे एक कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त निःशुल्क मकान का मूल्य भी आय माना जाता है।

(vi) **आय चाहे अस्थायी हो अथवा निरन्तर या स्थायी हो, नियमित हो अथवा अनियमित;** सभी प्रकार की प्राप्तियां आय मानी जाती हैं।

(vii) **कमायी गयी तथा प्राप्त की गयी, दोनों ही आयें, कर-योग्य होती हैं।** एक करदाता ने यदि कोई आय कमा ली है, परन्तु वास्तव में प्राप्त नहीं की है तो भी कर-योग्य होगी। जैसे उधार बेचे गए माल पर कमाया गया लाभ अभी प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु यह लाभ आय माना जाएगा।

(viii) **खर्चों की क्षतिपूर्ति आय नहीं मानी जाती है।** वास्तविक यात्रा व्यय की क्षतिपूर्ति आय नहीं मानी जाएगी।

(ix) **यदि किसी व्यक्ति की आय पर कानूनी रूप से किसी दायित्व का भार लगा दिया जाए तो इतनी राशि उसकी आय नहीं मानी जायेगी।** उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति की किसी आय पर न्यायालय द्वारा 1,000 ₹ प्रति माह उसकी विधवा भाभी को भुगतान करने का दायित्व है तो यह कानूनी रूप से लगाया गया दायित्व है, अतः इस राशि पर वह व्यक्ति कर नहीं देगा बल्कि भाभी को यह कर चुकाना होगा।

(x) **धर्मादा, गऊशाला**, आदि के सम्बन्ध में प्राप्तियां आय नहीं होती हैं।

(xi) **बचत आय नहीं होती है।** पति द्वारा पत्नी को घर खर्च के लिए दी गयी धनराशि अथवा उसके निजी व्ययों के लिए दी गई धनराशि में से यदि पत्नी कुछ बचत कर लेती है तो वह पत्नी की आय नहीं मानी जाएगी।

(xii) **विवादास्पद आय**—यदि किसी आय के सम्बन्ध में यह विवादास्पद है कि यह आय किसकी है तो यह आय उस व्यक्ति की मानी जायेगी जिसने उसे प्राप्त किया है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

सकल कुल आय
(GROSS TOTAL INCOME) [धारा 80B(5)]

सकल कुल आय से आशय करदाता की विभिन्न साधनों से कर-योग्य आय के योग से है :

(i) वेतन से आय;

(ii) मकान-सम्पत्ति से आय;

(iii) व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियां;

(iv) पूंजी लाभ; एवं

(v) अन्य साधनों से आय।

दूसरे शब्दों में, सकल कुल आय से आशय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक शीर्षक की सकल आय में से उसी शीर्षक की स्वीकृत कटौतियों को घटाने के बाद बची हुई आयों के योग से है जिसमें से **धाराएं** 80C से **धारा** 80U तक में दी गयी कटौतियां न घटी हों।

कुल आय
(TOTAL INCOME) [धारा 2(45)]

सकल कुल आय में से धाराएं 80C से धारा 80U तक में दी गयी कटौतियां घटाने के बाद जो राशि आती है, वह कुल आय अथवा कर-योग्य आय कहलाती है। इस आय पर ही कर की गणना की जाती है। कुल आय को 10 के निकटतम गुणक के रूप में round off कर दिया जाता है।

सकल कुल आय तथा कुल आय में अन्तर

सकल कुल आय	कुल आय
1. सकल कुल आय विभिन्न शीर्षकों (वेतन, मकान-सम्पत्ति से आय, व्यापार अथवा पेशे से लाभ, पूंजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय) से आय के योग को कहते हैं।	सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौतियां घटाकर जो राशि बचती है उसे कुल आय कहते हैं।
2. सकल कुल आय को Round off नहीं किया जाता है।	कुल आय को 10 के निकटतम गुणक से Round off किया जाता है।
3. सकल कुल आय पर कर नहीं लगाया जाता है।	कुल आय पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जाती है।
4. सकल कुल आय किसी भी दशा में कुल आय से कम नहीं हो सकती है।	कुल आय सकल कुल आय के बराबर या कम होती है।
5. सकल कुल आय में कृषि आय शामिल नहीं की जाती है।	5,000 ₹ से अधिक कृषि आय होने पर कुल आय में पृथक् से कृषि आय जोड़कर कर निकाला जाता है तत्पश्चात् कृषि आय पर कर की छूट निर्धारित विधि से दे दी जाती है।

ये दोनों आयें निम्न चार्ट द्वारा भी दर्शायी जा सकती हैं :

		₹
1.	वेतन से आय	.....
2.	मकान-सम्पत्ति से आय	.....
3.	व्यापार अथवा पेशे से आय	.....
4.	पूंजी लाभ	.....
5.	अन्य साधनों से आय	.....
	सकल कुल आय	.....
	घटाओ : धारा 80C से 80U तक की कटौतियां	.....
	कुल आय	.....

कृषि आय
(AGRICULTURAL INCOME) [धारा 2(1A)]

[देखिए अध्याय 2 'कृषि आय']

कॉपीराइट की गई सामग्री

आकस्मिक आय
(CASUAL INCOME)

ऐसी प्राप्तियां जो संयोगवश बिना आशा के प्राप्त हो गयी हैं तथा जो बार-बार न होने वाली प्रकृति की हैं, आकस्मिक आय कहलाती हैं। आकस्मिक आय वह होती है जो अचानक भाग्यवश अथवा अनिश्चित समय पर बिना आशा के प्राप्त होती है। आकस्मिक आय कुल आय में शामिल की जाती है और उस पर कर लगता है।

उदाहरणार्थ, (क) किसी खोये हुए बच्चे को ढूंढ़कर लाने वाले को मिला हुआ इनाम, यदि इनाम की पहले से घोषणा न की गयी हो, आकस्मिक आय है।

(ख) लॉटरी से, वर्ग पहेली से, दौड़ से (घुड़दौड़ सहित), ताश के खेल से, किसी भी प्रकृति के जुए से या दांव से जीत में होने वाली आय आकस्मिक आय है।

परन्तु निम्न आय आकस्मिक आय में शामिल नहीं हैं :

(i) (**क**) कर-योग्य पूंजी लाभ, अथवा (**ख**) व्यापार अथवा पेशे से उदय हुई प्राप्तियां, अथवा (**ग**) एक कर्मचारी के पारिश्रमिक में जुड़ने वाली अन्य प्राप्तियां; जैसे, बोनस, ग्रेच्युइटी, अनुलाभ, आदि।

(ii) किसी व्यवसाय या पेशे के दौरान यदि स्वेच्छा से कोई बख्शीस (इनाम) मिलता है तो वह आकस्मिक आय नहीं है। उदाहरणार्थ, होटल में बैरा (Waiter) को प्राप्त बख्शीस, टैक्सी-ड्राइवर को बख्शीस, आदि। इसी प्रकार किसी मुकदमे के जीतने पर विधिवक्ता (Lawyer) को अपने ग्राहक (मोवक्किल) से निर्धारित फीस से अधिक धन (मुद्रा या वस्तु के रूप में) प्राप्त होता है तो यह विधिवक्ता की पेशे की आय होगी; आकस्मिक आय नहीं होगी।

(iii) किसी रिश्तेदार से व्यक्तिगत भेंट (जैसे, जन्म-दिवस या विवाह की वर्षगांठ पर प्राप्त भेंट) बार-बार (प्रति वर्ष) प्राप्त होने पर भी कर-योग्य नहीं है। यह भेंट पारिवारिक प्रेम के कारण दी जाती है और कर-योग्य नहीं होती। उदाहरणार्थ, एक पिता द्वारा पुत्र को, एक पति द्वारा पत्नी को तथा एक रिश्तेदार द्वारा दूसरे रिश्तेदार को प्रति वर्ष कोई राशि भेंट के रूप में दिया जाना केवल भेंट माना जाता है। इसे किसी भी रूप में आय नहीं कहा जा सकता।

(iv) किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत देय कोई राशि आकस्मिक आय नहीं मानी जाएगी। एक पति द्वारा अपनी पत्नी को कोई भुगतान पृथक्-पृथक् रहने के अनुबन्ध के अन्तर्गत निर्वाह भत्ते के रूप में हुआ हो तो वह न आकस्मिक आय है और न व्यक्तिगत भेंट, अतः वह कर-योग्य है।

❑ आकस्मिक आय के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान

(i) **खर्चे कटौती योग्य नहीं**—यदि आकस्मिक आय के लिए कुछ व्यय किया जाता है तो किसी भी आय में से इसकी कटौती नहीं मिलेगी। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति लॉटरी के टिकट खरीदता है या वर्ग पहेली भेजने में डाक व्यय करता है तो भी खर्चों की कटौती नहीं मिलेगी।

(ii) **हानियों की पूर्ति नहीं**—यदि आकस्मिक आय की अपेक्षा आकस्मिक हानि हो जाए तो इसकी पूर्ति किसी भी आय से नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ, ताश के खेल में एक दिन जीत हो जाए और दूसरे दिन हार हो जाए तो हार से होने वाली हानि की पूर्ति जीत की आय से नहीं की जा सकती।

(iii) **उद्गम स्थान पर कर की कटौती**—(क) यदि घुड़दौड़ से जीत की राशि 10,000 ₹ से अधिक है तो उद्गम स्थान पर निर्धारित दर से कर की कटौती की जाएगी तथा शेष राशि ही विजेता को दी जाएगी।

(ख) यदि लॉटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल एवं अन्य खेलों में जीत अथवा जुए या शर्त (दांव) से जीत की राशि 10,000 ₹ से अधिक है तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी तथा शेष राशि ही विजेता को दी जाएगी।

(iv) **कर की दर**—लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, ताश के खेल, जुए आदि की आय पर विशेष दर (30%) से कर लगता है।

■ उदाहरण (Illustration) 1

बताइए कि क्या निम्न प्राप्तियां आकस्मिक आयें हैं :

(i) मिस्टर 'एक्स' को पंच का कार्य करने के लिए 5,000 ₹ प्राप्त हुए जबकि पारिश्रमिक के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

(ii) मिस्टर 'वाई' को पंच का कार्य करने के लिए 5,000 ₹ प्राप्त हुए जिस पर पारिश्रमिक के लिए स्पष्ट तथा निश्चित प्रावधान था।

(iii) न्यायालय के आदेशानुसार ऋणी मिस्टर 'वाई' पर डिक्री को कार्यान्वित करने से रोकने के लिए डिक्रीधारी मिस्टर 'एक्स' को 500 ₹ ब्याज के प्राप्त हुए।

(iv) मिस्टर 'एक्स' मिस्टर 'वाई' के यहां सेवा कर रहा है। मिस्टर 'वाई' का पुत्र खो गया और मिस्टर 'एक्स' ने बिना पारिश्रमिक के प्रावधान के उसे खोज निकाला, परन्तु मिस्टर 'वाई' ने उसे 500 ₹ इनाम के दिये।

State whether the following receipts are casual incomes :

(i) Mr. X received ₹ 5,000 for acting as an arbitrator without any stipulation as to remuneration.

कॉपीराइट की गई सामग्री

(ii) Mr. Y received ₹ 5,000 for acting as an arbitrator with a clear and definite stipulation for the said remuneration.

(iii) Mr. X a decree-holder received interest of ₹ 500 under an order of the court granting a stay of execution of the decree on judgment debtor Mr. Y.

(iv) Mr. X is in the service of Mr. Y. Mr. Y's son was lost and Mr. X traced him out without any stipulation of reward but Mr. Y gave him a reward of ₹ 500.

Solution

(i) यह प्राप्ति आकस्मिक तथा वारम्वार न होने वाली प्रकृति की है, क्योंकि पारिश्रमिक देने का कोई प्रावधान नहीं था, अतः यह आकस्मिक आय है।

(ii) मिस्टर वाई को पंच के कार्य करने के लिए निश्चित पारिश्रमिक देने का स्पष्ट प्रावधान था और उसने इस पारिश्रमिक पर कार्य करना स्वीकार कर लिया था, अतः यह प्राप्ति आकस्मिक आय नहीं है।

(iii) डिक्रीधारी द्वारा 500 ₹ व्याज की प्राप्ति आकस्मिक आय नहीं है।

(iv) यह आकस्मिक तथा वारम्वार न होने वाली प्रकृति की है, क्योंकि पारिश्रमिक देने का कोई प्रावधान नहीं था, अतः यह आकस्मिक आय है।

व्यक्ति
(PERSON) [धारा 2(31)]

'व्यक्ति' शब्द में निम्न शामिल हैं :

(i) एक व्यक्ति (Individual),

(ii) हिन्दू अविभाजित परिवार,

(iii) कम्पनी,

(iv) फर्म,

(v) व्यक्तियों का संघ (Association of Persons),

(vi) व्यक्तियों का समूह (Body of Individuals),

(vii) स्थानीय सत्ता (नगर पालिका, नगर महापालिका, जिला परिषद्, आदि)

(viii) प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति (वैधानिक निगम, विश्वविद्यालय, मूर्ति आदि)।

करदाता
(ASSESSEE) [धारा 2(7)]

करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत :

(i) कर अथवा अन्य कोई राशि (ब्याज, अर्थ-दण्ड) देने के लिए उत्तरदायी है; या

(ii) उस व्यक्ति की आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है; या

(iii) उस व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है; या

(iv) उस व्यक्ति द्वारा कर की वापसी के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है; या

(v) उसकी स्वयं की हानि निर्धारित करने के लिए उस पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है; या

(vi) उसको माना हुआ करदाता (Deemed Assessee) मान लिया गया है; या

(vii) उसको चूक में करदाता (Assessee in Default) मान लिया गया है।

❑ **माना हुआ करदाता** (Deemed Assessee)

जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आय के सम्बन्ध में करदाता माना जाता है तो उसे 'माना हुआ करदाता' (Deemed Assessee) कहते हैं। उदाहरणार्थ, (i) किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका कानूनी उत्तराधिकारी उस आय के सम्बन्ध में करदाता माना जाता है जिस पर उसने मृत्यु से पहले कर न चुकाया हो। (ii) प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी, अवयस्क अथवा पागल की आय के सम्बन्ध में करदाता माना जाता है।

❑ **चूक में करदाता** (Assessee in Default)

अधिनियम के अन्तर्गत जब किसी कार्य का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर डाला जाता है और वह उस कार्य को नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति 'चूक में करदाता' (Assessee in Default) माना जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई धनराशि देते समय उसमें से **आय कर काटने का उत्तरदायी है** और वह यह कर नहीं काटता है या काटकर सरकारी कोष में जमा नहीं करता है तो वह व्यक्ति 'चूक में करदाता' समझा जाता है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

कर-निर्धारण वर्ष

(ASSESSMENT YEAR) [**धारा** 2(9)]

कर-निर्धारण वर्ष का आशय 12 महीने की उस अवधि से है जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। एक करदाता अपनी गत वित्तीय वर्ष की आय पर अगले वित्तीय वर्ष में कर चुकाता है जिसे कर-निर्धारण वर्ष कहा जाता है।

गत वर्ष

(PREVIOUS YEAR) (**धारा** 3)

आयकर गत (वित्तीय) वर्ष की कुल आय पर अगले कर-निर्धारण वर्ष (वित्तीय वर्ष) में लगाया जाता है। वह वर्ष जिसमें आय कमाई जाती है, गत वर्ष कहा जाता है और अगला वर्ष जिसमें यह आय कर-योग्य होती है, कर-निर्धारण वर्ष कहलाता है। अतः गत वर्ष की परिभाषा अति महत्वपूर्ण है, जो निम्न है :

(1) गत वर्ष से आशय कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष से है।

(2) प्रत्येक प्रकार के करदाता के लिए तथा आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष ही गत वर्ष होगा (अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष)।

(3) **नये स्थापित व्यापार अथवा पेशे के लिए**—वित्तीय वर्ष में स्थापित नये व्यापार अथवा पेशे के लिए, गत वर्ष, व्यापार अथवा पेशा प्रारम्भ करने की तिथि से प्रारम्भ होकर उसी वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त होगा अर्थात् उसके लिए गत वर्ष की अवधि व्यापार अथवा पेशा प्रारम्भ होने की तिथि से प्रारम्भ होकर उसी वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त हुई मानी जायेगी। इस प्रकार पहला गत वर्ष 12 माह से कम का हो सकता है। उदाहरणार्थ, 'अ' ने अपना कपड़े का व्यापार 1 दिसम्बर, 2019 को प्रारम्भ किया, अतः 'अ' के कपड़े के व्यापार का गत वर्ष 1 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक चार महीने की अवधि का होगा।

(4) **वर्ष के बीच में आय का कोई नया साधन प्रारम्भ करने पर ऐसे साधन से आय के लिए**—वर्ष के बीच में आय का कोई नया साधन प्रारम्भ करने पर ऐसे साधन से आय के लिए गत वर्ष नया साधन प्रारम्भ होने की तिथि से प्रारम्भ होकर उसी वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त होगा। उदाहरणार्थ, यदि आय का कोई नया साधन 1 जनवरी, 2020 को शुरू होता है तो 1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक की 3 माह की अवधि की आय कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गत वर्ष की आय होगी।

नोट—किसी भी करदाता के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपना हिसाब 31 मार्च को ही बन्द करे। यदि किसी भी कारणवश (चाहे व्यक्तिगत, चाहे धार्मिक अथवा अन्य) करदाता 31 मार्च की बजाय अन्य किसी तिथि को अपना हिसाब बन्द करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, परन्तु उसे आयकर के लिए आय का विवरण दाखिल करने के लिए अपना हिसाब 31 मार्च तक ही बनाना होगा।

■ **उदाहरण** (Illustration) 2

एक करदाता अपना व्यापार निम्न तिथियों को प्रारम्भ करता है :

(i) 1 जुलाई, 2019; (ii) 1 अक्टूबर, 2019; (iii) 1 जनवरी, 2020

प्रत्येक दशा में उसका कर-निर्धारण वर्ष क्या होगा तथा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए कौन-सी अवधि उसका गत वर्ष मानी जाएगी ?

An assessee commences his business on :

(i) 1st July, 2019; (ii) 1st October, 2019; and (iii) 1st January, 2020.

In each case, what will be his assessment year and what period will be treated as his previous year for the concerned assessment year?

Solution

प्रत्येक दशा में उसका कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 होगा तथा प्रत्येक दशा में निम्न अवधि गत वर्ष मानी जायेगी :

(i) 1 जुलाई, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक;

(ii) 1 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक;

(iii) 1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक।

■ **उदाहरण** (Illustration) 3

(1) श्री रामगोपाल एक कॉलेज में 1 जुलाई, 2019 को प्रवक्ता पद पर परिवीक्षा (Probation) के रूप में नियुक्त हुए और 30 जून, 2020 को उन्हें स्थायी कर दिया गया।

(2) श्री अमरनाथ एक कॉलेज में अस्थायी रूप से 1 सितम्बर, 2019 को श्री रामनाथ की अवकाश अवधि के लिए प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। श्री रामनाथ 1 फरवरी, 2020 को अवकाश से वापस आ गये।

(3) मेसर्स रामलाल भजनलाल अपने व्यापार का हिसाब कलेण्डर वर्ष के आधार पर रखते हैं। उन्होंने 31 दिसम्बर, 2019 को अपना लाभ-हानि खाता तथा चिट्ठा बनाया है।

उपर्युक्त दशाओं में बताइए कि कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए करदाता की गत वर्ष की अवधि क्या होगी ?

कॉपीराइट की गई सामग्री

(1) Shri Ram Gopal was appointed on 1.7.2019 as a lecturer in a college on probation. He was confirmed on 30.6.2020.

(2) Shri Amar Nath was appointed on 1.9.2019 as a lecturer against leave vacancy of Sri Ram Nath. Sri Ram Nath joined the college on 1.2.2020.

(3) M/s Ram Lal Bhajan Lal maintain the books of account of their business on the calendar year basis. They prepared their final accounts on 31.12.2019.

Under the above mentioned cases what would be the duration of the previous year for the Assessment Year 2020-21?

Solution

(1) श्री रामगोपाल के लिए गत वर्ष 1 जुलाई, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक का होगा।

(2) श्री अमरनाथ के लिए गत वर्ष 1 सितम्बर, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक का होगा।

(3) मेसर्स रामलाल भजनलाल के लिए गत वर्ष 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक का ही होगा। इस अवधि के लिए उन्हें लाभ-हानि खाता व चिट्ठा पुनः बनाना होगा। कलेण्डर वर्ष का हिसाब अब आय कर के लिए स्वीकार्य नहीं है।

❑ गत वर्ष से सम्बन्धित सामान्य नियम के अपवाद

सामान्य नियम के अनुसार कर-निर्धारण वर्ष में करदाता की गत वर्ष की आय पर आय कर लगता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। **निम्नलिखित दशाओं में करदाताओं पर आय कमाने वाले वर्ष में ही कर लग जाता है :**

(i) **अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय**—अनिवासी की समुद्री जहाज द्वारा सामान, डाक, पशु अथवा यात्रियों को भारतीय बन्दरगाह से ले जाने के व्यापार से प्राप्त अथवा प्राप्य राशि का 7.5% भाग कर-योग्य आय मानकर चालू वर्ष में ही उस आय पर कर ले लिया जाएगा। (**धारा** 172)

(ii) **भारत को छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय**—यदि कोई व्यक्ति कर-निर्धारण वर्ष में अथवा उसके शीघ्र बाद भारत से जाने वाला है तथा उसका भारत लौटने का इरादा नहीं है तो उसके जाने की सम्भावित तिथि तक की आय पर चालू वर्ष में ही कर ले लिया जाएगा। (**धारा** 174)

(iii) **किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का संघ** (AOP) **या व्यक्तियों का समूह** (BOI) **या कृत्रिम व्यक्ति** (Artificial Juridical Person) **का बनाया जाना**—किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह या कृत्रिम व्यक्ति बनाया गया है और चालू कर-निर्धारण वर्ष में अथवा उसके समाप्त होने के कुछ समय बाद इसका विघटन कर दिया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति से उसके विघटन की सम्भावित तिथि तक की कुल आय पर चालू वर्ष में ही कर ले लिया जाएगा। (**धारा** 174A)

(iv) **कर-बंचना के उद्देश्य से सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने वाले व्यक्ति की आय**—यदि कोई करदाता कर बचाने के लिए अपनी सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने वाला है, तो उसकी उस वर्ष की आय पर ही चालू वर्ष में ही कर ले लिया जाएगा। (**धारा** 175)

(v) **व्यापार अथवा पेशे के बन्द होने पर**—किसी व्यापार या पेशे के बन्द होने पर व्यापार अथवा पेशा बन्द करने की तिथि तक की आय पर चालू वर्ष में ही कर ले लिया जाएगा। (**धारा** 176)

उपर्युक्त (i) से (v) में वर्णित आय पर सम्बन्धित वित्त वर्ष की आय पर अग्रिम कर के लिए निर्धारित दरों से कर देना होगा। उदाहरणार्थ, 'अ' 10 जुलाई, 2020 को भारत से बाहर जा रहा है। गत वर्ष 2019-20 की आय पर कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए लागू कर की दरों से कर देना होगा तथा 1.4.2020 से 10.7.2020 तक की आय पर वित्त वर्ष 2020-21 में अग्रिम कर देने के लिए जो दरें निर्धारित की गई हैं उन दरों से कर देना होगा।

गत वर्ष एवं कर-निर्धारण वर्ष में अन्तर
(DIFFERENCE BETWEEN PREVIOUS YEAR AND ASSESSMENT YEAR)

	गत वर्ष	कर-निर्धारण वर्ष
1.	गत वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की धारा 3 है।	कर-निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की धारा 2(9) है।
2.	गत वर्ष से अभिप्राय कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष से है।	कर-निर्धारण वर्ष का अभिप्राय 12 माह की उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को शुरु होती है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होती है।
3.	नए स्थापित व्यवसाय या पेशे के सम्बन्ध में गत वर्ष 12 माह से कम अवधि के लिए भी हो सकता है।	कर-निर्धारण वर्ष सदैव 12 माह का होता है।
4.	जिस वर्ष में आय कमाई जाती है उसे गत वर्ष कहा जाता है।	गत वर्ष की आय पर जिस अगले वर्ष में कर लगता है उसे कर-निर्धारण वर्ष कहते हैं।

कॉपीराइट की गई सामग्री

एक व्यक्ति (Individual) के लिए आयकर की दरें

❑ **कर-निर्धारण वर्ष** 2021-22:

(वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम कर की दरें)

1. वरिष्ठ नागरिक (भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है परन्तु 80 वर्ष से कम है) :

प्रथम 3,00,000 ₹ पर	शून्य
अगले 2,00,000 ₹ पर	5%
अगले 5,00,000 ₹ पर	20%
शेष आय पर	30%

2. अति वरिष्ठ नागरिक (भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 80 वर्ष या अधिक है) :

प्रथम 5,00,000 ₹ पर	शून्य
अगले 5,00,000 ₹ पर	20%
शेष आय पर	30%

3. अन्य व्यक्ति (Individuals) :

प्रथम 2,50,000 ₹ पर	शून्य
अगले 2,50,000 ₹ पर	5%
अगले 5,00,000 ₹ पर	20%
शेष आय पर	30%

❑ **नई वैकल्पिक कर व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए आय कर की दरें** (Income tax rates for Individuals and HUF under new optional tax regime) (**धारा** 115BAC)

कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिए व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार को कर की कम दर वाली नई कर-व्यवस्था (बिना किसी निर्धारित कटौती या कर मुक्ति) लागू की गई हैं।

प्रथम 2,50,000 ₹ पर	शून्य
अगले 2,50,000 ₹ पर	5%
अगले 2,50,000 ₹ पर	10%
अगले 2,50,000 ₹ पर	15%
अगले 2,50,000 ₹ पर	20%
अगले 2,50,000 ₹ पर	25%
शेष आय पर	30%

यदि भारत में निवासी एक व्यक्ति (Individual) **की कुल आय** 5,00,000 ₹ **से अधिक नहीं है तो देय कर में से** 12,500 ₹ **तक की कटौती मिलेगी।** (**धारा** 87A)

अधिभार (Surcharge)—(क) यदि कुल आय पचास लाख ₹ से अधिक है, परन्तु एक करोड़ ₹ से अधिक नहीं है तो 10% की दर से अधिभार लगेगा। (ख) यदि कुल आय एक करोड़ ₹ से अधिक है परन्तु दो करोड़ ₹ से अधिक नहीं है तो 15% की दर से अधिभार लगेगा। (ग) यदि कुल आय दो करोड़ ₹ से अधिक है, परन्तु पांच करोड़ ₹ से अधिक नहीं है @ 25%। (घ) यदि कुल आय पांच करोड़ ₹ से अधिक है @ 37%।

सीमान्त राहत (Marginal Relief)—(क) यदि कुल आय पचास लाख ₹ से अधिक है, परन्तु एक करोड़ ₹ से अधिक नहीं है, तो कर की राशि अधिभार सहित पचास लाख ₹ से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी। (ख) जब कुल आय एक करोड़ ₹ से अधिक है, परन्तु दो करोड़ ₹ से अधिक नहीं है, तो कर की राशि अधिभार सहित एक करोड़ ₹ से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी। (ग) यदि कुल आय दो करोड़ ₹ से अधिक है, परन्तु पांच करोड़ ₹ से अधिक नहीं है तो कर की राशि अधिभार सहित दो करोड़ ₹ से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी। (घ) जब कुल आय पांच करोड़ ₹ से अधिक है तो कर की राशि अधिभार सहित पांच करोड़ ₹ से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी, परन्तु स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर पर सीमान्त राहत नहीं मिलेगी।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर—आयकर एवं अधिभार की राशि पर 4% की दर से लगेगा।

कॉपीराइट की नई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 4

श्री 'अ' की कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 की कुल आय 10,60,000 ₹ है। श्री 'अ' को विदेश से नियुक्ति-पत्र प्राप्त हुआ। वह 20 सितम्बर, 2020 को भारत से जाएगा। उसकी 1.4.2020 से 20.9.2020 तक की अनुमानित आय 6,60,000 ₹ है। उसे भारत से जाने से पूर्व कितना कर चुकाना होगा?

The total income of Mr. A for the Assessment Year 2020-21 is ₹ 10,60,000. Mr. A got the appointment letter from a foreign country. He will leave India on 20th Sept., 2020. His estimated income from 1st April, 2020 to 20th Sept., 2020 is ₹ 6,60,000. How much tax he has to pay before leaving India?

Solution

Mr. A has to pay tax on his income as under during the Financial Year 2020-21 :

(i) Tax on ₹ 10,60,000 *i.e.*, total income for the Assessment Year 2020-21 :

	₹
Tax on ₹ 2,50,000	Nil
Tax on ₹ 2,50,000 @ 5%	12,500
Tax on ₹ 5,00,000 @ 20%	1,00,000
Tax on ₹ 60,000 @ 30%	18,000
	1,30,500
Add : Health and Education Cess @ 4%	5,220
	1,35,720

(ii) Tax on ₹ 6,60,000 (Income up to the date of leaving India) at the rates prescribed for payment of advance tax during the F.Y. 2020-21 :

	₹
Tax on ₹ 2,50,000	Nil
Tax on ₹ 2,50,000 @ 5%	12,500
Tax on ₹ 1,60,000 @ 20%	32,000
	44,500
Add : Health and Education Cess @ 4%	1,780
	46,280

नोट—कर उसी वर्ष (2020-21) में चुकाना होगा जिस वर्ष में आय अर्जित की गई हो।

अधिकतम सीमान्त दर

(MAXMIMUM MARGINAL RATE) [**धारा** 2(29C)]

अधिकतम सीमान्त दर से आशय सम्बन्धित वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित आय कर (यदि अधिभार देय है तो अधिभार सहित) की उस दर से है, जो एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ की दशा में आय के सर्वोच्च खण्ड पर लागू होती है।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय कर की अधिकतम दर 30% है। अधिभार की दर 10%; 15%; 25%; 37%; यथा स्थिति देय होगी। आय कर एवं अधिभार की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगेगा।

स्थायी खाता संख्या

(PERMANENT ACCOUNT NUMBER) (**धारा** 139A)

स्थायी खाता संख्या (PAN) से आशय उस संख्या से है जो कर-निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के लिए आवंटित करता है।

PAN में दस alphanumeric characters होते हैं।

PAN के लिए प्रार्थना-पत्र देना—यदि किसी करदाता को अभी तक PAN जारी नहीं किया गया है तो उसे निर्धारित अवधि में फॉर्म नं. 49A में PAN जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र देना होगा।

यदि कर-निर्धारण अधिकारी का यह मत है कि किसी व्यक्ति को कर देना है तो वह स्वयं भी उस व्यक्ति को PAN जारी कर सकता है।

स्थायी खाता संख्या लिखना—PAN के आवंटन के बाद करदाता को अपने सब विवरणों (returns) आयकर विभाग के पदाधिकारियों से पत्र व्यवहार, कर चुकाने के चालान व अन्य विहित प्रपत्रों आदि पर अपना PAN लिखना अनिवार्य है।

स्थायी खाता संख्या उपर्युक्त वर्णित प्रपत्रों को करदाता के कर-निर्धारण अभिलेखों के साथ जोड़ने (Link) में सहायक होता है। इससे कर-निर्धारण (assessment) एवं वापसी (refund) के मामले शीघ्रता से निपटाये जा सकते हैं।

कॉपीराइट की गई सामग्री

यदि करदाता के पते, व्यवसाय के नाम या प्रकृति में तब्दीली (change) होती है तो उसे इसकी सूचना कर-निर्धारण अधिकारी को देनी होगी।

अब एक करदाता अपने PAN की अपेक्षा आधार नम्बर भी दे सकता है।

कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या
(TAX DEDUCTION AND COLLECTION ACCOUNT NUMBER)

यदि ऐसे व्यक्ति को जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती करता है अथवा कर संग्रह करता है, कर कटौती खाता संख्या या कर संग्रह खाता संख्या आवण्टित नहीं की गई है तो उसे उस माह की समाप्ति से एक माह में जिसमें कर की कटौती की गई है या कर का संग्रह किया गया है From No. 49B (दो प्रतियां) में कर-निर्धारण अधिकारी को 'कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या' आवण्टित करने का आवेदन देना होगा। जब उसे यह संख्या आवण्टित कर दी जाएगी तो वह ऐसी संख्या का निर्धारित प्रपत्रों में हवाला देगा। **(धारा 203A)**

प्रश्न
(QUESTIONS)

❑ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions)

1. भारत में आयकर विधान के विकास का वर्णन कीजिए।
   Discuss the evolution of Income Tax Law in India.
2. आयकर क्या है? भारत में आय कर के इतिहास का वर्णन कीजिए। आयकर लगाने का आधार और विधि क्या है?
   What is Income tax? Describe the history of Income tax in India. What are the basis and procedure of charging Income tax?
3. निम्नलिखित को समझाकर लिखिए : (i) गत वर्ष, (ii) करदाता, (iii) आय, (iv) आकस्मिक आय।
   Explain the following terms : (i) Previous Year, (ii) Assessee, (iii) Income (iv) Casual Income.
4. " 'आयकर' आय पर लगने वाला कर है, प्राप्तियों पर लगने वाला नहीं।" इस कथन की विवेचना कीजिए और 'आय' शब्द के प्रमुख लक्षण बताइए।
   " 'Income tax' is a tax on income and not receipts." Discuss this statement and give the essential characteristics of the term 'Income'.
5. आयकर आय पर लगाया जाता है परन्तु 'आय' शब्द की कोई परिभाषा आय कर अधिनियम में नहीं दी गयी है; वरन् केवल यह दिया गया है कि आय में क्या-क्या सम्मिलित है। समझाइए।
   Income tax is charged on income but there is no definition of the term 'income' under the Income Tax Act; rather it only provides as to what is included in income. Discuss.
6. " 'आयकर' गत वर्ष की आय पर लगता है।" क्या आप इससे पूर्णतया सहमत हैं? यदि नहीं, तो अपवाद बताइए।
   "Income tax is charged on the income of the Previous Year." Do you fully agree with this statement? If not, what are the exceptions?
7. आय को परिभाषित कीजिए। सकल कुल आय तथा कुल आय में अन्तर बताइए।
   Define the term Income. Distinguish between Gross Total Income and Total Income.

❑ लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

1. सकल कुल आय व कुल आय में अन्तर कीजिए।
   Differentiate between Gross Total Income and Total Income.
2. करदाता से आपका क्या अभिप्राय है?
   What do you mean by an Assessee?
3. कर-निर्धारण वर्ष को परिभाषित कीजिए।
   Define the term assessment year.
4. व्यक्ति को परिभाषित कीजिए।
   Define the term person.
5. सकल कुल आय क्या है?
   What is the gross total income?
6. आयकर क्या है?
   What is the Income Tax?
7. गत वर्ष क्या है?
   What is the previous year?

कॉपीराइट की गई सामग्री

8. कुल आय क्या है?
What is total income?

9. संक्षेप में 'माना गया करदाता' समझाइए।
Explain in brief "Deemed Assessee".

10. भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की आय किस गत वर्ष में कर-योग्य है?
In which previous year income of a person leaving India will be taxed?

11. गत वर्ष एवं कर-निर्धारण वर्ष में अन्तर बताइए।
Distinguish between the previous year and assessment year.

12. करदाता की परिभाषा दीजिए।
Define the term 'Assessee'.

❑ वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

1. भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया?
When Income Tax was levied in India first time ?
(A) in 1860 (B) in 1886
(C) in 1918 (D) in 1961

2. आयकर है :
(क) प्रत्यक्ष कर (ख) अप्रत्यक्ष कर
(ग) व्यापार कर (घ) इनमें से कोई नहीं
Income-tax is :
(A) a direct tax (B) an indirect tax
(C) business tax (D) none of these

3. आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं :
(क) आय-कर अधिनियम द्वारा (ख) वित्त अधिनियम द्वारा
(ग) अध्यादेश द्वारा (घ) C.B.D.T. की अधिसूचना द्वारा
Rate of income-tax is fixed under :
(A) The Income-tax Act (B) The Finance Act
(C) An Ordinance (D) Notification of C.B.D.T.

4. करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं?
(क) तीन (ख) चार
(ग) पांच (घ) छः
How many heads of income are there to compute Gross Total Income of an assessee ?
(A) Three (B) Four
(C) Five (D) Six

5. वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है :
(क) आयकर अधिनियम, 1922 (ख) आयकर अधिनियम, 1886
(ग) आयकर नियम, 1962 (घ) आयकर अधिनियम, 1961
The present Income Tax Act is known as :
(A) Income Tax Act, 1922 (B) Income Tax Act, 1886
(C) Income Tax Rule, 1962 (D) Income Tax Act, 1961

6. प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है :
(क) गत वर्ष (ख) लेखा वर्ष
(ग) कर-निर्धारण वर्ष (घ) वित्तीय वर्ष
The period of 12 months commencing on the 1st day of April every year is known as :
(A) the Previous Year (B) the Accounting Year
(C) the Assessment Year (D) the Financial Year

7. आय की परिभाषा है :
(क) सम्मिलित की हुई (ख) पूर्ण
(ग) पेचीदा (घ) सरल

कॉपीराइट की गई सामग्री

The definition of income is :
(A) inclusive (B) exhaustive
(C) complex (D) simple

8. आयकर अधिनियम पारित किया गया :
(क) 1961 में (ख) 1971 में
(ग) 1981 में (घ) 1951 में
Income Tax Act was passed in :
(A) 1961 (B) 1971
(C) 1981 (D) 1951

9. गत वर्ष से तात्पर्य है :
(क) वित्तीय वर्ष (ख) कलेण्डर वर्ष
(ग) हिसाबी वर्ष (घ) कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष
The term previous year means :
(A) the Financial year (B) Calendar year
(C) Accounting year (D) Financial year before the assessment year

10. आयकर की गणना की जाती है :
(क) पूंजी पर (ख) स्थायी सम्पत्तियों पर
(ग) आय पर (घ) व्यापारिक लाभों पर
Income Tax is computed on :
(A) Capital (B) Fixed Assets
(C) Income (D) Business Gains

11. कर-निर्धारण वर्ष की अवधि होती है :
(क) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर (ख) 1 अप्रैल से 31 मार्च
(ग) 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर (घ) 1 जुलाई से 30 जून
The period of assessment year is :
(A) 1st January to 31st December (B) 1st April to 31st March
(C) 1st April to 31st December (D) 1st July to 30th June

12. आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है :
(क) जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से कम है।
(ख) जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है।
(ग) जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 2,45,000 ₹ तक है।
(घ) जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 2,50,000 ₹ तक है।
Income Tax is levied on those individuals :
(A) Whose income is less than the exempted limit in any the previous year.
(B) Whose income is more than the exempted limit in any the previous year.
(C) Whose income is up to ₹ 2,45,000 in any the previous year.
(D) Whose income is up to ₹ 2,50,000 in any the previous year.

13. भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया :
(क) सर जेम्स विल्सन (ख) सर जेम्स
(ग) सर न्यूटन (घ) सर ल्यूकस पेसिओलो
Income tax was levied in India first by the following :
(A) Sir James Wilson (B) Sir James
(C) Sir Newton (D) Sir Lucas Paciolo

14. कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति के लिए कर-मुक्त सीमा है :
(क) ₹ 1,50,000 (ख) ₹ 1,60,000
(ग) ₹ 2,50,000 (घ) ₹ 2,20,000
Exemption limit for the Assessment Year 2020-21 for a non-resident individual is :
(A) ₹ 1,50,000 (B) ₹ 1,60,000
(C) ₹ 2,50,000 (D) ₹ 2,20,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

15. कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए भारत में निवासी अति वरिष्ठ नागरिक के लिए कर-मुक्त सीमा है :

(क) ₹ 2,50,000 (ख) ₹ 3,00,000
(ग) ₹ 4,00,000 (घ) ₹ 5,00,000

Exemption limit for the Assessment Year 2020-21 for a super senior citizen resident of India is :

(A) ₹ 2,50,000 (B) ₹ 3,00,000
(C) ₹ 4,00,000 (D) ₹ 5,00,000

16. कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए एक महिला (भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है, परन्तु 80 वर्ष से कम है) के लिए कर-मुक्त सीमा है :

(क) ₹ 1,90,000 (ख) ₹ 2,40,000
(ग) ₹ 3,00,000 (घ) ₹ 3,50,000

Exemption limit for the Assessment Year 2020-21 for a woman (resident in India and who is of the age of 60 years or more but less than 80 years) is :

(A) ₹ 1,90,000 (B) ₹ 2,40,000
(C) ₹ 3,00,000 (D) ₹ 3,50,000

17. आयकर विभाग नियन्त्रण में कार्य करता है :

(क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार
(ग) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (घ) मुख्य आयकर कमिश्नर

Income tax department works under :

(A) Central Government (B) State Government
(C) Central Board of Direct Taxes (D) Chief Commissioner of Income Tax

18. आयकर अधिनियम में 'व्यक्ति' से अभिप्राय है :

(क) हिन्दू अविभाजित परिवार (ख) कम्पनी
(ग) स्थानीय सत्ता (घ) ये सभी

Under the Income Tax Act 'Person' means :

(A) Hindu undivided family (B) Company
(C) Local authority (D) All of these

19. विभिन्न शीर्षकों की आय का योग कहलाता है :

(क) सकल कुल आय (ख) कुल आय
(ग) कर-योग्य आय (घ) समायोजित आय

Sum of various heads of income is called :

(A) Gross total income (B) Total income
(C) Taxable income (D) Aggregate income

20. आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक है :

(क) 60 वर्ष (ख) 65 वर्ष
(ग) 80 वर्ष (घ) इनमें से कोई नहीं

A very senior citizen shall be that individual for purpose of Income Tax whose age is more than the following :

(A) 60 years (B) 65 years
(C) 80 years (D) None of these

21. गत वर्ष सदैव समाप्त होता है :

(क) 31 मार्च को (ख) 30 अप्रैल को
(ग) 30 जून को (घ) 31 दिसम्बर को

Previous year always ends on :

(A) 31st March (B) 30th April
(C) 30th June (D) 31st December

22. वित्तीय वर्ष 2019-20 का कर-निर्धारण वर्ष कौन-सा है ?

(क) 2018-19 (ख) 2019-20
(ग) 2020-21 (घ) इनमें से कोई नहीं

What would be the Assessment Year of the Financial Year 2019-20? :

(A) 2018-19 (B) 2019-20
(C) 2020-21 (D) None of these

कॉपीराइट की गई सामग्री

23. कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए एक व्यक्ति अधिभार देने के लिए उत्तरदायी है :

(क) देय कर का 12%

(ख) देय कर का 12% यदि कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है।

(ग) देय कर का 12% यदि कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है।

(घ) देय कर का 10% यदि कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है परन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है अथवा देय कर का 15% यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, परन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

An individual is liable to pay a surchage for the Assessment Year 2020-21 :

(A) 12% of tax payable

(B) 12% of tax payable if total income exceeds ₹ 10 lakh

(C) 12% of tax payable if total income exceeds ₹ 50 lakh

(D) 10% of tax payable if total income exceeds ₹ 50 lakh but does not exceed ₹ 1 crore or 15% of tax payable if total income exceeds ₹ 1 crore, but does not exceed ₹ 2 crore.

[**उत्तर** : **1.** (क), **2.** (क), **3.** (ख), **4.** (ग), **5.** (घ), **6.** (ग), **7.** (क), **8.** (क), **9.** (घ), **10.** (ग), **11.** (ख), **12.** (ख), **13.** (क), **14.** (ग), **15.** (घ), **16.** (ग), **17.** (ग), **18.** (घ), **19.** (क), **20.** (ग), **21.** (क), **22.** (ग), **23.** (घ)।]

❑ बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं अथवा गलत (State Whether the Following Statements are True or False)

1. एक व्यक्ति को घरेलू गैस (LPG) पर मिला अनुदान उसकी आय में शामिल किया जाता है।
LPG subsidy received by an individual is included in his income.

2. आयकर केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया वार्षिक प्रत्यक्ष कर है।
The Income Tax is a direct tax charged annually by the Central Government.

3. आयकर अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी हुआ।
Income Tax Act came in force since 1st April, 1962.

4. आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है।
Income tax is an indirect tax.

5. केवल वैधानिक आय ही कर-योग्य है।
Only legal income is taxable.

6. आय तभी कर-योग्य है जब मुद्रा में प्राप्त हो।
Income is taxable only if it is received in money.

7. पूंजीगत प्राप्ति कर-योग्य आय नहीं मानी जा सकती।
Capital receipt cannot be treated as taxable income.

8. अवैधानिक व्यापार से कमाई गई आय भी कर-योग्य है।
The income earned from the illegal business is also taxable.

9. गत वर्ष सदैव 1 अप्रैल से प्रारम्भ होता है।
The previous year always starts from the 1st of April every year.

10. गत वर्ष कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व 31 दिसम्बर को समाप्त होता है।
Previous year ends on 31st December immediately preceding the assessment year.

11. ''गत वर्ष की आय कर-निर्धारण वर्ष में कर-योग्य है।'' इसका कोई अपवाद नहीं है।
"The income of the previous year is assessable in the assessment year." There is no exception to it.

12. आयकर प्रत्यक्ष कर है।
Income tax is a direct tax.

13. आय कमाने वाले वर्ष को कर-निर्धारण वर्ष कहते हैं।
The year in which the income is earned is called the assessment year.

14. परिवार के किसी सदस्य द्वारा बचत करना आय नहीं है।
To make savings by any family member is not treated as income.

[**उत्तर** : **असत्य**—(1), (4), (5), (6), (9), (10), (11), (13);
सत्य—(2), (3), (7), (8), (12), (14)]

कॉपीराइट की गई सामग्री

❑ **बताइए निम्न आय आकस्मिक आय है या नहीं** (State whether the following incomes are casual income or not)

1. सड़क पर पड़ा मिला कीमती सामान या रोकड़।
Valuable article or cash found lying on the road,

2. लॉटरी, शतरंज, ताश के खेल, वर्ग पहेली, घुड़-दौड़, शर्त, जुए से जीत आदि।
Winnings from lotteries, card games, cross-word puzzles, horse races, betting, gambling etc.

3. खोए हुए बच्चे को ढूंढ़कर लाने के लिए इनाम।
Prize for finding out a lost child.

4. टी. वी. के खेल एवं अन्य प्रतियोगिताओं से जीत।
Winnings from T.V. games and other competitions.

5. व्यक्तिगत एवं पेशे सम्बन्धी भेंट।
Personal and professional gifts.

6. पूंजी लाभ।
Capital gains.

7. होटल या रेस्तरां के वैरे और टैक्सी ड्राइवर को बख्शीस।
Tips to Hotel / Restaurant waiter and taxi driver.

8. सट्टे के व्यापार से आय।
Income from speculation business.

9. कर्मचारियों को प्राप्त बोनस, ग्रेच्युइटी एवं अनुलाभ।
Bonus, Gratuity and perquisites to employees.

10. एक पत्नी को अपने पति से प्राप्त गुजारा भत्ता।
Maintenance allowance received by a wife from her husband.

[उत्तर : हां—1., 2., 3., 4.; नहीं—5., 6., 7., 8., 9., 10.]

अंकीय प्रश्न
(NUMERICAL QUESTIONS)

1. एक करदाता अपना व्यापार निम्न तिथियों को प्रारम्भ करता है :
(i) 1 सितम्बर, 2019; (ii) 1 दिसम्बर, 2019; (iii) 1 फरवरी, 2020.
प्रत्येक दशा में उसका कर-निर्धारण वर्ष क्या होगा और सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसके गत वर्ष की क्या अवधि होगी ?
An assessee commences his business on :
(i) 1st September, 2019; (ii) 1st December, 2019; (iii) 1st February, 2020.
In each case, what will be his assessment year and what period will be treated as his previous year for concerned assessment year? (**1.1**)

Ans. The assessment year in each case will be 2020-21. The previous year will begin from the date of commencement of business and will end on 31.3.2020.

2. निम्नलिखित दशाओं में आयकर के उद्देश्य से कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 में कौन-सी अवधि गत वर्ष मानी जाएगी :
(i) अमित ने एक नवीन व्यवसाय 1 नवम्बर, 2019 को प्रारम्भ किया तथा अन्तिम खाते 30 जून, 2020 को तैयार किये।
(ii) अमिता ने 1 जनवरी, 2020 को एक कम्पनी में नौकरी प्रारम्भ की। उसकी वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी, 2021 है। इससे पूर्व वह बेरोजगार थी।
(iii) आशीष अपने खाते वित्तीय वर्ष के आधार पर रखता है।
(iv) अभय एक पंजीकृत डॉक्टर है जो अपना खाता 'आय एवं व्यय लेखा' कलेण्डर वर्ष के आधार पर रखता है।
(v) अरुणा ने 1 अगस्त, 2019 को एक मकान खरीदा और उसे 50,000 ₹ मासिक किराए पर उठा दिया।
Which period will be treated as the previous year for Income Tax purposes for the Assessment Year 2020-21 in the following cases :
(i) Amit starts a new business on 1st Nov., 2019 and prepares Final Accounts on 30th June, 2020.
(ii) Amita joined service in a company on 1st Jan., 2020. Her increment in salary will be on 1st Jan., 2021. Prior to this, she was unemployed.
(iii) Ashish maintains his accounts on the basis of the financial year.
(iv) Abhay is a registered doctor and keeps his 'Income and Expenditure Accounts' on the calender year.
(v) Aruna bought a house on 1st August, 2019 and let out at ₹ 50,000 per month. (**1.2**)

Ans. (i) 1.11.2019 to 31.3.2020; (ii) 1.1.2020 to 31.3.2020; (iii) 1.4.2019 to 31.3.2020; (iv) 1.4.2019 to 31.3.2020; (v) 1.8.2019 to 31.3.2020.

कॉपीराइट की गई सामग्री

2

कृषि आय
(AGRICULTURAL INCOME)

सामान्यतया, कृषि कार्य करने से होने वाली उपज से जो आय होती है, वह कृषि आय कहलाती है। [**धारा** 2(1A)]

कृषि आय

(क)	(ख)	(ग)
(1) कोई किराया अथवा लगान जो ऐसी भूमि से प्राप्त हो जो भारत में स्थित है तथा (2) कृषि के कार्यों में लायी जाती है।	ऐसी भूमि से आय, जो (1) कृषि क्रिया, अथवा अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया करने से हो अथवा (2) अपनी उपज को बेचने से हो।	खेत के मकान से कोई आय

कृषि आय की परिभाषा को मुख्यतया तीन भागों में बांटा जा सकता है जो उपर्युक्त दिये गए चार्ट में (क), (ख) तथा (ग) के उपशीर्षक के अन्तर्गत वर्णित हैं।

नोट—कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर होने वाला पूंजी लाभ कृषि आय नहीं माना जाता है।

ध्यान दें—निम्न शर्तें पूरी होने पर ही भूमि से आय कृषि आय मानी जाएगी :

1. भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। यदि भूमि भारत से बाहर स्थित है तो इसकी आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी।

2. भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए अर्थात् भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना, आदि क्रियाएं की जानी चाहिए। अतः भूमि पर स्वतः उग आई घास बेचने से आय कृषि आय नहीं है।

3. भूमि से आय प्राप्तकर्ता का भूमि में हित होना चाहिए। भू-स्वामी या किरायेदार या भोग बंधकदार का ही हित भूमि में माना जाता है। अतः तैयार फसल को खरीदकर उसे काटकर बेचने वाले की आय कृषि आय नहीं होगी।

4. कृषि से प्रत्यक्ष आय ही कृषि आय मानी जाती है। कृषि से अप्रत्यक्ष आय कृषि आय नहीं है।

उदाहरणार्थ, कृषि फार्म के मैनेजर का वेतन, कृषि कार्य में लगी कम्पनी से प्राप्त लाभांश, कृषि आय नहीं है।

कृषि आय के प्रकार
(KINDS OF AGRICULTURAL INCOME)

(1) **किराया अथवा लगान**—जब भूमि का स्वामी कृषि कार्य में उपयोग करने के लिए भूमि का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है तो उसके बदले में उसे जो किराया अथवा लगान मिलता है वह उसकी कृषि आय होती है।

(2) **कृषि कार्यों से आय**—कृषि कार्यों से आशय भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना, आदि से है। यदि भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है और भूमि से आय प्राप्त हुई है तो इसे कृषि आय नहीं कहा जा सकता। भूमि पर स्वतः जो पेड़-पौधे उग आते हैं, उनसे होने वाली आय कृषि आय नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनके पैदा करने में कृषि की कोई क्रिया नहीं की गयी है।

(3) **पैदावार को बेचने योग्य बनाने से आय**—किसान की जो उपज है यदि वह उपज उसी रूप में बाजार में न बिक सके तो उसको बेचने योग्य बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है उससे जो आय होती है वह भी कृषि आय कहलाती है। उदाहरणार्थ, कृषक को कृषि से तम्बाकू के हरे पत्ते प्राप्त होते हैं। वह उन्हें सुखाकर तथा बण्डल बनाकर बाजार में बेचता है। तम्बाकू के पत्ते सुखाने तथा बण्डल बनाने से जो आय होगी वह भी कृषि आय होगी।

(4) **उपज बेचने से आय**—किसान अथवा लगान प्राप्तकर्ता अपनी उपज को यदि नियमित रूप से दुकान लेकर भी बेचता है तो दुकान की आय कृषि आय कहलाती है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(5) **खेत के मकान से आय**—किसी खेत के मकान से आय को कृषि आय तब माना जाता है जब उस मकान का स्वामी भू-स्वामी अथवा भूमि का किराएदार हो तथा यह मकान उसके उपयोग में है।

अन्य शर्तें—(i) यह मकान कृषि भूमि पर अथवा उसके बिल्कुल निकट स्थित है।

(ii) वह इस मकान को अपने रहने अथवा भण्डारघर के रूप में प्रयोग कर रहा है।

(iii) मकान की भूमि पर लगान या स्थानीय कर लगता है। यदि उस भूमि पर लगान या स्थानीय कर नहीं लगता तो (क) भूमि गैर-शहरी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए, (ख) भूमि नगरपालिका या छावनी बोर्ड में स्थित है तो वहां की आबादी 10,000 से कम होनी चाहिए, अथवा

(ग) भूमि आकाशीय मार्ग (Aerially) से नापने पर निम्न क्षेत्र में स्थित नहीं होनी चाहिए :

(अ) स्थानीय सीमा से दो किलोमीटर क्षेत्र में, यदि वहां की जनसंख्या दस हजार से अधिक है, परन्तु एक लाख से अधिक नहीं है।

(ब) स्थानीय सीमा से छः किलोमीटर क्षेत्र में, यदि वहां की जनसंख्या एक लाख से अधिक है, परन्तु दस लाख से अधिक नहीं है।

(स) स्थानीय सीमा से आठ किलोमीटर क्षेत्र में, यदि वहां की जनसंख्या दस लाख से अधिक है।

(6) नर्सरी में उगाये गए छोटे पौधे या बीज से उत्पन्न किया हुआ छोटा पौधा बेचने से आय कृषि आय मानी जाती है।

❑ **कृषि आय की गणना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु** (Important Points regarding Computation of Agricultural Income)

(1) भारत में स्थित कृषि भूमि से किराया या लगान की आय की गणना यह मानते हुए की जाएगी कि यह 'अन्य साधनों से आय' है।

(2) खेत के मकान से आय की गणना 'मकान सम्पत्ति से आय' के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(3) किसी अन्य कृषि आय की गणना 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

अपवाद—यदि (1) या (3) में 10,000 ₹ से अधिक राशि का भुगतान Account Payee Cheque या Account Payee Draft या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली से नहीं किया गया है तो भी इस राशि की कटौती मिलेगी।

(4) यदि करदाता अपनी कृषि आय पर राज्य सरकार को कर देता है तो उसे इसकी कटौती मिलेगी।

(5) यदि कृषि आय के किसी स्रोत (Source) से हानि है तो इसकी पूर्ति कृषि आय के किसी अन्य स्रोत की आय से की जा सकती है।

(6) यदि AOP अथवा BOI को कृषि कार्य से हानि है तो सदस्य इसकी पूर्ति अपनी किसी कृषि आय से नहीं कर सकते।

(7) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष में कृषि से हानि है तो इसकी पूर्ति अगले आठ कर-निर्धारण वर्षों में कृषि आय से की जा सकती है बशर्ते रिटर्न दाखिल करके इसका निर्धारण कर-निर्धारण अधिकारी से करा लिया गया हो।

(8) यदि किसी वर्ष कृषि से शुद्ध आय (कृषि आय – कृषि हानि) की अपेक्षा शुद्ध हानि है तो उस वर्ष कृषि आय शून्य मानी जाएगी।

कृषि आय को पूर्णांकित करना (Rounding off of Agricultural Income)—यदि करदाता की कृषि आय की राशि 10 से पूर्णतया विभाज्य न हो अर्थात् उसकी कृषि आय में 10 ₹ का कोई अंश शामिल हो और वह अंश 5 अथवा 5 से अधिक हो तो उस अंश को बढ़ाकर 10 ₹ कर दिया जाएगा, यदि वह अंश 5 से कम हो तो उस अंश को छोड़ दिया जाएगा ताकि उसकी कृषि आय 10 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए।

❑ **भूमि से सम्बन्धित गैर-कृषि आय** (Non-Agricultural Incomes from Land)

निम्न प्रकार की आयें यद्यपि जमीन से सम्बन्धित हैं तथापि ये कृषि कार्यों से उत्पन्न न होने के कारण कृषि आय नहीं कही जा सकतीं :

(i) हाट-बाजारों से होने वाली आय;

(ii) पत्थरों की खानों से होने वाली आय;

(iii) खानों की Royalty से आय;

(iv) कृषि उपज को संगृहीत करने के लिए भण्डार के रूप में प्रयोग में लायी हुई भूमि से आय;

(v) सिंचाई के लिए पानी देने से आय; उदाहरणार्थ, किसी ट्यूब-वेल या कुएं से सिंचाई के लिए पानी देने से जो आय होती है क्योंकि ऐसी आय कृषि कार्य से उत्पन्न नहीं हुई है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(vi) स्वयं उग आयी हुई घास, पेड़ अथवा बांस से आय;

(vii) मछली क्षेत्रों से होने वाली आय;

(viii) उस मिट्टी की आय जो ईंट बनाने के लिए बेच दी गयी है;

(ix) कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला पारिश्रमिक;

(x) कृषि कार्य में लगी हुई कम्पनी से लाभांश की आय;

(xi) खड़ी फसल के क्रेता को आय;

(xii) डेरी-फार्म, मुर्गी-पालन, आदि से आय; तथा

(xiii) कृषि भूमि के किराये की बकाया पर ब्याज से आय।

■ **उदाहरण** (Illustration) 1

बताइए कि भारत में स्थित भूमि से निम्न आयें कृषि आय हैं अथवा नहीं :

(i) कृषि कार्य में प्रयोग आने वाली भूमि के किराये की बकाया पर ब्याज से आय।

(ii) कृषि के व्यवसाय के लिए आवश्यक पशुओं के चराने के लिए प्रयोग होने वाली भूमि से आय।

(iii) कृषि के व्यवसाय के लिए आवश्यक पशुओं के चराने के लिए पट्टे पर दी गयी भूमि से आय।

(iv) अपने आप उग आने वाले जंगली पेड़ों की बिक्री से आय जिनके रख-रखाव तथा विकास के लिए कुछ क्रियाएं की गयी थीं।

(v) कृषि कार्य में प्रयोग होने वाली भूमि के साधारण बन्धक पर ब्याज से आय।

(vi) कृषि फार्म के पास स्थित मकान से मानी गई आय जो करदाता का खुद का है तथा वह उसमें फार्म का अधीक्षण (Supervision) करने के लिए रहता है। फार्म शहर से 10 किलोमीटर दूर गांव में स्थित है। इस फार्म पर न भूमि लगान लगता है और न स्थानीय कर।

(vii) पाकिस्तान में कृषि भूमि से आय।

(viii) किसान को अधिक उपज करने पर सरकार से प्राप्त इनाम।

(ix) बाढ़ से फसल नष्ट हो जाने पर बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।

State whether the following incomes from land situated in India is agriculture income or not :

(i) Income from interest on arrears of rent payable in respect of land used for agricultural purposes.

(ii) Income from the use of land for grazing of cattle required for agricultural pursuits.

(iii) Income from lease of land for grazing of cattle required for agricultural pursuits.

(iv) Income from the sale of forest trees of spontaneous growth on which some operations for their preservation and growth were performed.

(v) Income from interest on a simple mortgage of land used for agricultural purposes.

(vi) National income from a house situated near the agricultural farm and owned and occupied by the assessee for the supervision of the farm activities. The farm is situated in a village 10 kilometres from the city. No land revenue or local tax is levied on this farm.

(vii) Income from agricultural land situated in Pakistan.

(viii) Prize from the Government on account of higher yield.

(ix) Amount of compensation received from Insurance Company on account of the loss of crop due to flood.

Solution

(i) यह कृषि आय नहीं है क्योंकि भूमि से सीधी सम्बन्धित नहीं है बल्कि किराया समय के अन्दर चुकाने में चूक करने के कारण है।

(ii) यह कृषि आय है क्योंकि पशुओं का उपयोग कृषि कार्य के लिए आवश्यक है।

(iii) यह कृषि आय है। चाहे भूमि पशुओं के चराने में प्रयोग हो, चाहे इसी कार्य के लिए पट्टे पर दी गयी हो, कृषि आय ही रहती है।

(iv) यह कृषि आय नहीं है क्योंकि खेती करने की आधारभूत क्रियाएं नहीं की गयी हैं।

(v) यह कृषि आय नहीं है क्योंकि यह भूमि से नहीं हुई बल्कि बन्धक रखने से हुई है।

(vi) भूमि शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं है, अतः चाहे भूमि पर लगान दिया गया हो अथवा नहीं कृषि फार्म के पास स्थित मकान जो करदाता का है और उसमें वह फार्म का अधीक्षण करने के लिए रहता है, ऐसे मकान की मानी गई आय कृषि आय है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(vii) यह कृषि आय नहीं है क्योंकि भूमि भारत में स्थित नहीं है।

(viii) यह कृषि आय नहीं है क्योंकि यह आय न भूमि से है, न कोई कृषि क्रिया करने से है और न उपज के बेचने से है।

(ix) यह कृषि आय है क्योंकि क्षतिपूर्ति की राशि कृषि आय की क्षति के कारण ही मिली है।

■ **उदाहरण** (Illustration) 2

कारण सहित बताओ कि क्या निम्न कृषि आय हैं :

(i) साफ किये गये जंगल की भूमि पर दुबारा लगाये गये पेड़ों की बिक्री से आय, जिनके लिए जंगल लगाने के सम्बन्ध में बाद की क्रियाएं की गई हैं।

(ii) जंगल में स्वतः उग आये पेड़ों की बिक्री से आय तथा जिनके सम्बन्ध में केवल जंगल लगाने के बाद की क्रियाएं की गई हैं।

State with reasons whether the following are agricultural income :

(i) Income from the sale of replanted trees where the denuded parts of the forest are replanted and subsequent operations in forestry are carried out.

(ii) Income from the sale of trees of forest which are of spontaneous growth and in relation to which forestry operations alone are performed.

Solution

(i) यह कृषि आय है क्योंकि ये पेड़ स्वतः नहीं उग आये हैं बल्कि इन्हें उगाया गया है तथा जंगल लगाने के सम्बन्ध में बाद की क्रियाएं की गई हैं। [*CIT* vs. *Raja Benoy Kumar Sahas Roy*)

(ii) यह कृषि आय नहीं है क्योंकि ये पेड़ स्वतः उग आये हैं। इनके लिए मिट्टी की जुताई, बीज बोने, खाद देने, पानी देने, आदि की कार्यवाही नहीं की गई है। इनके सम्बन्ध में बाद की जंगल लगाने की क्रियाएं करने से यह कृषि आय नहीं हो जाती है।

■ **उदाहरण** (Illustration) 3

निम्न सूचनाओं के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 की शुद्ध कृषि आय की गणना कीजिए :	₹
कृषि कार्यों के लिए भूमि देने पर लीज किराया	48,000
कृषि उत्पाद की बिक्री (भूमि के स्वामी का हिस्सा)	30,000
कृषि भूमि पर सरकारी कर का भुगतान	6,000
बिजली, सिंचाई एवं खेत श्रमिक पर व्यय	10,000
बीज की खरीद	1,000
ट्रैक्टर का किराया (कृषि कार्यों के लिए)	2,500

From the following information compute net agricultural income for the Assessment Year 2020-21 :	₹
Lease rent received from lands given to tenants for agricultural operations	48,000
Sale of agricultural produce (Landlord's share)	30,000
Payment of government tax on agricultural lands	6,000
Expenses on power, irrigation, cess and farm labour	10,000
Purchase of seeds	1,000
Tractor hire charges (for agricultural operations)	2,500

Solution

Computation of Net Agricultural Income

(*for the Assessment Year* 2020-21)

	₹	₹
Lease rent		48,000
Sale of agricultural produce		30,000
		78,000
Less : Expenses :		
(i) Tax on agricultural lands	6,000	
(ii) Power, irrigation, cess and farms labour	10,000	
(iii) Seeds	1,000	
(iv) Tractor hire charges	2,500	19,500
Net Agricultural Income		58,500

कॉपीराइट की नई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 4

भूमि पर कृषि करने से शुद्ध कृषि आय ज्ञात कीजिए :

	₹
कृषि उत्पाद की बिक्री से आय	2,00,000
उपकरणों पर ह्रास	10,000
श्रमिक व्यय	25,000
बीजों की लागत	10,000
खाद की लागत	5,000
कृषि कार्य हेतु बिजली खर्च	15,000

Compute net agricultural income from cultivation of land :

	₹
Sale proceeds of agricultural produce	2,00,000
Depreciation on equipment	10,000
Labour charges	25,000
Cost of seeds	10,000
Cost of fertilisers	5,000
Electricity charges on agriculture	15,000

Solution **Computation of Net Agricultural Income**
(*for the Assessment Year* 2020-21)

	₹	₹
Sale Proceeds of agricultural produce		2,00,000
Less : Expenses :		
Depreciation	10,000	
Labour charges	25,000	
Cost of seeds	10,000	
Cost of fertilisers	5,000	
Electricity charges	15,000	65,000
Net Agricultural Income		1,35,000

■ **उदाहरण** (Illustration) 5

निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर शुद्ध कृषि आय की गणना कीजिए :

	₹
(1) अनाज के व्यापार से आय (इसमें स्वयं की कृषि भूमि से उपजे गेहूं को वेचने से प्राप्त राशि 38,000 ₹ शामिल है)	1,87,500
(2) कृषि कार्यों के लिए भूमि देने पर किरायेदारों से प्राप्त लीज किराया	18,000
(3) कृषि उत्पादन की बिक्री	48,000
(4) कृषि भूमि पर भू-राजस्व का भुगतान	6,000
(5) बिजली, सिंचाई एवं खेत श्रमिक पर व्यय	10,600
(6) बीज, खाद एवं कृषि दवाइयों का क्रय	7,500
(7) ट्रैक्टर का किराया (कृषि कार्यों के लिए)	2,500

From the following information compute Net Agriculture Income :

	₹
(1) Income from Grain business (including the amount received ₹ 38,000 from wheat produced at own agricultural land)	1,87,500
(2) Lease rent received from land given to tenants for agricultural operations	18,000
(3) Sale of agricultural produce	48,000
(4) Payment of Govt. Land Revenue on Agricultural Land	6,000
(5) Expenses on power, irrigation and farm labour	10,600
(6) Purchase of seeds, fertilisers and pesticides	7,500
(7) Tractor hire charges (for agricultural operations)	2,500

Solution **Computation of Net Agricultural Income**
(*for the Assessment Year* 2020-21)

	₹	₹
Sale of own crop	38,000	
Lease rent	18,000	
Sale of agricultural produce	48,000	1,04,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

Less : Expenses :			
Land revenue		6,000	
Power, irrigation and farm labour		10,600	
Seeds, fertilisers and pesticides		7,500	
Tractor hire charges		2,500	26,600
	Net Agricultural Income		77,400

■ **उदाहरण** (Illustration) 6

निम्न सूचनाओं के आधार पर राम की शुद्ध कृषि आय की गणना कीजिए :	₹
कृषि भूमि का किराया मिला	20,000
कृषि पैदावार की बिक्री	40,000
भण्डार घर का किराया	4,000
कृषक के रहने के मकान का किराया मिला	10,000
निम्न खर्चों की कटौती मांगी गई :	
फार्म पर प्रयुक्त प्लाण्ट एवं मशीन पर ह्रास	6,000
कृषि पैदावार की बिक्री पर व्यय	400
भण्डार घर का बीमा प्रीमियम	50
भण्डार घर का किराया वसूली व्यय	300
उपर्युक्त रिहायशी मकान का सम्पत्ति कर	1,000
भण्डार घर मरम्मत व्यय	200
रिहायशी मकान मरम्मत व्यय	500
बीजों की लागत	500
खेती पर अन्य व्यय	1,000
किराए पर दी गई कृषि भूमि पर राज्य सरकार को कर दिया	2,000

From the following information compute net agricultural income of Ram :

Rent derived from agricultural land ₹ 20,000, Sale of agricultural produce ₹ 40,000, Rent of a storehouse ₹ 4,000, Rent received of dwelling house used by the farmer ₹ 10,000.

Deduction claimed. Depreciation on plant and machinery used on the farm ₹ 6,000; expenses on sale of agricultural produce ₹ 400; Insurance Premium in respect of store house ₹ 50; Collection charges of rent of store house ₹ 300; House-tax paid of dwelling house ₹ 1,000; Repairs charges of store house and dwelling house ₹ 200 and ₹ 500 respectively. Cost of seeds used ₹ 500; other expenses on cultivation ₹ 1,000. Tax paid to the State Government on agricultural land let out ₹ 2,000.

Solution **Computation of Net Agricultural Income**
(*for the Assessment Year* 2020-21)

				₹	₹
1.	Income from dwelling house :				
	(computed as Income from House Property)				
	G. A. V. (Rent)			10,000	
	Less : House tax paid			1,000	
			Annual Value	9,000	
	Less : 30% of A.V.			2,700	6,300
2.	Income from agricultural produce :				
	(computed as Business income) Selling price		₹	40,000	
	Less : Depreciation		6,000		
	Selling expenses		400		
	Cost of seeds		500		
	Other expenses		1,000	7,900	32,100
3.	Income from Store house (computed as Business income) :				
	Rent			4,000	
	Less : Insurance premium		50		
	Collection charges		300		
	Repairs		200	550	3,450

कॉपीराइट की नई सामग्री

4.	Rent of land (computed as income from Other Sources) :		
	Rent	20,000	
	Less : Tax to State Govt.	2,000	18,000
		Net Agricultural Income	59,850

अंशतः कृषि आय (Partly Agricultural Income)—कभी-कभी आय मिश्रित होती है, जो अंशतः कृषि आय होती है तथा अंशतः गैर-कृषि (व्यापारिक) आय होती है। गैर-कृषि आय के अंश की गणना करने के लिए करदाता द्वारा की हुई **ऐसी कृषि उपज का बाजार मूल्य** (जो उसके व्यापार के कच्चे माल के रूप में उपयोग हो) **घटा दिया जायेगा**; परन्तु इस सम्बन्ध में कृषि करने का कोई व्यय नहीं घटाया जाएगा।

'बाजार मूल्य' से निम्न आशय है :

(अ) यदि वह कृषि उपज साधारणतया बाजार में बिकती है तो गत वर्ष में उसका औसत मूल्य; अथवा

(ब) यदि वह कृषि उपज साधारणतया बाजार में नहीं बिकती है तो निम्न का योग उसका बाजार मूल्य माना जाएगा :

(i) उपज करने के व्यय,

(ii) जिस भूमि पर यह उपज की गयी है उसका लगान अथवा किराया, तथा

(iii) उचित लाभ, जो कर-निर्धारण अधिकारी की सम्मति में उचित हो।

उदाहरण—ऐसे चीनी के कारखानों की आय जो अपने स्वयं के खेतों पर गन्ना पैदा करके चीनी बनाते हैं, अंशतः कृषि आय मानी जाती है। गन्ना साधारणतया बाजार में बिकता है। कृषि आय का अंश कुल आय में से पृथक् करने के लिए गन्ने का औसत बाजार मूल्य खर्चे के रूप में घटा दिया जाता है। गन्ना पैदा करने के व्ययों पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय (Income from growing and manufacturing tea)—भारत में चाय उगाकर एवं उसका निर्माण करके बेचने से होने वाली आय का 60% भाग कृषि आय मानी जाती है और 40% भाग व्यावसायिक आय मानी जाती है।

कॉफी के उत्पादन एवं निर्माण से आय (Income from growing and manufacturing coffee)—(क) करदाता द्वारा भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित (cured) करके बेचने से होने वाली आय का 75% भाग कृषि आय मानी जाती है और 25% भाग व्यावसायिक आय मानी जाती है।

(ख) करदाता द्वारा भारत में कॉफी उगाकर उसको संसाधित करके (cured), भूनकर (roasted) एवं पीसकर (grounded) (चाहे उसमें चिकौरी या अन्य सुगन्धित वस्तुएं मिली हों या नहीं) बेचने से होने वाली आय का 60% भाग कृषि आय मानी जाती है तथा 40% भाग व्यावसायिक आय मानी जाती है।

रबड़ के उत्पादन और उससे विनिर्मित लैटेक्स या सिनेक्स से आय (Income from growing rubber and manufacture of latex or cenex)—करदाता द्वारा भारत में उगाई गई रबड़ से तथा उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत अपकेन्द्रित लैटेक्स या सिनेक्स (centrifuged latex or cenex) के विक्रय से होने वाली आय का 65% भाग कृषि आय माना जाता है और 35% भाग व्यावसायिक आय माना जाता है।

कुछ वस्तुओं को उगाकर एवं उनका निर्माण करके बेचने पर कृषि आय एवं गैर कृषि आय निर्धारित करने के नियम : एक नजर में

	वस्तु	कृषि आय	गैर-कृषि आय
1.	चाय का उत्पादन एवं निर्माण करके बेचना	60%	40%
2.	कॉफी का उत्पादन एवं उसको संसाधित करके बेचना	75%	25%
3.	कॉफी का उत्पादन एवं उसको संसाधित करके, भूनकर एवं पीसकर (चाहे उसमें चिकौरी या अन्य सुगन्धित वस्तुएं मिली हों या नहीं) बेचना	60%	40%
4.	रबड़ उगाकर एवं उससे लैटेक्स या सिनेक्स बनाकर बेचना	65%	35%
5.	अपने कृषि उत्पाद को अपने उत्पादन हेतु काम में लेना	कृषि उत्पाद के उचित बाजार मूल्य में से खर्चे घटाकर शेष राशि	व्यापार से आय की गणना करने में कृषि उत्पाद का उचित बाजार मूल्य घटाकर शेष राशि

कॉपीराइट की नई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 7

मि. टोनी की रबर, चाय एवं कॉफी की सम्पदा (estate) है। वह इनसे आय प्राप्त करता है। उसकी एक नर्सरी भी है जिसमें वह पौधे उगाता है और बेचता है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की सम्पदा एवं नर्सरी से निम्न आय है :

	₹
(i) रबर निर्माण	5,00,000
(ii) कॉफी उगाकर निर्माण एवं संसाधित करना	3,50,000
(iii) चाय निर्माण	7,00,000
(iv) नर्सरी के पौधे वेचना	1,00,000

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Tony had estates in Rubber, Tea and Coffee. He derives income from them. He has also a nursery wherein he grows plants and sells. For the previous year ending 31.3.2020, he furnishes the following particulars of his sources of income from estates and sale of Plants :

	₹
(i) Manufacture of Rubber	5,00,000
(ii) Manufacture of Coffee grown and cured	3,50,000
(iii) Manufacture of Tea	7,00,000
(iv) Sale of Plants from Nursery	1,00,000

You are requested to compute the taxable income for the Assessment year 2020-21.

Solution

Computation of Taxable Income
(for the Assessment Year 2020-21)

		₹
(i)	Manufacture of rubber 35% of income is treated as business income	1,75,000
(ii)	Manufacture of coffee grown and cured 25% of income is treated as business income	87,500
(iii)	Manufacture of tea 40% of income is treated as business income	2,80,000
(iv)	Sale of plants from nursery is exempt (being agricultural income) However, agricultural income will be added in total income for computation of tax	—
	Taxable Income	5,42,500

■ **उदाहरण** (Illustration) 8

एक चीनी की फैक्टरी ने गत वर्ष में कुल 41,000 क्विण्टल गन्ने की पिराई की, जिसमें से 6,000 क्विण्टल गन्ना उसने अपने फार्म पर 13,20,000 ₹ की लागत से उगाया था। शेष गन्ना बाजार से निम्न दरों पर खरीदा था :

20,000 क्विण्टल 279 ₹ प्रति क्विण्टल
5,000 क्विण्टल 282 ₹ प्रति क्विण्टल
10,000 क्विण्टल 288 ₹ प्रति क्विण्टल

गत वर्ष में फैक्टरी ने कुल 5,00,000 ₹ का लाभ कमाया। आप फैक्टरी की कृषि आय तथा गैर-कृषि आय पृथक्-पृथक् ज्ञात कीजिए।

A Sugar factory crushed 41,000 quintals of sugarcane during the previous year out of which 6,000 quintals of cane was produced on its own farm at a cost of ₹ 13,20,000. The remaining sugarcane was purchased from the market at the following rates :

20,000 quintal @ ₹ 279 per quintal
5,000 quintal @ ₹ 282 per quintal
10,000 quintal @ ₹ 288 per quintal

During the previous year, the factory earned a total profit of ₹ 5,00,000. You are required to determine separately the agricultural and non-agricultural income.

कॉपीराइट की नई सामग्री

Solution

Cost of Sugarcane purchased from the market :

		Cost ₹
20,000 quintal @ ₹ 279 per quintal		55,80,000
5,000 quintal @ ₹ 282 per quintal		14,10,000
10,000 quintal @ ₹ 288 per quintal		28,80,000
		98,70,000

$$\text{Average Market Price} = \frac{₹\ 98,70,000}{35,000} = ₹\ 282$$

Market Value of Cane produced on own farm		₹
(6,000 × 282)		16,92,000
Less : Cost of cane grown on own farm		13,20,000
	Agricultural Income	3,72,000
Total Profit		5,00,000
Less : Agricultural Income		3,72,000
	Non-Agricultural Income	1,28,000

Hence, Agricultural Income ₹ 3,72,000
and Non-agricultural Income ₹ 1,28,000.

■ **उदाहरण** (Illustration) 9

एक कारखाना जो माल का निर्माण करता है उसके लिए कृषि का ऐसा कच्चा माल चाहिए जो बाजार में उपलब्ध नहीं है। अतः कारखाना उसे स्वयं उगाता है जिस पर निम्न व्यय होते हैं :

जुताई व्यय 2,800 ₹; खाद 3,200 ₹; बीज 1,000 ₹; सिंचाई व्यय 1,800 ₹; कृषि मजदूरों का वेतन 4,000 ₹; भूमि किराया 1,200 ₹; तथा अन्य कृषि व्यय 1,400 ₹। उक्त व्ययों के अतिरिक्त कर-निर्धारण अधिकारी इस काम पर 6,000 ₹ उचित लाभ निर्धारित करता है। यदि उपर्युक्त व्यय घटाने से पूर्व कारखाने का लाभ 80,000 ₹ हो तो उसकी कृषि आय व व्यापार की आय ज्ञात कीजिए।

A factory manufactures certain goods which require such agricultural raw material which is not available in the market. Hence, the factory itself grows it on which the following expenses are incurred:

Ploughing expenses ₹ 2,800; Manure ₹ 3,200; Seed ₹ 1,000; Irrigation expenses ₹ 1,800; Wages of agricultural labourers ₹ 4,000; Ground rent ₹ 1,200; Other agricultural expenses ₹ 1,400. Besides the above expenses, the Assessing Officer assessed a reasonable amount of profit on the above work to be ₹ 6,000. If the profit of the factory before the deduction of the above expenses is ₹ 80,000, find out the Agricultural Income and Business Income.

Solution

Since the raw material is not available in the market, its market value will be determined as under :

		₹
Ploughing expenses		2,800
Cost of manure		3,200
Cost of seed		1,000
Irrigation expenses		1,800
Wages of Agricultural labourers		4,000
Ground Rent		1,200
Other Agricultural expenses		1,400
Reasonable profit assessed by the Assessing Officer		6,000
	Market Value of Raw Material	21,400
Profit earned by the factory during the year		80,000
Less : Estimated market value of the raw material raised on own land		21,400
	Business Income	58,600

कॉपीराइट की नई सामग्री

		₹
Market Value of Agricultural produce		21,400
Less : Cost of Agricultural produce (₹ 21,400 – 6,000)		15,400
	Agricultural Income	6,000

❑ **कृषि आय और कर दायित्व (कर-दायित्व के लिए कृषि आय एवं गैर-कृषि आय को मिलाना)** (Agricultural Income and Tax Liability or Integration of Agricultural Income and Non-agricultural Income for Tax Purposes)

कृषि आय पूर्णतया कर-मुक्त होती है, परन्तु एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार तथा व्यक्तियों के समुदाय की दशा में यदि उनकी गैर-कृषि कर-योग्य आय न्यूनतम कर-योग्य सीमा से अधिक हो और शुद्ध कृषि आय 5,000 ₹ से अधिक हो तो कृषि आय को अन्य आय पर देय कर को ज्ञात करने के लिए कुल आय में जोड़ा जाएगा और बाद में कृषि आय पर कर की छूट दी जाएगी।

CHART SHOWING COMPUTATION OF TAX OF AN INDIVIDUAL
(Assessee has Agricultural Income)

	Total Income		.....
	Add : Net Agricultural Income		.....
		Aggregate Income	.....
	Tax on Aggregate Income :		
(A)	Tax on income liable to tax at special rate :		
	(a) Casual income @ 30%		.....
	(b) Tax on STCG u/s 111A 15%		.....
	(c) Tax on LTCG @ 20%/10%		.....
(B)	Tax on balance of income		
	[Aggregate income – Income in (A) at normal rates]		.....
			.....
	Less : Tax on Agricultural income (Net Agricultural Income + ₹ 2,50,000/3,00,000/5,00,000 at normal rates)		.....
			.....
	Less : Rebate u/s 87A		.....
	Add : Surcharge (if any)		.....
			.....
	Add : Health and Education Cess @ 4%		.....
		Gross tax	.....
	Less : (i) Tax deducted at Source	.....	
	(ii) Tax paid in advance	.....	.....
		Net Tax Payable	.....
	Rounded off		

■ **उदाहरण** (Illustration) 10

कर-दायित्व की गणना कीजिए जबकि मि. X की कृषि आय 80,000 ₹ और गैर-कृषि आय 8,00,000 ₹ है।

Compute tax liability of Mr. X who has an agricultural income of ₹ 80,000 and non-agricultural income of ₹ 8,00,000.

Solution **Computation of Tax Liability**
(*for the Assessment Year* 2020-21)

		₹
Non-agricultural Income		8,00,000
Agricultural Income		80,000
	Aggregate Income	8,80,000
Tax on ₹ 2,50,000		Nil
Tax on Next ₹ 2,50,000 @ 5%		12,500
Tax on Balance ₹ 3,80,000 @ 20%		76,000
		88,500

कॉपीराइट की गई सामग्री

Less : Tax on ₹ 2,50,000 + 80,000 = ₹ 3,30,000		4,000
		84,500
Add : Health and Education Cess @ 4%		3,380
	Tax Liability	87,880

■ **उदाहरण** (Illustration) 11

'एक्स' एक भारतीय निवासी हैं, जिनकी आयु 63 वर्ष है। गत वर्ष 2019-20 में उनकी कृषि आय 30,000 ₹ थी। यह मानकर उनके आयकर की गणना करें कि उनकी गैर-कृषि आय 3,20,000 ₹ थी।

'X', a resident in India, aged 63 years, earned an agricultural income of ₹ 30,000 during the Previous Year 2019-20. Compute his tax liability assuming that he has non-agricultural income of ₹ 3,20,000.

Solution

Computation of Tax Liability of Senior Citizen
(*for the Assessment Year* 2020-21)

		₹
Non-Agricultural Income		3,20,000
Add : Agricultural Income		30,000
	Aggregate Income	3,50,000
Tax on ₹ 3,50,000 :		
On ₹ 3,00,000		Nil
Next ₹ 50,000 @ 5%		2,500
		2,500
Less : Tax on ₹ 3,00,000 + 30,000 = 3,30,000		
On ₹ 3,00,000	Nil	
Next ₹ 30,000 @ 5%	1,500	1,500
		1,000
Less : Rebate u/s 87A		1,000
	Tax Payable	Nil

■ **उदाहरण** (Illustration) 12

एक करदाता की गत वर्ष 2019-20 के लिए व्यापार से कर-योग्य आय 6,20,000 ₹ है और कृषि आय 20,000 ₹ है। कर दायित्व की गणना कीजिए।

The income of an individual from business is ₹ 6,20,000 and agricultural income is ₹ 20,000 for the Previous Year 2019-20. Determine the tax payable.

Solution

Computation of Tax Liability
(*for the Assessment Year* 2020-21)

			₹
(A)	Non-Agricultural Income		6,20,000
	Agricultural Income		20,000
		Aggregate Income	6,40,000
	Tax on ₹ 6,40,000 :		
	on ₹ 2,50,000		Nil
	on ₹ 2,50,000 @ 5%		12,500
	on ₹ 1,40,000 @ 20%		28,000
		(a)	40,500
(B)	*Less* : Tax on agricultural income :		
	Tax on exempted limit + Agricultural income		
	₹ 2,50,000 + 20,000 = ₹ 2,70,000	(b)	1,000
(C)	Tax on Total income (a – b)		39,500
	Add : Health and Education Cess @ 4%		1,580
		Tax Liability	41,080

कॉपीराइट की नई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 13

निम्न दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए भारत में निवासी एक व्यक्ति के कर दायित्व की गणना कीजिए :

(क) कुल आय 1,80,000 ₹ कृषि आय 50,000 ₹।

(ख) कुल आय 4,30,000 ₹ कृषि आय 4,000 ₹।

(ग) कुल आय 11,00,000 ₹ कृषि आय 15,000 ₹।

अशोधित कृषि हानि जो कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 से आगे लायी गयी है 5,000 ₹।

In the following cases calculate the tax liability of an individual resident in India for the Assessment Year 2020-21 :

(a) Total Income ₹ 1,80,000 Agricultural Income ₹ 50,000

(b) Total Income ₹ 4,30,000 Agricultural Income ₹ 4,000

(c) Total Income ₹ 11,00,000 Agricultural Income ₹ 15,000

Unabsorbed Agricultural Loss ₹ 5,000 brought forward from the Assessment Year 2019-20.

Solution

Computation of Tax Liability

(*for the Assessment Year* 2020-21)

			₹
(a)	No income tax is payable as the total income does not exceed ₹ 2,50,000.		
(b)	(i) Total Income		4,30,000
	(ii) *Add* : Agricultural Income (It does not exceed ₹ 5,000)		Nil
	(iii) Total Income		4,30,000
	(iv) Income tax on total income		9,000
	Less : Rebate u/s 87A (Total income does not exceed ₹ 5,00,000)		9,000
		Tax Liability	Nil
(c)	(i) Total Income	₹	11,00,000
	(ii) Agricultural Income	15,000	
	Less : Brought forward agricultural loss	5,000	
	Net Agricultural Income		10,000
	(iii) Aggregate Income		11,10,000
	(iv) Income tax on aggregate income		1,45,500
	(v) *Less* : Income tax on Agricultural Income increased by ₹ 2,50,000, *i.e.*, (10,000 + 2,50,000) or ₹ 2,60,000		500
	(vi) Income tax on Total Income (11,00,000)		1,45,000
	Add : Health and Education Cess @ 4%		5,800
		Tax Liability	1,50,800

■ **उदाहरण** (Illustration) 14

निम्न जानकारी से कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मि. अब्बास (वरिष्ठ नागरिक) का कर दायित्व ज्ञात कीजिए : ₹

(अ) स्वयं की कृषि भूमि से आय (सकल प्राप्तियां)	50,000
(ब) 10 हेक्टेअर भूमि से प्राप्त किराया (प्रति हेक्टेअर वार्षिक)	3,000
(स) उपर्युक्त (ब) किरायेदारों को दिए गए मकानों का वार्षिक किराया मूल्य	6,000 वार्षिक
उनके खर्चे हैं :	
(I) स्वयं की कृषि भूमि के सम्बन्ध में :	
(i) यन्त्रों का ह्रास	2,000 वार्षिक
(ii) राज्य सरकार को भूमि का लगान दिया	1,200 वार्षिक
(iii) बीज और खाद का क्रय	6,000 वार्षिक
(iv) मजदूरी	2,400 वार्षिक
(II) किरायेदारों को दी गई भूमि :	
(i) भूमि का लगान	1,200 वार्षिक
(ii) अन्य व्यय	2,000 वार्षिक

कॉपीराइट की गई सामग्री

(III) मकान-सम्पत्ति : मरम्मत 1,200 वार्षिक

वर्ष में व्यापार से लाभ 10,30,600

From the particulars given below compute the tax liability of Mr. Abbas (a senior citizen) for the Assessment Year 2020-21 :

	₹
(a) Income from self-cultivated land (gross proceeds)	50,000
(b) Rent from 10 hectare of land given to tenants (per hectare per annum)	3,000
(c) Annual rental value of the houses given to above mentioned tenants	6,000 p.a.
His expenses are :	
(I) Own cultivated land :	
(i) Depreciation of equipments	2,000 p.a.
(ii) Land revenue paid to State Govt.	1,200 p.a.
(iii) Purchase of seeds and fertilisers	6,000 p.a.
(iv) Labour charges	2,400 p.a.
(II) Land given to tenants :	
(i) Land revenue	1,200 p.a.
(ii) Other expenses	2,000 p.a.
(III) House Property : Repairs	1,200 p.a.
His business profit for the year	10,30,600

Solution **Computation of Net Agricultural Income of Mr. Abbas**

(*for the Assessment Year* 2020-21)

	₹	₹	₹
Computed as Income from House Property :			
Rent from farmers (A.V.)		6,000	
Less : 30% of A.V.		1,800	4,200
Computed as Income from Business :			
Income from self-cultivated land		50,000	
Less : Expenses :	₹		
Depreciation	2,000		
Land revenue	1,200		
Seeds and fertilisers	6,000		
Labour charges	2,400	11,600	38,400
Computed as Income from Other Sources :			
Rent from tenants		30,000	
Less : Expenses :			
Land revenue	1,200		
Other expenses	2,000	3,200	26,800
		Net Agricultural Income	69,400

Computation of Tax Liability

(*for the Assessment Year* 2020-21)

Non-agricultural income (Business income being T.I.)		10,30,600
Agricultural income		69,400
	Aggregate Income	11,00,000
Tax on ₹ 11,00,000	₹	
on ₹ 3,00,000	Nil	
on ₹ 2,00,000 @ 5%	10,000	
on ₹ 5,00,000 @ 20%	1,00,000	
on ₹ 1,00,000 @ 30%	30,000	1,40,000
		1,40,000
Less : Tax on ₹ 3,00,000 + 69,400 = ₹ 3,69,400		3,470
		1,36,530
Add : Health and Education Cess @ 4%		5,461
	Tax Liability	1,41,991

Rounded off ₹ 1,41,990.

प्रश्न
(QUESTIONS)

❑ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions)

1. कृषि आय से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार क्या हैं? ऐसी दस आयें बताइए जो भूमि से सम्बन्धित हैं लेकिन कृषि आयें नहीं हैं।
What do you mean by agricultural income? What are its kinds? State ten incomes which are related to land but are not agricultural income.

❑ लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

1. कृषि आय से क्या आशय है?
What is Agricultural Income?

2. आंशिक कृषि आय के दो उदाहरण दीजिए।
Give two examples of partly agricultural income.

3. आंशिक कृषि आय क्या है?
What is partly agricultural income?

❑ वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

1. निम्न में से कौन-सी आय कृषि आय है?
(क) कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के सामान्य गिरवी रखने से ब्याज की आय
(ख) पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय
(ग) बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि
(घ) उच्च उत्पादकता के कारण सरकार से प्राप्त पुरस्कार
Which of the following is an agricultural income?
(A) Income from interest on a simple mortgage of land used for agricultural purpose
(B) Income from agricultural land situated in Pakistan
(C) Amount of compensation received from Insurance Company on account of the loss of crop due to flood
(D) Prize from the Government on account of higher yield

2. कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है :
(क) कृषि आय (ख) आकस्मिक आय
(ग) व्यावसायिक आय (घ) पेशे से आय
Income from the rent of agricultural land is :
(A) agricultural income (B) casual income
(C) business income (D) professional income

3. कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है :
(क) पेशे से आय (ख) वेतन से आय
(ग) कृषि आय (घ) पूंजी आय
Salary received by an Agricultural Farm's Manager :
(A) Professional income (B) Salary income
(C) Agricultural income (D) Capital income

4. निम्न में से कौन-सी कृषि आय है?
(क) कृषि-भूमि से प्राप्त किराया (ख) डेरी-फार्म से आय
(ग) मुर्गी-पालन से आय (घ) कृषि कार्य में लगी हुई कम्पनी से लाभांश की आय
Which of the following is an agricultural income?
(A) Rent received from agricultural land (B) Income from a dairy farm
(C) Income from poultry farming (D) Dividend from a company engaged in agriculture

5. महिला करदाता के लिए 20,000 ₹ की कृषि आय को कुल आय में शामिल तभी किया जाएगा, जबकि उसकी गत वर्ष में करयोग्य आय निम्नलिखित से अधिक होगी :
(क) 1,35,000 ₹ (ख) 1,10,000 ₹
(ग) 2,50,000 ₹ (घ) 2,25,000 ₹
In case of a woman assessee her agricultural income of ₹ 20,000 shall be included in her total income, when it is more than the following limit :
(A) ₹ 1,35,000 (B) ₹ 1,10,000
(C) ₹ 2,50,000 (D) ₹ 2,25,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

6. भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है :

(क) 50% (ख) 60%

(ग) 65% (घ) 70%

Percentage of income from growing and manufacturing tea in India is considered as agricultural income :

(A) 50% (B) 60%

(C) 65% (D) 70%

7. कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है, यदि :

(क) कृषि आय 5,000 ₹ से अधिक हो।

(ख) कृषि आय 10,000 ₹ से अधिक हो।

(ग) कृषि आय 50,000 ₹ से अधिक हो।

(घ) कृषि आय 5,000 ₹ से अधिक हो और कुल आय करमुक्त सीमा से अधिक हो।

For the computation of tax agricultural income is included in total income if :

(A) Agricultural income exceeds ₹ 5,000.

(B) Agricultural income exceeds ₹ 10,000.

(C) Agricultural income exceeds ₹ 50,000.

(D) Agricultural income exceeds ₹ 5,000 and total income exceeds the exemption limit.

8. कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है :

(क) एक व्यक्ति की (ख) फर्म की

(ग) कम्पनी की (घ) स्थानीय सत्ता की

For the computation of tax agricultural income is included in the total income of :

(A) Individual (B) Firm

(C) Company (D) Local Authority

9. भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है :

(क) 50% (ख) 60%

(ग) 70% (घ) 75%

Percentage of income from the sale of coffee grown and cured in India is considered as agricultural income :

(A) 50% (B) 60%

(C) 70% (D) 75%

10. भारत में कॉफी उगाकर उसको संसाधित करके, भून कर एवं पीस कर बेचने से आय का प्रतिशत भाग व्यवसायिक आय होता है :

(क) 20% (ख) 30%

(ग) 40% (घ) 50%

Percentage of income from the sale of coffee grown, cured, roasted and grinded is considered as business income :

(A) 20% (B) 30%

(C) 40% (D) 50%

11. भूमि से सम्बन्धित, परन्तु कृषि आय नहीं है :

(क) स्वयं उग आई हुई घास (ख) मछली क्षेत्रों की आय

(ग) खानों की रॉयल्टी से आय (घ) इनमें से सभी

Income from land but not agricultural income ;

(A) Income from self-grown grass (B) Income from fisheries

(C) Income from mining royalties (D) All of these

12. भारत में रबड़ उगाकर एवं उससे लैटेक्स बनाकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है :

(क) 45% (ख) 50%

(ग) 55% (घ) 65%

Percentage of income from the sale of rubber is grown and manufactured latex in India is considered as agricultural income :

(A) 45% (B) 50%

(C) 55% (D) 65%

[**उत्तर** : **1.** (ग), **2.** (क), **3.** (ख), **4.** (क), **5.** (ग), **6.** (ख), **7.** (घ), **8.** (क), **9.** (घ), **10.** (ग), **11.** (घ), **12.** (घ)]

कॉपीराइट की गई सामग्री

❑ **बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं अथवा गलत** (State Whether the following Statements are True or False)

1. कृषि कार्य में प्रयोग होने वाली भूमि के किराये की बकाया पर ब्याज से आय कृषि आय है।
Income from interest on arrears of rent payable in respect of land used for agricultural purposes is agricultural income.

2. खानों की रॉयल्टी से आय कृषि आय होती है।
Income from the royalty of mines is called agricultural income.

3. चाय के उत्पादन का 60% भाग गैर कृषि आय माना जाता है।
60% of tea production is known as non-agricultural income.

4. कृषि आय कर-मुक्त होती है।
Agricultural income is tax free.

[**उत्तर** : **असत्य**—(1), (2), (3); **सत्य**—(4)]

अंकीय प्रश्न
(NUMERICAL QUESTIONS)

1. कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि आयकर के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन-सी आयें कृषि आय हैं और कौन-सी गैर-कृषि आयें हैं :
(i) फूल और अन्य बेलें उगाने से आय।
(ii) भूमि पर समुद्र का पानी भर कर नमक बनाने से हुई आय।
(iii) कृषि कार्य में लगी हुई कम्पनी से प्राप्त लाभांश की आय।
(iv) कृषक के द्वारा खड़ी फसल को बेचने के बाद उसे काटकर बेचने से हुआ लाभ।
(v) फसल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि।
(vi) कृषि भूमि के सम्बन्ध में देय लगान के अवशेष पर ब्याज की राशि।
(vii) चीनी मिल के द्वारा उगाए गए गन्ने को शक्कर में परिवर्तित कर बेचने से आय।
(viii) एक कृषक को दिए गए ऋण पर ब्याज।
(ix) श्रीलंका में स्थित कृषि भूमि से आय।
(x) डेयरी फार्म की आय।

Explain with reasons from the point of view of Income-tax which of the following incomes are agricultural incomes and which are non-agricultural incomes :
(i) Income from growing flowers and creepers.
(ii) Income of salt producing, by flooding the land with sea-water.
(iii) Dividend received from a company engaged in agricultural operations.
(iv) Profit on sale of the standing crop after harvest and sale by the cultivator.
(v) Compensation received from the insurance company for the damage to crop by flood.
(vi) Interest on arrears of rent, payable in respect of agricultural land.
(vii) Income from the sale of sugar converted from sugarcane grown by a sugar-mill.
(viii) Interest on loan given to a farmer.
(ix) Income from agricultural land situated in Sri Lanka.
(x) Income from dairy farming. (**2.1**)

Ans. कृषि आय : (i), (v); अंशतः कृषि आय : (vii); गैर-कृषि आय : (ii), (iii), (iv), (vi), (viii), (ix), (x)।

2. कर-दायित्व की गणना कीजिए जबकि मिस्टर X की कृषिगत आय 90,000 ₹ और गैर-कृषिगत आय 7,60,000 ₹ है।
Compute tax liability of Mr. X who has an agricultural income of ₹ 90,000 and non-agricultural income of ₹ 7,60,000. (**2.2**)
Ans. ₹ 81,120.

3. निम्न विवरण के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मि. राहुल के कर-दायित्व की गणना कीजिए :

	₹
(अ) कृषि आय	86,000
(ब) रबर के निर्माण से आय	6,44,000

Compute the tax liability of Mr. Rahul on the basis of following particulars for the Assessment Year 2020-21 :

	₹
(a) Agricultural Income	86,000
(b) Income from manufacturing Rubber	6,44,000

Ans. Tax Liability ₹ 56,370. (**2.3**)

कॉपीराइट की गई सामग्री

4. भूमि पर कृषि करने से कृषि आय ज्ञात कीजिए :

	₹
कृषि उत्पाद की बिक्री से आय	1,60,000
उपकरणों पर ह्रास	6,000
श्रमिकों का खर्चा	24,000
बीजों की लागत	6,000
खाद की लागत	3,000
बिजली खर्च	12,000

Compute agricultural income from cultivation of land :

	₹
Sale proceeds of agricultural produce	1,60,000
Depreciation of equipments	6,000
Labour charges	24,000
Cost of seeds	6,000
Cost of Fertilizers	3,000
Electricity charges	12,000

Ans. ₹ 1,09,000 (**2.4**)

5. निम्न विवरण के आधार पर कृषि आय की गणना कीजिए :

	₹
(अ) कृषि भूमि से प्राप्त किराया	1,20,000
राज्य सरकार को भुगतान किया गया लगान	12,000
कृषि भूमि को क्रय करने के लिए, लिये गए ऋण पर ब्याज	20,000
किराये को वसूल करने के लिए किये गये व्यय	2,000
(ब) किरायेदार से भूमि के किराये की बकाया पर ब्याज प्राप्त किया	34,000

Compute agricultural income on the basis of the following particulars :

	₹
(a) Rent of agricultural land	1,20,000
Land revenue paid to State Government	12,000
Interest on loan is taken to purchase agricultural land	20,000
Collection charges on the recovery of agricultural rent	2,000
(b) Interest on arrears of land revenue received from tenant	34,000

Ans. Agricultural income ₹ 86,000. (**2.5**)

6. मि. एन्थोनी के पास आम के बगीचे, नर्सरी एवं रबर, चाय एवं कॉफी की सम्पदा (estate) है। वह इनसे आय प्राप्त करता है। उसकी एक नर्सरी भी है, जिसमें वह पौधे उगाता है और बेचता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की सम्पदा एवं नर्सरी से निम्न आय है :

	₹
(i) रबर निर्माण	7,25,000
(ii) कॉफी उगाकर निर्माण एवं संसाधित करना	5,07,500
(iii) चाय निर्माण	10,15,000
(iv) नर्सरी के पौधे बेचना	1,37,000
(v) आम के बगीचों से आय	6,70,000

मि. एन्थोनी की कृषि आय और गैर-कृषि आय की गणना कीजिए।

Mr. Anthony had mango gardens, nursery and estates in Rubber, Tea and Coffee. He derives income from them. He has also a nursery wherein he grows plants and sells.

For the Previous Year ending 31st March, 2020, income from estates and nursery is as under :

	₹
(i) Manufacture of Rubber	7,25,000
(ii) Manufacture of Coffee grown and cured	5,07,500
(iii) Manufacture of Tea	10,15,000
(iv) Sale of plants from Nursery	1,37,000
(v) Income from Mango gardens	6,70,000

Calculate the Agricultural Income and Non-Agricultural Income of Mr. Anthony.

Ans. Agricultural Income ₹ 22,67,875, Non-Agricultural Income ₹ 7,86,625. (**2.6**)

कॉपीराइट की गई सामग्री

3

निवास-स्थान तथा कर-दायित्व
(RESIDENCE AND TAX LIABILITY)

एक करदाता अपनी आय भारत में अथवा विदेश में अथवा दोनों स्थानों पर कमा सकता है। उसकी कमाई गई आय कहां कर-योग्य होगी यह उसकी निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है।

करदाताओं का निवास-स्थान
(RESIDENCE OF ASSESSEES)

आय कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी करदाता का कर-दायित्व उसकी गत वर्ष की निवासीय स्थिति (Residential Status) पर निर्भर करता है। निवासीय स्थिति गत वर्ष में उसके भारत में रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करती है। निवासीय स्थिति से तात्पर्य नागरिकता बिल्कुल नहीं है। नागरिकता का कर-भार से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। **(धारा 5)**

एक भारतीय अनिवासी हो सकता है तथा एक विदेशी निवासी हो सकता है।

किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है परन्तु नागरिकता प्रत्येक वर्ष नहीं बदल सकती है।

किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति ज्ञात करने के प्रावधान निम्न हैं :

निवासियों के प्रकार
(TYPES OF RESIDENTS)

निवास-स्थान के आधार पर करदाता निम्न श्रेणियों में विभाजित किये गये हैं : **(धारा 6)**

(1) वे व्यक्ति जो भारत में निवासी हैं अर्थात् साधारण निवासी हैं (Persons who are resident in India);

(2) वे व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी हैं अर्थात् साधारण निवासी नहीं हैं (Persons who are not ordinarily resident in India);

(3) वे व्यक्ति जो अनिवासी हैं (Persons who are non-resident)।

निवासियों के प्रकार निम्न चार्ट से भली प्रकार दर्शाये जा सकते हैं :

निवासियों के प्रकार

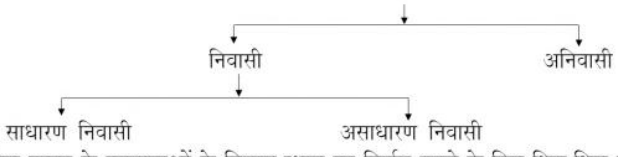

भिन्न-भिन्न प्रकार के करदाताओं के निवास-स्थान का निर्णय करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रावधान हैं। ये करदाता व्यक्ति, संयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म अथवा व्यक्तियों का कोई संघ, कम्पनी, स्थानीय सत्ता तथा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हैं।

व्यक्ति
(INDIVIDUAL)

एक व्यक्ति के निवास-स्थान का निर्णय निम्न नियमों के आधार पर होता है : **[धारा 6(1)]**

❑ I. **निवासी (साधारण निवासी)** [Resident (Ordinarily resident)]

एक व्यक्ति गत वर्ष में निवासी होता है यदि वह अग्र दो आधार शर्तों में से कम-से-कम कोई एक शर्त तथा दो अतिरिक्त शर्तों को भी पूरी करता है :

कॉपीराइट की गई सामग्री

❑ **आधार शर्तें** (Basic Conditions)

(अ) वह गत वर्ष में कम-से-कम 182 दिन भारत में रहा हो; या

(ब) गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में वह कुल मिलाकर कम-से-कम 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में कम-से-कम 60 दिन भारत में रहा हो।

स्पष्टीकरण (Explanation) 1

अपवाद—निम्न दशाओं में निवासी बनने के लिए केवल पहली आधार शर्त पूरी करना आवश्यक है क्योंकि शर्त (ब) का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता है :

(क) एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यदि गत वर्ष में किसी भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े (Crew) के सदस्य के रूप में विदेश जाता है अथवा रोजगार (employment) के लिए विदेश जाता है; अथवा

(ख) एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति है और भारत के बाहर रह रहा है गत वर्ष में भारत में भ्रमण पर आता है, तो उसे शर्त 'ब' को पूरा करने के लिए गत वर्ष में 60 दिन की बजाय कम-से-कम 182 दिन भारत में रहना आवश्यक है।

अपवाद (क) के अन्तर्गत रोजगार (employment) में स्वयं का रोजगार यथा व्यवसाय या पेशा भी शामिल है बशर्ते वह यह कार्य विदेश में करता है। [*CIT* vs. *O. Abdul Razak* (2011) 198 Taxman 1 (Ker.)]

नोट—भारत में ठहरने के दिनों की गणना करने के लिए भारत में आने तथा भारत से जाने वाले दोनों दिन शामिल होंगे।
(*The Authority for Advance Rulings* 1995 ITR 223 p. 462)

स्पष्टीकरण 1 (ख) में : अनिवासी भारतीयों (जिनकी कुल आय, विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर 15 लाख ₹ से अधिक हो) के निवास स्थान की गणना के लिए 182 दिन के स्थान पर 120 दिन लिए जायेंगे। [कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से प्रभावी]

एक भारतीय नागरिक (जिसकी कुल आय, विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर 15 लाख ₹ से अधिक हो) जो किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं उसे भारत में निवासी माना जायेगा। [कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से प्रभावी]

'**भारतीय मूल**' का व्यक्ति वह होता है जिसके माता-पिता अथवा दादा-दादी अविभाजित भारत में जन्मे हों। इसके अतिरिक्त '**भारत में भ्रमण पर आने**' से आशय भारत में किसी भी काम से आने से है। चाहे वह व्यापार के लिए आया हो अथवा व्यक्तिगत काम के लिए अथवा रिश्तेदारों से मिलने के लिए आया हो।

स्पष्टीकरण 2. एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और भारत से विदेश जाने वाले पोत के कर्मीदल का सदस्य है, ऐसी समुद्र यात्रा के सम्बन्ध में भारत में रहने की अवधि या अवधियां ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी जो विहित की जाएं।

(अ) **कम-से-कम 182 दिन भारत में रहना**—यह आवश्यक नहीं है कि वह 182 दिन लगातार रहे। वह बीच-बीच में विदेश जा सकता है परन्तु उसे गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम-से-कम 182 दिन रहना आवश्यक है। यह भी आवश्यक नहीं है कि वह भारत में एक ही स्थान पर रहे। रहने के स्थान भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

(ब) दूसरी आधार शर्त के अनुसार गत वर्ष में 60 दिन भारत में लगातार रहना आवश्यक नहीं है और न ही एक ही स्थान पर रहना आवश्यक है।

अतिरिक्त शर्तें (Additional Conditions)—एक व्यक्ति को साधारण निवासी बनने के लिए उपर्युक्त आधार शर्त '**अ**' और '**ब**' में से कम-से-कम कोई एक शर्त पूरी करने के साथ-साथ निम्न दोनों शर्तें भी पूरी करनी होती हैं :

(i) वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम-से-कम दो वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो, अर्थात् आधार शर्तों में से कम-से-कम एक शर्त पूरी की हो; तथा

(ii) वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम-से-कम 730 दिन भारत में रहा हो।

❑ II. **असाधारण निवासी** (Not Ordinarily Resident)

यदि कोई व्यक्ति 'निवासी' की **आधार शर्त** '**अ**' और '**ब**' में से कम-से-कम एक शर्त पूरी कर देता है, परन्तु दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता है तो वह असाधारण निवासी (not ordinarily resident) कहलाएगा। [**धारा** 6(6)(a)]

इसका अभिप्राय यह है कि एक निवासी व्यक्ति को असाधारण निवासी बनने के लिए कर-निर्धारण अधिकारी को सन्तुष्ट करना होगा कि वह गत वर्ष से पूर्व के 10 गत वर्षों में दो वर्ष से कम भारत में निवासी के रूप में रहा था तथा वह गत वर्ष से पूर्व के 7 गत वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन से कम भारत में रहा था।

अन्य शब्दों में एक व्यक्ति भारत में असाधारण निवासी माना जाएगा, बशर्ते

(i) वह गत वर्ष से पूर्व दस वर्षों में से नौ वर्ष भारत में अनिवासी हो या

नोट—एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार गतवर्ष में भारत में असाधारण निवासी कहा जायेगा यदि व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता या प्रबन्धक गतवर्ष से पूर्व के दस वर्षों में से सात वर्ष भारत में अनिवासी हो। (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से प्रभावी)

कॉपीराइट की गई सामग्री

(ii) गत वर्ष से पूर्व सात वर्षों में वह कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा हो।

कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जो वर्ष के दौरान भारत से बाहर रोजगार के लिए भारत छोड़ता है एक निवासी और सामान्य रूप से निवासी होगा। यदि वह भारत में 182 दिनों या उससे अधिक की कुल अवधि के लिए रहता है हालांकि यह शर्त केवल तभी लागू होगी जब उसकी कुल आय (विदेशी स्रोतों के अलावा) 15 लाख ₹ से अधिक हो।

भारत का एक नागरिक जिसे भारत में निवासी माना जाता है (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से) भारत में एक निवासी और सामान्य निवासी होगा।

विदेशी स्रोतों से आय का अर्थ है भारत के बाहर उत्पन्न होने वाली आय (भारत में नियन्त्रित व्यवसाय या भारत में स्थापित पेशे से प्राप्त आय को छोड़कर)।

❑ III. **अनिवासी** (Non-resident)

यदि कोई व्यक्ति '**निवासी**' (resident) के शीर्षक में दी हुई **आधार शर्तों** '**अ**' और '**ब**' में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है तो वह अनिवासी (non-resident) कहलाएगा।

संयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म या व्यक्तियों का संघ

(HINDU UNDIVIDED FAMILY, FIRM OR ASSOCIATION OF PERSONS) [**धारा** 6(2)]

निवासी (Resident)—संयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ किसी भी गत वर्ष में निवासी माने जाते हैं यदि उस गत वर्ष में उनका **नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में भारत में स्थित हो** अर्थात् यदि किसी गत वर्ष में इनका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध कुछ अंश में भारत में भी स्थित है तो वे निवासी कहे जायेंगे। एक निवासी हिन्दू अविभाजित परिवार साधारण निवासी तभी माना जाता है जबकि इसका कर्ता एक व्यक्ति के नियमों के अनुसार दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है।

इस सम्बन्ध में वाक्यांश 'नियन्त्रण एवं प्रबन्ध' का स्पष्टीकरण आवश्यक है। जिस स्थान पर किसी व्यापार को चलाने की नीति बनायी जाती है तथा जहां से इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं उस स्थान पर उस व्यापार का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध होना माना जाता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि जहां व्यापार चलता हो वहीं से उसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध हो। व्यापार का स्थान उसके नियन्त्रण के स्थान से भिन्न हो सकता है।

असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)—**फर्म तथा व्यक्तियों का संघ असाधारण निवासी नहीं हो सकते हैं।**

एक संयुक्त हिन्दू परिवार गत वर्ष में असाधारण निवासी होता है, यदि परिवार का सम्पूर्ण अथवा आंशिक नियन्त्रण भारत में स्थित है तथा उसका कर्ता निम्न दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है : [**धारा** 6(6)(b)]

(i) **उसका कर्ता** (Manager) **गत वर्ष** से पूर्व के 10 वर्षों में दो वर्ष भारत में निवासी रहा हो; तथा

(ii) उसका कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो।

अन्य शब्दों में एक हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में असाधारण निवासी माना जाएगा बशर्ते उसका कर्ता

(i) गत वर्ष से पूर्व दस वर्षों में से नौ वर्ष भारत में अनिवासी हो, या

(ii) गत वर्ष से पूर्व सात वर्षों में वह कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा हो।

अनिवासी (Non-Resident)—ये तीनों प्रकार के करदाता अनिवासी उस दशा में होंगे जब उनका सम्पूर्ण नियन्त्रण एवं प्रबन्ध भारत के बाहर से होता है।

कम्पनियां

(COMPANIES) [**धारा** 6(3)]

निवासी (Resident)—एक कम्पनी किसी गत वर्ष में भारत में निवासी कही जाती है, यदि

(i) वह भारतीय कम्पनी हो; या

(ii) उस वर्ष में उसके प्रभावी प्रबन्ध का स्थान भारत में रहा है।

स्पष्टीकरण—'प्रभावी प्रबन्ध के स्थान' से अभिप्राय है, जहां किसी इकाई के कारोबार के सम्पूर्ण संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबन्ध सम्बन्धी वाणिज्यिक निर्णय, सारवान रूप में किये जाते हैं।

असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)—एक कम्पनी असाधारण निवासी नहीं होती है।

अनिवासी (Non-resident)—यदि कोई कम्पनी निवासी की शर्तों को पूरा नहीं करती है तो वह अनिवासी कहलाती है।

धारा 6(5) **के अन्तर्गत किसी गत वर्ष में आय के एक साधन के लिए निवासी समझा जाने वाला करदाता उस वर्ष के लिए अन्य सभी साधनों के लिए भी निवासी माना जायेगा।**

अतः एक ही कर-निर्धारण वर्ष में आय के भिन्न-भिन्न साधनों के लिए भिन्न-भिन्न निवासीय स्थिति नहीं हो सकती है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

CHART SHOWING RESIDENTIAL STATUS

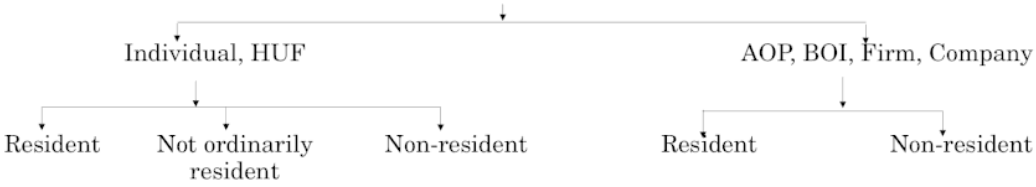

■ **उदाहरण** (Illustration) 1

(1) एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष तक रहने के बाद मई 2017 में जर्मनी चला गया और फिर मार्च 2020 में भारत वापस आ गया।

(2) एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष तक रहने के बाद मार्च 2017 में जर्मनी चला गया और 30 सितम्बर, 2019 को भारत वापस आ गया।

(3) मि. एक्स, जो भारत का नागरिक है और लन्दन में एक कम्पनी में सेवा कर रहा है, प्रति वर्ष 5 माह के लिए भारत आता है।

(4) एक बंगाली व्यक्ति 15 वर्ष से ढाका (बांग्लादेश) में व्यापार करता है और वह भारत में प्रति वर्ष 7 माह के लिए आता है।

(4) एक विदेशी व्यक्ति भारत में सर्वप्रथम जून 2015 में आया और 1 जुलाई, 2018 को भारत से बाहर चला गया। वह पुनः जनवरी 2020 में भारत वापस आ गया।

(a) A German individual having remained in India for 15 years left for Germany in May 2017 and came back to India on 1st March, 2020.

(b) A German individual having remained in India for 15 years left for Germany in March 2017 and came back to India on 30th September, 2019.

(c) Mr. X, an Indian citizen, serving in a company in London, comes to India every year for five months.

(d) A Bengali gentleman has been doing business in Dacca (Bangladesh) for the last 15 years and he comes to India every year for seven months.

(e) A foreign individual came to India for the first time in June 2015 and left India on 1st July, 2018. He again came back to India in January, 2020.

Solution

(1) गत वर्ष 2019-20 में वह भारत में 182 दिन नहीं रहा, तथा गत वर्ष 2019-20 से पूर्व के चार वर्षों में वह कुल मिलाकर 365 दिन से अधिक भारत में रहा था, लेकिन गत वर्ष में वह 60 दिन भारत में नहीं रहा, अतः वह गत वर्ष 2019-20 के लिए '**अनिवासी**' कहलाएगा।

(2) गत वर्ष 2019-20 में वह 182 दिन से अधिक भारत में रहा। वह गत वर्ष 2019-20 से पूर्व के 10 वर्षों (2009-10 से 2018-19 तक) में 9 वर्ष भारत में 'अनिवासी' नहीं रहा था तथा गत वर्ष से पूर्व सात गत वर्षों में वह 729 दिन से अधिक भारत में रहा, अतः वह गत वर्ष 2019-20 के लिए '**साधारण निवासी**' कहलाएगा।

(3) वह गत वर्ष 2019-20 के लिए '**अनिवासी**' होगा, क्योंकि वह गत वर्ष में 182 दिन भारत में नहीं रहा।

(4) वह सम्बन्धित गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा तथा गत वर्ष में 182 दिन से अधिक भारत में रहा, अतः वह निवासी होने की आधार **शर्त 'ब'** पूरी करता है। वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 9 वर्ष भारत में 'अनिवासी' नहीं रहा तथा वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 से अधिक भारत में रहा, अतः वह **साधारण निवासी** हुआ।

(5) वह गत वर्ष 2019-20 से पूर्व के चार वर्षों में (2015-16 से 2018-19 तक) कुल मिलाकर 365 दिन से अधिक भारत में रहा था और गत वर्ष में 60 दिन से अधिक भारत में रहा है। अतः वह दूसरी आधार **शर्त** सन्तुष्ट करता है। वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 9 वर्ष भारत में 'अनिवासी' नहीं रहा है तथा गत वर्ष से पूर्व 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन से अधिक भारत में रहा है, अतः वह गत वर्ष 2019-20 के लिए '**साधारण निवासी**' हुआ।

■ **उदाहरण** (Illustration) 2

1 अप्रैल, 2009 को अमेरिकन नागरिक निक्सन की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अफसर के पद पर भारत में नियुक्ति हुई। 31 जनवरी, 2017 को वह 3 वर्ष के लिए प्रत्यावेदन पर युगाण्डा गया, परन्तु अपनी धर्मपत्नी एवं बच्चों को भारत में छोड़ गया। 1 मई, 2018 को वह भारत आया और 30 जून, 2018 को अपने परिवार को अपने साथ युगाण्डा ले गया। वह 2 फरवरी, 2020 को भारत में वापस आया और अपने मौलिक पद को संभाला।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के आय कर के उद्देश्यों के लिए निक्सन की निवास की क्या स्थिति होगी?

कॉपीराइट की गई सामग्री

Nixon, an American citizen, was appointed a Senior Scientific Officer in India on 1st April, 2009. On 31st January, 2017 he went to Uganda on deputation for a period of 3 years, but left his wife and children in India. On 1st May, 2018 he came to India and took with him his family to Uganda on 30th June, 2018. He returned to India and joined his original job on 2nd February, 2020.

What would be the residential status of Nixon for income tax purposes for the Assessment Year 2020-21 ?

Solution

गत वर्ष 2019-20 में वह निवासी की आधार शर्तों में से एक भी शर्त पूरी नहीं करता, चूंकि वह न तो 182 दिन भारत में रहा था न वह गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा। अतः वह अनिवासी कहलाएगा।

■ **उदाहरण** (Illustration) 3

श्री ओम प्रकाश, भारतीय नागरिक, U.K. में पैदा हुआ था। वह जब 12 वर्ष की उम्र का था, भारत आया और जब 25 वर्ष की उम्र का था तब सर्वप्रथम भारत के बाहर गया। वह मई 2017 में U.K. गया और पुनः मार्च 2020 में भारत वापस आ गया।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वह कैसा निवासी होगा ?

Shri Om Prakash, an Indian Citizen was born in the U.K. He came to India, when he was of 12 years age and went outside India for the first time when he was 25 years of age. He left for the U.K. in May 2017 and again came back to India in March 2020.

What is his residential status for the Assessment Year 2020-21?

Solution

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसका गत वर्ष 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक होगा।

(i) चूंकि वह मार्च 2020 में भारत आया अतः वह गत वर्ष 2019-20 में भारत में 182 दिन नहीं रहा।

(ii) गत वर्ष 2019-20 में वह कम-से-कम 60 दिन भी भारत में नहीं रहा।

अतः श्री ओम प्रकाश कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अनिवासी हुआ, क्योंकि वह आधार शर्तों में से एक भी शर्त सन्तुष्ट नहीं करता है।

■ **उदाहरण** (Illustration) 4

श्री रमेश, जो भारत में पैदा हुआ तथा पला था, 1 मार्च, 2018 को आगे पढ़ने के लिए U.K. चला गया और 1 अक्टूबर, 2019 को प्रातः पुनः भारत आ गया।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी निवासीय स्थिति बताइए।

Shri Ramesh, who was born and brought up in India, went for further studies to the U.K. on 1st March, 2018 and came back to India on 1st October, 2019 early in the morning.

Find out his residential status for the Assessment Year 2020-21.

Solution

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 **अथवा गत वर्ष** 1.4.2019 **से** 31.3.2020 **तक।**

गत वर्ष 2019-20 में वह भारत में निम्न अवधि में रहा :

31 + 30 + 31 + 31 + 29 + 31 = 183 दिन (पहली **आधार शर्त** सन्तुष्ट), अतः वह निवासी है।

यह निर्धारण करने के लिए कि वह साधारण निवासी है अथवा नहीं, हमें उसकी गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में निवासीय स्थिति देखनी होगी :

गत वर्ष 2018-19—वह अनिवासी था क्योंकि इस गत वर्ष में वह भारत में बिल्कुल भी नहीं रहा।

गत वर्ष 2017-18—वह निवासी था क्योंकि वह 1 मार्च, 2018 को भारत से बाहर गया था।

गत वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक—वह निवासी था, क्योंकि इस अवधि में वह पूर्णतया भारत में रहा था।

अतः गत वर्ष 2019-20 से पूर्व के 10 वर्षों में वह कम-से-कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा और उसने पहली अतिरिक्त शर्त सन्तुष्ट कर दी।

इसके अतिरिक्त वह गत वर्ष 2019-20 से पूर्व 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन से अधिक भारत में रहा था अतः उसने दूसरी अतिरिक्त शर्त भी सन्तुष्ट कर दी।

अतः कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वह साधारण निवासी हुआ।

■ **उदाहरण** (Illustration) 5

श्री ए वी जो एक विदेशी नागरिक हैं, वे पिछले 20 वर्षों में पहली बार दिनांक 20 नवम्बर, 2017 को विदेश गए। वर्ष 2018 में 1 सितम्बर को भारत आए तथा 30 दिन भारत में रहे। वर्ष 2019 में वे भारत नहीं आए। दिनांक 16 जनवरी, 2020 को पुनः भारत आए और बाहर नहीं गए। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री ए वी का निवास-स्थान निर्धारित कीजिए यदि (अ) वे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, (ब) वे भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं हैं।

कॉपीराइट की गई सामग्री

Mr. A B a foreign citizen leaves India for the first time in the last 20 years on 20th November, 2017. During the Calendar Year 2018, he came to India on 1st September and stayed for a period of 30 days. During the Calendar Year 2019, he did not visit India at all. He came to India on 16th January, 2020 and did not leave thereafter. Determine the residential status of Mr. AB for the Assessment Year 2020-21 if (a) he is an Indian origin, (b) he is not an Indian origin.

Solution

(अ) यदि मिस्टर AB भारतीय मूल के व्यक्ति हैं :

(i) गत 20 वर्षों में (कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 तक) वह भारत में निवासी रहा।

(ii) गत वर्ष 2018-19 (कर-निर्धारण वर्ष 2019-20) में वह कुल 30 दिन के लिए भारत आया। अतः वह अनिवासी रहा।

(iii) गत वर्ष 2019-20 (कर-निर्धारण वर्ष 2020-21) में वह भारत में 75 दिन रहा। वह भारत में कम-से-कम 182 दिन के लिए नहीं आया। अतः कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वह अनिवासी रहा।

(ब) यदि मिस्टर AB भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं हैं :

(i) जैसा ऊपर (i) में वर्णित है।

(ii) जैसा ऊपर (ii) में वर्णित है।

(iii) कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 : गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में वह भारत में 365 दिन से अधिक रहा तथा गत वर्ष में वह भारत में 60 दिन से अधिक रहा। इसके अतिरिक्त वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में भारत में 9 वर्ष अनिवासी नहीं रहा तथा गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन से अधिक भारत में रहा। अतः वह कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए साधारण निवासी हुआ।

■ **उदाहरण** (Illustration) 6

एक हिन्दू अविभाजित परिवार अफगानिस्तान से मेवे के निर्यात का व्यापार कर रहा है और इसके लिए उसका अपना एक स्थायी कार्यालय वहां स्थित है जिसका नियन्त्रण परिवार के कर्ता का छोटा भाई करता है, जो वहां स्थायी रूप से रहता है। परिवार का कर्ता स्थायी रूप से भारत में रहता है, परन्तु वह कभी-कभी कुछ दिन के लिए अफगानिस्तान में अपने कार्यालय में चला जाता है। नीति के निर्णय कर्ता ही लेता है, परन्तु अचानक आवश्यकता पड़ने पर छोटा भाई भी स्वयं निर्णय ले सकता है। दिन-प्रतिदिन के कार्य छोटा भाई ही नियन्त्रित करता है। परिवार की निवासीय स्थिति क्या होगी ?

A Hindu undivided family carries on the business of export of dry fruits from Afghanistan, and for this purpose, it has a permanent office there which is controlled by the younger brother of the *Karta* of the family who resides there permanently. The *Karta* permanently resides in India but sometimes visits his office in Afghanistan for a few days. The policy decisions are taken by the *Karta* but in emergency, his younger brother can also take decision himself. Day to day affairs are, however, controlled by the younger brother. What will be the residential status of the family?

Solution

चूंकि परिवार का कम-से-कम आंशिक नियन्त्रण एवं प्रबन्ध भारत में स्थित है तथा कर्ता स्थायी रूप से भारत में रहता है और कभी-कभी केवल कुछ दिन के लिए वह अफगानिस्तान चला जाता है। वह भारत में साधारण निवासी हुआ। अतः परिवार भारत में साधारण निवासी हुआ।

■ **उदाहरण** (Illustration) 7

कम्पनी का निवास-स्थान निर्धारित कीजिए :

X Ltd. एक भारतीय कम्पनी है जो भारत में तथा ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में व्यापार कर रही है। गत वर्ष में उसकी ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका की आय भारत की आय से कहीं ज्यादा थी।

Determine the residential status of the company :

X Ltd. is an Indian Company carrying on business in India as well as in British East Africa. Its income accruing or arising in British East Africa in the previous year far exceeded its income accruing or arising in India.

Solution

चूंकि X Ltd. भारतीय कम्पनी है, अतः यह निवासी कम्पनी हुई। उसकी विदेशी आय भारतीय आय से अधिक है अथवा कम, इसका उसके निवास-निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

❑ **उदाहरण** (Illustration) 8

X Ltd. तथा Y Ltd. क्रमशः पाकिस्तान एवं भारत में पंजीकृत हैं। गत वर्ष 2019-20 में X Ltd. का प्रभावी प्रबन्ध का स्थान भारत में है तथा Y Ltd. के संचालक मण्डल की सभी मीटिंग पाकिस्तान में हुईं। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी निवासीय स्थिति निर्धारित कीजिए।

कॉपीराइट की गई सामग्री

X Ltd. and Y Ltd. are registered in Pakistan and India respectively. The place of effective management is in India, where as all Board meetings of Y Ltd. were held in Pakistan during the Previous Year 2019-20. Determine their residential status for the Assessment Year 2020-21.

Solution

X Ltd. is registered in Pakistan. Hence, it is a foreign company, but its place of effective management is in India. Hence, it is resident in India.

Y Ltd. is registered in India. Hence, It is an Indian Company. An Indian Company is treated as resident in India, whether its management is situated in India or abroad.

निवास-स्थान के आधार पर कुल आय का क्षेत्र या कर-भार

(SCOPE OF TOTAL INCOME ON THE BASIS OF RESIDENCE OR INCIDENCE OF TAX)

निवासीय स्थिति तथा कर-भार में सम्बन्ध—करदाता पर कर-भार उसकी निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है तथा इस बात पर भी निर्भर करता है कि आय कहां तथा कब अर्जित अथवा प्राप्त हुई है।

I. **साधारण निवासी** (Ordinary Resident) **की दशा में कर-भार**—एक निवासी की किसी गत वर्ष की सब साधनों से आय उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती है जो उस वर्ष में उसे : **[धारा 5(1)]**

(अ) भारत में प्राप्त हुई हो।

(ब) भारत में प्राप्त हुई समझी जाए।

(स) भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई हो।

(द) भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाए।

(य) भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो।

अतः एक साधारण निवासी विश्व भर में कहीं भी कमाई गई अपनी आय पर कर देने का दायी है।

II. **असाधारण निवासी** (Not Ordinarily Resident) **की दशा में कर-भार**—एक असाधारण निवासी की कुल आय में निम्न प्रकार की वे सब आय सम्मिलित की जाती हैं जो गत वर्ष में उसे :

(क) भारत में प्राप्त हुई हों।

(ख) भारत में प्राप्त हुई समझी जाएं।

(ग) भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई हों।

(घ) भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाएं।

(ङ) भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई ऐसे व्यापार की आय जो व्यापार भारत से नियन्त्रित होता हो।

अतः असाधारण निवासी को समस्त भारतीय आय पर तथा भारत से नियन्त्रित विदेश की आय पर कर देना होता है।

III. **अनिवासी** (Non-resident) **की दशा में कर-भार**—एक अनिवासी व्यक्ति की किसी गत वर्ष की कुल आय में किसी भी साधन से प्राप्त निम्न प्रकार की आय सम्मिलित की जाती है जो गत वर्ष में उसे :

(**क**) भारत में प्राप्त हुई हो। (**ख**) भारत में प्राप्त हुई समझी जाए। (**ग**) भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई हो। (**घ**) भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाए।

अतः वह अपनी विदेशी आयों पर कर चुकाने का दायी नहीं है। उसका दायित्व केवल भारतीय आयों पर कर चुकाने का है।

❑ स्पष्टीकरण —'प्राप्त हुई हो' का आशय

'**प्राप्त हुई हो**' शब्दों का आशय प्रथम बार प्राप्ति से है। किसी आय के प्राप्त करने का स्थान वह होता है जहां वह आय सर्वप्रथम प्राप्त की गयी हो, वह स्थान नहीं कि जहां वह बाद में भेजने पर प्राप्त की गयी हो। इस प्रकार एक अनिवासी की विदेशी आय कर-योग्य नहीं होगी भले ही वह भारत भेज दी गयी हो जब तक कि सर्वप्रथम भारत में ही प्राप्त न हुई हो।

❑ 'प्राप्त की हुई समझी जाय' का आशय

इसका अर्थ यह है कि वह आय वास्तव में प्राप्त नहीं हुई हो, लेकिन आय कर अधिनियम के अनुसार प्राप्त की हुई मान ली जाए। निम्न आयें प्राप्त हुई मानी जाती हैं : **[धारा 7 एवं धारा 8]**

(i) एक कर्मचारी जो Recognised Provident Fund का सदस्य है, उसके Provident Fund में वार्षिक वृद्धि (Annual Accretion) यद्यपि कर्मचारी को वास्तव में प्राप्त नहीं होती है, परन्तु वह उसकी गत वर्ष में '**प्राप्त हुई आय**' मानी जाती है;

(ii) अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड के हस्तान्तरित शेष का कर-योग्य भाग गत वर्ष में '**प्राप्त हुई आय**' मानी जाती है;

(iii) जिस वर्ष में लाभांश घोषित अथवा वितरित किया जाता है उसी वर्ष की आय माना जाता है, यद्यपि वास्तव में उसका उसी वर्ष में प्राप्त हो जाना आवश्यक नहीं है;

कॉपीराइट की गई सामग्री

(iv) उद्गम स्थान पर कर की कटौती;

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1.1.2004 या इसके पश्चात् या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति के खाते में, (केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन) संदत्त राशि।

उपार्जित अथवा उदय होना—इसका आशय आय प्राप्त करने के अधिकार से है, वास्तव में प्राप्त होने से नहीं।

❑ **आय का उपार्जित अथवा उदय होना माना जाना** (**धारा** 9)

'**उपार्जित अथवा उदय होना माना जाना**' का अर्थ है कि आय वास्तव में उपार्जित नहीं हुई है, किन्तु अधिनियम के अनुसार उसे उपार्जित हुआ माना जाता है। धारा 9(1) के अन्तर्गत निम्न आयें उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जाती हैं :

(i) वह वेतन जो भारत में कमाया गया हो, चाहे भारत के बाहर प्राप्त हुआ हो; [**धारा** 9(1)(ii)]

(ii) एक सरकारी कर्मचारी को, जो भारत का नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय जो 'वेतन' प्राप्त होता है; [**धारा** 9(1)(iii)]

(iii) एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश। [**धारा** 9(1)(iv)]

(iv) सरकार द्वारा देय ब्याज की आय भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जाएगी चाहे भले ही वह ऋण जिस पर यह ब्याज देय है भारत में लिया गया हो अथवा भारत के बाहर लिया गया हो। यदि यह ब्याज किसी निवासी व्यक्ति अथवा अनिवासी व्यक्ति द्वारा देय है तो यह भारत में उपार्जित अथवा उदय हुआ माना जायेगा यदि यह ऐसे ऋण के सम्बन्ध में है जो उसके ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग हो रहा है जो भारत में चल रहा है। [**धारा** 9(1)(v)]

(v) सरकार द्वारा देय रॉयल्टी की आय भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जाती है। किसी निवासी अथवा अनिवासी व्यक्ति द्वारा देय रॉयल्टी की आय भी भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जायेगी यदि यह किसी अधिकार, सम्पत्ति, आदि के लिए भारत में प्रयोग होने के सम्बन्ध में है। [**धारा** 9(1)(vi)]

(vi) सरकार द्वारा देय प्राविधिज्ञिक सेवाओं के लिए फीस की आय अथवा किसी निवासी अथवा अनिवासी व्यक्ति द्वारा देय फीस जो ऐसी सेवाओं के प्रतिफल में है जो भारत में चल रहे किसी व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग हो रही है, भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जाती है। [**धारा** 9(1)(vii)]

[(vii) कोई राशि या भारत में स्थित कोई सम्पत्ति भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी व्यक्ति को 5.7.2019 को या इसके पश्चात् अन्तरित की जाती है तो इसे भारत में उपार्जित अथवा उदय माना जाएगा। (*w.e.f. A.Y.* 2020-21)]

अपवाद—यदि किसी व्यक्ति को भारत के बाहर अपने रिश्तेदार (जो भारत में निवासी है) से सम्पत्ति मिले या उसे अपने विवाह पर मिले तो वह धारा 56 के प्रावधानों के अनुसार कर-मुक्त होगी।

भारत में अनिवासी की निम्न आय भारत में उपार्जित अथवा उदय नहीं मानी जाएगी :

- केवल निर्यात के लिए भारत में माल खरीदना;
- समाचार एजेन्सी अथवा समाचार-पत्र, मैगजीन के प्रकाशन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति द्वारा भारत से समाचार एवं विचार एकत्रित करके बाहर भेजना;
- भारत में सिनेमा फिल्म शूटिंग करना।

कर-दायित्व संक्षेप में

संक्षेप में कर-दायित्व निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है :

आयें	कर-योग्य हैं अथवा नहीं		
	साधारण निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
(1) गत वर्ष में भारत में प्राप्त आय जो चाहे भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो।	हां	हां	हां
(2) आय जो गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई समझी जाए और जो चाहे भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो।	हां	हां	हां
(3) गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय जो चाहे भारत के बाहर प्राप्त हुई हो।	हां	हां	हां
(4) आय जो गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाए, चाहे भारत के बाहर प्राप्त हुई हो।	हां	हां	हां
(5) आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई हो तथा भारत के बाहर ही उपार्जित अथवा उदय हुई हो परन्तु जो भारत से नियन्त्रित व्यापार से हुई हो।	हां	हां	नहीं

कॉपीराइट की गई सामग्री

(6)	आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई हो तथा भारत के बाहर ही उपार्जित अथवा उदय हुई हो और ऐसे व्यापार से हुई हो जो भारत के बाहर से नियन्त्रित होता है अथवा ऐसे पेशे से हुई हो जो भारत के बाहर स्थापित हो।	हां	नहीं	नहीं
(7)	अन्य किसी साधन से गत वर्ष में आय जो भारत के बाहर प्राप्त हुई हो तथा भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो।	हां	नहीं	नहीं
(8)	पूर्व वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त तथा भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई आय जो गत वर्ष में भारत लायी गयी हो।	नहीं	नहीं	नहीं

■ **उदाहरण** (Illustration) 9

गत वर्ष 2019-20 के लिए श्री रामप्रसाद की निम्न आयें हैं :

	₹
(क) ईरान का लाभ भारत में प्राप्त किया	5,000
(ख) ईरान में स्थित मकान-सम्पत्ति से आय भारत में प्राप्त की	500
(ग) पाकिस्तान में स्थित मकान-सम्पत्ति से आय वहीं एक बैंक में जमा की	1,000
(घ) पाकिस्तान में स्थापित व्यापार के लाभ वहीं एक बैंक में जमा किये, यह व्यापार भारत से नियन्त्रित है (20,000 ₹ में से 10,000 ₹ भारत में लाये गये हैं)	20,000
(ङ) भारत में उपार्जित परन्तु इंग्लैण्ड में प्राप्त	2,000
(च) कानपुर के व्यापार से लाभ	6,000
(छ) इंग्लैण्ड में कृषि से आय—यह सम्पूर्ण आय बच्चों की शिक्षा पर लन्दन में व्यय कर दी गयी	5,000
(ज) भूतकाल की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लायी गयी	10,000

उपर्युक्त विवरण से श्री रामप्रसाद की कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 की कर-योग्य आय की गणना कीजिए यदि श्री रामप्रसाद (i) निवासी है, (ii) असाधारण निवासी है, तथा (iii) अनिवासी है।

The following are the incomes of Shri Ram Prasad for the Previous Year 2019-20 :

	₹
(a) Profit from business in Iran received in India	5,000
(b) Income from house property in Iran received in India	500
(c) Income from house property in Pakistan deposited in a Bank there	1,000
(d) Profits of business established in Pakistan deposited in a bank there, this business is controlled from India (out of ₹ 20,000 a sum of ₹ 10,000 is remitted to India)	20,000
(e) Accrued in India but received in England	2,000
(f) Profit earned from business in Kanpur	6,000
(g) Income from agriculture in England, it is all spent on the education of children in London	5,000
(h) Past untaxed foreign income brought into India during the Previous Year	10,000

From the above particulars ascertain the taxable income of Shri Ram Prasad for the Assessment Year 2020-21 if Shri Ram Prasad is (i) a resident, (ii) a not ordinarily resident, and (iii) a non-resident.

Solution **Computation of Taxable Income**
(for the Assessment Year 2020-21)

	Resident	*Not Ordinarily resident*	*Non-resident*
	₹	₹	₹
Income accrued and received in India **:**			
(f) Profit earned from business in Kanpur	6,000	6,000	6,000
Income accrued in India but received outside India **:**			
(e) Accrued in India but received in England	2,000	2,000	2,000
Income accrued outside India but received in India **:**			
(a) Profit from business in Iran received in India	5,000	5,000	5,000
(b) Income from house property in Iran received in India	500	500	500
Income accrued outside India and not received in India **:**			
(c) Income from house property in Pakistan deposited in a bank there	1,000	—	—
(d) Profits of business established in Pakistan deposited in a bank there, the business being controlled from India	20,000	20,000	—
(g) Income from agriculture in England	5,000	—	—

कॉपीराइट की गई सामग्री

(h) Past untaxed foreign income brought into India during the previous year	—	—	—
Taxable Income	39,500	33,500	13,500

नोट—भूतकाल की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लायी गयी, कर-योग्य नहीं है क्योंकि यह गत वर्ष की आय नहीं है।

■ **उदाहरण** (Illustration) 10

एक असाधारण निवासी की निम्नलिखित प्राप्तियों की कर-योग्यता के सम्बन्ध में विवेचना कीजिए :

(क) U.K. में एक व्यापार से 40,000 ₹ कमाये गये परन्तु लाभ भारत भेज दिया गया। करदाता व्यापार को केवल तब देखता था जब वह U.K. में होता था।

(ख) सिंगापुर में की गयी सेवाओं के प्रतिफल में मिला हुआ 20,000 ₹ का पारिश्रमिक सिंगापुर के एक बैंक में उसके खाते में जमा कर दिया गया था तथा उसके तुरन्त बाद वह भारत में भेज दिया गया।

(ग) सिंगापुर में व्यापार करने वाली एक भारतीय कम्पनी में सिंगापुर में की गयी सेवाओं के प्रतिफल में मिला हुआ 20,000 ₹ का पारिश्रमिक जो उस भारतीय कम्पनी ने सीधा उसके भारत स्थित बैंक खाते में जमा करा दिया।

Discuss the assessability of the following items of receipts in the case of a resident but not ordinarily resident:

(a) A sum equivalent to ₹ 40,000 was earned from a business in the U.K. but the profits have been remitted to India. The assessee used to attend to the business only when he was in the U.K.

(b) Remuneration of ₹ 20,000 due to him for services rendered in Singapore was credited to his bank account in Singapore and immediately thereafter remitted to India.

(c) Remuneration of ₹ 20,000 due to him from an Indian company carrying on business in Singapore for services rendered in Singapore and the same having been directly deposited by the Indian Company in his bank account in India.

Solution

(क) एक असाधारण निवासी की दशा में विदेशी आय तभी भारत में कर-योग्य होती है जबकि वह किसी ऐसे व्यापार अथवा पेशे से उदय हुई हो जिसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध भारत में स्थापित किसी व्यापार अथवा पेशे से हो। इस दशा में 40,000 ₹ की आय भारत में स्थापित किसी नियन्त्रित व्यापार से आय नहीं है। यह पर्याप्त नहीं है कि वह जब U. K. में होता है तो व्यापार की देखभाल करता है। अतः यह आय कर-योग्य नहीं है। उसने यह आय सर्वप्रथम भारत में प्राप्त भी नहीं की है, क्योंकि ये लाभ पहले U. K. में प्राप्त किये गये और बाद में भारत भेजे गये हैं। प्राप्ति उस स्थान पर होती है जहां यह सर्वप्रथम प्राप्त की गयी हो न कि उसके बाद में भेजने पर। अतः यह आय प्राप्ति के आधार पर भी कर-योग्य नहीं है।

(ख) चूंकि यह पारिश्रमिक सिंगापुर में सेवा करने के प्रतिफल में वहीं प्राप्त हुआ है और बाद में भारत भेजा गया है, यह आय विदेश में ही अर्जित हुई और वहीं प्राप्त हुई। अतः यह भारत में कर-योग्य नहीं है।

(ग) चूंकि यह पारिश्रमिक सीधा भारत में बैंक में जमा हुआ है, अतः यह भारत में प्राप्त हुआ और प्राप्ति के आधार पर भारत में कर-योग्य होगा।

■ **उदाहरण** (Illustration) 11

श्री नरेश शर्मा की गत वर्ष 2019-20 की आय का विवरण निम्न प्रकार है :

	₹
1. इंग्लैण्ड में व्यापार से लाभ जो भारत में प्राप्त हुए	12,000
2. पाकिस्तान में मकान-सम्पत्ति से आय, भारत में प्राप्त हुई	2,000
3. बांग्लादेश में मकान-सम्पत्ति से आय, वहीं एक बैंक में जमा की	4,000
4. इण्डोनेशिया में व्यापार से लाभ वहीं एक बैंक में जमा किये, यह व्यापार भारत से नियन्त्रित है	5,000
5. आय भोपाल में उपार्जित परन्तु सिंगापुर में प्राप्त	6,000
6. भारत में व्यापार से लाभ	15,000
7. भूतकाल की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गयी	20,000

उपर्युक्त विवरण से श्री नरेश शर्मा की कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए सकल कुल आय की गणना कीजिए, यदि वह (क) निवासी है, (ख) असाधारण निवासी है, (ग) अनिवासी है।

Following are the particulars of the income of Shri Naresh Sharma for the Previous Year 2019-20 :

	₹
1. Profit from business in England received in India	12,000
2. Income from house property in Pakistan received in India	2,000
3. Income from house property in Bangladesh deposited in a bank there	4,000
4. Profit from business in Indonesia deposited in a bank there, this business is controlled from India	5,000
5. Income accrued in Bhopal but received in Singapore	6,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

6. Profit from business in India 15,000
7. Past untaxed foreign income brought into India during the previous year 20,000

From the above particulars, compute the Gross total income of Shri Naresh Sharma for the Assessment Year 2020-21, if he is (a) Resident, (b) Not Ordinarily Resident, (c) Non-resident.

Solution **Computation of Gross Total Income**
(for the Assessment Year 2020-21)

	Resident	*Not Ordinarily Resident*	*Non-Resident*
	₹	₹	₹
1. Profit from business in England received in India	12,000	12,000	12,000
2. Income from house property in Pakistan received in India	2,000	2,000	2,000
3. Income from house property in Bangladesh deposited in a bank there	4,000	—	—
4. Profit from business in Indonesia deposited in a bank there, this business is controlled from India	5,000	5,000	—
5. Income accrued in Bhopal but received in Singapore	6,000	6,000	6,000
6. Profit from business in India	15,000	15,000	15,000
7. Past untaxed foreign income brought into India during the previous year	—	—	—
Gross Total Income	44,000	40,000	35,000

■ **उदाहरण** (Illustration) 12

श्री किशन लाल की गत वर्ष 2019-20 की निम्न आयें हैं :

	₹
1. पाकिस्तान में कृषि से आय	30,000
2. भारत में वेतन प्राप्त की परन्तु सेवा इराक में की गई (गणना की गई)	12,000
3. भारत में व्यापार से आय	12,000
4. एक घरेलू कम्पनी से लाभांश (सकल)	2,000
5. बांग्लादेश में बैंक जमा पर कमाई गई तथा प्राप्त की गई व्याज	6,000
6. श्रीलंका में व्यापार से आय, जो भारत से नियन्त्रित है तथा आय भारत भेज दी गई है	14,000

श्री किशन लाल की सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह (i) निवासी है, (ii) असाधारण निवासी है, (iii) अनिवासी है।

The following are the income of Shri Kishan Lal for the Previous Year 2019-20 :

	₹
1. Income from agriculture in Pakistan	30,000
2. Salary received in India but the services were rendered in Iraq (Computed)	12,000
3. Income from a business carried on in India	12,000
4. Dividend from a domestic Company (Gross)	2,000
5. Interest earned and received in Bangladesh from bank deposits there	6,000
6. Income from a business in Sri Lanka but controlled from India and remitted to India	14,000

Compute Shri Kishan Lal's gross total income if he is (i) Resident, (ii) Not Ordinarily Resident, (iii) Non-resident.

Solution **Computation of Gross Total Income**
(for the Assessment Year 2020-21)

	Resident	*Not Ordinarily Resident*	*Non-Resident*
1. Income from Agriculture in Pakistan	30,000	—	—
2. Salary received in India but services rendered Iraq	12,000	12,000	12,000
3. Income from a business in India	12,000	12,000	12,000
4. Dividend from a Domestic Company	Exempt	Exempt	Exempt
5. Interest from Bank deposits in Bangladesh received there	6,000	—	—
6. Income from a business in Sri Lanka but controlled from India and remitted to India	14,000	14,000	—
Gross Total Income	74,000	38,000	24,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 13

श्री रतन चन्द की गत वर्ष 2019-20 की कर-योग्य आय निम्न है :

	₹
1. भारत में उपार्जित तथा प्राप्त वेतन से आय (गणना की गई)	20,000
2. मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) में होटल के व्यापार से लाभ	30,000
3. पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) में घोषित लाभांश जो भारत में प्राप्त हुआ	4,000
4. भारत में स्थित एक दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से आय	20,000
5. मानचेस्टर (इंग्लैण्ड) की एक कम्पनी के ऋणपत्रों पर ब्याज जो भारत में प्राप्त हुआ	6,000
6. श्री फिलिप, जो अनिवासी है, को भारत में व्यापार करने के लिए दिये गये ऋण पर प्राप्त ब्याज	5,000
7. जर्मनी में चल रहे व्यापार में प्राविधिज्ञिक सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल में श्री कैलाश जो भारत में निवासी है, से जर्मनी में प्राप्त रॉयल्टी	20,000
8. लन्दन में व्यापार कर रही एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त फीस, जो लन्दन में प्राविधिज्ञिक सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल में है और जो कि कम्पनी द्वारा भारत में उसके बैंक खाते में सीधी जमा कर दी गई है	30,000

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री रतन चन्द की सकल कुल आय की गणना कीजिए, यदि वह (i) निवासी है, (ii) असाधारण निवासी है, (iii) अनिवासी है।

Following are the taxable incomes of Shri Ratan Chand for the Previous Year 2019-20 :

	₹
1. Income from Salary accrued and received in India (computed)	20,000
2. Profit of a hotel business at Melbourne (Australia)	30,000
3. Dividend declared in Perth (Australia) but received in India	4,000
4. Income from transfer of a long-term capital asset in India	20,000
5. Interest on debentures of a company at Manchester (England), which was received in India	6,000
6. Interest received from Shri Philip, a non-resident, on the loan provided to him for a business carried on in India	5,000
7. Royalty received in Germany from Shri Kailash a resident in India for technical services provided for a business carried on in Germany	20,000
8. Fees from an Indian Company carrying on business at London for technical services rendered at London having been directly deposited by the company in his bank account in India	30,000

Compute Shri Ratan Chand's Gross Total Income for the Assessment Year 2020-21, if he is (i) Resident, (ii) Not Ordinarily Resident, (iii) Non-resident.

Solution **Computation of Gross Total Income**
(for the Assessment Year 2020-21)

	Resident	*Not Ordinarily Resident*	*Non-Resident*
	₹	₹	₹
1. Income from Salary accrued and received in India	20,000	20,000	20,000
2. Profit of hotel business at Melbourne	30,000	—	—
3. Dividend declared in Perth but received in India	4,000	4,000	4,000
4. Income from capital gains from the transfer of asset in India	20,000	20,000	20,000
5. Interest on Debentures of a company at Manchester, but received in India	6,000	6,000	6,000
6. Interest received from a non-resident on loan provided to him for a business carried on in India	5,000	5,000	5,000
7. Royalty received in Germany from a resident of India for technical services provided for a business carried on in Germany	20,000	—	—
8. Fees from an Indian Company carrying on business at London for technical services rendered at London directly deposited in a bank account in India	30,000	30,000	30,000
Gross Total Income	1,35,000	85,000	85,000

कॉपीराइट की नई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 14

श्री विवेक मोहन की वित्तीय वर्ष 2019-20 की निम्न आयें हैं :

(i) कोलकाता के व्यापार की आय जो अमेरिका से प्रबन्धित है 25,000 ₹।

(ii) भारत में की गई सेवाओं के बदले लन्दन में प्राप्त पेंशन से आय 15,000 ₹ (गणना की गई)।

(iii) म्यांमार की सम्पत्ति से आय 10,000 ₹, जो भारत में प्राप्त की।

(iv) श्रीलंका के व्यापार से लाभ 15,000 ₹, वहीं एक बैंक में जमा किए।

(v) केन्या के पेशे से वहीं पर प्राप्त आय 15,000 ₹, जो भारत में स्थापित था।

(vi) भारत में मशीनरी के विक्रय से लाभ 10,000 ₹, जो नेपाल में प्राप्त हुए।

(vii) यू. के. सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज 5,000 ₹ जिसका आधा भाग भारत में प्राप्त हुआ।

(viii) पूर्व वर्षों की विना कर लगी आय 40,000 ₹, जो गत वर्ष में भारत में लाई गई।

श्री विवेक मोहन की कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 की कर-योग्य आय की गणना कीजिए, यदि वह (अ) निवासी है, (ब) असाधारण निवासी है तथा (स) अनिवासी है।

Shri Vivek Mohan has the following incomes during the Financial Year 2019-20 :

(i) Income from a business in Kolkata managed from U.S.A. ₹ 25,000.

(ii) Income from a Pension for services rendered in India received in London ₹ 15,000 (computed).

(iii) Income from assets in Myanmar received in India, ₹ 10,000.

(iv) Profit from business in Sri Lanka, deposited in a bank there ₹ 15,000.

(v) Income from the profession in Kenya received there, the profession was set-up in India, ₹ 15,000.

(vi) Profits on sale of machinery in India, received in Nepal, ₹ 10,000.

(vii) Interest on U.K. Government securities, half of which received in India, ₹ 5,000.

(viii) Untaxed income of the previous year brought in India during the Previous Year ₹ 40,000.

Calculate the taxable Income of Shri Vivek Mohan for the Assessment Year 2020-21, if he is (a) Resident, (b) Not ordinarily resident & (c) Non-resident.

Solution **Computation of Taxable Income**
(for the Assessment Year 2020-21)

	Resident	*Not Ordinarily Resident*	*Non-Resident*
	₹	₹	₹
(i) Income from a business in Kolkata managed from U.S.A.	25,000	25,000	25,000
(ii) Income from Pension for services rendered in India, received in London	15,000	15,000	15,000
(iii) Income from assets in Myanmar, received in India	10,000	10,000	10,000
(iv) Profit from business in Sri Lanka deposited in a bank there	15,000	—	—
(v) Income from the profession in Kenya received there, the profession was set-up in India	15,000	15,000	—
(vi) Profits on sale of machinery in India received in Nepal	10,000	10,000	10,000
(vii) Interest on U.K. Government securities, half of which received in India	5,000	2,500	2,500
(viii) Untaxed income of the previous year brought in India during the previous year	—	—	—
Taxable Income	95,000	77,500	62,500

■ **उदाहरण** (Illustration) 15

श्री हरिनारायण अरोड़ा की 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए कर-योग्य आयों का विवरण निम्न प्रकार है :

(i) भारत सरकार से प्राप्त रॉयल्टी 24,000 ₹।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(ii) अफगानिस्तान में व्यापार से आय 25,000 ₹। इसमें से 15,000 ₹ भारत में प्राप्त किये गये। इस व्यापार का नियन्त्रण भी भारत से होता है।

(iii) श्री आदित्य कुमार एक अनिवासी से भारत में संचालित व्यापार के लिए दिये गये ऋण पर प्राप्त ब्याज 5,000 ₹।

(iv) श्री अल-अफनान एक निवासी से भारत के बाहर संचालित व्यापार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवा के लिए प्राप्त रॉयल्टी 20,000 ₹।

(v) जयपुर में एक व्यापार से आय 40,000 ₹। इस व्यापार का नियन्त्रण फ्रांस से किया जाता है। इस राशि में से 20,000 ₹ फ्रांस भेज दिये गये।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री हरिनारायण अरोड़ा की सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह गत वर्ष में भारत का :

(अ) निवासी हो, (ब) असाधारण निवासी हो, या (स) अनिवासी हो।

Following are the particulars of taxable income of Shri Hari Narayan Arora for the Previous Year ended 31st March, 2020 :

(i) Royalty received from Govt. of India ₹ 24,000.

(ii) Income from business earned in Afganistan ₹ 25,000 of which ₹ 15,000 were received in India. Business is controlled from India.

(iii) Interest received from Shri Aditya Kumar a non-resident against a loan provided to him to run a business in India ₹ 5,000.

(iv) Royalty received from Shri Al-Afnan a resident for technical services provided to run a business outside India ₹ 20,000.

(v) Income from a business in Jaipur ₹ 40,000 this business is controlled from France. ₹ 20,000 were remitted to France.

Find out Gross Total Income of Shri Hari Narayan Arora for the Assessment Year 2020-21 if he is :

(a) resident of India,

(b) not ordinarily resident of India and

(c) non-resident of India in the previous year.

Solution

Computation of Gross Total Income

(for the Assessment Year 2020-21)

	Resident	*N.O.R.*	*Non-resident*
	₹	₹	₹
(i) Royalty from Govt. of India Deemed to accrue in India	24,000	24,000	24,000
(ii) (a) Income from a business in Afganistan	25,000	—	—
(b) Controlled from India	—	25,000	—
(c) Received in India	—	—	15,000
(iii) Interest deemed to accrue in India	5,000	5,000	5,000
(iv) Royalty for technical services for business outside India Not deemed to accrue in India	20,000	—	—
(v) Business in Jaipur (India)	40,000	40,000	40,000
Gross Total Income ₹	1,14,000	94,000	84,000

■ **उदाहरण** (Illustration) 16

	₹
गत वर्ष 2019-20 के लिए मि. नरेश की निम्न आयें हैं :	
(i) इंग्लैण्ड विकास पत्र का ब्याज (भारत में ⅕ प्राप्त)	50,000
(ii) अमेरिका में कृषि से आय (वहां प्राप्त की, फिर भारत भेजी)	81,000
(iii) कनाडा की सम्पत्ति से आय, विदेश में प्राप्त की	40,000
(iv) युगाण्डा के व्यापार की आय, जो कि दिल्ली से नियन्त्रित है (25,000 ₹ भारत में प्राप्त किये)	45,000
(v) एक घरेलू कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया सकल लाभांश विदेश में प्राप्त किया	40,000
(vi) 2016-17 का अकरारोपित लाभ 2019-20 में भारत लाया गया	10,000
(vii) चेन्नई के व्यापार की आय, जो कि लन्दन से नियन्त्रित है	2,00,000
(viii) भारत में भवन की बिक्री से लाभ जिसे श्रीलंका में प्राप्त किया	18,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

उपर्युक्त विवरण से मि. नरेश की कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 की सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह : (i) निवासी है, (ii) असाधारण निवासी है, (iii) अनिवासी है।

The following are the income of Mr. Naresh for the Previous Year 2019-20 :

		₹
(i)	Interest on England Development Bond (⅕ received in India)	50,000
(ii)	Income from agriculture in America received there, but later on remitted to India	81,000
(iii)	Income from the property in Canada received outside India	40,000
(iv)	Income earned from business in Uganda, which is controlled from Delhi (₹ 25,000 is received in India)	45,000
(v)	Dividend (gross) paid by a domestic Company and received outside India	40,000
(vi)	Untaxed Profit of 2016-17 brought to India in 2019-20	10,000
(vii)	Profit from a business in Chennai, which is controlled from London	2,00,000
(viii)	Profit on sale of a building in India but received in Sri Lanka	18,000

From the above particulars ascertain the gross total income of Mr. Naresh for the Assessment Year 2020-21 if he is : (i) a resident, (ii) a not ordinarily resident, (iii) a non-resident.

Solution **Computation of Gross Total Income**

(for the Assessment Year 2020-21)

	Resident	*Not Ordinarily Resident*	*Non-Resident*
	₹	₹	₹
1. Interest on England Development Bond	50,000	10,000	10,000
2. Income from agriculture in America	81,000	—	—
3. Income from the property in Canada	40,000	—	—
4. Income from a business in Uganda :	45,000		
Controlled from India	—	45,000	—
Received in India	—	—	25,000
5. Dividend from a domestic company	Exempt	Exempt	Exempt
6. Untaxed past profit	—	—	—
7. Profit from a business in Chennai	2,00,000	2,00,000	2,00,000
8. Profit on sale of building in India	18,000	18,000	18,000
Gross Total Income	4,34,000	2,73,000	2,53,000

■ **उदाहरण** (Illustration) 17

गत वर्ष 2019-20 के लिए श्री महेश की निम्न कर-योग्य आयें हैं :

(i) लन्दन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से आय 8,000 ₹ (गणना की गई)।

(ii) ईरान में स्थित मकान-सम्पत्ति से आय भारत में प्राप्त की 1,000 ₹।

(iii) एक भारतीय कम्पनी से लाभांश 2,000 ₹।

(iv) बांग्लादेश में बैंक जमा पर कमाई गई तथा प्राप्त की गई ब्याज 6,000 ₹।

(v) पाकिस्तान में स्थापित व्यापार के लाभ वहीं एक बैंक में जमा किए, यह व्यापार भारत से नियन्त्रित है (20,000 ₹ में से 10,000 ₹ भारत लाये गये हैं) 20,000 ₹।

(vi) आय भोपाल में उपार्जित परन्तु सिंगापुर में प्राप्त 6,000 ₹।

(vii) इंग्लैण्ड में कृषि से आय—यह सम्पूर्ण आय बच्चों की शिक्षा पर लन्दन में व्यय कर दी गई 5,000 ₹।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए सकल कुल आय की गणना कीजिए, यदि वह :

(1) निवासी, (2) असाधारण निवासी, (3) अनिवासी है।

The following are the Taxable Incomes of Shri Mahesh for the Previous Year 2019-20 :

(i) Income from Salary received in India for services rendered in London ₹ 8,000 (computed).

(ii) Income from House property in Iran received in India ₹ 1,000.

(iii) Dividend from an Indian Company ₹ 2,000.

(iv) Interest earned and received in Bangladesh from bank deposits there ₹ 6,000.

(v) Profits of business established in Pakistan deposited in a bank there, this business is controlled from India (out of ₹ 20,000 a sum of ₹ 10,000 is remitted to India) ₹ 20,000.

(vi) Income accrued in Bhopal but received in Singapore ₹ 6,000.

(vii) Income from agriculture in England, it is all spent on the education of children in London ₹ 5,000.

Compute the gross total Income for the Assessment Year 2020-21 if he is :

(1) Resident, (2) Not ordinarily resident, (3) Non-resident.

कॉपीराइट की गई सामग्री

Solution

Computation of Gross Total Income
(for the Assessment Year 2020-21)

	Resident	*Not Ordinarily Resident*	*Non-Resident*
	₹	₹	₹
1. Income from Salary received in India	8,000	8,000	8,000
2. Income from House Property received in India	1,000	1,000	1,000
3. Dividend from Indian Company	Exempt	Exempt	Exempt
4. Interest income in Bangladesh	6,000	—	—
5. Income from a business in Pakistan controlled from India	20,000	—	—
	—	20,000	—
6. Income accrued in Bhopal	6,000	6,000	6,000
7. Income from agriculture in England	5,000	—	—
Gross Total Income	46,000	35,000	15,000

■ **उदाहरण** (Illustration) 18

मि. 'एन' भारत का नागरिक है, लेकिन भारत में असाधारण निवासी है। उनकी निम्नांकित प्राप्तियों की कर-योग्यता के सम्बन्ध में विवेचना कीजिए :

(अ) अमेरिका में एक व्यापार से 1,80,000 ₹ कमाये और यह लाभ भारत भेज दिया गया। करदाता व्यापार को तब देखता था, जबकि वह अमेरिका में होता था।

(ब) अमेरिका की एक कम्पनी में की गयी सेवाओं का पारिश्रमिक 1,50,000 ₹ (गणना की गई) अमेरिका के एक बैंक में जमा कर दिया गया तथा उसके तुरन्त बाद वह भारत भेज दिया गया।

(स) अमेरिका में स्थित मकान-सम्पत्ति के हस्तान्तरण से पूंजी लाभ 2,85,000 ₹ तथा दिल्ली (भारत) में स्थित प्लॉट के हस्तान्तरण से प्राप्त पूंजी लाभ 3,30,000 ₹।

(द) अमेरिका में वेतन कमाया 4,50,000 ₹ (गणना की गई)।

(इ) जयपुर (राजस्थान) में स्थित कृषि भूमि से आय 5,50,000 ₹।

Mr. 'N' is an Indian citizen but not ordinarily resident in India. Discuss the assessability of the following items of the receipts :

(a) ₹ 1,80,000 were earned from a business in America and the profits have been remitted to India. The assessee operated the business only when he was in America.

(b) Remuneration of ₹ 1,50,000 (computed) due to him for services rendered in American Company was credited to his bank account in America and immediately thereafter remitted to India.

(c) Capital gains ₹ 2,85,000 from the transfer of house in America and ₹ 3,30,000 from the transfer of plot situated in Delhi in India.

(d) Salary earned in America ₹ 4,50,000 (computed).

(e) Agricultural Income, land situated in Jaipur (Rajasthan) ₹ 5,50,000.

Solution

(अ) एक असाधारण निवासी की दशा में विदेशी आय तभी भारत में कर-योग्य होती है जबकि वह किसी ऐसे व्यापार अथवा पेशे से उदय हुई हो जिसका नियन्त्रण भारत से होता हो। यह अमेरिका में होने वाला व्यापार भारत से नियन्त्रित नहीं होता है, क्योंकि यह पर्याप्त नहीं है कि वह जब अमेरिका में होता है तो व्यापार की देखभाल करता है। अतः यह 1,80,000 ₹ की आय कर-योग्य नहीं है।

(ब) चूंकि 1,50,000 ₹ का वह पारिश्रमिक अमेरिका में सेवा करने के प्रतिफल में वहीं प्राप्त हुआ और बाद में भारत भेज दिया गया है। अतः यह भारत में कर-योग्य नहीं है।

(स) अमेरिका में पूंजी लाभ कर-योग्य नहीं है। दिल्ली में स्थित प्लॉट के हस्तान्तरण से होने वाला पूंजी लाभ कर-योग्य है।

(द) अमेरिका में अर्जित वेतन कर-योग्य नहीं है, क्योंकि यह न भारत में प्राप्त है और न भारत में अर्जित है।

(इ) भारत में कृषि भूमि से आय पूर्णतया कर-मुक्त है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 19

श्री दीपक की गत वर्ष 2019-20 की आयें निम्न प्रकार हैं :

	₹
(i) भारतीय कम्पनी से लाभांश	10,000
(ii) जापान स्थित व्यापार का लाभ भारत में प्राप्त किया	12,000
(iii) पाकिस्तान में स्थापित व्यापार के लाभ वहीं एक बैंक में जमा किये, यह व्यापार भारत से नियंत्रित है	20,000
(iv) इन्दौर में व्यापार का लाभ (लन्दन मुख्यालय द्वारा नियंत्रित)	11,000
(v) अब्दुल जो अनिवासी है, को भारत में व्यापार करने के लिए दिये गये ऋण पर ब्याज	5,000
(vi) अमेरिका में कमाये तथा वहीं प्राप्त किये, परन्तु उन्हें भारत लाया गया	8,000
(vii) भारतीय साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा	15,000
(viii) भारत स्थित मकान-सम्पत्ति की कर-योग्य आय अमेरिका में प्राप्त की	12,000
(ix) भारतीय कम्पनी के ऋणपत्रों का ब्याज दुबई में प्राप्त	5,000
(x) अजमेर में कृषि भूमि के विक्रय पर पूंजी लाभ (शहरी क्षेत्र में)	8,000

उनकी कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए यदि वह :

(a) निवासी हैं,

(b) असाधारण निवासी हैं,

(c) अनिवासी हैं।

The following are the Incomes of Shree Deepak for the Previous Year 2019-20 :

	₹
(i) Dividend from Indian Company	10,000
(ii) Profit from business in Japan received in India	12,000
(iii) Profit from business in Pakistan deposited in a bank there. This business is controlled from India	20,000
(iv) Profit from business in Indore (Controlled by London Head Office)	11,000
(v) Interest received from a non-resident Mr. Abdul, on the loan provided to him for a business carried on in India	5,000
(vi) Income was earned in America and received there, but brought in India	8,000
(vii) Share of income from Indian partnership firm	15,000
(viii) Income from house property in India received in America (Calculated)	12,000
(ix) Interest on debentures of an Indian company received in Dubai	5,000
(x) Capital Gain on sale of agricultural land situated in Ajmer (Urban area)	8,000

Compute his taxable income if he is :

(a) Resident,

(b) Non-ordinarily resident,

(c) Non-resident.

Solution **Computation of Taxable Income of Shree Deepak**

(*for the Assessment Year* 2020-21)

	Resident	*Not Ordinarily resident*	*Non-Resident*
	₹	₹	₹
1. Dividend from Indian Company—Exempt	—	—	—
2. Profit from business in Japan *received in India*	12,000	12,000	12,000
3. Profit from business in Pakistan, *Business controlled from India*	20,000	20,000	—
4. Profit from business in Indore—*Income accrued in India*	11,000	11,000	11,000
5. Interest from non-resident—*Business carried on in India*	5,000	5,000	5,000
6. Foreign income brought in India	8,000	—	—
7. Share of income from Indian partnership firm—Exempt	—	—	—
8. Income from house property in India	12,000	12,000	12,000
9. Interest on debentures of an Indian Company	5,000	5,000	5,000
10. Capital gain on sale of agricultural land situated in Ajmer (Urban area)	8,000	8,000	8,000
Taxable Income	81,000	73,000	53,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 20

श्री हेमन्त कचौड़ीवाला की 31 मार्च, 2020 को समाप्त गत वर्ष के लिए कर-योग्य आय का विवरण निम्नलिखित है :

(i) कैनेडा में मकान सम्पत्ति से आय 10,000 ₹ जो कैनेडा में ही एक बैंक में जमा करा दी गयी। इसमें से 4,000 ₹ भारत भेजे गये।

(ii) भारत में प्राप्त रॉयल्टी 24,000 ₹।

(iii) श्रीलंका में व्यापार से आय 25,000 ₹। इसमें से 15,000 ₹ भारत में प्राप्त किये गये। यह व्यापार भारत से नियन्त्रित है।

(iv) पेरिस में विनियोग से आय 10,000 ₹।

(v) एक अनिवासी से 5,000 ₹ ब्याज प्राप्त किया। उसे भारत में व्यापार चलाने के लिए यह ऋण दिया गया था।

(vi) 'अ' एक निवासी से भारत के बाहर चल रहे एक व्यापार के लिए तकनीकी सेवा प्रदान करने के प्रतिफल में भारत के बाहर रॉयल्टी प्राप्त की 20,000 ₹।

(vii) भारत में कारोबार से आय 40,000 ₹। इसका नियंत्रण अमेरिका से होता था।

(viii) ग्वालियर में एक मकान के विक्रय से 30,000 ₹ की आय प्राप्त की।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री हेमन्त कचौड़ीवाला की सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह भारत में (अ) निवासी, (ब) असाधारण निवासी तथा (स) अनिवासी हो।

Following are the particulars of taxable income of Mr. Hemant Kachoriwala for the Previous Year ending on 31st March, 2020 :

(i) Income from House Property in Canada ₹ 10,000 which was deposited in a bank in Canada. Out of this ₹ 4,000 were remitted to India.

(ii) Royalty received in India ₹ 24,000.

(iii) Income from a business in Sri Lanka ₹ 25,000 of which ₹ 15,000 were received in India. The business is controlled from India.

(iv) Income from Investment in Paris ₹ 10,000.

(v) Interest received from a non-resident ₹ 5,000 against a loan given to him to run a business in India.

(vi) Royalty received outside India from A, a resident, for technical services given to run a business outside India ₹ 20,000.

(vii) Income from a business in India ₹ 40,000. This business is controlled from America.

(viii) Income from sale of house property in Gwalior ₹ 30,000.

Calculate the Gross total income of Mr. Hemant Kachoriwala for the Assessment Year 2020-21 if he is (a) Resident (b) Non-ordinarily resident and (c) Non-resident in India.

Solution

Computation of Gross Total Income

(*for the Assessment Year* 2020-21)

	Resident	*Not Ordinarily resident*	*Non-Resident*
	₹	₹	₹
1. Income from H. P. in Canada (Foreign income)	10,000	—	—
2. Royalty received in India	24,000	24,000	24,000
3. Income from a business in Sri Lanka			
(i) Received in India	15,000	15,000	15,000
(ii) Business controlled from India	10,000	10,000	—
4. Income from investment in Paris (Foreign income)	10,000	—	—
5. Interest on loan (to run a business in India)	5,000	5,000	5,000
6. Royalty for technical services (to run a business outside India)	20,000	—	—
7. Income from business in India	40,000	40,000	40,000
8. Capital gains on sale of the H.P. in Gwalior	30,000	30,000	30,000
Gross Total Income	1,64,000	1,24,000	1,14,000

कॉपीराइट की नई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 21

श्री गणेश की गत वर्ष 2019-20 की आय का विवरण इस प्रकार है :

	₹
(i) कानपुर में स्थित कृषि भूमि से आय	23,000
(ii) चेन्नई में कपड़े के व्यापार से आय, इसका प्रबन्ध लन्दन से होता है	30,000
(iii) जापान में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से आय, इसका मुख्यालय जापान में है। इस आय में से 50,000 ₹ भारत में लाये गये	1,50,000
(iv) ईरान में व्यापार से आय (इसमें भारत द्वारा नियन्त्रण व्यापार की आय 35,000 ₹ शामिल है)	80,000
(v) श्रीलंका स्थित कृषि भूमि से आय, जो वहीं पर एक बैंक में जमा की	50,000
(vi) सुधीर जो अनिवासी है, को भारत में व्यापार करने हेतु दिये गये ऋण पर ब्याज	28,000

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी कर-योग्य आय की गणना कीजिए यदि वह भारत में (अ) साधारण निवासी है, (ब) असाधारण निवासी है और (स) अनिवासी है।

The following are the particulars of Mr. Ganesh's income during the Previous Year 2019-20 :

	₹
(i) Agriculture income from land situated in Kanpur	23,000
(ii) Income from a business in Chennai, the business is managed from London	30,000
(iii) Income from electronics industry in Japan, it's head office situated in Japan, out of this income ₹ 50,000 brought in India	1,50,000
(iv) Income from a business in Iran (₹ 35,000 the income from a business which is controlled from India is included)	80,000
(v) Income from agricultural land in Sri Lanka and deposited in a bank there	50,000
(vi) Sudhir who is a non-resident paid interest on the loan provided to him for a business carried on in India	28,000

Compute his taxable income for the Assessment Year 2020-21, if he is (a) Ordinarily resident, (b) Not ordinarily resident and (c) Non-resident.

Solution

Computation of Taxable Income
(for the Assessment Year 2020-21)

	Ordinarily Resident	*Not Ordinarily Resident*	*Non-resident*
	₹	₹	₹
1. Agricultural Income (Exempt)	—	—	—
2. Income from a business in Chennai (Income accrues in India)	30,000	30,000	30,000
3. Business income in Japan	1,50,000	—	—
4. (i) Income from a business in Iran	80,000	—	—
(ii) Business controlled from India	—	35,000	—
5. Income from Agricultural land in Sri Lanka (Land not situated in India, hence income taxable)	50,000	—	—
6. Interest from non-resident on loan for business carried on in India	28,000	28,000	28,000
Taxable Income	3,38,000	93,000	58,000

■ **उदाहरण** (Illustration) 22

श्री संवर की 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की निम्न आय थी :

	₹
(i) भारत सरकार से वेतन (वह अपने सेवा कार्य के लिए 3 माह अमेरिका में रहे और इस अवधि का वेतन वहीं प्राप्त किया) (गणना की गई)	3,60,000
(ii) एक विदेशी कम्पनी से ब्याज अमेरिका में प्राप्त किया और वहीं पर एक बैंक में जमा करा दिया	60,000
(iii) भारत स्थित मकान-सम्पत्ति की आय अमेरिका में प्राप्त की	1,25,000
(iv) भारतीय कम्पनी के ऋणपत्रों पर ब्याज न्यूयॉर्क में प्राप्त किया एवं वहीं पर खर्च किया	25,000
(v) उज्जैन के एक व्यापार से आय, जो अमेरिका से नियन्त्रित है	56,000
(vi) न्यूयॉर्क से उनके भाई द्वारा उन्हें उपहार भेजे गये	20,000

उनकी कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए। यदि वह (a) साधारण निवासी है, (b) असाधारण निवासी है, (c) अनिवासी है।

कॉपीराइट की नई सामग्री

Mr. Samwar has the following income for the Previous Year ended 31st March, 2020 :

	₹
(i) Salary received from the Govt. of India (He lived in America for 3 months due to his service and received salary for such period there) (computed)	3,60,000
(ii) Interest from a foreign company received in America and deposited in a bank there	60,000
(iii) Income from house property in India received in America	1,25,000
(iv) Interest on debentures from an Indian Company received in New York and spent there	25,000
(v) Income from a business in Ujjain managed from America	56,000
(vi) His brother gifted him from New York	20,000

Compute his taxable income, if he is (a) ordinarily resident, (b) not ordinarily resident, (c) non-resident.

Solution **Computation of Taxable Income**

(*for the Assessment Year* 2020-21)

		Ordinarily Resident	*Not Ordinarily Resident*	*Non-Resident*
		₹	₹	₹
1.	Salary received from the Govt. of India (Deemed to accrue in India)	3,60,000	3,60,000	3,60,000
2.	Interest from foreign company	60,000	—	—
3.	Income from house property in India	1,25,000	1,25,000	1,25,000
4.	Interest on debentures from Indian Company	25,000	25,000	25,000
5.	Income from business in Ujjain	56,000	56,000	56,000
6.	Gift from brother (Exempt)	—	—	—
	Taxable Income	6,26,000	5,66,000	5,66,000

■ **उदाहरण** (Illustration) 23

गत वर्ष 2019-20 की श्री संजय बंसल की आय एवं हानियों का विवरण निम्नलिखित है। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी करयोग्य आय ज्ञात कीजिए यदि वे (i) निवासी हैं, (ii) असाधारण निवासी हैं, (iii) अनिवासी हैं।

	₹
(i) कनाडा में स्थित मकान-सम्पत्ति से हानि	(–) 20,000
(ii) भारत में मकान-सम्पत्ति से आय (गणना की गयी)	15,000
(iii) भारत में व्यापार से आय	40,000
(iv) ऑस्ट्रेलिया में व्यापार से हानि	(–) 25,000
(v) ऑस्ट्रेलिया में व्यापार से आय जिसका नियंत्रण वहीं से होता है	50,000
(vi) भारतीय ऋणपत्रों पर ब्याज	8,000
(vii) भारत में वेतन से आय (गणना की गई)	1,00,000

Particulars of income and losses of the Previous Year 2019-20 of Mr. Sanjay Bansal are given below. Compute his taxable income for the Assessment Year 2020-21, if he is a : (i) Resident, (b) Not Ordinarily Resident, (c) Non-Resident.

	₹
(i) Loss from house property situated in Canada	(–) 20,000
(ii) Income from house property in India (computed)	15,000
(iii) Income from a business in India	40,000
(iv) Loss from business in Australia	(–) 25,000
(v) Income from a business in Australia which is controlled from there	50,000
(vi) Interest on Indian debentures	8,000
(vii) Income from salary in India (computed)	1,00,000

Solution **Computation of Taxable Income**

(*for the Assessment Year* 2020-21)

		Resident	*Not Ordinarily Resident*	*Non-Resident*
		₹	₹	₹
1.	Loss from House Property situated in Canada	– 20,000	—	—
2.	Income from House Property situated in India	15,000	15,000	15,000
3.	Income from Business in India	40,000	40,000	40,000
4.	Loss from Business in Australia	– 25,000	—	—

कॉपीराइट की नई सामग्री

5.	Income from Business in Australia	50,000	—	—
6.	Interest on Indian debentures	8,000	8,000	8,000
7.	Salary in India (computed)	1,00,000	1,00,000	1,00,000
	Taxable Income	1,68,000	1,63,000	1,63,000

Note : In case of Not ordinarily resident and Non-resident income from house property situated in Canada and income from business in Australia are not liable to tax in India, hence, loss arising from such property and business are not deductible.

■ **उदाहरण** (Illustration) 24

महेश 18 वर्ष अमेरिका में रहकर 1 जुलाई, 2019 को भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए वापस आ गया। इस 18 वर्ष की अवधि में वह कभी भी भारत में नहीं आया।

गत वर्ष 2019-20 की उसकी निम्न आयें हैं :

1. अमेरिका की एक कम्पनी से वेतन 1,60,000 ₹ प्रति माह। उसे जून 2019 का वेतन 1,60,000 ₹ भारत में प्राप्त हुआ।
2. एक भारतीय कम्पनी से अगस्त 2019 से मार्च 2020 का वेतन 10,00,000 ₹।
3. अमेरिका में एक मकान-सम्पत्ति का किराया 6,00,000 ₹, उसके खाते में अमेरिका में जमा कराया।
4. अमेरिका में उसके बैंक खाते पर ब्याज 10,000 ₹, जो वहीं जमा किया गया।
5. भारत में उसके बचत बैंक खाते पर ब्याज 20,000 ₹ जमा किये गये।
6. एक विदेशी कम्पनी से भारत में लाभांश प्राप्त किया 40,000 ₹।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी निवासीय स्थिति निर्धारित कीजिए तथा सकल कुल आय की गणना कीजिए।

Mahesh returned to India on 1st July, 2019 for permanently residing in India after a stay of 18 years in America. During the period of 18 years, he never came to India.

His incomes for the Previous Year 2019-20 are as under :

1. Salary from a company in America ₹ 1,60,000 p.m. However, he received the salary for the month of June, 2019 in India ₹ 1,60,000.
2. Salary from an Indian company from August 2019 to March 2020 ₹ 10,00,000.
3. Rent from a house property in America ₹ 6,00,000 credited in his bank account in America.
4. Interest on his bank account in America ₹ 10,000, credited there.
5. Interest credited in his saving bank a/c in India ₹ 20,000.
6. Dividends received from a foreign company in India ₹ 40,000.

Determine his residential status and gross total income for the Assessment Year 2020-21.

Solution

महेश गत वर्ष के दौरान 1-7-2019 से 31-3-2020 तक 275 दिन भारत में रहा था। क्योंकि वह भारत में गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक दिन रहा है, अतः वह भारत में निवासी है। वह गत वर्ष 2019-20 के पूर्व के 10 वर्षों में 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहा है, अतः वह भारत में असाधारण निवासी है। इसके अनुसार उसकी सकल कुल आय निम्न प्रकार है :

		₹	₹
1.	Salary in America —Non-taxable		—
2.	Salary for the month of June recd. in India	1,60,000	
3.	Salary from an Indian Co.	10,00,000	
		11,60,000	
	Less : Standard Deduction	50,000	11,10,000
4.	Rent—Neither received in India nor accrued in India—Non-taxable		—
5.	Interest credited in America—Non-taxable		—
6.	Interest on S.B. A/c in India		20,000
7.	Dividends received from a foreign company in India		40,000
	Gross Total Income		11,70,000

नोट—वेतन पर 50,000 ₹ की वैधानिक कटौती स्वीकृत है।

कॉपीराइट की नई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 25 (Person leaving India during the Previous Year 2020-21)

X, एक भारतीय नागरिक, को विदेश से नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ।

(i) भारत से जाने की तिथि तक उसकी अनुमानित आय 6,30,000 ₹ है।

(ii) भारत से जाने के पश्चात् उसकी विदेशी आय 6,50,000 ₹ है।

उसके कर-दायित्व की गणना कीजिए यदि वह भारत से

(क) 1 जुलाई, 2020 को जाता है;

(ख) 31 अक्टूबर, 2020 को जाता है।

X, a citizen of India, got an appointment letter from a foreign country.
(i) His estimated total income till the departure from India is ₹ 6,30,000.
(ii) His foreign income after leaving India is ₹ 6,50,000.
Compute his tax liability if he leaves India on :
(a) 1st July, 2020;
(b) 31st Oct., 2020.

Solution

(क) **जब X 1 जुलाई, 2020 को भारत से जाता है :**

X भारतीय नागरिक है और वह सेवा कार्य (service) के लिए विदेश गया है।

वह गत वर्ष में 182 दिन भारत में नहीं रहा अतः अनिवासी होगा।

गत वर्ष 2020-21 में उसकी कुल आय निम्न होगी :

भारत में कमाई गई आय	6,30,000 ₹
विदेशी आय कर-योग्य नहीं	—

उसे भारत से जाने से पूर्व गत वर्ष 2020-21 में उसी गत वर्ष (2020-21) की आय पर वित्त वर्ष 2020-21 में अग्रिम कर की दरों से कर देना होगा।

Tax on ₹ 6,30,000		₹
Tax on ₹ 5,00,000		12,500
Tax on ₹ 1,30,000 @ 20%		26,000
		38,500
Add : Surcharge		Nil
		38,500
Add : Health and Education Cess @ 4%		1,540
	Tax Liability	40,040

(ख) **जब X 31 अक्टूबर, 2020 को भारत से जाता है :**

X भारतीय नागरिक है और वह सेवा कार्य (service) के लिए विदेश गया है।

वह गत वर्ष 2020-21 में कम-से-कम 182 दिन भारत में रहा अतः वह गत वर्ष 2020-21 के लिए निवासी होगा।

उसे भारत से जाने से पूर्व गत वर्ष 2020-21 की अनुमानित आय पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित अग्रिम कर की दरों से कर चुकाना होगा।

6,30,000 ₹ कर 40,040 ₹ (गणना ऊपर देखिए)।

गत वर्ष 2020-21 के लिए X भारत में निवासी (ordinarily resident) है। अतः उसे अपनी विदेशी आय पर कर देना होगा। उसे गत वर्ष 2020-21 के लिए कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 में अपनी आय का रिटर्न दाखिल करना होगा तथा यदि कर बकाया है तो उसे चुकाना होगा।

उसकी कुल आय 6,30,000 + 6,50,000 = 12,80,000 ₹		₹
Tax on ₹ 5,00,000		12,500
Tax on ₹ 5,00,000 @ 20%		1,00,000
Tax on ₹ 2,80,000 @ 30%		84,000
		1,96,500
Add : Health and Education Cess @ 4%		7,860
		2,04,360
Less : Tax paid at the time of leaving India		40,040
	Tax Liability	1,64,320

कॉपीराइट की गई सामग्री

प्रश्न
(QUESTIONS)

❑ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions)

1. निवास-स्थान के आधार पर करदाताओं को किन-किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
What are the different categories into which the assessees are divided with regard to residence? Give a brief account of each of them.

2. आय कर के लिए करदाताओं का निवास-स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? निवास-स्थान का कर-दायित्व पर भार समझाइए।
How is the residence of assessees determined for income tax purposes? Explain the incidence of residence on tax liability.

3. निम्नलिखित के कर-निर्धारण के सम्बन्ध में अन्तर बताइए :
(i) निवासी, (ii) असाधारण निवासी, (iii) अनिवासी।
State clearly the difference between assessment of :
(i) a resident, (ii) a not ordinarily resident, (iii) a non-resident.

4. समझाकर लिखिए कि करदाता का कर-दायित्व उसके निवास-स्थान के आधार पर किस प्रकार निर्धारित किया जाता है?
Explain how the tax liability of an assessee is determined with reference to his residence?

❑ लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

1. आयकर विधान के प्रावधानों के अन्तर्गत एक व्यक्ति के निवासी होने के लिए कौन-सी दो शर्तें हैं?
What are the two conditions to become a resident of an individual under the provisions of Income Tax Act?

2. एक कम्पनी कब निवासी कम्पनी होती है?
When a company is a resident?

3. एक कम्पनी का निवास-स्थान कैसे ज्ञात किया जाता है?
How to find out the residential status of a company?

4. आयकर अधिनियम में कौन निवासी परन्तु असाधारण निवासी हो सकता है?
Who can be a resident but not an ordinary resident under the Income-tax Act?

5. अनिवासी व्यक्ति कौन है?
Who is a non-resident individual?

❑ वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

1. असाधारण निवासी कौन हो सकता है ?
(क) साझेदारी फर्म (ख) कम्पनी
(ग) व्यक्तियों के संघ (घ) हिन्दू अविभाजित परिवार
Who may be not an ordinary resident from the following?
(A) Partnership firm (B) Company
(C) Association of persons (D) Hindu undivided family

2. एक सरकारी कर्मचारी को, जो भारत का नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन :
(क) भारत में कर-योग्य है। (ख) भारत में कर-योग्य नहीं है।
(ग) कर की दर निर्धारित करने के लिए कुल आय में शामिल किया जाता है।
(घ) इनमें से कोई नहीं।
Salary payable by the Government of India to an Indian citizen for services outside India :
(A) is taxable in India. (B) is not taxable in India.
(C) is includible in the total income for rate purposes only.
(D) none of these.

3. निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है ?
(क) भारतीय व विदेशी (ख) निवासी तथा गैर-निवासी भारतीय
(ग) निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी (घ) व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनियां
What are the classes of an assessee on the basis of their residence ?
(A) Indian and foreigners (B) Resident Indians and Non-resident Indians
(C) Resident, Not ordinarily resident and Non-resident
(D) Persons, Firms, and Companies

4. भारत में उपार्जित आय कर-योग्य होती है :
(क) सभी करदाताओं के लिए (ख) निवासी के लिए
(ग) असाधारण निवासी (घ) अनिवासी के लिए

कॉपीराइट की गई सामग्री

Income accruing in India is assessable for :

(A) All assessees
(B) Resident in India
(C) Not ordinarily resident in India
(D) Non-resident in India

5. निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है?

(क) दो
(ख) तीन
(ग) चार
(घ) पांच

On the basis of residence, the assessees are divided into how many categories?

(A) Two
(B) Three
(C) Four
(D) Five

6. पाकिस्तान में कृषि से आय कर-योग्य है :

(क) निवासी
(ख) असाधारण निवासी
(ग) अनिवासी
(घ) कर-योग्य नहीं होगा

Agricultural income in Pakistan is assessable for :

(A) Resident
(B) Not ordinarily resident
(C) Non-resident
(D) Not taxable

7. एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम-से-कम ठहरना होगा :

(क) 182 दिन
(ख) 90 दिन
(ग) 60 दिन
(घ) 180 दिन

A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become a resident for at least :

(A) 182 days
(B) 90 days
(C) 60 days
(D) 180 days

8. करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष :

(क) बदल सकती है
(ख) निश्चित बदलेगी
(ग) नहीं बदलती है
(घ) इनमें से कोई नहीं

Every year the residential status of an assessee :

(A) may change
(B) will certainly change
(C) will not change
(D) none of these

9. एक कम्पनी गत वर्ष में नहीं होती :

(क) साधारण निवासी
(ख) अनिवासी
(ग) असाधारण निवासी
(घ) निवासी

A company does not become the following in the previous year :

(A) Ordinarily resident
(B) Non-resident
(C) Not an ordinarily resident
(D) Resident

10. विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियन्त्रित नहीं है कर-योग्य है :

(क) साधारण निवासी की दशा में
(ख) असाधारण निवासी की दशा में
(ग) अनिवासी की दशा में
(घ) ये सभी

Income from a business in foreign country not controlled from India is taxable in case of :

(A) Ordinarily resident
(B) Not ordinarily resident
(C) Non-resident
(D) All of these

11. भारत में निवासी के लिए कर-योग्य आय नहीं है :

(क) भारत में प्राप्त आय
(ख) भारत में उपार्जित आय
(ग) विदेशी आय
(घ) भूत की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई

Income not taxable in case of resident in India :

(A) Income received in India
(B) Income accrued in India
(C) Foreign income
(D) Past untaxed foreign income brought into India during the previous year

कॉपीराइट की गई सामग्री

12. पेरिस में कमाई गई एवं वहीं प्राप्त आय किस के लिए भारत में करयोग्य है :

(क) निवासी एवं साधारण निवासी

(ख) निवासी एवं साधारण निवासी तथा निवासी एवं असाधारण निवासी दोनों

(ग) निवासी एवं अनिवासी दोनों

(घ) निवासी, असाधारण निवासी एवं अनिवासी सभी के लिए

Income accruing in Paris and received there is taxable in India in the case of :

(A) for resident and ordinarily resident only

(B) for both resident and ordinarily resident and resident but not ordinarily resident

(C) for both resident and non-resident

(D) for all-resident, not-ordinarily resident and non-resident

[**उत्तर** : **1.** (घ), **2.** (क), **3.** (ग), **4.** (क), **5.** (ख), **6.** (क), **7.** (क), **8.** (क), **9.** (ग), **10.** (क), **11.** (घ), **12.** (क)]

❑ बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं अथवा गलत (State Whether the Following Statements are True or False)

1. एक कम्पनी एक वर्ष में असाधारण निवासी हो सकती है।

A company may be not ordinarily resident in a year.

2. पाकिस्तान में व्यापार से आय भारत में अनिवासी की दशा में कर-योग्य है।

Income from a business in Pakistan is taxable in case of non-resident in India.

3. एक गैर-निवासी भारतीय को भारत में प्राप्त हुई आय पर आयकर नहीं देना होता है।

A Non-resident Indian is not liable to pay tax on his income received in India.

4. एक व्यक्ति एक से अधिक देशों का निवासी हो सकता है।

A person can be a resident in more than one country.

5. एक व्यक्ति के निवास-स्थान का उसकी नागरिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

There is no relation of the residential status of an individual to his citizenship.

6. प्रत्येक गत वर्ष में एक करदाता का निवास स्थान बदल सकता है।

The residential status of an assessee may change in every previous year.

[**उत्तर** : **असत्य**—(1), (2), (3); **सत्य**—(4), (5), (6)]

दीर्घ अंकीय प्रश्न
(LONG NUMERICAL QUESTIONS)

❑ निवास स्थान का निर्धारण

A. **व्यक्तियों का**

1. निम्न दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए करदाताओं की निवासीय स्थिति बताइए :

(क) अजय भारतीय नागरिक है। वह 18 अप्रैल, 2019 को ईरान गया और वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त तक भारत वापस न आ सका।

(ख) गौतम भारत में 20 वर्ष रहने के पश्चात् 10 मार्च, 2017 को U.S.A. गया। वह 10 सितम्बर, 2019 को भारत वापस आ गया।

Ascertain the residential status of the assessees in the following cases for the Assessment Year 2020-21 :

(a) Ajay is a citizen of India. He left for Iran on 18th April, 2019 and could not return to India till the end of the Financial Year 2019-20.

(b) Gautam left for the U.S.A. on 10th March, 2017 after having lived in India for 20 years. He returned to India on 10th September, 2019. (**3.1**)

Ans. (a) Non-resident; (b) Ordinarily resident.

2. विदेशी खिलाड़ी मि. जॉन 2006-07 से प्रति वर्ष भारत में क्रिकेट खेलने आता है और भारत में 120 दिन रहता है। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी नैवासिक स्थिति क्या होगी ?

Mr. John, a foreign player comes India since 2006-07 every year to play cricket and stays here for 120 days. State his residential status for the Assessment Year 2020-21. (**3.2**)

Ans. Ordinarily Resident.

3. श्री अमिताभ बच्चन एक भारतीय नागरिक हैं। 1 अप्रैल, 2019 को एक फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका गए। शूटिंग के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें वहीं रुक जाना पड़ा। वे 25 सितम्बर, 2019 को भारत लौटे। 8 दिसम्बर, 2019 को उन्हें दुबारा अमेरिका जाना पड़ा और 15 फरवरी, 2020 को भारत वापस आए। क्या श्री अमिताभ बच्चन कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए भारत में निवासी होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Shree Amitabh Bachchan an Indian citizen went to America on 1st April, 2019 for a film shooting. Due to ill health, he had to stay there just after shooting. He came back to India on 25th September, 2019. He had to go

कॉपीराइट की गई सामग्री

again on 8th December, 2019 and returned India on 15th February, 2020. Is Shree Amitabh Bachchan resident in India for the Assessment Year, 2020-21? If not, why? **(3.3)**

Ans. Non-resident.

4. मि. एक्स भारत में 15 वर्ष रहने के पश्चात् 15 मार्च, 2017 को जापान गया। वह 31 अगस्त, 2019 को वापस आया। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी निवासीय स्थिति बताइए।
Mr. X left for Japan on 15th March, 2017 after staying in India for 15 years. He came back on 31st August, 2019. Determine his residential status for the Assessment Year 2020-21. **(3.4)**

Ans. Ordinarily Resident.

5. एक्स एक विदेशी नागरिक है। वह 1999 से प्रति वर्ष अप्रैल में 105 दिन के लिए भारत आता है। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी निवासीय स्थिति बताइए यदि (क) एक्स भारतीय मूल का नहीं है, और (ख) एक्स 1939 में पूना में पैदा हुआ था।
X is a foreign citizen. Since 1999, he comes to India every year in the month of April for 105 days. Find out the residential status of X for the Assessment Year 2020-21 if (a) X is not a person of Indian origin; and (b) X was born in Poona in 1939. **(3.5)**

Ans. (a) Ordinarily resident; (b) Non-resident.

6. 1.4.2016 को जर्मन नागरिक एक्स की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अफसर के पद पर भारत में नियुक्ति हुई। 31 जनवरी, 2017 को वह 3 वर्ष के लिए प्रत्यावेदन पर ईरान गया, परन्तु अपनी पत्नी एवं बच्चों को भारत में छोड़ गया। 1 मई, 2018 को वह भारत आया और 30 जून, 2018 को अपने परिवार को ले गया। वह 2 फरवरी, 2020 को भारत में वापस आया और अपने मौलिक पद को संभाला। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी निवासीय स्थिति निर्धारित कीजिए।
Mr. X, a German national, is appointed in India as a senior scientific officer on 1-4-2016. On 31st January, 2017 he goes to Iran on deputation for a period of three years but leaves his wife and children in India. On 1st May, 2018, he comes to India and takes with him his family on 30th June, 2018. He returns to India and joins his original job on 2nd February, 2020. Determine his residential status for the Assessment Year 2020-21. **(3.6)**

Ans. Non-resident.

7. मि. मेइत्रा यू. के. का नागरिक सर्वप्रथम 1.5.2013 को भारत आया। वह लगातार तीन वर्ष यहां रहा और 1.5.2016 को बांग्लादेश चला गया। वह 1.4.2017 को भारत वापस आया और 1.12.2017 को यू. के. चला गया। 20.1.2020 को उसको भारत वापस भेज दिया गया।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी निवासीय स्थिति बताइए।
Mr. Maitra a citizen of the U.K. came to India for the first time on 1-5-2013. He stayed here without any break for 3 years and left for Bangladesh on 1-5-2016. He returned to India on 1-4-2017 and went back to the U.K. on 1-12-2017. He was posted back to India on 20-01-2020.

Determine his residential status for the Assessment Year 2020-21. **(3.7)**

Ans. Ordinarily resident.

8. शिवाकुमार, एक भारतीय नागरिक 21.9.2019 को नौकरी के लिए USA जाता है। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए (यह मानते हुए कि वह पहले कभी भारत से बाहर नहीं गया), उसकी निवासीय स्थिति क्या होगी?
Shivakumar an Indian citizen, leaves India for the USA for a job on 21.9.2019. What will be his residential status for the Assessment Year 2020-21 if he has never left India earlier? **(3.8)**

Ans. Non-resident.

B. हिन्दू अविभाजित परिवार

9. राम हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता है। वह 1 मई, 2019 को विदेश गया। वह 10 फरवरी, 2020 को भारत लौटा। उसकी अनुपस्थिति में परिवार का व्यवसाय उसके भाई ने संभाला। हिन्दू अविभाजित परिवार का व्यवसाय भारत और चीन में स्थापित है। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति ज्ञात कीजिए।
Ram is *Karta* of Hindu Undivided Family. He went outside India on 1st May, 2019. He came back on 10th February, 2020. In his absence, the business of the family was controlled by his brother. The family has, business in India as well as in China. Determine the residential status of HUF for the Assessment Year 2020-21.

Ans. Ordinarily Resident. **(3.9)**

C. कम्पनी

10. A Ltd. एक विदेशी कम्पनी है। गत वर्ष 2019-20 में इसका प्रभावी प्रबन्ध का स्थान भारत में रहा है। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कम्पनी की निवासीय स्थिति निर्धारित कीजिए।
A Ltd. is a foreign company. In the Previous Year 2019-20, its place of effective management is in India. Determine the residential status of A Ltd. for the Assessment Year 2020-21. **(3.10)**

Ans. Resident.

कॉपीराइट की गई सामग्री

❑ आय की गणना

11. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए श्री रमेश की निम्न आयें हैं :

	₹
(i) लन्दन में स्थित सम्पत्ति से आय	40,000
(ii) लन्दन में की गयी सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से आय (गणना की गई)	28,000
(iii) लन्दन में स्थित व्यापार के लाभ जो भारत से नियन्त्रित है	1,20,000
(iv) कानपुर के व्यापार से लाभ	1,10,000
(v) भारत में कृषि आय	10,000

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री रमेश की आय की गणना कीजिए यदि वह भारत में :
(i) निवासी है, (ii) अनिवासी है।

Shri Ramesh has the following incomes for the Financial Year 2019-20 :

	₹
(i) Income from property situated in London	40,000
(ii) Income from salary received in India for services rendered in London (computed)	28,000
(iii) Profit from business in London controlled from India	1,20,000
(iv) Profit from Kanpur business	1,10,000
(v) Agricultural Income in India	10,000

Compute the income of Shri Ramesh for the Assessment Year 2020-21, if he is :
(i) resident, (ii) non-resident in India. **(3.11)**

Ans. (i) ₹ 2,98,000, (ii) ₹ 1,38,000.

12. मोहन की आय निम्नलिखित है :

(क) 10,000 ₹ भारत में प्राप्त हुआ जो इंग्लैण्ड में उपार्जित था;

(ख) 20,000 ₹ भारत में उपार्जित किया गया लेकिन इंग्लैण्ड में प्राप्त हुआ;

(ग) 10,000 ₹ अफ्रीका में उपार्जित एवं प्राप्त किया गया परन्तु भारत में लाया गया;

(घ) 28,000 ₹ जापान में एक ऐसे व्यापार में से उपार्जित एवं प्राप्त किया गया जो जापान में ही नियन्त्रित, व्यवस्थित एवं संचालित था तथा राशि भारत में नहीं लायी गयी;

(ङ) 16,000 ₹ किसी पूर्व के वर्ष की विदेशी आय थी जिस पर कर नहीं लगा था और जो गत वर्ष में भारत लायी गयी थी।

उपर्युक्त आयों में से कौन-सी आय कर-योग्य है, यदि मोहन :
(अ) निवासी, (ब) असाधारण निवासी, (स) अनिवासी है।

Following are the income of Mohan :

(a) Received ₹ 10,000 in India, which accrued in England;

(b) ₹ 20,000 earned in India but received in England;

(c) ₹ 10,000 were earned and received in Africa but brought to India;

(d) ₹ 28,000 were earned and received in Japan from a business which was controlled and managed in Japan and this amount was not brought to India;

(e) ₹ 16,000 was an untaxed foreign income of some earlier year, which was brought to India in the previous year.

Which of the above incomes are taxable, when Mohan is : (a) Resident, (b) Not Ordinarily Resident, (c) Non-Resident? **(3.12)**

Ans. (a) and (b) Taxable for all; (c) and (d) Taxable for Ordinarily Resident only; (e) Not taxable for any.

13. 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की श्री हनुमान प्रसाद की निम्न आयें हैं :

	₹
1. एक कम्पनी से भारत में वेतन से आय (गणना की गई)	50,000
2. एक भारतीय कम्पनी से लाभांश (सकल) इंग्लैण्ड में प्राप्त किया तथा वहीं खर्च किया	10,000
3. भारत में मकान-सम्पत्ति से आय पाकिस्तान में प्राप्त की	20,000
4. एक विदेशी कम्पनी से लाभांश इंग्लैण्ड में प्राप्त किया तथा वहीं एक बैंक में जमा किया	10,000
5. कोलकाता में व्यापार से आय, जिसका प्रबन्ध U.S.A. से होता है	20,000
6. U.S.A. में व्यापार से आय (जो कानपुर प्रधान कार्यालय से नियन्त्रित है)	12,000
7. आय ऑस्ट्रेलिया में कमाई गई और वहीं प्राप्त की, परन्तु भारत ले आई गई	25,000
8. उसके मामा ने उसे उसके विवाह पर उपहारस्वरूप फ्रांस से एक बैंक ड्राफ्ट भेजा	20,000

सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह (i) निवासी है, (ii) असाधारण निवासी है, (iii) अनिवासी है।

Shri Hanuman Prasad has the following incomes for the Previous Year ending on 31st March, 2020 :

	₹
1. Income from salary in India from a company (computed)	50,000
2. Dividend (gross) from an Indian Company received in England and spent there	10,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

3.	Income from house property in India received in Pakistan	20,000
4.	Dividend from a foreign company received in England and deposited in a bank there	10,000
5.	Income from business in Kolkata managed from U.S.A	20,000
6.	Income from a business in the U. S. A. (controlled from Kanpur Head Office)	12,000
7.	Income was earned in Australia and received there, but brought into India	25,000
8.	His maternal-uncle sent a Bank Draft from France as a gift to him on his marriage	20,000

Compute the gross total income, if he is (i) Resident, (ii) Not Ordinarily Resident, (iii) Non-resident. (**3.13**)

Ans. Gross Total Income : (i) Ordinarily Resident ₹ 1,37,000; (ii) Not Ordinarily Resident ₹ 1,02,000; (iii) Non-Resident ₹ 90,000.

नोट—रिश्तेदार से विवाह पर उपहार-स्वरूप भेंट कर-योग्य आय नहीं है।

14. भारतीय नागरिक डॉ. दिनेश (सरकारी कर्मचारी) की गत वर्ष 2019-20 की कर-योग्य आय निम्नलिखित है :

		₹
(i)	विदेश में सेवा करने के प्रतिफल में विदेश में ही प्राप्त वेतन से आय (गणना की गई)	50,000
(ii)	पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय	20,000
(iii)	भारतीय कम्पनी द्वारा विदेश में देय लाभांश (सकल)	10,000
(iv)	भारत में स्थित एक दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से आय	20,000
(v)	इंग्लैण्ड में बैंक जमा पर अर्जित ब्याज एवं प्राप्त ब्याज	5,000

डॉ. दिनेश की कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए सकल कुल आय की गणना कीजिए, यदि वह :

(i) निवासी है, (ii) असाधारण निवासी है, (iii) अनिवासी है।

Indian citizen Dr. Dinesh (Government employee) has the following taxable income for the Previous Year 2019-20 : ₹

(i)	Income from Salary received in foreign country for services (computed) rendered in that country	50,000
(ii)	Agricultural income from agriculture land situated in Pakistan	20,000
(iii)	Dividend (gross) by an Indian Company payable outside India	10,000
(iv)	Income from transfer of a long-term capital asset situated in India	20,000
(v)	Interest earned and received in England from bank deposits there	5,000

Compute gross total income of Dr. Dinesh for the Assessment Year 2020-21, if he is :

(i) Resident, (ii) Not ordinarily resident, (iii) Non-resident. (**3.14**)

Ans. (i) ₹ 95,000; (ii) ₹ 70,000; (iii) ₹ 70,000.

15. गत वर्ष 2019-20 के लिए मिस्टर प्रसाद ने निम्न विवरण प्रस्तुत किया है। यदि वह अनिवासी है तो उसकी सकल कुल आय की गणना कीजिए :

		₹
1.	भारत में प्राप्त 3 माह का वेतन (गणना किया गया)	9,000
2.	ब्रिटिश कम्पनियों से जर्मनी में प्राप्त लाभांश जिसमें से 3,000 ₹ भारत भेजे गये	22,000
3.	पाकिस्तान में व्यापार से आय जो भारत से नियन्त्रित है	10,000
4.	भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाते में जमा पर ब्याज	1,000
5.	भूत की बिना कर लगी हुई आय जो जापान में कमाई गई थी, भारत में लाई गई	20,000
6.	भारत में मकान-सम्पत्ति से आय (गणना की गई)	3,400

Mr. Prasad has furnished the following particulars from the Previous Year 2019-20. Calculate his gross total income if he is a non-resident : ₹

1.	Salary for 3 months received in India (Computed)	9,000
2.	Dividends received in Germany from British Companies out of which ₹ 3,000 were remitted to India	22,000
3.	Income from a business in Pakistan being controlled from India	10,000
4.	Interest on Saving Bank Deposits in State Bank of India	1,000
5.	Amount brought to India out of past untaxed profit earned in Japan	20,000
6.	Income from house property in India (Computed)	3,400

Ans. G.T.I. ₹ 13,400. (**3.15**)

16. वित्त वर्ष 2019-20 की श्री अमरनाथ की निम्न आयें हैं : ₹

(1)	इलाहाबाद बैंक, दिल्ली में बचत खाते का ब्याज	1,200
(2)	अफ्रीका में कृषि आय, इसे नेपाल में विनियोग किया	10,000
(3)	एक अमेरिकन कम्पनी से यू. के. में लाभांश प्राप्त किया। इसमें से 2,000 ₹ भारत भेजे गए	10,000
(4)	आस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास में तीन माह कार्य करने का वेतन से आय वहीं प्राप्त किया (गणना की गई)	72,000
(5)	मकान-सम्पत्ति से आय (मकान पाकिस्तान में है, इसमें से 10,000 ₹ पाकिस्तान में एक बैंक में जमा कराये तथा शेष भारत भेजे गए)	15,000
(6)	भारत में एक कम्पनी में कार्य करने की पेंशन बेल्जियम में प्राप्त की	20,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए सकल कुल आय की गणना कीजिए, यदि वह (क) निवासी, (ख) असाधारण निवासी, (ग) अनिवासी है।

Following are the incomes of Shri Amarnath for the Financial Year 2019-20 : ₹

1. Interest on Savings Bank Deposit in Allahabad Bank, Delhi 1,200
2. Income from agriculture in Africa invested in Nepal 10,000
3. Dividends received in the U.K. from an American Company, out of which ₹ 2,000 were remitted to India 10,000
4. Salary income for three months for working in the Indian Embassy's Office in Australia and salary received there (computed) 72,000
5. Income from house property (The building is situated in Pakistan, out of which ₹ 10,000 deposited in a bank in Pakistan and the balance remitted to India) 15,000
6. Pension income in Belgium for services rendered in India with a limited company 20,000

You are required to compute his gross total income for the Assessment Year 2020-21 if he is (a) Resident, (b) Not ordinarily resident, and (c) Non-resident. (**3.16**)

Ans. (a) ₹ 1,28,200; (b) ₹ 93,200; (c) ₹ 93,200.

17. वित्त वर्ष 2019-20 की मि. दर्शन की निम्न आयें हैं : ₹

(i) पेरिस में व्यवसाय से आय, जो भारत से नियन्त्रित होता है, इसकी आधी आय भारत में प्राप्त हुई 1,60,000

(ii) भारत में पुराने नियोक्ता से U.S.A. में पेंशन से आय (गणना की गई) 32,000

(iii) पाकिस्तान में कृषि आय, भारत लाई गई 40,000

(iv) यू. के. में सम्पत्ति से आय, वहीं प्राप्त की 32,000

(v) भूत की बिना कर लगी हुई विदेशी आय गत वर्ष में भारत लायी गयी 40,000

(vi) एक रिश्तेदार से विदेशी मुद्रा में उपहार भारत में प्राप्त किया 80,000

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मि. दर्शन की सकल कुल आय की गणना कीजिए, यदि वह (क) निवासी, (ख) असाधारण निवासी, (ग) अनिवासी है।

Mr. Darshan earns the following incomes during the Financial Year 2019-20 : ₹

(i) Profits earned from business in Paris which is controlled from India, half of the profits being received in India 1,60,000

(ii) Income from a pension from a former employer in India, received in the U.S.A. (computed) 32,000

(iii) Income from agriculture in Pakistan and brought to India 40,000

(iv) Income from the property in the U.K. and received there 32,000

(v) Past untaxed foreign income brought into India during the previous year 40,000

(vi) Gift in foreign currency from a relative received in India 80,000

Determine the Gross Total Income of Mr. Darshan for the Assessment Year 2020-21, if he is :

(A) Resident, (B) Not ordinarily resident and (C) Non-resident. (**3.17**)

Ans. (A) ₹ 2,64,000; (B) ₹ 1,92,000; (c) ₹ 1,12,000.

18. श्री अशोक, जो कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए भारत में असाधरण निवासी है, की निम्न आयें हैं : ₹

(a) U.S.A. में व्यवसाय से आय, भारत में प्राप्त की 1,00,000

(b) भारत में एक फर्म के लाभों में हिस्सा 50,000

(c) U.S.A. में मकान-सम्पत्ति से आय, वहीं जमा कराई 60,000

(d) श्रीलंका में कृषि आय, भारत में प्राप्त की 40,000

(e) भूत की बिना कर लगी हुई विदेशी आय गत वर्ष 2019-20 में भारत लाई गयी 1,20,000

(f) यू. के. में व्यवसाय से आय, जो भारत से नियन्त्रित होता है, इसे यू.के. में एक बैंक में जमा कराया 70,000

श्री अशोक की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

Particulars of income of Shri Ashok who is resident but not ordinarily resident for the Assessment Year 2020-21 is given below : ₹

(a) Profit from business in the U.S.A. received in India 1,00,000

(b) Share of profit from a firm in India 50,000

(c) Income from house property in the U.S.A. deposited there 60,000

(d) Income from agriculture in Sri Lanka received in India 40,000

(e) Past untaxed foreign income brought to India during the Previous Year 2019-20 1,20,000

(f) Profit from business in the U. K. which is controlled from India but deposited in a Bank Account in the U.K. 70,000

Calculate Gross Total Income of Shri Ashok. (**3.18**)

Ans. ₹ 2,10,000.

कॉपीराइट की गई सामग्री

19. श्री भरत पाठक ने निम्न जानकारियां दीं :

(i) श्री पाठक 10 जनवरी, 2009 को प्रथम बार जापान गए तथा वहां से 22 जून, 2009 को भारत लौटे।

(ii) 30 सितम्बर, 2012 को वे इंग्लैण्ड गए तथा वहां से 90 दिन बाद भारत लौटे।

(iii) 16 जुलाई, 2015 को श्रीलंका गए तथा वहां 100 दिन रहकर भारत लौटे।

(iv) 2 दिसम्बर, 2017 को 85 दिनों के लिए नेपाल गए।

(v) गत वर्ष 2019-20 में वे 180 दिन भारत के बाहर रहे।

गत वर्ष में वे अपनी आयों का निम्न ब्यौरा देते हैं :

(i) श्रीलंका में की गई सेवाओं का भारत में प्राप्त कमीशन 1,40,000 ₹

(ii) नेपाल में स्थित मकान की आय भारत में प्राप्त की 1,01,000 ₹

(iii) इंग्लैण्ड की एक कम्पनी से भारत में प्राप्त लाभांश 75,000 ₹

(iv) जापान के व्यापार का लाभ भारत लाया गया 5,00,000 ₹।

श्री पाठक का कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 में निवास स्थान निर्धारित कीजिए तथा बताइए कि उन्हें कौन-सी आयों पर भारत में कर देना होगा।

(**नोट**—गणनाएं दर्शाई जाएं।)

Mr. Bharat Pathak gives the following information :

(i) Mr. Pathak first time went to Japan on 10th January, 2009 and came back to India on 22nd June, 2009.

(ii) On 30th September, 2012 he went to England and came back to India after 90 days.

(iii) On 16th July, 2015 he had gone to Srilanka and came back to India after staying 100 days.

(iv) On 2nd December, 2017 he had gone to Nepal for 85 days.

(v) In the Previous year 2019-20, he was out of India for 180 days.

He submits the following details of his incomes for the previous year :

(i) Commission received in India for the services given in Sri Lanka ₹ 1,40,000.

(ii) Income from House Property situated in Nepal received in India ₹ 1,01,000.

(iii) Dividend of an England based company received in India ₹ 75,000.

(iv) Profit of the business situated in Japan brought to India ₹ 5,00,000.

Determine the residential status of Mr. Pathak for the Assessment Year 2020-21 and explain that on which income he is liable to pay tax in India. (**3.19**)

(*Note* : Show the working.)

Ans. Ordinarily Resident. Total Income. ₹ 8,16,000.

20. अदिति 10 दिसम्बर, 2013 को प्रथम बार भारत के बाहर जापान गईं। वे जापान से 1 अप्रैल, 2015 को भारत लौटीं। 15 अक्टूबर, 2017 को वे अमेरिका गईं तथा 1 अप्रैल, 2018 को भारत लौटीं। गत वर्ष 2019-20 में वे भारत में 62 दिन थीं।

गत वर्ष 2019-20 में उनकी आयें निम्न थीं :

(i) सम्पत्ति की बिक्री पर पूंजीलाभ 4,50,000 ₹, भारत में प्राप्त किए। सम्पत्ति जापान में है। पूंजी लाभ का 50% जापान भेजा।

(ii) जापान स्थित मकान-सम्पत्ति से आय 2,52,000 ₹, 50% भारत में प्राप्त शेष वहीं के बैंक में जमा।

(iii) अमेरिका स्थित व्यापार का लाभ ₹ 8,40,000 (व्यापार का नियन्त्रण भारत से होता है।)

(iv) अमेरिकन कम्पनी का लाभांश 2,50,000 ₹, इनमें से 40% भारत में प्राप्त किया तथा शेष जापान में।

गत वर्ष 2019-20 के लिए अदिति के निवास का निर्धारण कीजिए तथा उस आधार पर बताइए कि उनकी कर योग्य आय क्या होगी ?

Aditi went first time out of India to Japan on 10th December, 2013. She came back to India from Japan on 1st April, 2015. On 15th October, 2017, she went to America and came back to India on 1st April, 2018. In the Previous Year 2019-20, she was in India for only 62 days.

She has the following incomes in the Previous Year 2019-20 :

(i) Capital gains on the sale of property received in India ₹ 4,50,000. The property is situated in Japan. 50% of capital gains was sent to Japan.

(ii) Income from House property situated in Japan ₹ 2,52,000, 50% was received in India and remaining was deposited there in a bank.

(iii) Profit of a business situated in America ₹ 8,40,000 (This business was controlled from India.)

(iv) Dividend from a American company ₹ 2,50,000 of this 40% was received in India and remaining in Japan.

You are required to determine the residential status of Aditi for the Previous Year 2019-20 and on the basis of residential status determine her Taxable Income. (**3.20**)

Ans. Ordinarily resident Taxable Income ₹ 17,92,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

21. कुन्दन खान एक भारतीय नागरिक है। वह 15 अगस्त, 2019 को जापान में नौकरी करने हेतु भारत से बाहर गया एवं 1 मार्च, 2020 को अपने परिवार से मिलने भारत वापस आया। गत वर्ष में उसकी आय का विवरण निम्न है :

1. जापान में वेतन से आय 1,60,000 ₹ (गणना की गई)।
2. एक भारतीय कम्पनी के ऋणपत्रों का ब्याज सकल 18,000 ₹ जापान में प्राप्त किया।
3. राजस्थान में स्थित मकान-सम्पत्ति की कर-योग्य आय 18,500 ₹।
4. एक विदेशी कम्पनी के अंशों का लाभांश 7,500 ₹ विदेश में प्राप्त किया।
5. राजस्थान में स्थित कृषि भूमि से आय 13,500 ₹।
6. जापान की फर्म से प्राप्त ब्याज 9,200 ₹ जापान में प्राप्त किया तथा बाद में भारत भेजा।
7. राजस्थान में व्यापार से आय (a) 1 अप्रैल, 2019 से 31 जुलाई, 2019 तक का 48,000 ₹, (b) 1 अगस्त, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक 60,000 ₹।
8. सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त भुगतान 10,000 ₹।
9. भारतीय साझेदारी फर्म से आय 20,000 ₹।
10. भारतीय कम्पनी से लाभांश 5,000 ₹ (सकल)।
11. भारतीय कृषि आय 12,000 ₹।

निवास स्थिति तथा सकल कुल आय बताइए।

Kundan Khan is an Indian citizen. He went out of India on 15th Aug. 2019 for a service in a company in Japan and came back to India on 1st March, 2020 to meet his family. During the Previous Year his details of receipts were as follows :

1. Income from salary in Japan ₹ 1,60,000 (computed).
2. Interest on debenture of an Indian company received in Japan ₹ 18,000 (Gross).
3. Taxable income from house property in Rajasthan ₹ 18,500.
4. Dividend on shares of foreign company ₹ 7,500, received out of India.
5. Agricultural income, land situated in Rajasthan ₹ 13,500.
6. Interest received from a firm in Japan, remitted to India ₹ 9,200.
7. Income from a business in Rajasthan : (a) From 1st April, 2019 to 31st July, 2019 ₹ 48,000, (b) from 1st Aug., 2019 to 31st March, 2020 ₹ 60,000.
8. Payment from Public Provident Fund ₹ 10,000.
9. Income from Indian partnership firm ₹ 20,000.
10. Dividend from Indian company ₹ 5,000. (Gross).
11. Indian Agricultural income ₹ 12,000.

Determine his Residential status and Gross Total Income. **(3.21)**

Ans. Non-resident; ₹ 1,44,500.

लघु अंकीय प्रश्न

(SHORT NUMERICAL QUESTIONS)

1. मि. X, जो विदेशी है, सर्वप्रथम भारत में 15 जून, 2014 को आया। वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में वह भारत में क्रमशः 120 दिन, 115 दिन, 15 दिन, 191 दिन, 54 दिन तथा 80 दिन रहा। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 हेतु उसकी निवासीय स्थिति बताइए।

Mr. X, who is a foreigner, comes to India for the first time on June 15, 2014. During the Financial Years 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 he stays in India for 120 days, 115 days, 15 days, 191 days, 54 days and 80 days respectively. Determine his residential status for the Assessment Year 2020-21. **(S.Q. 3.1)**

[**Ans** : N.O.R.]

2. नियोक्ता द्वारा प्रकाश को U.S.A. में प्रशिक्षण के लिए प्रवर्तित किया गया। वह 3 जून, 2019 को गया एवं 5 अप्रैल, 2020 को वापस आया। यह मानते हुए, कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी निवासीय स्थिति निर्धारित कीजिए कि वह इससे पूर्व कभी भी भारत से बाहर नहीं गया।

Prakash was sponsored by his employer for some training in the U.S.A. He left India on 3rd June, 2019. He came back to India on 5th April, 2020. Determine his residential status for the Assessment Year 2020-21 assuming that he did not go out of India previously. **(S.Q. 3.2)**

[**Ans.** OR.]

कॉपीराइट की गई सामग्री

3. हेन्स (West Indian) पहली बार 10.1.2016 को भारत आया और 15.9.2016 को आस्ट्रेलिया चला गया। वह फिर 1.5.2019 को भारत आया और 15.7.2019 को दक्षिण अफ्रीका चला गया। गत वर्ष 2019-20 के लिए उसकी निवासीय स्थिति ज्ञात कीजिए।
Heynes, a West Indian, came to India for the first time on 10.1.2016 and left for Australia on 15.9.2016. He again came to India on 1.5.2019 to leave for South Africa on 15.7.2019. Determine his status for the Previous Year 2019-20. **(S.Q. 3.3)**

[**Ans.** NR.]

4. मि. रामलाल एक भारतीय नागरिक है। वह यू. एस. ए. में एक शोध कार्य के सम्बन्ध में 15 अगस्त, 2019 को प्रथम बार भारत से बाहर गये और 26 जनवरी, 2020 को भारत वापस आये। गत वर्ष के दौरान उन्होंने निम्नलिखित प्राप्त किया :

	₹
(i) यू.एस.ए. में वेतन	1,60,000
(ii) भारत में वेतन	1,00,000
(iii) एक भारतीय कम्पनी के ऋणपत्रों पर ब्याज (सकल)	18,000
(iv) एक विदेशी कम्पनी के अंशों पर लाभांश (शुद्ध)	7,000
(v) सार्वजनिक भविष्य निधि से भुगतान	10,000

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनका निवासीय स्तर और कुल आय ज्ञात कीजिए।
Mr. Ram Lal is an Indian citizen. He went out of India first time on 15th August, 2019 in connection with research work in the U.S.A. and came back to India on 26th January, 2020. During the financial year he received the following :

	₹
(i) Salary in the U.S.A.	1,60,000
(ii) Salary in India	1,00,000
(iii) Interest on debentures of an Indian Co. (Gross)	18,000
(iv) Dividend on the share of Foreign Co. (Net)	7,000
(v) Payment from public provident fund	10,000

Determine his residential status and his total income for the Assessment Year 2020-21. (**S.Q. 3.4**)

[**Ans.** Ordinarily resident and T.I. ₹ 2,35,000.]

नोट : वेतन से आय (1,60,000 + 1,00,000 – 50,000 = 2,10,000)

5. भारतीय नागरिक एवं व्यवसायी श्री अनुज, भोपाल निवासी हैं, पहली बार रोजगार के उद्देश्य से 8 अगस्त, 2019 को लन्दन गये तथा वे 31 अक्टूबर, 2020 को भारत लौटे। श्री अनुज इसके पहले कभी भी भारत से बाहर नहीं गये थे।
कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अनुज की निवासीय स्थिति का निर्धारण कीजिए। यदि वे भ्रमण के लिए लन्दन जाते तो आपका उत्तर क्या होता ?
An Indian citizen and businessman Mr. Anuj who resides in Bhopal went to London for the first time for employment purpose on 8th August, 2019 and came back to India on 31st October, 2020. Mr. Anuj has not been out of India in the past.

Determine the residential status of Mr. Anuj for the Assessment Year 2020-21. If he has gone to London on a leisure trip what will be your answer? (**S.Q. 3.5**)

[**Ans.** (a) Non-resident, (b) Ordinarily resident.]

कॉपीराइट की गई सामग्री

4

कर से छूटें
(EXEMPTIONS FROM TAX)

कर-मुक्त आयें
(NON-TAXABLE INCOME)

कर-मुक्त आय से आशय उस आय से है जो न कुल आय में जोड़ी जाती है और न उस पर आय कर लगता है।

आय कर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, किसी व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय में निम्न प्रकार की आयें सम्मिलित नहीं की जातीं और न उन पर कर लगता है। कर-मुक्त आयों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

(क) प्रत्येक करदाता के लिए; (ख) कर्मचारियों के लिए; (ग) संस्थाओं के लिए।

(क) प्रत्येक करदाता के लिए (जो अन्य श्रेणियों में न आता हो)
[FOR ALL ASSESSEES (NOT COVERED UNDER (ख) OR (ग)]

(1) **कृषि आय** (Agricultural Income)—यदि कृषि भूमि भारत में स्थित है तो यह आय कर-मुक्त है। विस्तृत अध्ययन के लिए देखें अध्याय 'कृषि आय'। **[धारा** 10(1)]

(2) **हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशियां** (Sums received from H.U.F.)—हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में से प्राप्त धनराशि पूर्णतया कर-मुक्त है (चाहे परिवार द्वारा आय कर देय है अथवा नहीं)। **[धारा** 10(2)]

(3) **फर्म से एक साझेदार की आय का भाग** (Share of income of a partner from the firm)—फर्म से एक साझेदार की आय का भाग कर-मुक्त होता है, क्योंकि फर्म अपनी कुल आय पर स्वयं कर चुकाती है। **[धारा** 10(2A)]

यदि साझेदार को अपनी फर्म से कोई ब्याज, बोनस, कमीशन अथवा वेतन, आदि प्राप्त होता है तो ऐसी आय उस सीमा तक कर-मुक्त नहीं होगी जितनी फर्म को कटौती मिली है वरन् उसकी व्यक्तिगत कुल आय में 'व्यापार अथवा पेशे से आय' के शीर्षक में शामिल होगी।

साझेदारी का फर्म के लाभ में भाग साझेदारी प्रलेख में लिखे हुए अनुपात में निकाला जाएगा।

(4) **भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान** (Payments under Bhopal Gas Leak Disaster Act, 1985)—भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतया कर-मुक्त होगी। **[धारा** 10(10BB)]

(5) **विपत्ति पर क्षतिपूर्ति** (Compensation on disaster)—यदि किसी व्यक्ति (individual) या उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता से विपत्ति पर कोई राशि प्राप्त होती है या प्राप्य है तो वह कर-मुक्त होगी। **[धारा** 10 (10BC)]

यदि विपत्ति के कारण कोई हानि हुई है या क्षति हुई है और उसकी पूर्ति के रूप में इस अधिनियम के अन्तर्गत कटौती दी गई है तो उतनी राशि कर-मुक्त नहीं होगी जितनी कटौती दी गई है।

(6) **जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि** (Life Insurance Money)—जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि (बोनस सहित) कर से मुक्त होती है। **[धारा** 10(10D)]

अपवाद (i) Keyman बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन कर-मुक्त नहीं है।

(ii) किसी बीमा पॉलिसी (जो 31.3.2003 के पश्चात परन्तु 1.4.2012 से पूर्व जारी की गई है) जिसके लिए पॉलिसी की अवधि में किसी वर्ष में देय प्रीमियम की राशि, वास्तविक बीमा पूंजी राशि के 20% से अधिक है तो यह राशि कर-मुक्त नहीं है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(iia) किसी बीमा पॉलिसी (जो 31.3.2012 के पश्चात् जारी की गई है) जिसके लिए पॉलिसी की अवधि में किसी वर्ष में देय प्रीमियम की राशि, वास्तविक बीमा पूंजी राशि के 10% से अधिक है, तो यह राशि कर-मुक्त नहीं है।

(iib) किसी बीमा पॉलिसी (जो 31.3.2013 के पश्चात् जारी की गई है), जिसके लिए पॉलिसी की अवधि में किसी वर्ष में देय प्रीमियम की राशि, वास्तविक बीमा पूंजी राशि के 15% से अधिक है, बशर्ते पॉलिसी निम्न किसी व्यक्ति के जीवन पर ली गई है :

(क) निःशक्त व्यक्ति या गम्भीर निःशक्त व्यक्ति,

(ख) धारा 80DDB में वर्णित निर्धारित रोग या व्याधि से पीड़ित व्यक्ति।

यदि यह राशि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्राप्त होती है तो कर-योग्य नहीं होगी।

(7) **सुकन्या समृद्धि खाते में से भुगतान** (Any payment from Sukanya Samriddhi Account)। [**धारा** 10(11A)]

(8) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा भुगतान** (Payment from National Pension System Trust) [**धारा** 10(12A)]

करदाता द्वारा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (धारा 80CCD में वर्णित) में अपना खाता बन्द करने या उससे बाहर निकलने का विकल्प देने पर जो राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से प्राप्त होगी उसकी 60% तक की राशि कर-मुक्त होगी।

(9) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में से आंशिक राशि निकालना** (Partial withdrawal from National Pension System Trust)। [**धारा** 10(12B)]

यदि कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में से अपने अभिदाय की 25% तक की राशि निकालता है तो यह कर-मुक्त होगी।

(10) **भिन्न-भिन्न प्रकार के ब्याज** (Interest of different types)—निम्न ब्याज आय कर से पूर्णतया मुक्त हैं : [**धारा** 10(15)]

(i) सरकार द्वारा निर्गमित एवं अधिसूचित प्रतिभूतियों, बॉण्डों अथवा प्रमाण-पत्रों, आदि पर ब्याज तथा उनके शोधन पर प्रब्याजि बशर्ते इन्हें 1.6.2001 से पूर्व जारी किया गया हो।

(ii) पूर्णतया कर-मुक्त घोषित ब्याज :

(a) 1.6.2002 से पूर्व जारी 7% Capital Investment Bonds पर ब्याज;

(b) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉण्ड, 1980 पर ब्याज;

(c) स्पेशल बीयरर बॉण्ड्स, 1991 पर ब्याज;

(d) पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट पर ब्याज;

(e) डाकखाने के बचत खाते पर ब्याज;

(i) व्यक्तिगत खाते (Individual account) पर अधिकतम कर-मुक्त राशि 3,500 ₹ होगी।

(ii) संयुक्त खाते (Joint account) पर अधिकतम कर-मुक्त राशि 7,000 ₹ होगी।

(f) सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कम्पनी द्वारा ऐसे बॉण्डों अथवा ऋणपत्रों पर देय ब्याज जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा कर-मुक्त घोषित कर दिया हो;

(g) सरकार द्वारा ऐसी जमा राशियों पर देय ब्याज, जो सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के किसी कर्मचारी ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनायी गयी स्कीम के अनुसार, अपनी सेवानिवृत्ति पर प्राप्त धन में से जमा किया हो। यह जमा कम-से-कम तीन वर्ष के लिए होगा;

(h) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण निक्षेप योजना, 1999 के अन्तर्गत जारी किए गए स्वर्ण निक्षेप बॉण्ड्स या स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के अन्तर्गत जारी किए गए जमा प्रमाणपत्र (Deposit certificate) पर ब्याज;

(i) ऐसे बॉण्ड्स पर ब्याज (a) जो किसी स्थानीय प्राधिकरण या State Pooled Finance Entity द्वारा जारी किए गए हैं; तथा (b) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं;

(j) भारत में अनिवासी या असाधारण निवासी को Offshore Banking Unit में 31.3.2005 के पश्चात् जमा की गई राशि पर प्राप्त ब्याज।

(11) **शिक्षा छात्रवृत्तियां** (Educational Scholarships)—छात्रवृत्तियां जो शिक्षा के व्यय के लिए मिलती हैं, जो चाहे सरकार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा दी जायें। यदि छात्रवृत्ति की सारी राशि शिक्षा पर व्यय नहीं होती तो भी सारी राशि कर-मुक्त है। [**धारा** 10(16)]

(12) **संसद सदस्यों तथा राज्यों के विधानमण्डल के सदस्यों के भत्ते** (Allowances of M.P.s., M.L.As. and M.L.C.s) [**धारा** 10(17)]

(i) संसद या किसी राज्य के विधानमण्डल या इनकी किसी कमेटी के सदस्यों को जो दैनिक भत्ते मिलते हैं (यह सम्पूर्ण राशि पूर्णतया कर-मुक्त होती है);

(ii) संसद के सदस्यों को प्राप्त अन्य सब भत्ते कर-मुक्त होते हैं; तथा

कॉपीराइट की गई सामग्री

(iii) राज्य विधानमण्डल के सदस्यों को प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पूर्णरूपेण कर-मुक्त होगा।

(13) **पुरस्कार** (Awards)—पुरस्कार चाहे नकद मिलें अथवा वस्तु के रूप में मिलें, पूर्णतया कर-मुक्त होते हैं : [**धारा** 10(17A)]

(i) लोक हित में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा दिया गया पुरस्कार बशर्ते कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदित हो; अथवा

(ii) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए दिया गया कोई इनाम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक हित में अनुमोदित हो।

वाक्यांश (ii) के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सैनिक पेंशन योजना, 1980 अनुमोदित की गई है।

(14) **शौर्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति की पेंशन** (Pension of gallantry awardee)—किसी ऐसे व्यक्ति को जो केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा है और जिसे 'परमवीर चक्र' या 'महावीर चक्र' या अन्य अधिसूचित शौर्य पुरस्कार मिला है। [**धारा** 10(18)]

(15) **पारिवारिक पेंशन** (Family Pension)—संघ (union) के सशस्त्र बल या अर्द्धसैनिक बल के किसी सदस्य की विधवा या उसके बच्चे या नामांकित वारिस को प्राप्त पारिवारिक पेंशन कर-मुक्त होगी, बशर्ते बल के सदस्य की मृत्यु संक्रियात्मक कर्तव्य के दौरान ऐसी परिस्थितियों में हुई है जो विहित की जाएं। [**धारा** 10(19)]

(16) **भारतीय रियासतों के शासकों के एक महल का वार्षिक मूल्य** (Annual value of one palace of Rulers of Indian States)—भारतीय रियासत के किसी शासक के एक महल का वार्षिक मूल्य पूर्णतया कर-मुक्त होगा। यदि महल का कोई भाग किराये पर उठा दिया गया हो तो उस भाग का वार्षिक मूल्य कर-मुक्त नहीं होगा। [**धारा** 10(19A)]

(17) **अनुसूचित जनजातियों की आय** (Income of Scheduled Tribes)—अनुसूचित जनजातियों के उन सदस्यों की निम्न आय जो ट्राइबल क्षेत्र (Tribal areas) में अथवा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों अथवा जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में रहते हों, पूर्णतया कर-मुक्त है : [**धारा** 10(26)]

(i) ऐसी आय जो उपर्युक्त ट्राइबल क्षेत्र अथवा राज्यों में उदय हुई हो; अथवा

(ii) लाभांश अथवा प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय जो किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हुई हो।

(18) **सिक्किमी की आय** (Certain income of Sikkimese)—यदि एक व्यक्ति सिक्किमी होने की शर्तें पूरी करता है तो उसकी निम्न आय कर-मुक्त होगी : [**धारा** 10(26AAA)]

(क) सिक्किम राज्य में किसी स्रोत से आय; या

(ख) लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय।

अपवाद—यदि सिक्किमी स्त्री 1.4.2008 के पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जो सिक्किमी नहीं है तो उसे कर छूट नहीं मिलेगी।

(19) कृषि उपज मार्केट कमेटी या बोर्ड की कोई आय, जिसकी स्थापना कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के लिए की गई है। [**धारा** 10(26AAB)]

(20) Tea Board **से प्राप्त सहायता**—भारत में चाय का उत्पादन तथा निर्माण करने वाले करदाता को Tea Board या इसके माध्यम से निम्न कार्यों के लिए जो राशि प्राप्त होती है वह कर-मुक्त है : [**धारा** 10(30)]

(i) चाय के पौधों को दुबारा लगाने अथवा नवीनीकरण करने; अथवा

(ii) चाय की खेती की भूमि के नवीनीकरण या समेकन करने के लिए।

इस छूट को प्राप्त करने के लिए करदाता को अपनी आय के विवरण के साथ Tea Board का सहायता राशि प्रमाण-पत्र भी दाखिल करना होगा।

(21) **पौधे लगाने वालों द्वारा प्राप्त सहायता** (Subsidy received by Planters)—रबड़, कॉफी, इलायची अथवा अन्य किसी अधिसूचित वस्तु का भारत में उत्पादन तथा निर्माण करने वाले करदाता को निम्न कार्यों के लिए रबड़ बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड से यदि कोई आर्थिक सहायता प्राप्त हो तो ऐसी सहायता से प्राप्त धन पूर्णतया कर-मुक्त होगा : [**धारा** 10(31)]

(i) उपर्युक्त प्रकार के पौधे पुनः लगाने अथवा उनका प्रतिस्थापन करने हेतु; अथवा

(ii) इन वस्तुओं की खेती के लिए प्रयोग होने वाली भूमि के नवीनीकरण अथवा समेकन करने हेतु।

(22) **अवयस्क बच्चे की आय** (Income of a minor child)—यदि किसी व्यक्ति (अवयस्क बच्चे का अभिभावक) की कुल आय में उसके अवयस्क बच्चे अथवा बच्चों (लड़का अथवा लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है) की आय शामिल है तो उसे ऐसे प्रति बच्चे के सम्बन्ध में वास्तव में शामिल हुई आय अथवा 1,500 ₹, जो दोनों में कम हो, पर कर से छूट मिलेगी।

कॉपीराइट की नई सामग्री

उदाहरणार्थ, श्री कृष्ण कान्त के तीन पुत्र हैं जो सब अवयस्क हैं। माना कि उनकी गत वर्ष की आय 4,000 ₹, 6,000 ₹ तथा 9,000 ₹ है जो श्री कृष्ण कान्त की कुल आय में शामिल की जानी है। इस दशा में श्रीकृष्ण कान्त को $1,500 \times 3 = 4,500$ ₹ की छूट मिलेगी और शेष 14,500 ₹ उसकी कुल आय में शामिल किए जाएंगे। [**धारा** 10(32)]

(23) **यूनिट स्कीम** 1964 **के यूनिट के अन्तरण से आय** (Income from Units of Units Scheme)—भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट स्कीम 1964 के यूनिट (पूंजी सम्पत्ति) के अन्तरण से होने वाला लाभ कर-मुक्त होगा बशर्ते इनका अन्तरण 1.4.2002 के पश्चात् किया जाए। [**धारा** 10(33)]

(24) **लाभांश आय** (Dividend Income)—किसी घरेलू कम्पनी से लाभांश की आय कर-मुक्त होगी। [**धारा** 10(34)]

लाभांश वितरण कर को हटा दिया गया हैं और लाभांश पर कर अब यूनिट धारक/अंश धारक के द्वारा देय है। (1-4-2020 से प्रभावी) [**धारा** 10(34)/35]

घरेलू कम्पनी को छोड़कर यदि भारत में निवासी को गत वर्ष में दस लाख ₹ से अधिक का लाभांश मिलता है तो इस पर 10% की दर से कर लगेगा। (धारा 115 BBDA)

(25) यदि घरेलू कम्पनी शेयर धारक से शेयर क्रय द्वारा वापस लेती है, तो शेयर धारक को इससे होने वाली आय कर-मुक्त होगी। [**धारा** 10(34A)]

(26) **यूनिट्स से आय** (Income from Units); [**धारा** 10(35)]

(i) धारा 10(23D) में वर्णित पारस्परिक कोष के यूनिट्स पर प्राप्त आय;

(ii) प्रशासक से यूनिटों पर प्राप्त आय,

(iii) निर्दिष्ट कम्पनी से यूनिटों पर प्राप्त आय,

परन्तु यूनिट्स के अंतरण से होने वाला लाभ कर-मुक्त नहीं होगा।

लाभांश वितरण कर को हटा दिया गया हैं और लाभांश पर कर अब यूनिट धारक/अंश धारक के के द्वारा देय है। (1-4-2020 से प्रभावी) [**धारा** 10(34)/35]

(27) **साधारण अंशों के अंतरण से लाभ** (Income from Equity Shares)—किसी कम्पनी के भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचित (listed) साधारण अंश के अन्तरण से होने वाला दीर्घकालीन पूंजी लाभ, बशर्ते ये अंश 28.2.2003 के पश्चात्, परन्तु 1.3.2004 से पूर्व खरीदे गए हैं और इन्हें अपने पास बारह माह या इससे अधिक अवधि के लिए रखा गया है। [**धारा** 10(36)]

(28) **कृषि भूमि के अन्तरण से पूंजी लाभ** (Capital gains on Transfer of Agricultural Land)—निम्न शर्तें पूरी होने पर पूंजी लाभ कर-मुक्त होगा : [**धारा** 10(37)]

(i) करदाता एक व्यक्ति (individual) या हिन्दू अविभाजित परिवार है;

(ii) कृषि भूमि नगर क्षेत्र में स्थित है;

(iii) भूमि, अन्तरण की तिथि से पूर्व दो वर्ष की अवधि में हिन्दू अविभाजित परिवार या व्यक्ति या व्यक्ति के माता-पिता द्वारा कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जा रही थी;

(iv) भूमि किसी अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अधिगृहीत की गई है या उसके प्रतिफल का निर्धारण या अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है;

स्पष्टीकरण—प्रतिफल या क्षतिपूर्ति में किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया गया प्रतिफल या क्षतिपूर्ति शामिल है।

(29) **आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कर प्रोत्साहन** (Tax incentive for development of Capital of Andhra Pradesh) [**धारा** 10(37A)]

कर छूट किसे मिलेगी—एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार जो 2.6.2014 को सम्पत्ति का मालिक था।

पूंजी लाभ की कर-मुक्ति की शर्तें—(1) करदाता पूंजी सम्पत्ति आन्ध्र प्रदेश राजधानी नगर लैंड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत अन्तरित करता है।

(2) पूंजी सम्पत्ति के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त प्लॉट या भूमि को, जिस वित्तीय वर्ष में उसे यह मिली है उसकी समाप्ति से दो वर्ष में, अन्तरित करता है तो इससे होने वाला पूंजी लाभ कर-मुक्त होगा।

स्पष्टीकरण—पूंजी सम्पत्ति में निम्न शामिल है :

(क) भूमि या भवन या दोनों; या

(ख) करदाता को भूमि या भवन या दोनों के प्रतिफल में इस योजना के अन्तर्गत जारी लैंड पूलिंग स्वामित्व प्रमाणपत्र।

(30) **अन्तर्राष्ट्रीय खेल** (International Sporting Event) **से आय**—अन्तर्राष्ट्रीय खेल से होने वाली आय कर-मुक्त होगी बशर्ते : [**धारा** 10(39)]

(i) ऐसा खेल उस अन्तर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए जो उस प्रकार के खेल का नियमन करती है;

कॉपीराइट की गई सामग्री

(ii) इस खेल में दो से अधिक देशों ने भाग लिया हो;

(iii) ऐसी आय केन्द्रीय सरकार द्वारा कर-मुक्त अधिसूचित की जाए।

(31) **सहायक कम्पनी की आय** (Income of Subsidiary Company)—एक सहायक कम्पनी को भारतीय सूत्रधारी कम्पनी से प्राप्त अनुदान या अन्य प्राप्त राशि कर-मुक्त होगी बशर्ते : [**धारा** 10(40)]

(i) (क) भारतीय सूत्रधारी कम्पनी विद्युत् उत्पादन, पारेषण या वितरण कार्य में लगी है;

(ख) ऐसी कम्पनी 30.11.2005 से पूर्व स्थापित की गई है;

(ग) इस कम्पनी के 50% से अधिक साधारण अंश सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के पास हैं;

(घ) कम्पनी 31.12.2005 से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित होनी चाहिए।

(ii) प्राप्त राशि विद्युत् उत्पादन के विद्यमान व्यवसाय के बकाया निपटारा के लिए दी जानी चाहिए ताकि इस व्यवसाय का पुनर्निर्माण किया जा सके या उसे पुनः चालू किया जा सके।

(32) **किसी निकाय या प्राधिकरण** (Body or Authority) **की आय**—किसी निकाय या प्राधिकरण की विनिर्दिष्ट आय, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दो या अधिक देशों के साथ की गई किसी संधि या करार के अधीन लाभ न कमाने के उद्देश्य से स्थापित या गठित किया गया है, कर-मुक्त होगी। [**धारा** 10(42)]

(33) एक व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति को प्रतिवर्ती बंधक (Reverse Mortgage) रख कर एक मुश्त या किस्तों में ऋण लेना कर-मुक्त होगा। [**धारा** 10(43)]

(34) **संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को भत्ता या अनुलाभ** (Allowance of perquisite paid to the Chairman or member of the Union Public Service Commission)—संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सेवानिवृत्त अध्यक्ष या सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य को दिया गया ऐसा भत्ता या अनुलाभ कर-मुक्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। [**धारा** 10(45)]

नोट—मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को प्राप्त होने वाले निश्चित अनुलाभ या भत्तों की करमुक्ति को हटाया गया हैं। (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से प्रभावी) [**धारा** 10(45)]

(35) **विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई स्थापित इकाई के लाभ के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in respect of income of newly established Unit in Special Economic Zone) (**धारा** 10AA)

किसे कटौती मिलेगी—कटौती ऐसी इकाई को मिलेगी जो 31.3.2005 के पश्चात् परन्तु 1.4.2020 से पूर्व किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में निम्न में से कोई कार्य करे तथा निर्धारित शर्तें पूरी करे :

(i) किसी वस्तु या चीज का निर्माण या उत्पादन;

(ii) सेवाएं प्रदान करे, इसमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर भी शामिल है।

निर्धारित शर्तें—(1) यह किसी पुराने व्यवसाय का विभाजन या पुनर्गठन करके न बनाया गया हो सिवाय उस उद्यम के जो धारा 33B में वर्णित है।

(2) उपक्रम के प्लाण्ट एवं मशीनरी के कुल मूल्य का कम-से-कम 80% भाग नया होना चाहिए।

कटौती की मात्रा—वस्तुओं, चीजों, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात एवं सेवाओं के लाभ के सम्बन्ध में निम्न कटौती मिलेगी :

(i) प्रथम पांच कर-निर्धारण वर्ष—लाभ का 100%;

(ii) अगले पांच कर-निर्धारण वर्ष—लाभ का 50%।

(iii) अगले पांच कर-निर्धारण वर्ष—उपर्युक्त लाभ का 50% या वह राशि जो लाभ-हानि खाते में Debit की गई है तथा Special Economic Zone Re-investment Allowance Reserve Account में Credit की गई है, जो दोनों में कम हो।

स्पष्टीकरण—धारा 10AA के अन्तर्गत कटौती, इस धारा के अन्तर्गत कटौती देने से पूर्व करदाता की कुल आय में से दी जाएगी। परन्तु धारा 10AA के अन्तर्गत कुल कटौती कुल आय से अधिक नहीं होगी।

यदि किसी विनिर्दिष्ट व्यवसाय (धारा 35AD में वर्णित) को धारा 10AA में किसी भी कर-निर्धारण वर्ष में कटौती दी गई है तो ऐसे विनिर्दिष्ट व्यवसाय को धारा 35AD में कटौती नहीं मिलेगी।

संचय का उपयोग—जिस गत वर्ष में कोई राशि संचय खाते में अन्तरित की गई है उससे अगले 3 वर्ष के अन्दर इस राशि से अपने व्यापार के लिए कोई प्लाण्ट या मशीन प्राप्त कर काम में ले लेनी चाहिए। जब तक प्लाण्ट या मशीन प्राप्त न की जाए तब तक यह राशि उसे अपने व्यापार में ही प्रयोग करनी चाहिए। परन्तु उसे संचय की राशि से लाभांश अथवा लाभ नहीं बांटना चाहिए। यह राशि, लाभों के रूप में अथवा कोई सम्पत्ति भारत के बाहर प्राप्त करने के लिए, विदेश भी नहीं भेजी जा सकती है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

❑ **कटौती अवधि के अपवाद**

(i) यदि इकाई ने **धारा** 10A के अन्तर्गत कुछ वर्षों तक कटौती ले ली है तो अब इस धारा के अन्तर्गत कटौती शेष अवधि के लिए ही मिलेगी।

(ii) यदि इकाई ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के लागू होने से पूर्व ही **धारा** 10A के अन्तर्गत लगातार दस कर-निर्धारण वर्षों तक कटौती ले ली है तो ऐसी इकाई को इस धारा के अन्तर्गत कटौती नहीं मिलेगी।

कटौती के लिए लाभ की गणना—कटौती के लिए इकाई का लाभ उसी अनुपात में लिया जाएगा जो निर्यात बिक्री का करदाता की कुल बिक्री से है।

❑ **कुछ अन्य कटौतियों अथवा छूटों का न मिलना** (Withdrawal of Certain Other Deductions and Concessions)

(1) धारा 10AA के अन्तर्गत कटौती मिलने पर करदाता को अन्य कटौतियां पाने का अधिकार नहीं होगा, जैसे, धाराएं 80-IA अथवा 80-IB आदि की कटौती।

(2) अशोधित ह्रास, वैज्ञानिक अनुसन्धान पर अशोधित पूंजीगत व्यय, परिवार नियोजन पर अशोधित पूंजीगत व्यय, अशोधित व्यापारिक हानियां, अशोधित पूंजीगत हानियां जो 1.4.2006 से पूर्व समाप्त होने वाले कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित हैं उन्हें आगे ले जाकर उस गत वर्ष अथवा उसके बाद के किसी गत वर्ष की आय से पूर्ति (set-off) करने का अधिकार नहीं होगा।

हानियों की पूर्ति (Set-off of losses)—इकाई की 'व्यापारिक हानि या पूंजी लाभ' शीर्षक की हानि को आगे ले जाकर इसकी पूर्ति की जा सकती है।

❑ **एकीकरण या अविलयन की दशा में कटौती**

ऐसी इकाई जिसे कटौती का अधिकार है, कटौती की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही व्यवसाय का अन्तरण किसी दूसरी इकाई को एकीकरण या अविलयन की योजना के अन्तर्गत कर देती है तो :

(क) अन्तरित करने वाली इकाई (कम्पनी) को उस गत वर्ष में कटौती नहीं मिलेगी जिस गत वर्ष में एकीकरण या अविलयन किया गया है;

(ख) अन्तरित इकाई को शेष अवधि में कटौती मिलेगी।

महत्वपूर्ण कर-मुक्त आयें : एक नजर में
(IMPORTANT EXEMPTED INCOMES : AT A GLANCE)

	कर-मुक्त आय	कर-मुक्त सीमा
1.	कृषि आय यदि भूमि भारत में स्थित हो	कर-मुक्त
2.	हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्तियां	कर-मुक्त
3.	साझेदार का फर्म की आय में भाग	कर-मुक्त
4.	7% Capital Investment Bonds; 8% राहत बॉण्ड, 2002; 6.5% बचत बॉण्ड, 2003; डाकखाने के बचत खाते (व्यक्तिगत खाता 3,500 ₹ और संयुक्त खाता 7,000 ₹), आदि का ब्याज	कर-मुक्त
5.	छात्रवृत्तियां	कर-मुक्त
6.	अनुमोदित पुरस्कार	कर-मुक्त
7.	अवयस्क बच्चे की आय जो उसके पिता या माता की आय में शामिल की गई है	1,500 ₹ तक प्रत्येक अवयस्क बच्चे के लिए
8.	यूनिट स्कीम 1964 के अन्तरण से पूंजी लाभ	कर-मुक्त
9.	घरेलू कम्पनी से लाभांश एवं यूनिट्स से आय	कर-मुक्त
10.	कृषि भूमि के अन्तरण से पूंजी लाभ	कर-मुक्त
11.	सुकन्या समृद्धि खाते में से भुगतान	कर-मुक्त

(ख) कर्मचारियों के लिए
(FOR EMPLOYEES)

(1) **किसी कर्मचारी को दी गयी यात्रा सम्बन्धी रियायत**—इसका वर्णन 'वेतन' के अध्याय में किया गया है। [**धारा** 10(5)]

(2) **विदेश में मिले हुए भत्ते अथवा अनुलाभ**—इसके वर्णन के लिए 'वेतन' के अध्याय में उप-शीर्षक 'भत्ते' तथा 'कर-मुक्त अनुलाभ' देखिए। [**धारा** 10(7)]

(3) **मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेच्युइटी**—इसके वर्णन के लिए 'वेतन' के अध्याय में उप-शीर्षक 'वेतन के विभिन्न रूप' देखिए। [**धारा** 10(10)]

कॉपीराइट की गई सामग्री

(4) **पेंशन के बदले एकमुश्त राशि** (Commutation of Pension)—इसके वर्णन के लिए 'वेतन' के अध्याय में उप-शीर्षक 'वेतन के विभिन्न रूप' देखिए। [**धारा** 10(10A)]

(5) **अवकाश वेतन अथवा अर्जित अवकाश का नकद भुगतान** (Leave Salary or Encashment of Earned Leave)—इसके वर्णन के लिए 'वेतन' के अध्याय में उप-शीर्षक 'वेतन के विभिन्न रूप' देखिए। [**धारा** 10(10AA)]

(6) **छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति** (Compensation on Retrenchment)—इसके वर्णन के लिए 'वेतन' के अध्याय में उप-शीर्षक 'वेतन के विभिन्न रूप' देखिए। [**धारा** 10(10B)]

(7) **स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति**—इसके वर्णन के लिए 'वेतन' के अध्याय में उप-शीर्षक 'वेतन के विभिन्न रूप' देखिए। [**धारा** 10(10C)]

(8) **अनुलाभों के मूल्य पर नियोक्ता द्वारा कर का भुगतान**—इसका वर्णन 'वेतन' के अध्याय में किया गया है। [**धारा** 10(10CC)]

(9) **वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड से भुगतान**—इसके वर्णन के लिए 'वेतन' के अध्याय में उप-शीर्षक 'कोषों से प्राप्त भुगतान' देखिए। [**धारा** 10(11)]

(10) **प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड से भुगतान**—इसके वर्णन के लिए 'वेतन' के अध्याय में उप-शीर्षक 'कोषों से प्राप्त भुगतान' देखिए। [**धारा** 10(12)]

(11) **अनुमोदित सुपरऐनुएशन फण्ड से भुगतान**—इसके वर्णन के लिए 'वेतन' के अध्याय में उप-शीर्षक 'कोषों से प्राप्त भुगतान' देखिए। [**धारा** 10(13)]

(12) **मकान किराया भत्ता** (House Rent Allowance)—इसके वर्णन के लिए 'वेतन' के अध्याय में उप-शीर्षक 'भत्ते' देखिए। [**धारा** 10(13A)]

(13) **कतिपय व्ययों के लिए विशेष भत्ते** (Special Allowances for meeting Certain Expenditure)—इसके वर्णन के लिए 'वेतन' के अध्याय में उप-शीर्षक 'भत्ते' देखिए। [**धारा** 10(14)]

कर्मचारियों से सम्बन्धित कर-मुक्त आयों के लिए 'वेतन से आय' देखें।

(ग) संस्थाओं के लिए
(FOR INSTITUTIONS)

(1) **स्थानीय सत्ता की आय—किसी स्थानीय सत्ता (अर्थात् नगरपालिका, नगर महापालिका, ग्राम पंचायत, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, आदि) की निम्न आयें पूर्णतया कर-मुक्त हैं** : [**धारा** 10(20)]

(i) मकान-सम्पत्ति से आय,

(ii) पूंजी लाभ,

(iii) अन्य साधनों से आय,

(iv) अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्दर सेवाओं या वस्तुओं की पूर्ति के व्यापार से होने वाली आय, तथा

(v) अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर पानी अथवा बिजली की सेवाएं प्रदान करने से होने वाली आय।

(2) **शोध संघ की आय**—धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iii) के अन्तर्गत अनुमोदित शोध संघ की आय पूर्णतया कर-मुक्त है। [**धारा** 10(21)]

ऐसे शोध संघ की आय कर-मुक्त होगी जो वैज्ञानिक शोध अथवा सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान अथवा सांख्यिकी के अनुसंधान में लगा है।

(3) **समाचार एजेन्सियों की आय**—भारत में स्थापित एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी समाचार एजेन्सियों की आय कर-मुक्त होगी जिनका उद्देश्य केवल समाचारों का संकलन एवं वितरण हो, बशर्ते [**धारा** 10(22B)]

(i) समाचार एजेन्सी अपनी आय का प्रयोग केवल समाचारों के संकलन तथा वितरण पर करती है।

(ii) यह अपनी आय किसी भी रूप में अपने सदस्यों में नहीं बांटती है।

(4) **पेशेवर संस्थाओं की आय**—भारत में स्थापित एक ऐसी संस्था अथवा संघ की आय पूर्णतया कर-मुक्त है जिसका उद्देश्य वकालत, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एकाउण्टेन्सी अथवा वास्तुकला (Architecture) के व्यवसाय अथवा सरकारी गजट में घोषित अन्य व्यवसायों का नियन्त्रण, देखभाल, नियमन अथवा प्रोत्साहन करना हो। परन्तु ऐसी संस्था अथवा संघ की मकान-सम्पत्ति से आय, किन्हीं विशेष सेवाओं के करने से प्राप्त आय, विनियोगों पर प्राप्त कोई ब्याज अथवा लाभांश की आय, कर-मुक्त नहीं होगी। [**धारा** 10(23A)]

कॉपीराइट की गई सामग्री

(5) **रेजिमेण्ट फण्ड अथवा गैर-सार्वजनिक फण्ड की आय**—भारत की फौज के भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्यों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित रेजिमेण्ट फण्ड अथवा गैर-सार्वजनिक फण्ड की आय पूर्णतया कर-मुक्त है। [**धारा** 10(23AA)]

(6) **अपने कर्मचारियों अथवा उन पर आश्रितों के कल्याण हेतु कोष की आय**—अपने कर्मचारियों अथवा उन पर आश्रितों के कल्याण के लिए अधिसूचित कोष द्वारा प्राप्त आय कर-मुक्त होगी। कर्मचारियों को इस कोष का सदस्य होना आवश्यक है। [**धारा** 10(23AAA)]

(7) **भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा अन्य बीमाकर्ता द्वारा स्थापित पेंशन फण्ड की आय**—यह आय कर-मुक्त होगी बशर्ते कि यह फण्ड 31 जुलाई, 1996 के बाद स्थापित किया गया हो। [**धारा** 10(23AAB)]

यदि किसी बीमाकर्ता द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना आरम्भ की जाती है तो इसके फण्ड की आय भी कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 से कर-मुक्त होगी।

(8) **खादी तथा ग्रामोद्योग संघ की आय**—खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए स्थापित संघ या संस्था की आय कर-मुक्त है। [**धारा** 10(23B)]

(9) **खादी तथा ग्राम उद्योग परिषदों की आय**—किसी राज्य में खादी अथवा ग्राम उद्योग के विकास के लिए राज्य द्वारा अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी खादी तथा ग्राम उद्योग परिषद् की आय पूर्णतया कर-मुक्त है। [**धारा** 10(23BB)]

(10) **सार्वजनिक धार्मिक अथवा पुण्यार्थ ट्रस्ट अथवा निधि** (Endowment) **के प्रबन्ध के लिए स्थापित किसी वैधानिक सत्ता की आय**—किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी ऐसी सत्ता की आय, जो किसी सार्वजनिक धार्मिक अथवा पुण्यार्थ ट्रस्ट अथवा निधि के प्रबन्ध के लिए स्थापित हुई हो, पूर्णतया कर-मुक्त है। इसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि इसका अभिप्राय यह नहीं होगा कि उस ट्रस्ट अथवा निधि की आय भी कर-मुक्त होगी जिसके प्रबन्ध के लिए वैधानिक सत्ता की नियुक्ति की गई है। [**धारा** 10(23BBA)]

(11) European Economic Community की कोई आय जो उसे किसी अधिसूचित योजना के अन्तर्गत अपने कोष में से विनियोग करके ब्याज, लाभांश अथवा पूंजी लाभ के रूप में मिली हो, कर-मुक्त है। [**धारा** 10(23BBB)]

(12) क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए स्थापित सार्क कोष (SAARC Fund) की आय कर-मुक्त है। [**धारा** 10(23BBC)]

नोट—सार्क कोष (SAARC Fund) जो कोलम्बो घोषणा के अनुसार 1991 में क्षेत्रीय विकास के लिए सार्क के सदस्य देशों द्वारा आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए स्थापित हुआ था। भारत में यह कोष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा रखा जाता है।

(13) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority) की आय कर-मुक्त है। [**धारा** 10(23BBE)]

(14) Central Electricity Regulatory Commission की आय कर मुक्त है। [**धारा** 10(23BBG)]

(15) प्रसार भारती (Broadcasting Corporation of India) की आय कर-मुक्त है। [**धारा** 10(23BBH)]

(16) **विशिष्ट पुण्यार्थ कोषों की आय**—(A) निम्न कोषों अथवा ट्रस्टों अथवा अन्य संस्थाओं की आय पूर्णतया कर-मुक्त है : [**धारा** 10(23C)]

(i) प्रधानमन्त्री का राष्ट्रीय सहायता कोष;

(ii) प्रधानमन्त्री का कोष लोक कला (Folk Art) के प्रोत्साहन के लिए;

(iii) प्रधानमन्त्री का विद्यार्थियों की सहायतार्थ कोष;

(iv) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान;

(v) पुण्यार्थ कार्य के लिए स्थापित कोई कोष अथवा संस्था जो सरकारी गजट में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मुक्ति के लिए स्पष्टतया घोषित कर दी गयी हो;

(vi) स्वच्छ भारत कोष;

(vii) स्वच्छ गंगा निधि;

(viii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमन्त्री सहायता निधि या उप राज्यपाल सहायता निधि।

(B) **विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थाओं की आय**—कोई विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षा संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि शिक्षा देना है बशर्ते :

(अ) वह पूर्णतः अथवा मुख्यतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है; अथवा

(ब) उसकी वार्षिक प्राप्तियां एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं; अथवा

(स) वह आयकर कमिश्नर (Exemptions) द्वारा अनुमोदित है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(C) **चिकित्सालय की आय**—अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्थान जो बीमारों अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के इलाज अथवा उनके पुनर्वास के लिए है तथा उसका उद्देश्य जन-कल्याण है न कि लाभ कमाना, बशर्ते :

(अ) वह पूर्णतः अथवा मुख्यतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है; अथवा

(ब) उसकी वार्षिक प्राप्तियां एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं, अथवा

(स) वह आयकर कमिश्नर (Exemptions) द्वारा अनुमोदित है।

(D) **सार्वजनिक धार्मिक तथा पुण्यार्थ ट्रस्ट की आय**—पूर्णतया सार्वजनिक धार्मिक कार्य के लिए अथवा सार्वजनिक धार्मिक तथा पुण्यार्थ कार्य के लिए स्थापित कोई ट्रस्ट अथवा संस्था की आय पूर्णतया कर-मुक्त है। यदि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा यह ट्रस्ट अथवा संस्था मान्य कर दी गयी हो।

परन्तु गुमनाम चन्दे (Anonymous Donations) ऐसी संस्थाओं की कुल आय में शामिल किए जाएंगे।

''गुप्त दान'' से तात्पर्य ऐसे दान से है जिसमें दान प्राप्तकर्ता दान देने वाले का नाम और पता तथा निर्धारित सूचनाओं का अभिलेख (record) नहीं रखता।

आय का संकलन—कोई ट्रस्ट, संस्था, विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षा संस्था, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी आय के 15% से अधिक आय का संकलन करते हैं तो इसका संकलन अधिक-से-अधिक पांच वर्ष के लिए कर सकेंगे।

नोट—विश्वविद्यालय, संस्था या ट्रस्ट आदि के लिए कर मुक्ति धारा 10(23C) (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से प्रभावी)

(17) **पारस्परिक कोष की आय**—पारस्परिक कोष की आय कर-मुक्त होगी बशर्ते यह कोष : [**धारा** 10(23D)]

(i) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है, अथवा

(ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक द्वारा अथवा किसी लोक वित्तीय संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है।

(18) प्रतिभूतिकरण (Securitisation) के क्रियाकलाप से किसी प्रतिभूतिकरण न्यास की कोई आय। [**धारा** 10(23DA)]

(19) **अधिसूचित विनिधानकर्ता संरक्षा कोष की मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से आय**—भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा संयुक्त या पृथक् रूप से स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षा कोष (Investor Protection Fund) को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों एवं इनके सदस्यों से प्राप्त अंशदान कर-मुक्त होगा। [**धारा** 10(23EA)]

यदि कोष की कर-मुक्त राशि में से किसी गत वर्ष में कोई राशि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को दी जाती है तो उस गत वर्ष में दी गई राशि उस गत वर्ष की आय मानकर कर-योग्य होगी।

(20) **अधिसूचित विनिधानकर्ता संरक्षा कोष की** Commodity exchanges **से आय**—Commodity exchanges द्वारा संयुक्त या पृथक् रूप से स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षा कोष की आय जो commodity exchanges एवं इनके सदस्यों से प्राप्त अंशदान के रूप में है, पूर्णतया कर-मुक्त होगी। [**धारा** 10(23EC)]

यदि कोष की कर-मुक्त राशि में से किसी गत वर्ष में कोई राशि commodity exchange को दी जाती है तो उस गत वर्ष में दी गई राशि उस वर्ष की आय मानकर कर-योग्य होगी।

(21) अधिसूचित विनिधानकर्ता संरक्षा कोष (Investor Protection Fund) को निक्षेपागार (depository) से प्राप्त अंशदान कर-मुक्त होगा।

यदि कोष की कर-मुक्त राशि में से किसी गत वर्ष में कोई राशि निक्षेपागार को दी जाती है, तो उस वर्ष में दी गई राशि उस गत वर्ष की आय मानकर कर-योग्य होगी। [**धारा** 10(23ED)]

कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 से निम्न आयें भी कर-मुक्त होंगी :

(क) मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम द्वारा स्थापित आन्तरिक समझौता प्रत्याभूति निधि की निर्दिष्ट आय। [**धारा** 10(23EE)]

(ख) विनिधान निधि (Investment Fund) की 'व्यापार तथा पेशे से लाभ' छोड़कर अन्य आय। [**धारा** 10(23FBA)]

(ग) विनिधान निधि के यूनिट धारी को विनिधान निधि की 'व्यापार तथा पेशे से लाभ' की आय में से आय। [**धारा** 10(23FBB)]

(घ) किसी ऐसे कारोबार न्यास, जो एक भू-सम्पदा विनिधान न्यास (real estate investment trust) है, की ऐसे कारबार न्यास के प्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन किसी भू-सम्पदा सम्पत्ति को किराए या पट्टे या भाटक पर देने से प्राप्त आय। [**धारा** 10(23FCA)]

(22) **जोखिम पूंजी कम्पनी अथवा जोखिम पूंजी निधि की आय**—किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनियोग के लिए निधियां जुटाने के लिए स्थापित जोखिम पूंजी कम्पनी या जोखिम पूंजी निधि की कोई आय कर-मुक्त होगी। [**धारा** 10(23FB)]

(23) **व्यवसायिक ट्रस्ट की आय**—(i) किसी विशेष प्रयोजन एकक (Special purpose vehicle) से प्राप्त या प्राप्य ब्याज के रूप में या (ii) धारा 115-O(7) में वर्णित किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी से लाभांश के रूप में किसी व्यवसायिक ट्रस्ट की आय। [**धारा** 10(23FC)]

नोट—शासकीय धन कोष और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व सहायक की निश्चित आय के सम्बन्ध में करमुक्ति धारा 10(23FE) (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से प्रभावी)

कॉपीराइट की गई सामग्री

(24) **पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की आय**—(i) भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड यूनियन एवं (ii) रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों के संघ की 'मकान-सम्पत्ति से आय' तथा 'अन्य साधनों से आय' पूर्णतया कर-मुक्त हैं। [**धारा** 10(24)]

(25) **प्रॉविडेण्ट फण्डों की अर्जित आय**—इस मद के अन्तर्गत निम्न आयें पूर्णतया कर-मुक्त हैं : [**धारा** 10(25)]

(i) वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड के अन्तर्गत ली हुई प्रतिभूतियों का ब्याज तथा उनके बेचने से हुआ पूंजी लाभ;

(ii) स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड अथवा अनुमोदित सुपरऐनुएशन फण्ड अथवा अनुमोदित ग्रेच्युइटी फण्ड के ट्रस्टियों द्वारा फण्ड के सम्बन्ध में प्राप्त आय;

(iii) Coal Mines Provident Fund Act, 1948 के अन्तर्गत संगठित ट्रस्ट की आय; अथवा

(iv) Employees' Provident Fund Act, 1952 के अन्तर्गत संगठित ट्रस्ट की Deposit-linked Insurance Fund की ओर से प्राप्त आय।

(26) **कर्मचारी राज्य बीमा कोष** की आय कर-मुक्त होगी। [**धारा** 10(25A)]

(27) **अनुसूचित जाति या जनजाति के हित के लिए स्थापित निगम**—किसी ऐसे निगम की आय, जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या किसी ऐसी संस्था की आय, जो पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त (Financed) है तथा यह अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ी जाति या दोनों या तीनों के हितों की अभिवृद्धि के लिए बनाया गया है, पूर्णतया कर-मुक्त है। [**धारा** 10(26B)]

(28) **अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ हेतु स्थापित निगम की आय**—अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम की आय कर से मुक्त होगी। अल्पसंख्यक समुदाय निम्न हैं : (i) मुसलमान, (ii) ईसाई, (iii) सिख, (iv) बौद्ध तथा (v) पारसी। [*Notification No.* 613(E) Dated 5.7.1995] [**धारा** 10(26BB)]

(29) **भूतपूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए स्थापित निगम की आय**—ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के, जो भारत के नागरिक हैं, कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम की कोई आय, कर-मुक्त होगी। [**धारा** 10 (26BBB)]

(30) **अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों को बढ़ावा देने वाली सहकारी समिति की आय**—अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या दोनों के हितों की वृद्धि करने के लिए बनाई गई किसी सहकारी समिति की आय पूर्णतया कर-मुक्त होगी। [**धारा** 10(27)]

(31) **कुछ बोर्ड एवं प्राधिकरण की आय**—निम्न की आय कर-मुक्त होगी : [**धारा** 10(29A)]

(i) कॉफी बोर्ड; (ii) रबर बोर्ड; (iii) चाय बोर्ड; (iv) तम्बाकू बोर्ड; (v) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण; (vi) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण; (vii) मसाला बोर्ड; एवं (viii) कॉयर बोर्ड।

(32) किसी प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय में से उस न्यास में विनियोगकर्ता को 1.6.2016 से पूर्व प्राप्त राशि कर-मुक्त होगी। [**धारा** 10(35A)]

(33) **नई पेंशन प्रणाली न्यास की आय**—नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए किसी व्यक्ति को प्राप्त कोई आय कर-मुक्त होगी। [**धारा** 10(44)]

(34) **निकाय** (Body) **या प्राधिकरण** (Authority) **या बोर्ड या न्यास** (Trust) **या आयोग** (Commission) **की आय** [**धारा** 10(46)]

उपर्युक्त वर्णित संस्थाओं की विनिर्दिष्ट आय कर-मुक्त होगी, बशर्ते—

(क) जन साधारण के फायदे के लिए किसी क्रियाकलाप का विनियमन या प्रशासन करने के उद्देश्य से किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किया गया है या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है;

(ख) यह किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगा है;

(ग) उपर्युक्त वर्णित उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

'विनिर्दिष्ट आय' से तात्पर्य ऐसी प्रकृति की आय और उस सीमा तक होने वाली आय से है जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे।

(35) **अवसंरचना ऋण निधि की आय** (Income of Infrastructure Debt Fund) [**धारा** 10(47)]

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सिद्धान्तों के अनुसार स्थापित किसी अवसंरचना ऋण निधि की आय कर-मुक्त होगी।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(36) **भारतीय मुद्रा में भारत में प्राप्त आय** [**धारा** 10(48)]

यदि किसी विदेशी कम्पनी को भारत में किसी व्यक्ति को कच्चा तेल (crude oil) बेचने या अन्य माल बेचने या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सेवा प्रदान करने पर भारत में भारतीय मुद्रा में आय होती है, तो निम्न शर्तें पूरी होने पर यह आय कर-मुक्त होगी :

1. विदेशी कम्पनी को यह आय केन्द्रीय सरकार से अनुबन्ध के अन्तर्गत अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से अनुबन्ध के अन्तर्गत होनी चाहिए।
2. विदेशी कम्पनी उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त भारत में किसी अन्य क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होनी चाहिए।

(37) **अपरिष्कृत तेल के भण्डारण एवं विक्रय से आय** [**धारा** 10(48A)]

विदेशी कम्पनी द्वारा भारत में किसी सुविधा में अपरिष्कृत तेल भण्डारण और उसे भारत में किसी निवासी व्यक्ति को बेचने से होने वाली आय कर-मुक्त होगी बशर्ते विदेशी कम्पनी द्वारा भण्डारण और विक्रय केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार या ठहराव के अनुसार हो।

(38) **अपरिष्कृत तेल के बचे हुए स्टॉक के विक्रय से विदेशी कम्पनी को आय** (*w.e.f.* Assessment Year 2018-19) [**धारा** 10(48B)]

किसी विदेशी कम्पनी को धारा 10(48A) के अन्तर्गत करार या ठहराव के अवसान के पश्चात् या करार को भंग करने के पश्चात् भारत में किसी सुविधा में अपरिष्कृत तेल के बचे हुए स्टॉक के विक्रय से आय, कर मुक्त होगी।

(39) **इण्डियन स्ट्रेटेजिक पैट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड की आय** (*w.e.f.* Assessment Year 2020-21) [**धारा** 10(48C)]

वित्तीय वर्ष, जिसमें अपरिष्कृत तेल को पहली बार भण्डारण सुविधा से हटाया गया था, के अन्त से तीन वर्षों के अन्दर अपरिष्कृत तेल को भण्डारण सुविधा के लिए मंगाया हो कि शर्त के विषय में यह कर मुक्ति दी जायेगी।

(40) **राजनीतिक पार्टियों की आय**—किसी राजनीतिक पार्टी की मकान-सम्पत्ति की आय अथवा पूंजी लाभ अथवा अन्य साधनों से आय अथवा पार्टी को प्राप्त स्वेच्छा से दिये गये चन्दों की आय राजनीतिक पार्टी की कुल आय में शामिल नहीं होगी, बशर्ते कि : (**धारा** 13A)

(अ) राजनीतिक पार्टी अपना हिसाब-किताब तथा प्रपत्र इस प्रकार रखती है कि कर-निर्धारण अधिकारी उस पार्टी की आय का निर्धारण उचित प्रकार से कर सके;

(ब) 20,000 ₹ से अधिक स्वेच्छा से दिए गए चन्दों के सम्बन्ध में राजनीतिक पार्टी सम्पूर्ण रिकॉर्ड रखती है तथा ऐसे चन्दा देने वालों के नाम तथा पते का रिकॉर्ड भी रखती है, परन्तु यह प्रावधान निर्वाचन बंधपत्र द्वारा दिए गए चन्दों पर लागू नहीं होगा।

(स) राजनीतिक पार्टी के हिसाब का चार्टर्ड एकाउण्टैण्ट द्वारा अंकेक्षण किया जाता है।

(द) राजनीतिक दल द्वारा किसी बैंक पर देय पाने वाले के खाते में देय चेक या बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निकासी पद्धति के उपयोग या किसी अन्य विहित electronic माध्यम[1] या निर्वाचन-बंधपत्र के माध्यम से भिन्न रूप में दो हजार ₹ से अधिक का चन्दा प्राप्त नहीं किया जाता है।

यदि राजनीतिक पार्टी का खजांची या अधिकृत व्यक्ति चन्दों के विषय में निर्वाचन आयोग (The Election Commission) को सूचना नहीं देता तो उस वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में कर से छूट नहीं मिलेगी।

यदि राजनीतिक दल धारा 139 (4B) के प्रावधानों के अनुसार नियत तिथि तक गतवर्ष के लिए आय की विवरणी दाखिल नहीं करता तो उसे कर से छूट नहीं मिलेगी।

(41) **निर्वाचन न्यास की आय**—किसी निर्वाचन न्यास को प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों को उसके गत वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वह : [**धारा** 13B]

(i) गत वर्ष में प्राप्त सकल अभिदाय तथा पिछले वर्ष से अग्रनीत शेष का कम से कम 95% भाग उसी गत वर्ष में पंजीकृत राजनीतिक दल को वितरित करता है; तथा

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है।

---

1 Electronic modes prescribed by CBDT with effect from 1st January, 2020 : (i) Debit Card powered by RuPay; (ii) Unified Payments Interface (UPI) (BHIM-UPI); and (iii) Unified Payments Interface Quick Response Code (UPI QR Code) (BHIM-UPI QR Code).

कॉपीराइट की नई सामग्री

संक्षेप (SUMMARY)

कर-मुक्त आयें—एक दृष्टि में

(वेतन से सम्बन्धित कर-मुक्त आयों को छोड़कर)

	मद	छूट पाने का कौन अधिकारी है	टिप्पणियां/शर्तें
(क)	**प्रत्येक करदाता के लिए (जो ख तथा ग श्रेणियों में न आता हो)**		
1.	कृषि आय	सभी करदाता	यदि कर-योग्य आय न्यूनतम कर-योग्य सीमा से अधिक हो और कृषि आय 5,000 ₹ से अधिक हो तो कर-योग्य आय पर कर की राशि की गणना करने के लिए कृषि आय शामिल की जायेगी।
2.	हिन्दू अविभाजित परिवार से आय	एक व्यक्ति जो H.U.F. का सदस्य हो	—
3.	फर्म से उसके साझेदार की आय का भाग	साझेदार	साझेदार की आय के भाग की गणना करने के लिए फर्म के कर-योग्य लाभों को साझेदारी प्रलेख के अनुसार अनुपात का भाग देकर गणना की जायेगी।
4.	भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान	एक व्यक्ति	ऐसी किसी प्राप्ति के सम्बन्ध में यदि पहले ही कटौती स्वीकृत हो चुकी हो तो यह प्राप्ति कर से मुक्त नहीं होगी।
5.	विपत्ति पर क्षतिपूर्ति	एक व्यक्ति	—
6.	जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि	सभी करदाता	—
7.	सुकन्या समृद्धि खाते से भुगतान	एक व्यक्ति	—
8.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से भुगतान	एक व्यक्ति	—
9.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से आंशिक राशि निकालना	एक व्यक्ति	—
10.(i)	अधिसूचित प्रतिभूतियों अथवा बॉण्डों पर ब्याज अथवा शोधन पर प्रीमियम की आय	सभी करदाता	—
(ii)	7% Capital Investment Bond, 6.5%/8% राहत बॉण्डों पर ब्याज की आय	एक व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार	—
(iii)	सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कम्पनी द्वारा ऐसे बॉण्डों अथवा ऋणपत्रों पर देय ब्याज जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिये जायें	सभी करदाता जिन्हें यह ब्याज प्राप्त हो	—
(iv)	सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति पर प्राप्य धन में से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाई गई योजना के अनुसार जमा कराई गई राशि पर ब्याज	एक व्यक्ति	यह जमा कम-से-कम तीन वर्ष के लिए होगी
(v)	अधिसूचित स्वर्ण निक्षेप योजना के अन्तर्गत निर्गमित बॉण्डों पर ब्याज	सभी करदाता जिन्हें यह ब्याज प्राप्त हो	—
11.	शिक्षा छात्रवृत्तियां	एक व्यक्ति	छात्रवृत्ति शिक्षा के व्ययों के लिए दी गई होनी चाहिए।
12.(i)	दैनिक भत्ते	संसद सदस्य तथा विधायक (एक व्यक्ति)	—
(ii)	सभी भत्ते	संसद सदस्य (एक व्यक्ति)	—
(iii)	निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	विधायक (एक व्यक्ति)	—
13.	लोक हित में सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार तथा इनाम	सभी करदाता	
14.	शौर्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति की पेंशन	एक व्यक्ति	—
15.	पारिवारिक पेंशन	सशस्त्र बल के सदस्य की विधवा या वारिस	बल के सदस्य की मृत्यु संक्रियात्मक कर्तव्य के दौरान हुई हो।
16.	भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों के एक महल का वार्षिक मूल्य	एक व्यक्ति	यदि महल का कोई भाग किराये पर उठा दिया हो तो उस भाग का वार्षिक मूल्य कर-मुक्त नहीं होगा।

कॉपीराइट की गई सामग्री

17.	अनुसूचित जनजातियों की आय	एक व्यक्ति	विशिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की इन क्षेत्रों में उदय होने वाली आय तथा लाभांश अथवा प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय।
18.	सिक्कमी की आय	एक व्यक्ति	—
19.	कृषि उपज मार्केट कमेटी की आय	—	—
20.	Tea Board से प्राप्त सहायता (पौधों को दुबारा लगाने अथवा नवीनीकरण करने के लिए तथा चाय की पैदावार के लिए प्रयोग होने वाली भूमि के नवीनीकरण अथवा एकीकरण के लिए)	सभी करदाता जो भारत में चाय के उत्पादन तथा निर्माण का व्यापार कर रहे हैं।	**शर्त**—करदाता को अपनी आय के विवरण के साथ Tea Board का प्रमाण-पत्र दाखिल करना होगा कि बोर्ड ने कितनी धनराशि की सहायता दी है।
21.	पौधे लगाने वालों द्वारा सम्बन्धित बोर्ड से प्राप्त सहायता (रबड़, कॉफी, इलाइची अथवा अन्य अधिसूचित वस्तु के पौधे पुनः लगाने अथवा इन वस्तुओं की खेती के लिए प्रयुक्त भूमि के नवीनीकरण अथवा एकीकरण के लिए)	सभी करदाता जो भारत में रबड़, कॉफी, इलायची, आदि के उत्पादन तथा निर्माण का व्यापार कर रहे हैं।	—Do—
22.	उसके अवयस्क बच्चे अथवा बच्चों की आय करदाता की आय में शामिल हो	एक व्यक्ति करदाता	प्रति अवयस्क बच्चे के लिए वास्तविक शामिल आय अथवा 1,500 ₹ प्रति बच्चा, जो दोनों में कम हो, कर से मुक्त है।
23.	यूनिट स्कीम, 1964 के यूनिट्स से आय	—	—
24.	घरेलू कम्पनी से लाभांश	—	—
25.	घरेलू कम्पनी द्वारा अपने अंशधारी से अंश खरीदना	—	—
26.	यूनिट्स से आय	—	—
27.	पात्र साधारण अंशों के अन्तरण से लाभ	—	—
28.	नगर क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के अन्तरण से पूंजी लाभ	एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार	प्रतिफल 31.3.2004 के पश्चात् प्राप्त हुआ हो।
29.	आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कर प्रोत्साहन	—	—
30.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल से आय	—	खेल अन्तर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
31.	सहायक कम्पनी की आय	—	भारतीय सूत्रधारी कम्पनी से प्राप्त अनुदान आदि।
32.	किसी निकाय या प्राधिकरण की आय	—	—
33.	सम्पत्ति को प्रतिवर्ती बन्धक रखकर ऋण लेना	एक व्यक्ति	—
34.	संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को भत्ता या अनुलाभ	—	—
35.	विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई स्थापित इकाई के लाभ	सभी करदाता	यह छूट प्रथम 15 कर-निर्धारण वर्षों के लिए मिलती है तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य छूट या कटौती नहीं मिलती है।
(ख)	**कर्मचारियों के लिए 'वेतन से आय' अध्याय देखें।**		
(ग)	**संस्थाओं के लिए**		
1.	स्थानीय सत्ता की कतिपय आयें	स्थानीय सत्ता	मकान-सम्पत्ति से आय, पूंजी लाभ, अन्य साधनों से आय, कतिपय वस्तुओं अथवा सेवाओं की पूर्ति से आय।
2.	शोध संघ की आय	वैज्ञानिक शोध या सामाजिक विज्ञान शोध या सांख्यिकी शोध	**शर्तें**—(1) संघ अपनी आय पूर्णतया संघ के उद्देश्यों के लिए प्रयोग करता है। (2) संघ अपना धन केवल धारा 11(5) के अन्तर्गत वर्णित विनियोगों में विनियोग करेगा सिवाय कुछ अपवादों के।
3.	समाचार एजेन्सी की आय	समाचार एजेन्सी	**शर्तें**—(i) यह अपनी आय केवल समाचारों के संकलन तथा वितरण पर प्रयोग करती है; (ii) यह अपनी आय अपने सदस्यों में वितरित नहीं करती है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

4.	अनुमोदित पेशेवर संस्थाओं की आय	वकालत, चिकित्सा, इन्जीनियरिंग, एकाउण्टैन्सी अथवा वास्तुकला के व्यवसाय के नियन्त्रण, नियमन अथवा देखभाल करने वाली संस्थाएं	**शर्त**—अपनी आय पूर्णतया अपने उद्देश्यों के लिए व्यय करे अथवा संचय करे।
5.	रेजिमेण्ट फण्ड अथवा गैर-सार्वजनिक फण्ड की आय जो भारत की फौज के भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्यों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए हो	रेजिमेण्ट फण्ड अथवा गैर-सार्वजनिक फण्ड	—
6.	कर्मचारियों अथवा उन पर आश्रितों के लिए कोष की आय	कोष	कोष कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है तथा केवल अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता है।
7.	भारतीय जीवन बीमा निगम की पेंशन फण्ड से आय	पेंशन फण्ड की आय	—
8.	खादी तथा ग्राम उद्योग की आय	सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट अथवा रजिस्टर्ड सोसाइटी जो खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास कार्य में लगी हो	**शर्तें**—(1) यह संस्था अपनी आय का प्रयोग अथवा संचय केवल खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए करती है; तथा (2) यह संस्था खादी तथा ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
9.	किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित खादी तथा ग्राम उद्योग परिषदों की आय	वैधानिक खादी तथा ग्राम उद्योग परिषद्	—
10.	सार्वजनिक धार्मिक अथवा पुण्यार्थ ट्रस्ट अथवा निधि के प्रबन्ध के लिए स्थापित वैधानिक संस्था अथवा सत्ता की आय	किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्था अथवा सत्ता	—
11.	European Economic Community की आय	—	अपने कोष में से किये गये विनियोग से ब्याज, लाभांश की आय अथवा पूंजी लाभ।
12.	SAARC Fund की विनियोगों से आय	—	—
13.	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की आय	—	—
14.	Central Electricity Regulatory commission की आय	—	—
15.	प्रसार भारती (Broadcasting Corporation of India) की आय	—	—
16.	(क) विशिष्ट पुण्यार्थ कोषों के लिए प्राप्त आय	सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति	विशिष्ट कोष निम्न हैं : प्रधानमन्त्री के लिए कोष—(क) राष्ट्रीय सहायता कोष, (ख) लोक कला के प्रोत्साहन का कोष, (ग) विद्यार्थियों की सहायतार्थ कोष।
	(ख) शिक्षा संस्थाओं की आय	शिक्षा संस्था	इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए।
	(ग) चिकित्सालयों की आय	चिकित्सालय	इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए।
	(घ) पुण्यार्थ तथा धार्मिक ट्रस्ट की आय	ट्रस्ट	सार्वजनिक धार्मिक तथा/अथवा पुण्यार्थ कार्य के लिए स्थापित ट्रस्ट जो केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित कर दी जाय।
17.	पारस्परिक कोष की आय	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा स्थापित अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत पारस्परिक कोष	**शर्त**—केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित होना चाहिए।
18.	प्रतिभूतिकरण न्यास की आय	—	—
19.	विनिधानकर्ता संरक्षा कोष की मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से आय	—	—

कॉपीराइट की गई सामग्री

20.	विनिधानकर्ता संरक्षा कोष की Commodity Exchanges से आय	—	—
21.	निक्षेपागार से प्राप्त अनुदान	—	—
22.	जोखिम पूंजी कम्पनी अथवा जोखिम पूंजी निधि की जोखिम पूंजी उपक्रम से आय	—	—
23.	व्यावसायिक ट्रस्ट की आय	—	—
24.	मकान-सम्पत्ति तथा अन्य साधनों से रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की आय	रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन	—
25.	प्रॉविडेण्ट फण्डों, अनुमोदित सुपरऐनुएशन फण्ड, ग्रेच्युइटी फण्ड के ट्रस्टियों की इन फण्डों से ली गई प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा प्रतिभूतियों के विक्रय पर पूंजी लाभ की आय	सेवानिवृत्ति लाभों के कोष ट्रस्ट हों	—
26.	कर्मचारी राज्य बीमा कोष की आय	कर्मचारी राज्य बीमा कम्पनी	—
27.	पूर्णतया सरकार द्वारा प्रदत्त वित्त से स्थापित संस्था अथवा सरकारी निगम की आय जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के हितों की अभिवृद्धि के लिए स्थापित किया गया है	सरकारी निगम अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त पूर्ण वित्त से स्थापित अन्य संस्था	—
28.	अल्पसंख्यक समुदाय के हितार्थ निगम की आय	निगम	—
29.	भूतपूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए स्थापित निगम की आय	निगम	—
30.	अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हितों की अभिवृद्धि के लिए बनाई गयी सहकारी समिति की आय	सहकारी समिति	इस समिति के सदस्य केवल अन्य ऐसी सहकारी समितियां होनी चाहिए जो इन्हीं उद्देश्यों के लिए बनी हों तथा इस समिति का वित्त सरकार अथवा अन्य ऐसी समितियों द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
31.	कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, मसाला बोर्ड, आदि की आय	—	—
32.	प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त आय	—	—
33.	नई पेंशन प्रणाली न्यास की आय	—	—
34.	निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग की आय	—	—
35.	अवसंरचना ऋण निधि की आय	—	—
36.	विदेशी कम्पनी को भारतीय मुद्रा में भारत में प्राप्त आय	—	—
37.	अपरिष्कृत तेल के भण्डारण एवं विक्रय से आय	—	
38.	अपरिष्कृत तेल के बचे हुए स्टॉक के विक्रय से विदेशी कम्पनी की आय	—	
39.	इण्डियन स्ट्रेटेजिक पैट्रोलियम रिजर्वस लि. की आय	—	
40.	राजनीतिक पार्टियों की मकान-सम्पत्ति, पूंजी लाभ, अन्य साधनों तथा स्वेच्छा से दिये गये चन्दों की आय	राजनीतिक पार्टी	**शर्तें**—(1) नियमित वहीखाते रखना; (2) 20,000 ₹ से अधिक स्वैच्छिक चन्दों के सम्बन्ध में चन्दा देने वालों के नाम तथा पतों का रिकॉर्ड रखना; तथा (3) वहीखाते चार्टर्ड एकाउण्टैण्ट से अंकेक्षण कराना।
41.	निर्वाचन न्यास की आय	—	—

कॉपीराइट की गई सामग्री

प्रश्न

(QUESTIONS)

❑ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions)

1. ऐसी पन्द्रह आय की मदों को समझाइए जो कुल आय में नहीं जोड़ी जाएंगी।
Explain any fifteen items which are not included in total income.

2. कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त आयों का वर्णन कीजिए।
Describe the exempted incomes for the employees.

3. संस्थाओं के लिए कर-मुक्त आयों का उल्लेख कीजिए।
Give an account of the exempted incomes for the institutions.

4. कर-मुक्त आय की विचारधारा को समझाइए। आय कर अधिनियम के अधीन स्पष्ट रूप से कर-मुक्त आय की व्याख्या कीजिए।
Explain the concept of 'Exempted Income'. Discuss clearly the 'Exempted Income' under the Income Tax Act.

5. बताइए कि निम्नलिखित आयों में से कौन-कौन-सी आयें कर-मुक्त हैं?
(क) स्वर्ण निक्षेप बॉण्ड्स पर ब्याज;
(ख) इलाहाबाद बैंक से सेविंग बैंक जमा खाते पर ब्याज;
(ग) ढाका में स्थित कृषि भूमि से आय;
(घ) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टैण्ट्स की आय;
(ङ) सांसद का वेतन।
State which of the following incomes are exempt from tax?
(a) Interest on Gold Deposit Bonds;
(b) Interest on Savings Bank Deposit A/c from Allahabad Bank;
(c) Income from agricultural land situated in Dacca;
(d) Income of Institute of Chartered Accountants;
(e) Salary of Member of Parliament.
Ans. (a) Exempt; (b) Not Exempt; (c) Not Exempt, (d) Exempt; (e) Not Exempt.

6. बताइए कि निम्नलिखित आयों में से कौन-कौन सी आयें कर-मुक्त हैं?
(i) पंजाब में कृषि भूमि से आय 6,000 ₹
(ii) सिक्किम लॉटरी का इनाम 25,000 ₹
(iii) अंशों के सट्टे के व्यापार से आय 8,000 ₹
(iv) हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में भाग 8,000 ₹
(v) ताश के खेल से आय 2,200 ₹।
State which of the following incomes are exempted from tax?
(i) Income from agricultural land in Punjab ₹ 6,000
(ii) Lucky draw from Sikkim Lottery ₹ 25,000
(iii) Income from speculation business of shares ₹ 8,000
(iv) Share in income of Hindu Undivided Family ₹ 8,000
(v) Income from game of playing cards ₹ 2,200.
Ans. (i) Exempt provided it is from agricultural operations or land is situated in rural areas; (ii) Not exempt; (iii) Not exempt; (v) Exempt; (v) Not exempt.

❑ लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

1. ब्याज से आय के दो उदाहरण लिखिए जिस पर आयकर नहीं लगता।
Write any two examples of interest incomes that are not subjected to income tax.

2. आयकर अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत दो कर-मुक्त आयें लिखिए।
Give any two examples of income exempted under Section 10 of Income Tax Act.

3. एक व्यक्ति को हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में से प्राप्त हिस्से का क्या व्यवहार होगा?
How do you treat the share of income from the Hindu Undivided Family by an individual?

कॉपीराइट की गई सामग्री

❑ वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

1. निम्न में से कौन-सी आय कर-मुक्त है ?

(क) कोलकाता में कृषि से आय (ख) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज
(ग) वेतन से आय (घ) पूंजीगत लाभ

State, which of the following income is exempted from tax?

(A) Agricultural income in Kolkata (B) Interest on Government securities
(C) Income from Salary (D) Capital Gains

2. कृषि आय है :

(क) कर-योग्य (ख) कर-मुक्त
(ग) आंशिक कर-मुक्त (घ) इनमें से कोई नहीं

Agricultural income is :

(A) Taxable (B) Exempted
(C) Partly exempted (D) None of these

3. एक नया उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में गत वर्ष 2013-14 में स्थापित किया गया। उसे धारा 10AA के अन्तर्गत कटौती मिलेगी :

(क) 5 कर-निर्धारण वर्ष (ख) 8 कर-निर्धारण वर्ष
(ग) 10 कर-निर्धारण वर्ष (घ) 15 कर-निर्धारण वर्ष

A new undertaking is established in Special Economic Zone during the Previous Year 2013-14. Deduction u/s 10AA shall be allowed for :

(A) 5 Assessment years (B) 8 Assessment years
(C) 10 Assessment years (D) 15 Assessment years

4. कर-मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

(क) धारा 10 (ख) धारा 80C
(ग) धारा 13 (घ) धारा 2

In which section of the Income-tax Act exempted incomes have been mentioned?

(A) Sec. 10 (B) Sec. 80C
(C) Sec. 13 (D) Sec. 2

5. संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता होता है :

(क) करमुक्त (ख) करयोग्य
(ग) कर के उद्देश्य से कुल आय में जोड़ी जाने वाली आय (घ) इनमें से कोई नहीं

The daily allowance received by a Member of Parliament is :

(A) Exempt (B) Taxable
(C) To be included in total income for tax purpose (D) None of these

6. निम्नलिखित में से करमुक्त आय है :

(क) कृषि आय (ख) विदेशी भत्ते
(ग) भारतीय कम्पनी का लाभांश (घ) ये सभी

Tax-free income from the following is :

(A) Agriculture income (B) Foreign allowance
(C) Dividend from Indian company (D) All of these

7. कर मुक्त आय है :

(क) घरेलू कम्पनी से ब्याज (ख) घरेलू कम्पनी से लाभांश
(ग) विदेशी कम्पनी से लाभांश (घ) सहकारी समिति से लाभांश

Exempted income is :

(A) Interest from a domestic company (B) Dividend from a domestic company
(C) Dividend from a foreign company (D) Dividend from a cooperative society

8. अवयस्क बच्चे की आय कर-मुक्त होती है :

(क) 1,000 ₹ (ख) 1,500 ₹
(ग) अवयस्क की आय या 1,500 ₹, जो दोनों में कम हो (घ) सम्पूर्ण आय

Income of minor child is exempted :

(A) ₹ 1,000
(B) ₹ 1,500
(C) Income of minor child or ₹ 1,500, whichever is less
(D) Whole income

कॉपीराइट की गई सामग्री

9. डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर-मुक्त है :

(क) 2,500 ₹ (ख) 3,500 ₹
(ग) 4,500 ₹ (घ) सम्पूर्ण राशि

Maximum limit of interest exemption on individual account in post office savings account is :

(A) ₹ 2,500 (B) ₹ 3,500
(C) ₹ 4,500 (D) Whole amount

10. साझेदार की फर्म से कर-मुक्त आय है :

(क) साझेदारी फर्म से वेतन (ख) साझेदारी फर्म से ब्याज
(ग) साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा (घ) ये सभी

Exempted income of a partner from the firm is :

(A) Salary from partnership firm (B) Interest from partnership firm
(C) Share of profit in the firm's income (D) All of these

[**उत्तर** : **1.** (क), **2.** (ख), **3.** (घ), **4.** (क), **5.** (क), **6.** (घ), **7.** (ख), **8.** (ग), **9.** (ख), **10.** (ग)।]

❑ **बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं अथवा गलत** (State Whether the Following Statements are True or False)

1. संसद सदस्यों को प्राप्त भत्ते कर-मुक्त नहीं होते हैं।
Allowances received by Member of Parliament are not exempted from tax.

2. कृषि आय, आयकर से मुक्त है।
Agricultural Income is free from Income Tax.

3. भारत में कृषि आय अनिवासी की दशा में कर-योग्य है।
Agricultural income in India is fully taxable in case of non-resident.

4. हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार की आय में से प्राप्त राशि कर-योग्य है।
Amount received by a member of H.U.F. out of family income is taxable.

5. Keyman बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन कर-मुक्त है।
Amount received under a Keyman insurance policy is exempt.

[**उत्तर** : **असत्य**—(1), (3), (4), (5); **सत्य**—(2)]

कॉपीराइट की गई सामग्री

5

वेतन से आय
(INCOME FROM SALARIES)

वेतन से आय
(INCOME FROM SALARIES)

'वेतन' आय का प्रथम शीर्षक है। किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा की गयी सेवाओं के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह वेतन कहलाता है। आय कर के लिए वेतन शब्द में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए गए नकद पारिश्रमिक के अतिरिक्त उन सुविधाओं का मूल्य भी शामिल होता है जो उसे नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई हैं तथा जो कर-योग्य हैं। 'वेतन' के अन्तर्गत गत वर्ष में प्राप्य (Due) वेतन, अग्रिम वेतन (Salary in Advance), पुरानी बकाया वेतन की प्राप्ति अथवा स्वीकृति भी शामिल है। उपर्युक्त राशियों का योग सकल वेतन होता है। (**धारा** 15)

नोट—यदि किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम प्राप्त वेतन किसी गत वर्ष में उसकी कुल आय में शामिल कर लिया गया है तो बाद में जब वह वेतन प्राप्य (due) होगा तब उसकी कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

उदाहरण—श्री अमरनाथ का मासिक वेतन 5,000 ₹ है। उसे उसके नियोक्ता ने बिना किराए का मकान दे रखा है जिसका मूल्य आय कर के लिए 8,000 ₹ वार्षिक है। उसे नियोक्ता से 500 ₹ प्रति माह महंगाई भत्ता भी मिलता है। इसके अतिरिक्त उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए अगले वर्ष का 3 माह का मूल वेतन भी अग्रिम ले लिया है। आय कर के लिए उसका सकल वेतन इन सबका योग होगा, अर्थात् 60,000 + 8,000 + 6,000 + 15,000 = 89,000 ₹।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के संशोधन में मानक कटौती धारा 16(ia) के अन्तर्गत 40,000 ₹ से बढ़ाकर 50,000 ₹ कर दी गई है।

वेतन के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें
(SOME IMPORTANT POINTS REGARDING SALARIES)

(1) **वेतन**—प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी को चाहे वह सार्वजनिक सेवा में हो अथवा निजी सेवा में हो, चाहे वह उच्च पद पर हो या निम्न पद पर हो, नियोक्ता से प्राप्त प्रत्येक प्रकार का पारिश्रमिक आय कर अधिनियम के अन्तर्गत 'वेतन' शीर्षक में आता है। इसका अभिप्राय यह है कि आय कर अधिनियम के लिए श्रमिकों की मजदूरी तथा अफसरों के वेतन में कोई अन्तर नहीं है।

(2) **नियोक्ता**—नियोक्ता कोई व्यक्ति , फर्म, कम्पनी, सरकार या संस्था हो सकती है।
नियोक्ता देशी या विदेशी हो सकता है।

(3) **एक से अधिक नियोक्ता**—एक कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ताओं के यहां एक ही समय में (Part time) नौकरी कर सकता है। परन्तु सभी नियोक्ताओं से प्राप्त या प्राप्य वेतन जोड़कर उसकी 'वेतन से आय' की गणना की जाएगी।

(4) **वेतन की प्राप्ति**—वेतन यदि अग्रिम प्राप्त हो जाए अथवा पुराना बकाया वेतन गत वर्ष में प्राप्त हो जाए (जिस पर पहले कर न लगा हो) तो यह कर-योग्य वेतन में शामिल होगा। इसके अतिरिक्त गत वर्ष में जो वेतन प्राप्य (Due) हो जाए (चाहे वास्तव में प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं) वह भी कर-योग्य वेतन में शामिल होगा। जैसे एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से गत वर्ष 2018-19 में वित्तीय वर्ष 2019-20 के 4 माह का 24,000 ₹ वेतन अग्रिम प्राप्त हुआ तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 का 3 माह का वेतन इसी वर्ष में प्राप्त नहीं हुआ जो 15,000 ₹ था। शेष 9 माह का वेतन 45,000 ₹ वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही प्राप्त हो गया। गत वर्ष 2018-19 की वेतन से आय 24,000 + 45,000 + 15,000 = 84,000 ₹ होगी।

ध्यान दें—(i) यदि अग्रिम ऋण के रूप में लिया गया है तो इसे आय में शामिल नहीं करेंगे।

(ii) जब अग्रिम वेतन को आय में शामिल कर लिया जाता है तो इसे अगले वर्ष आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) जब प्राप्य वेतन वेतन में शामिल कर लिया जाता है तो वेतन मिलने पर इसे आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) यदि गत वर्ष में कर्मचारी को बकाया वेतन मिला है और उस पर पिछले वर्षों में कर नहीं लगा है तो वह वेतन में शामिल किया जाएगा। उदाहरणार्थ, कर्मचारी की किसी पिछली तिथि से पदोन्नति हुई और उसका वेतन बढ़ा दिया गया तो बकाया वेतन की जो राशि (arrears) मिलेगी वह इस वर्ष आय में शामिल की जाएगी।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(5) **वेतन अर्जित होने का स्थान**—वेतन कहां अर्जित होता है यह महत्वपूर्ण है, वेतन कहां प्राप्त होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। [**धारा** 9(1)(ii)]

ध्यान दें—(i) यदि कोई व्यक्ति, जो भारत में सेवारत है, भारत के बाहर अवकाश पर जाता है तथा अवकाश की अवधि का वेतन वहीं प्राप्त करता है तो यह वेतन भारत में कमाया गया अथवा अर्जित माना जाएगा।

(ii) कोई व्यक्ति भारत में सेवा करने के बाद रिटायर होकर विदेश में रहने लगता है, तो उसकी विदेश में प्राप्त पेंशन भारत में कमायी गयी मानी जायेगी और यह भारतीय आय होगी।

(iii) एक ऐसे भारतीय नागरिक की दशा में जो सरकारी कर्मचारी है और भारत के बाहर किसी कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जाता है, जो कुछ समय के बाद **अनिवासी** हो जाता है तो उसे भारत के बाहर प्राप्त हुआ वेतन भारत में अर्जित माना जायेगा और उसे उस वेतन पर भारत सरकार को आय कर देना होगा; किन्तु उसे विदेश में सेवा करने की अवधि में भारतीय सरकार से जो भत्ते व अनुलाभ विदेश में मिलते हैं, वे कर-मुक्त होते हैं।

(6) **मालिक और कर्मचारी का सम्बन्ध**—भुगतान करने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच में मालिक तथा कर्मचारी का सम्बन्ध होना आवश्यक है तभी वह प्राप्ति वेतन मानी जायेगी। किसी पद पर काम करने के फलस्वरूप कोई व्यक्ति जो पारिश्रमिक पाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि पारिश्रमिक देने वाले या पाने वाले में मालिक तथा कर्मचारी का ही सम्बन्ध हो।उदाहरणार्थ,

(i) कम्पनी संचालक, प्रबन्ध अभिकर्ता, आदि कम्पनी के अधिकारी पद पर काम करते हैं और पारिश्रमिक पाते हैं परन्तु उनका कम्पनी से मालिक तथा कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं होता है। अतः संचालकों की फीस वेतन नहीं होगी।

(ii) यदि कोई विक्रय अभिकर्ता मिल की दुकान का प्रबन्ध करता है व उसे चलाता है और उस दुकान के लाभ-हानि की जिम्मेदारी मिल की होती है तो विक्रय अभिकर्ता का पारिश्रमिक वेतन माना जायेगा परन्तु यदि दुकान मिल की नहीं है और न उसके लाभ-हानि की जिम्मेदारी मिल की है और न मिल का अपना प्रबन्ध है और विक्रय अभिकर्ता उस मिल का माल बेचने का पारिश्रमिक (कमीशन) पाता है तो उसका पारिश्रमिक (कमीशन) वेतन नहीं माना जाएगा।

(iii) यदि कर्मचारी नियोक्ता का कोई ऐसा कार्य करता है जो उसकी सेवा के कर्तव्यों के अन्तर्गत नहीं आता है और उसका करना अथवा न करना कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है तो ऐसे कार्य का पारिश्रमिक वेतन नहीं माना जायेगा। एक विश्वविद्यालय के अध्यापक को उस विश्वविद्यालय के परीक्षक के रूप में कार्य करने का पारिश्रमिक वेतन नहीं माना जायेगा, बल्कि 'अन्य साधनों से आय' के शीर्षक में शामिल होगा।

(7) **संसद सदस्य का वेतन**—यह वेतन शीर्षक में कर-योग्य नहीं है क्योंकि संसद सदस्य तथा सरकार के बीच का सम्बन्ध नियोक्ता तथा कर्मचारी का नहीं होता है। यह वेतन 'अन्य साधनों से आय' के शीर्षक में कर-योग्य होगा।

(8) **साझेदार का वेतन**—एक साझेदार द्वारा अपनी फर्म से प्राप्त वेतन व्यापार अथवा पेशे से लाभों के शीर्षक में कर-योग्य होता है। यह वेतन शीर्षक में कर-योग्य नहीं होता है।

(9) **कर-मुक्त वेतन**—यदि कर्मचारी के वेतन पर देय आय कर नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है तो ऐसी दशा में कर्मचारी की वेतन से आय में नियोक्ता द्वारा उसके वेतन पर चुकाया गया आय कर भी शामिल होगा। परन्तु अनुलाभों पर चुकाया गया कर शामिल नहीं होगा।

(10) **वेतन को स्वेच्छा से त्यागना**—यदि कोई कर्मचारी अपने प्राप्य वेतन में से कुछ अंश त्याग देता है अर्थात् नियोक्ता पर ही छोड़ देता है तो यह वेतन का प्रयोग माना जाता है और त्यागी हुई राशि को भी उसके वेतन में शामिल करके ही कर लगता है। परन्तु स्वेच्छा से केन्द्रीय सरकार को समर्पित वेतन कर-मुक्त होगा।

(11) **अनुबन्ध के अन्तर्गत वेतन न लेना अथवा कम लेना**—यदि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबन्ध के फलस्वरूप कोई कर्मचारी वेतन बिल्कुल नहीं लेता है या कम वेतन लेता है तो इसे वेतन का प्रयोग नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसी दशा में वेतन देय ही नहीं हुआ। अतः न लिया गया वेतन अथवा वेतन की कमी को वेतन नहीं माना जाएगा।

(12) **अवकाश ग्रहण पर प्राप्तियां**—अवकाश ग्रहण करने पर कर्मचारी को ग्रेच्युइटी, पेंशन की एक मुश्त राशि, अर्जित अवकाश का वेतन, अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड की राशि प्राप्त होती है। ये सब वेतन मानी जाती हैं।

यदि कर्मचारी को सेवा समाप्त होने के पश्चात् भी नियोक्ता से भुगतान मिलता है तो यह भी वेतन माना जाता है।

(13) **पेंशन**—एक अवकाश प्राप्त कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन वेतन के रूप में कर-योग्य होती है।

(14) **नियोक्ता द्वारा की गयी कटौतियां**—नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से अनिवार्य रूप से की गयी कटौतियां वेतन का प्रयोग मानी जाती हैं। जैसे प्रॉविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी के अंशदान की वेतन में से कटौती या कर्मचारी द्वारा अपने वेतन पर देय आय कर की नियोक्ता द्वारा वेतन में से कटौती वेतन का एक भाग होती है जो सकल वेतन ज्ञात करने के लिए जोड़ी जाएगी।

(15) **कर्मचारी अथवा उसके उत्तराधिकारी को भुगतान**—ड्यूटी पर रहते हुए किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या मृत्यु हो जाती है तो उसे अथवा उसके उत्तराधिकारी को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा स्वेच्छा से दी गई राशि (exgratia payment) आय कर से मुक्त है। [*Circular No.* 776 dated 8.6.1999]

कॉपीराइट की गई सामग्री

(16) **पारिवारिक पेंशन**—मृतक कर्मचारी की विधवा अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारी को प्राप्त पारिवारिक पेंशन 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर-योग्य होती है।

(17) **नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्तियां**—कोई पारिश्रमिक अथवा सुविधा जो नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से मिली हो 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर-योग्य होती है न कि वेतन शीर्षक में।

(18) **वेतन-मान**—वेतन-मान से आशय यह है कि उस कर्मचारी को कितने वेतन पर नियुक्त किया जा रहा है तथा पूर्ण सेवा के कार्यकाल में (यदि कोई संशोधन अथवा पदोन्नति न हो) प्रति वर्ष क्या वृद्धि होगी तथा अधिकतम वेतन क्या होगा; जैसे, 2,200-100-3,000-200-5,000-300-8,000। यहां वेतन से आशय मूल वेतन से है।

(19) **वेतन के देय होने की तिथि**—इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य नियम हैं :

(**क**) **सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों की दशा में**—जिस माह का वेतन हो वह उसके अगले माह की पहली तारीख को देय माना जाता है। अतः ऐसी दशा में प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के वेतन से चालू वित्तीय वर्ष के फरवरी तक का वेतन उस वित्तीय वर्ष की आय माना जाता है।

(**ख**) **बैंकों तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों की दशा में**—जिस माह का वेतन हो वह उसी माह की अन्तिम तारीख को देय माना जाता है। अतः ऐसी दशा में प्रत्येक वर्ष चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल के वेतन से चालू वित्तीय वर्ष के मार्च तक का वेतन उस वित्तीय वर्ष की आय मानी जाती है।

वेतन की परिभाषा

❑ **वेतन से आय में निम्न शामिल हैं :** [**धारा** 17(1)]

(i) मजदूरी (Wages);

(ii) कोई वार्षिकी अथवा पेंशन (Annuity or Pension);

(iii) कोई ग्रेच्युइटी (Gratuity);

(iv) कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ अथवा वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त लाभ;

(v) कोई अग्रिम वेतन, परन्तु इसमें मोटर-कार, स्कूटर, मकान, आदि के लिए लिया गया ऋण शामिल नहीं है;

(vi) अवकाश न लेने के बदले में कर्मचारी को प्राप्त कोई राशि;

नोट—उम्र के आधार पर अथवा अन्यथा सेवा से अवकाश ग्रहण करते समय जमा अर्जित अवकाश के बदले में प्राप्त राशि धारा 10(10AA) के अन्तर्गत कर-मुक्त होगी।

(vii) एक कर्मचारी के स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड के शेष में वार्षिक वृद्धि (annual accretion), अर्थात् कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक नियोक्ता का अंशदान तथा प्रॉविडेण्ट फण्ड पर 9.5% की दर से अधिक दर पर ब्याज;

(viii) हस्तान्तरित शेष (Transferred Balance) का कर-योग्य अंश;

(ix) सरकार द्वारा 1.1.2004 या इसके पश्चात् नियोजित व्यक्ति अथवा किसी अन्य नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के खाते में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन अंशदान।

(**क**) **नियमित मिलने वाली नकद प्राप्तियां**—(i) **मूल वेतन अथवा मजदूरी** से आशय नियमितता से (साप्ताहिक, मासिक, आदि) नियोक्ता से नकद प्राप्त पारिश्रमिक से है। इसमें अग्रिम वेतन, महंगाई वेतन भी आते हैं। पेंशन भी नियमितता से नकद प्राप्त होती है। महंगाई वेतन से आशय है कि यह सेवा की शर्तों के अन्तर्गत दिया जा रहा है। यह भी मूल वेतन का भाग माना जाता है।

(ii) **बोनस, कमीशन, वार्षिकी, फीस, आदि**—सामान्यतया कर्मचारियों को प्रति वर्ष नियोक्ता बोनस देता है। कभी-कभी नियोक्ता नौकरी के अन्तर्गत कुछ कमीशन भी कर्मचारियों को देता है। वार्षिकी तथा फीस भी दी जाती है। ये सभी नकद दी जाती हैं।

(iii) **भत्ते**—भत्ते कई प्रकार के होते हैं—कर-योग्य, पूर्णतया कर-मुक्त तथा आंशिक कर-मुक्त। इनका विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है।

(**ख**) **अनुलाभ**—अनुलाभ अर्थात् भिन्न-भिन्न प्रकार की सुविधाएं। ये भी कई प्रकार के होते हैं कर-योग्य तथा कर-मुक्त। इनका विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है।

(**ग**) **अर्जित अवकाश का नकदीकरण**—इसे अर्जित अवकाश का नकद भुगतान भी कहते हैं। यदि नौकरी में रहते हुए अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जाता है तो ऐसी राशि वेतन से आय में शामिल की जाती है। [**धारा** 10(10AA)]

सेवा से अवकाश ग्रहण करते समय अर्जित अवकाश के बदले जो राशि प्राप्त होती है वह निर्धारित सीमा तक कर-मुक्त है (देखिए अध्याय 6)

(**घ**) **ग्रेच्युइटी—मृत्यु तथा अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेच्युइटी**—(**अ**) **सरकारी कर्मचारी की दशा में**—सरकार अथवा स्थानीय सत्ता के सब श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गयी राशि पूर्णतया आय कर से मुक्त है। [**धारा** 10(10)]

कॉपीराइट की नई सामग्री

(ब) अन्य कर्मचारियों की दशा में यह निर्धारित राशि तक कर-मुक्त है। (देखिए अध्याय 6)

(ङ) पेंशन—(i) सेवा निवृत्त होने के बाद कर्मचारी (सरकारी या गैर सरकारी) को जो पेंशन मिलती है वह वेतन शीर्षक में कर-योग्य है।

(ii) **कोई अन्य विदेशी पेंशन**—विदेश में की गयी सेवा के लिए भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा सीधी भारत में प्राप्त पेंशन 'प्राप्ति' के आधार पर कर-योग्य होगी। यदि यह पेंशन भारत के बाहर प्राप्त करके भारत भेज दी जाए तो केवल भारत में साधारण निवासी की दशा में कर-योग्य होगी।

(iii) U. N. O. **से प्राप्त वेतन तथा पेंशन**—U. N. O. से प्राप्त वेतन तथा पेंशन भारत में पूर्णतया कर-मुक्त है।

(iv) **शौर्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति की पेंशन**—किसी ऐसे व्यक्ति को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा है और जिसे 'परमवीर चक्र' या 'महावीर चक्र' या 'वीर चक्र' या ऐसा अन्य शौर्य पुरस्कार मिला है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है, प्राप्त पेंशन कर-मुक्त होगी। **[धारा** 10(18)]

पेंशन की एक मुश्त राशि—सेवा निवृत्ति के पश्चात् कभी भी यदि वह सारी पेंशन या आंशिक पेंशन के बदले एक मुश्त राशि लेता है तो यह निर्धारित सीमा तक कर-मुक्त है। (देखिए अध्याय 6)

(च) स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड में वार्षिक वृद्धि—वार्षिक वृद्धि से आशय कर्मचारी के स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड में नियोक्ता द्वारा वेतन के 12% से अधिक अंशदान तथा फण्ड के शेष पर 9.5% से अधिक की दर से ब्याज। यह भी वेतन शीर्षक में कर-योग्य होता है।

(छ) प्रॉविडेण्ट फण्ड का हस्तान्तरित शेष—जब कोई अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड सर्वप्रथम प्रमाणित किया जाता है तो किसी कर्मचारी के प्रॉविडेण्ट फण्ड खाते में इस फण्ड के प्रमाणित होने के समय जो शेष होता है, उसे **हस्तान्तरित शेष** (Transferred Balance) कहते हैं।

हस्तान्तरित शेष का कर-योग्य भाग—जब से अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड स्थापित हुआ है तभी से यह मानते हुए कि यदि यह प्रॉविडेण्ट फण्ड शुरू से ही प्रमाणित होता है तो कर्मचारी के लिए प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक वृद्धि की राशि कर-योग्य होती उन सब राशियों का योग हस्तान्तरित शेष का कर-योग्य भाग होगा और यह उस गत वर्ष की कर्मचारी की आय मानी जावेगी जिस गत वर्ष में अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड प्रमाणित हुआ है।

■ **उदाहरण** (Illustration) 1 **(कर-योग्य वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में)**

मिस्टर X भारत पेपर कम्पनी में 24,000 ₹ प्रति माह पर सेवारत है। वह प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड का सदस्य है जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 14% अंशदान करता है। इस वर्ष में उसके प्रॉविडेण्ट फण्ड के 80,000 ₹ के शेष पर 8,400 ₹ ब्याज जमा किया गया। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाली वार्षिक वृद्धि की कर-योग्य राशि की गणना कीजिए।

Mr. X is employed in Bharat Paper Co. at ₹ 24,000 per month. He is a member of Recognised Provident Fund to which he and his employer contributes 14% of his salary. During the year he was given credit of ₹ 8,400 as interest on the provident fund balance of ₹ 80,000. Calculate the taxable amount of annual accretion to be included in his income under the head 'Salaries' for the Assessment Year 2020-21.

Solution

Computation of Taxable Annual Accretion

(*for the Assessment Year* 2020-21)

Annual Salary ₹ 2,88,000	₹
(i) Excess of employer's contribution to provident fund over 12% of salary	5,760
(ii) Interest in excess of 9.5%	800
Taxable Annual Accretion	6,560

Note : Interest taxable on RPF : 8,400 – (80,000 × 9.5%) = ₹ 800.

❑ **अन्य प्राप्तियां**

(1) **छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति**—देखिए अध्याय 6. **[धारा** 10(10B)]

(2) **सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों अथवा अन्य किसी कम्पनी अथवा स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करते समय प्राप्तियां** [धारा 10(10C)]—देखिए अध्याय 6. **[धारा** 10(10C)]

(3) **अनुलाभों के मूल्य पर नियोक्ता द्वारा कर का भुगतान**—यदि नियोक्ता स्वेच्छा से कर्मचारी को दिए गए अनुलाभों, [धारा 17(2) में वर्णित] (जिनका मुद्रा में भुगतान नहीं किया गया है) पर कर्मचारी के निमित्त कर का भुगतान करता है तो इस राशि को कर्मचारी की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। **[धारा** 10(10CC)]

कॉपीराइट की गई सामग्री

भत्ते
(ALLOWANCES)

नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त मुद्रा में जो मासिक भुगतान किये जाते हैं वे भत्ते कहलाते हैं। आय कर की दृष्टि से भत्ते तीन प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं :

(A) कर-योग्य भत्ते; (B) आंशिक कर-मुक्त भत्ते; (C) पूर्णतया कर-मुक्त भत्ते।

❑ (A) **कर-योग्य भत्ते** (Taxable Allowances)

(1) **महंगाई भत्ता तथा महंगाई वेतन**—कर्मचारी को मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति हेतु मंहगाई भत्ता दिया जाता है। इस राशि को वेतन से आय शीर्षक में जोड़ा जाता है।

महंगाई वेतन—जब महंगाई भत्ते के किसी भाग को या सम्पूर्ण राशि को महंगाई वेतन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो यह मूल वेतन का भाग बन जाता है।

महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन—जब महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन दिया जाता है तो इसे भी मूल वेतन का भाग माना जाता है। जब महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन दिया जाता है तो यह अवकाश (retirement) सम्बन्धी सुविधाओं के लिए वेतन में शामिल किया जाता है तथा यह मकान किराया भत्ते की कर-मुक्त राशि, प्रमाणित फण्ड में अंशदान की राशि, ग्रेच्युइटी तथा किराये से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए भी वेतन में शामिल किया जाता है।

(2) **नगर क्षतिपूरक भत्ता**—बड़े शहरों में निर्वाह व्यय (Cost of living) अधिक होने के कारण नगर क्षतिपूरक भत्ता दिया जाता है। यह पूर्णतः कर योग्य है।

(3) **निश्चित चिकित्सा भत्ता**—यह पूर्णतया **कर-योग्य** है। चाहे चिकित्सा पर व्यय भत्ते से अधिक हो या कम हो।

(4) **टिफिन भत्ता**—यह कर्मचारियों को भोजन तथा नाश्ते के लिए दिया जाता है। यह पूर्णतया **कर-योग्य** है।

(5) **नौकर भत्ता**—यह पूर्णतया **कर-योग्य** है चाहे यह किसी भी स्तर के कर्मचारी को दिया गया हो।

(6) **प्रैक्टिस न करने का भत्ता**—यह सामान्यतया उन चिकित्सकों को दिया जाता है जो सरकारी नौकरी में हैं और जिन्हें निजी प्रैक्टिस करना मना है। यह निजी प्रैक्टिस करने को वर्जित करने से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए दिया जाता है। यह पूर्णतया **कर-योग्य** है।

(7) **पर्वतीय भत्ता**—यह भत्ता पर्वतीय क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा जीवन-निर्वाह लागत अधिक है।

(8) **वार्डन भत्ता तथा प्रोक्टर भत्ता**—ये भत्ते शिक्षा संस्थाओं में दिये जाते हैं। यदि कोई अध्यापक छात्रावास का वार्डन होता है तो उसे वार्डन भत्ता मिलता है तथा कोई अध्यापक विद्यालय का प्रोक्टर होता है तो उसे प्रोक्टर भत्ता मिलता है। ये दोनों भत्ते पूर्णतया **कर-योग्य** हैं।

(9) **प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) भत्ता**—जब कोई कर्मचारी अपनी सेवा के स्थायी स्थान से किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से काम करने के लिए भेज दिया जाता है तो उसे प्रतिनियुक्ति पर भेजा हुआ कहते हैं। ऐसी दशा में उसे उस संस्था, विभाग अथवा स्थान से जहां वह भेजा गया है प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) भत्ता मिलता है। यह भत्ता पूर्णतया **कर-योग्य** है।

(10) **अतिरिक्त समय कार्य करने का भत्ता**—जब कोई कर्मचारी अपने कार्य के सामान्य घण्टों से अधिक कार्य करता है तो उसे Overtime Allowance दिया जाता है। यह भत्ता पूर्णतया **कर-योग्य** है।

(11) **अन्य भत्ते**—उपर्युक्त के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के भत्ते हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, सेना के कर्मचारियों को युद्ध के क्षेत्र में रहते समय यदि अपना परिवार साथ में नहीं रखने दिया जाता है तो परिवार भत्ता मिलता है। इसी प्रकार परियोजना भत्ता, विवाह भत्ता, ग्रामीण भत्ता, आदि हो सकते हैं। ये सभी पूर्णतया **कर-योग्य** हैं, जब तक कि स्पष्टतया कर-मुक्त न कर दिये जाएं।

❑ (B) **आंशिक कर-मुक्त भत्ते** (Partially Exempted Allowances)

ये भत्ते आंशिक कर-मुक्त होने का आशय है कि ये कुछ सीमा तक कर-मुक्त होते हैं। ऐसे कुछ प्रमुख भत्ते निम्न हैं :

(1) **मकान किराया भत्ता**—यदि कर्मचारी किराए के मकान में रहा है तो यह भत्ता कुछ सीमा तक कर-मुक्त होता है।

[**धारा** 10(13A)]

कर-मुक्त सीमा—निम्न में से जो सब से कम रकम हो, वह कर-मुक्त होगी :

(अ) करदाता द्वारा प्राप्त इस भत्ते की वास्तविक रकम; अथवा

(आ) किराए की राशि – सम्बन्धित अवधि के वेतन का 10% = शेष राशि; अथवा

(इ) (i) यदि यह रहने का मकान मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली अथवा चेन्नई में स्थित है तो सम्बन्धित अवधि के करदाता के वेतन के 1/2 भाग (50%) के बराबर राशि; तथा

कॉपीराइट की नई सामग्री

(ii) यदि यह रहने का मकान अन्य किसी स्थान में स्थित है तो सम्बन्धित अवधि के करदाता के वेतन के 2/5 भाग (40%) के बराबर राशि।

ध्यान दें—(i) यदि कोई कर्मचारी अपने मकान में रह रहा है अथवा वह किसी ऐसे मकान में रह रहा है जिसका वह कोई किराया नहीं चुकाता है और उसे मकान किराया भत्ता भी मिल रहा है तो मकान किराये भत्ते की सम्पूर्ण राशि कर-योग्य होगी।

यदि किराया एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक चुकाया गया हो तब कर्मचारी को अपने मकान मालिक का स्थायी खाता संख्या (PAN), नियोक्ता को बताना अनिवार्य हैं। (सीवीडीटी सर्कुलर 8/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013) (नियम 26C)

(ii) इसके लिए वेतन से आशय वेतन + महंगाई भत्ता (यदि यह सेवा की शर्तों के अन्तर्गत मिल रहा है)। + कर्मचारी द्वारा की हुई बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन।

(iii) सम्बन्धित अवधि से आशय उस अवधि से है जिसमें करदाता उस रहने के मकान में गत वर्ष में रहा हो।

House Rent Allowance (HRA)

↓

↓	↓
कर्मचारी जब अपने स्वयं के मकान में रहता है या अपने रहने के मकान का कोई किराया नहीं देता उस दशा में सम्पूर्ण मकान किराया भत्ता कर-योग्य है।	अन्य कर्मचारी जो अपने रहने के स्थान का किराया देता है। ↓ Least of the following is exempt : (a) Rent paid – 10% of salary (b) 40% of salary [50% in case residing in Delhi, Mumbai, Chennai or Kolkata] (c) HRA actually received

Salary includes : Basic Salary + D.A. (If part of salary) + Commission (If fixed % of turnover)

जब सम्बन्धित गत वर्ष में वेतन, भुगतान किये गये किराये, शहर आदि में कोई परिवर्तन होता है तो यह हमेशा उचित रहेगा कि कर-योग्य मकान किराया भत्ता मासिक ज्ञात किया जाए तथा बाद में उसे वार्षिक बना लें।

■ **उदाहरण** (Illustration) 2 **(मकान किराया भत्ता)**

निम्न सूचनाओं से, मिस्टर राम, जो कानपुर में रहता है, की मकान किराया भत्ते की कर-मुक्त राशि की गणना कीजिए :

	I	II	III
वेतन प्रति माह	₹ 18,000	12,000	6,000
प्रति माह प्राप्त मकान किराया भत्ता	₹ 2,100	600	1,050
प्रति माह भुगतान किया गया किराया	₹ 1,500	1,920	750

From the following information compute the exempted amount of House rent allowance of Mr. Ram who resides at Kanpur :

	I	II	III
Salary per month	₹ 18,000	12,000	6,000
H. R. A. received per month	₹ 2,100	600	1,050
Rent paid per month	₹ 1,500	1,920	750

Solution **Computation of Exempted Amount of H. R. A.**

	I	II	III
	₹	₹	₹
1. H.R.A. received	2,100	600	1,050
2. Excess of Rent paid over 10% of salary	Nil	720	150
3. As the Accommodation is not situated in specified cities, 2/5th of salary	7,200	4,800	2,400
The least of the above three is exempt	Nil	600	150

In the first case no amount of H.R.A. is exempt.
In the second case the whole amount of H.R.A. is exempt.
In the third case ₹ 1,800 is exempt.

कॉपीराइट की गई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 3

मि. प्रसंग एक निजी कम्पनी में 70,000 ₹ प्रति माह वेतन पर कार्यरत हैं। इन्हें 6,000 ₹ प्रतिमाह महंगाई वेतन तथा 10,000 ₹ वार्षिक कमीशन गत वर्ष में मिला है। मकान किराया भत्ता के रूप में 2,000 ₹ प्रतिमाह प्राप्त होता है। इन्होंने मकान हेतु 2,500 ₹ प्रति माह की दर से किराये का भुगतान किया है। कर-मुक्त मकान किराये भत्ते की राशि की गणना कीजिए।

Mr. Prasang is employed in a Private Company at ₹ 70,000 per month, ₹ 6,000 per month as dearness pay and ₹ 10,000 per annum as commission during the previous year. He received ₹ 2,000 per month as house rent allowance. He paid ₹ 2,500 per month rent. Compute house rent allowance exempted from tax.

Solution

Computation of Exempted HRA

Salary ₹ 8,40,000 + Dearness Pay ₹ 72,000 = ₹ 9,12,000

Amount exempted least of the following :

	₹
(a) H.R.A. received	24,000
(b) Rent paid – 10% of Salary (₹ 30,000 – 91,200)	Nil
(c) 40% of Salary	3,64,800

H.R.A. exempt—Nil.

■ **उदाहरण** (Illustration) 4

X 30.11.2019 तक निम्न शर्तों के अनुसार X Ltd. दिल्ली में कार्यरत था :

1. मूल वेतन 20,000 ₹ मासिक;
2. महंगाई भत्ता—मूल वेतन का 30% (60% वेतन का भाग माना जाता है);
3. मकान किराया भत्ता 8,000 ₹ मासिक;
4. X ने किराया दिया 11,600 ₹ मासिक।

X ने 1.12.2019 से Y Ltd. अमृतसर में निम्न शर्तों पर नौकरी आरम्भ की :

1. मूल वेतन 40,000 ₹ मासिक;
2. महंगाई भत्ता 32,000 ₹ मासिक (वेतन का भाग माना जाता है);
3. मकान किराया भत्ता 24,000 ₹ मासिक;
4. X ने किराया दिया 7,600 ₹ मासिक।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर-योग्य किराया भत्ते की गणना कीजिए।

X is employed by X Ltd. at Delhi up to 30-11-2019 on the following terms :

1. Basic salary ₹ 20,000 p.m.
2. D.A. 30% of basic salary (60% forms part of salary).
3. House rent allowance ₹ 8,000 p.m.
4. Rent paid by X ₹ 11,600 p.m.

W.e.f. 1.12.2019 X joined Y Ltd. at Amritsar on the following terms :

1. Basic salary ₹ 40,000 p.m.
2. D.A. ₹ 32,000 p.m. (forms part of salary).
3. House Rent allowance ₹ 24,000 p.m.
4. Rent paid by X ₹ 7,600 p.m.

Find the taxable House rent allowance for the Assessment Year 2020-21.

Solution **Computation of Taxbale House Rent Allowance**

(*for the Assessment Year* 2020-21)

Taxable HRA has been calculated in two stages and on per month basis and later annualised.

Least of the following is exempt :

	Delhi	*Amritsar*
	₹	₹
1. HRA received p.m.	8,000	24,000
2. Rent paid—10% of Salary		
Delhi ₹ 11,600 – 10% (20,000 + 3,600)	9,240	—
Amritsar ₹ 7,600 – 10% (40,000 + 32,000)	—	400

3. Delhi 50% of salary (20,000 + 3,600)	11,800	—
Amritsar 40% of salary (40,000 + 32,000)	—	28,800
Exempt HRA p.m.	8,000	400
Taxable HRA p.m.	Nil	23,600
Annualised Taxable HRA :		
Delhi	Nil	—
Amritsar ₹ 23,600 × 4 months	—	94,400

(2) **मनोरंजन भत्ता**—यह भत्ता नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को ग्राहकों का आदर-सत्कार करने हेतु दिया जाता है। इस भत्ते की चाहे सारी राशि ग्राहकों के आदर सत्कार पर व्यय हो जाए तो भी इसे वेतन में सम्मिलित किया जाता है और कोई कटौती नहीं मिलती। परन्तु सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित कटौती दी जाती है। इसका विस्तृत वर्णन अगले शीर्षक 'कटौतियां' में दिया गया है।

(3) **कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते**—विशेष भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिये गये हैं। विशेष भत्ते दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो केवल कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होते हैं तथा दूसरे वे जो व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए होते हैं। पहले प्रकार के भत्ते धारा 10(14)(i) के अन्तर्गत वास्तविक खर्चे तक कर-मुक्त होते हैं। दूसरे प्रकार के भत्ते व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए होते हैं जो धारा 10(14)(ii) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक कर-मुक्त होते हैं। [**धारा** 10(14)]

❑ **(अ) विशेष भत्ता जो केवल नौकरी से सम्बन्धित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए व्यय होना हो**

कोई विशेष भत्ता जो पूर्णतया, मात्र नौकरी से सम्बन्धित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए व्यय करने के लिए विशिष्टतया स्वीकार किया गया हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो **उस राशि तक कर-मुक्त होगा जितनी राशि ऐसे कर्तव्यों के लिए वास्तव में व्यय की गयी हो।** [**धारा** 10(14)(i)]

❑ **अधिसूचना**

(**क**) **यात्रा भत्ता**—दौरे पर या स्थानान्तरण पर यात्रा के व्यय की पूर्ति के लिए दिया गया भत्ता;

(**ख**) **दैनिक भत्ता**—अपने कार्य-स्थल (Place of duty) से अनुपस्थिति के कारण किसी कर्मचारी को स्वीकृत सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए कोई भत्ता;

(**ग**) **सवारी भत्ता**—अपने पद के कर्तव्य का पालन करने के लिए किये गये सवारी पर व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकृत सवारी भत्ता;

(**घ**) **सहायक भत्ता**—अपने पद के कर्तव्य का पालन करने के लिए यदि करदाता किसी सहायक की नियुक्ति करे तो उस पर किये गये व्यय की पूर्ति के लिए मिलने वाला भत्ता;

(**ङ**) **विद्योपार्जन भत्ता**—विद्योपार्जन, शोध तथा अन्य व्यावसायिक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए स्वीकृत भत्ता;

(**च**) **वर्दी भत्ता**—अपने पद के कर्तव्य का पालन करने की अवधि में पहनने वाली वर्दी के क्रय करने अथवा उसके रख-रखाव पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में स्वीकृत भत्ता।

यदि उपर्युक्त भत्तों में से कुछ राशि बच जाती है तो बची हुई राशि कर-योग्य होगी।

❑ **(ब) व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते**

करदाता को स्वीकृत भत्ते जो उसके व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए हों। इसके सम्बन्ध में धारा 10(14)(ii) के अन्तर्गत एक अधिसूचना द्वारा निम्न भत्ते कर-मुक्त घोषित किये गये हैं :

(1) **विशेष क्षतिपूरक भत्ते जो निम्न प्रकृति के हों**—(i) विशेष पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता; (ii) अधिक ऊंचाई के स्थान का भत्ता; (iii) असमान प्रकृति की जलवायु का भत्ता; (iv) बर्फ से ढके हुए स्थान का भत्ता; (v) पहाड़ से खिसक कर नीचे गिरे हुए ढेर के स्थान का भत्ता।

(2) **विशेष क्षतिपूरक भत्ते जो निम्न प्रकृति के हों**—(i) सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता; (ii) दूरस्थ बस्ती भत्ता; (iii) कठिन क्षेत्र भत्ता; (iv) अशान्त क्षेत्र भत्ता।

(1) एवं (2) में वर्णित भत्ते निर्धारित सीमा तक ही कर-मुक्त हैं। देखिए Appendix अध्याय के अन्त में।

(3) **जनजाति क्षेत्र भत्ता**—यह छूट @ 200 ₹ प्रति माह की मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा ओडिशा में स्वीकृत है।

(4) **परिवहन कर्मचारियों को विशेष भत्ता**—परिवहन की किसी व्यवस्था में सेवारत किसी कर्मचारी को वाहन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के दौरान वाहन पर ड्यूटी करते समय उसके निजी व्ययों की पूर्ति के लिए यदि भत्ता दिया जाता है तो यह अग्र में से जो रकम कम होगी वह कर-मुक्त है :

(i) भत्ते का 70%;

(ii) 10,000 ₹ प्रतिमाह।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(5) **बच्चों की शिक्षा का भत्ता**—100 ₹ प्रति माह प्रति बच्चा अधिकतम दो बच्चों तक कर-मुक्त है।

(6) **छात्रावास भत्ता**—अपने बच्चों के लिए किये गये छात्रावास के व्ययों की पूर्ति के लिए कर्मचारी को स्वीकृत भत्ता 300 ₹ प्रति माह प्रति बच्चा अधिकतम दो बच्चों तक कर-मुक्त है।

(7) **यातायात भत्ता**—(i) नियोक्ता द्वारा अपने किसी कर्मचारी को अपने निवास-स्थान से कार्यालय (ड्यूटी का स्थान) आने तथा अपने निवास स्थान वापस जाने पर किये गये व्यय की पूर्ति के लिए यदि कोई यातायात भत्ता स्वीकृत होता है तो वह 1,600 ₹ प्रति माह तक कर-मुक्त होगा (कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 से निष्प्रभावी)।

(ii) यदि कर्मचारी अन्धा है अथवा गूंगा एवं बहरा है अथवा लंगड़ा, लूला अथवा अस्थि रोग से पीड़ित होने के कारण विकलांग है तो उसे यह भत्ता 3,200 ₹ प्रति माह तक कर-मुक्त होगा

(8) **भूमिगत भत्ता**—खानों में जमीन के अन्दर असमान एवं अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारियों को प्राप्त भूमिगत भत्ता 800 ₹ प्रति माह तक कर-मुक्त है।

(9) सशस्त्र सैनिकों को विशेष भत्ते। (अध्याय के अन्त में Appendix देखें)

■ **उदाहरण** (Illustration) 5

एक निवासी कर्मचारी, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जो धारा 10(14)(ii) के अन्तर्गत निर्गमित अधिसूचना के क्रम 1 के I(h)(ii) स्थान में तथा क्रम 2 की श्रेणी A में भी आता है, को वेतन के अतिरिक्त मिलने वाले भत्तों में निम्न विशेष भत्ते शामिल हैं। इन विशेष भत्तों की कर-योग्य राशि की गणना कीजिए :

1. जलवायु भत्ता	700 ₹ प्रति माह
2. बर्फ में ढके हुए स्थान का भत्ता	300 ₹ प्रति माह
3. अशान्त क्षेत्र का भत्ता	800 ₹ प्रति माह
4. सीमावर्ती क्षेत्र का भत्ता	600 ₹ प्रति माह
5. उसके दो बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं और छात्रावास में रहते हैं : उन पर व्यय की पूर्ति के लिए छात्रावास भत्ता	800 ₹ प्रति माह
6. दोनों बच्चों की शिक्षा पर व्यय की पूर्ति का भत्ता	300 ₹ प्रति माह

A resident employee is getting the following special allowances besides salary. He is working in an area which is at a height of more than 9,000 ft. in the State of Jammu & Kashmir and which is also covered by Serial No. 1 and I(h)(ii) place and Category A of Serial No. 2 of the notification issued under section 10(14)(ii). Compute the taxable amount of these allowances :

	₹
1. Climate Allowance	700 p.m.
2. Snow Bound Area Allowance	300 p.m.
3. Disturbed Area Allowance	800 p.m.
4. Border Area Allowance	600 p.m.
5. His two children are studying in Delhi and are living in the hostel. For their reimbursement of their expenses, he is getting Hostel Allowance	800 p.m.
6. For reimbursement of expenses on the education of both the children, he is getting allowance	300 p.m.

Solution **Computation of Taxable Amount**

	₹	₹
1. Climate Allowance	8,400	
2. Snow Bound Area Allowance	3,600	
In serial No. 1(I)	12,000	
Less : Maximum amount exempted is @ ₹ 800 p.m.	9,600	2,400
3. Disturbed Area Allowance	9,600	
4. Border Area Allowance	7,200	
	16,800	
Less : Maximum amount exempted in Category A of Serial No. 2 is @ ₹ 1,300 p.m.	15,600	1,200
5. Hostel allowance (Exempt up to ₹ 300 p.m. per child)		2,400
6. Education Allowance (Exempt up to ₹ 100 p.m. per child)		1,200
Taxable Amount of Special Allowance		7,200

नोट— 1. प्रथम दोनों भत्ते एक ही श्रेणी के भत्ते हैं अतः उनकी कुल कर-मुक्त अधिकतम राशि 800 ₹ प्रति माह होगी।

2. इसी प्रकार सं. (3) व (4) एक ही श्रेणी के भत्ते हैं अतः उनकी कुल कर-मुक्त अधिकतम राशि 1,300 ₹ प्रति माह होगी।

कॉपीराइट की नई सामग्री

विभिन्न उद्देश्यों के लिए 'वेतन' से अभिप्राय

वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना के लिए	किराये से मुक्त रहने का मकान अथवा किराये में रियायत का मूल्यांकन करने के लिए	मकान किराया भत्ता की छूट निकालने के लिए	प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान की कटौती-योग्य राशि	मनोरंजन भत्ते की छूट की सीमा के लिए	धारा 17(2)(iii)(c) के अन्तर्गत अनुपालन के कर-योग्य होने के सम्बन्ध में 50,000 ₹ के वेतन का निर्धारण
1. मूल वेतन अथवा मजदूरी 2. अग्रिम वेतन 3. वेतन का पुराना शेष (Arrears) 4. वार्षिकी अथवा पेंशन 5. ग्रेच्युइटी 6. फीस, कमीशन, बोनस 7. भत्ते, महंगाई भत्ते सहित 8. वेतन के स्थान पर लाभ 9. अनुलाभ 10. प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में नियोक्ता द्वारा वेतन के 12% से अधिक अंशदान 11. प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड से मिला ब्याज (9.5% की दर से अधिक ब्याज की राशि) 12. प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में कर-योग्य हस्तान्तरित शेष	1. मूल वेतन (पेशगी तथा पुरानी वकाया प्राप्त वेतन छोड़कर) 2. कर-योग्य भत्ते 3. बोनस 4. कमीशन 5. कोई रोकड़ में भुगतान परन्तु निम्न को छोड़कर : • महंगाई भत्ता, यदि यह अवकाश सम्बन्धी सुविधाओं की गणना करने में शामिल नहीं किया जाता हो, • कर्मचारी के प्रॉविडेण्ट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान, • कर-मुक्त भत्ते, तथा • अनुलाभों का मूल्य	1. मूल वेतन, 2. महंगाई भत्ता, यदि सेवा की शर्तों में ऐसा आयोजन हो अर्थात् अवकाश सम्बन्धी सुविधाओं की गणना करने में यह शामिल किया जाता हो [अन्य किसी प्रकार के भत्ते, बोनस, निम्न (3) में वर्णित कमीशन के अतिरिक्त कमीशन, अनुलाभों और समस्त अन्य प्राप्तियों को छोड़कर] 3. कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन।	पिछले column में मकान किराया भत्ते के सन्दर्भ में जो वेतन का अभिप्राय है, वही यहां लागू होगा।	मूल वेतन, जिसमें कोई भत्ता, लाभ या अन्य किसी प्रकार के अनुलाभ शामिल न हों।	मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य कर-योग्य भत्ते, लाभ जो नकद प्राप्त हुए हों, बोनस, कमीशन, आदि तथा अन्य सभी मौद्रिक प्राप्तियां जो सकल वेतन में शामिल हों परन्तु धारा 16 के अन्तर्गत कटौतियां घटाने के बाद। इस आशय के लिए वेतन में वे अनुलाभ शामिल नहीं होंगे जो मुद्रा में प्राप्त नहीं होते हैं।

नोट : महंगाई वेतन (Dearness Pay) सदैव मूल वेतन माना जाता है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

❑ (C) **पूर्णतया कर-मुक्त भत्ते** (Fully Exempted Allowances)

(1) **विदेश भत्ता**—यह भत्ता सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक को भारत के बाहर सेवा करने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता पूर्णतया **कर-मुक्त** है।

(2) **उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता**—उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो सत्कार भत्ता मिलता है वह पूर्णतया **कर-मुक्त** होता है।

(3) **संयुक्त राष्ट्र संघ के भत्ते**—संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये भत्ते पूर्णतया **कर-मुक्त** होते हैं।

(4) यदि होटल, बोर्डिंग एवं आवास के लिए कर्मचारी को प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है और उसे इसमें से कुछ राशि बच जाती है तो यह कर-मुक्त है।

उपर्युक्त समस्त भत्तों को संक्षेप में निम्न तालिका द्वारा समझाया जा सकता है :

पूर्णतया कर-योग्य	आंशिक कर-मुक्त	पूर्णतया कर-मुक्त
(1) महंगाई भत्ता अथवा महंगाई वेतन	(1) मकान किराया भत्ता	(1) विदेश भत्ता
	(2) मनोरंजन भत्ता	(2) उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता
(2) नगर क्षति-पूरक भत्ता	(3) कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते :	
(3) चिकित्सा भत्ता	(अ) विशेष भत्ता जो धारा 10(14)(i) के अन्तर्गत अधिसूचित है :	(3) संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता
(4) टिफिन भत्ता	(क) यात्रा भत्ता	(4) होटल, बोर्डिंग एवं आवास के लिए प्रतिदिन भत्ता
(5) नौकर भत्ता	(ख) दैनिक भत्ता	
(6) प्रेक्टिस न करने का भत्ता	(ग) सवारी भत्ता	
(7) पर्वतीय भत्ता	(घ) सहायक भत्ता	
(8) वार्डन भत्ता तथा प्रोक्टर भत्ता	(ङ) विद्योपार्जन भत्ता	
(9) डेप्यूटेशन भत्ता	(च) वर्दी भत्ता	
(10) अतिरिक्त समय कार्य का भत्ता	(ब) विशेष भत्ता जो धारा 10(14)(ii) के अन्तर्गत कतिपय सीमा तक कर-मुक्त है :	
(11) अन्य भत्ते बशर्ते कि स्पष्टतया कर-मुक्त घोषित न किये गये हों	(क) विशेष पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता, अधिक ऊंचाई के स्थान का भत्ता, असमान प्रकृति की जलवायु का भत्ता, बर्फ से ढके हुए स्थान का भत्ता तथा पहाड़ से खिसक कर नीचे गिरे हुए ढेर के स्थान का भत्ता	
	(ख) सीमावर्ती क्षेत्र, दूरस्थ बस्ती, कठिन क्षेत्र अथवा अशान्त क्षेत्र का भत्ता	
	(ग) जनजाति क्षेत्र भत्ता	
	(घ) परिवहन की किसी संस्था में सेवारत व्यक्ति को वाहन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने-ले जाने के समय कार्य करते हुए किये गये निजी व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता	
	(ङ) बच्चों की शिक्षा भत्ता	
	(च) बच्चों को छात्रावास भत्ता	
	(छ) यातायात भत्ता	
	(ज) भूमिगत भत्ता	
	(झ) सशस्त्र सैनिकों को विशेष भत्ते	

कॉपीराइट की गई सामग्री

अनुलाभ
(PERQUISITES)

कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा वेतन के अलावा कई सुविधाएं दी जाती हैं। जो सुविधाएं नकद दी जाती हैं उन्हें भत्ते कहते हैं तथा जो सुविधाएं वस्तु या सेवा के रूप में दी जाती हैं, परन्तु उनका मुद्रा में मूल्य ज्ञात किया जा सकता है उन्हें अनुलाभ कहते हैं। उदाहरणार्थ, रहने के लिए बिना किराए का मकान, मोटर कार की सुविधा, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, नौकर की सुविधा, आदि।

अनुलाभ निम्न प्रकार के होते हैं :

I. प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर-योग्य अनुलाभ;

II. विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में कर-योग्य अथवा विशिष्ट अनुलाभ;

III. सबके लिए कर-मुक्त अनुलाभ।

❑ I. सभी के लिए कर-योग्य अनुलाभ (Perquisites taxable in all cases)

निम्न अनुलाभों का मूल्य कर्मचारी की आय में वेतन शीर्षक में जोड़ा जाता है :

(i) किराये से मुक्त रहने का मकान। [**धारा** 17(2)(i)]

(ii) रियायती किराये पर रहने का मकान। [**धारा** 17(2)(ii)]

(iii) नियोक्ता द्वारा किये हुए किसी ऐसे दायित्व का भुगतान जो यदि नियोक्ता भुगतान न करता तो करदाता को करना पड़ता। ऐसे दायित्वों के कुछ उदाहरण निम्न हैं :

(क) कर्मचारी के होटल अथवा क्लब के निजी बिलों का भुगतान;

(ख) कर्मचारी के किसी ऋण का भुगतान;

(ग) कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा व्ययों का भुगतान;

(घ) कर्मचारी के घरेलू नौकर का वेतन नियोक्ता द्वारा चुकाया जाना, यदि नौकर की नियुक्ति कर्मचारी ने की है;

(ङ) कर्मचारी के वेतन पर देय आय कर नियोक्ता द्वारा चुकाया जाना, यदि नियोक्ता कर्मचारी को दिए गए अनुलाभों पर (जिनका मुद्रा में भुगतान नहीं किया गया है) कर का भुगतान करता है तो यह कर-मुक्त होगा;

(च) कर्मचारी को बचाने अथवा उसकी रक्षा करने के लिए नियोक्ता द्वारा किये गये कानूनी व्यय; [**धारा** 17(2)(iv)]

(iv) करदाता के स्वयं के अथवा उसके किसी परिवारजन के जीवन बीमा के लिए अथवा एक वार्षिकी के अनुबन्ध के लिए दी हुई रकम। [**धारा** 17(2)(v)]

(v) नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा करदाता को निःशुल्क या रियायती दर पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आवंटित या अंतरित किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण अंशों (sweat equity shares) का मूल्य; [**धारा** 17(2)(vi)]

(vi) करदाता की बाबत नियोक्ता द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि (superannuation fund) में एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक अभिदाय की राशि। [**धारा** 17(2)(vii)]

नोट—यदि राशि एक लाख पचास हजार रुपए तक है तो यह अनुलाभ में शामिल नहीं की जाएगी। यदि अभिदाय की राशि एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है तो अभिदाय की राशि में से एक लाख पचास हजार रुपए घटाकर शेष राशि अनुलाभ में शामिल की जाएगी।

(vii) विहित सीमान्त फायदे या सुख-सुविधा (fringe benefit or amenity) का मूल्य। [**धारा** 17(2)(viii)]

धारा 17(2)(viii) के अनुसार निम्न अनुलाभों का मूल्य वेतन शीर्षक में जोड़ा जाएगा :

(i) बिना ब्याज या ब्याज की रियायती दर पर ऋण की सुविधा;

(ii) छुट्टी मनाने के लिए जाने की सुविधा;

(iii) निःशुल्क भोजन;

(iv) उपहार,

(v) क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित व्यय;

(vi) क्लब व्यय;

(vii) चल सम्पत्ति का उपयोग;

(viii) चल सम्पत्ति का अन्तरण;

(ix) अन्य लाभ या अनुलाभ।

कॉपीराइट की गई सामग्री

❑ II. **विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर-योग्य अनुलाभ** (Perquisites Taxable in the case of specified employees only)

विशिष्ट कर्मचारी कौन हैं—ऐसे कर्मचारी जो निम्न में से कम-से-कम कोई एक शर्त पूरी करते हैं विशिष्ट कर्मचारी कहलाते हैं और उनकी दशा में विशिष्ट प्रकार के लाभ एवं सुविधाएं यदि निःशुल्क या रियायती दर पर नियोक्ता द्वारा उपलब्ध की गयी हैं तो उनका मूल्य वेतन में जोड़ा जायेगा अर्थात् वे कर-योग्य होते हैं :

(अ) कर्मचारी जो नियोक्ता कम्पनी का संचालक भी है; अथवा

(ब) कर्मचारी जिसके पास नियोक्ता कम्पनी के कम-से-कम 20% मताधिकार वाले समता अंश हैं; अथवा

(स) कर्मचारी जिसका कर-योग्य वेतन 50,000 ₹ से अधिक हो।

ध्यान दें—(i) मौद्रिक वेतन में वेतन, कर-योग्य भत्ते, बोनस, कमीशन एवं अन्य भुगतान जो मुद्रा में किए जाते हैं शामिल होंगे।

(ii) कर-योग्य मौद्रिक वेतन की गणना करते समय मौद्रिक वेतन में से धारा 16 की कटौतियां (मनोरंजन भत्ते की कटौती योग्य राशि एवं नियोजन कर) घटा दी जाती हैं।

(iii) यदि किसी गत वर्ष में कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हैं तो सब नियोक्ताओं से प्राप्त/प्राप्य मौद्रिक आय जोड़कर 50,000 ₹ की सीमा देखी जाएगी। [**धारा** 17(2)(iii)]

इसके अन्तर्गत निम्न अनुलाभों का मूल्य कर-योग्य है :

(i) कार की सुविधा;

(ii) फर्राश, माली, चौकीदार या निजी सहायक की सुविधा;

(iii) गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा;

(iv) शिक्षा सुविधा;

(v) यातायात की सुविधा।

महत्वपूर्ण नोट

वेतन शीर्षक में कुछ अनुलाभों का मूल्य विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर-योग्य है। विशिष्ट कर्मचारी होने के लिए वेतन से मौद्रिक आय 50,000 ₹ से अधिक होनी चाहिए। यदि मौद्रिक आय 50,000 ₹ से अधिक नहीं है तो कर्मचारी को कम्पनी का संचालक होना चाहिए या कर्मचारी का कम्पनी में सारभूत हित होना चाहिए।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अनुसार अब किसी भी कर्मचारी का वार्षिक वेतन 50,000 ₹ से अधिक ही होगा। अतः अनुलाभों के मूल्य के लिए अब सभी कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं।

कर्मचारी को जो भी अनुलाभ मिल रहे हैं, उनका मूल्य (आयकर अधिनियम एवं आयकर नियमों के अनुसार) उसकी वेतन से आय में शामिल किया जाना चाहिए।

आयकर अधिनियम, 1961 में न्यूनतम वेतन अधिनियम को ध्यान में रखकर संशोधन नहीं किया गया है। अतः पुस्तक में विशिष्ट कर्मचारी एवं अविशिष्ट कर्मचारी को ध्यान में रखकर प्रावधान दिए गए हैं जिनका व्यावहारिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

❑ III. **कर-मुक्त अनुलाभ** (Tax-Free Perquisites)

निम्न सुविधाएं प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर-मुक्त हैं :

(i) चिकित्सा सुविधाएं।

(ii) व्यापारिक स्थल या कार्यालय में नाश्ते की मुफ्त सुविधा।

(iii) कार्य-स्थल पर रहने की सुविधा। (देखें रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन)

(iv) **टेलीफोन की सुविधाएं**—कर्मचारी के टेलीफोन जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल है, के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान।

(v) सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान।

(vi) कर्मचारी को या उसके बच्चों को छात्रवृत्ति।

(vii) **यातायात की सुविधा**—रहने के स्थान से सेवा के स्थान तक जाने व लौटने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान की गयी सवारी की सुविधा।

(viii) **रिफ्रेशर कोर्स**—यदि कर्मचारी को रिफ्रेशर कोर्स कराने की फीस नियोक्ता चुकाता है जिससे कर्मचारी अपना कार्य अधिक कुशलता से कर सके। ऐसे व्यय छात्रवृत्ति माने जाते हैं।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(ix) यदि नियोक्ता कर्मचारी को दिए गए अनुलाभों पर आयकर चुकाता है तो ऐसी राशि वेतन से आय में शामिल नहीं की जाएगी।

(x) **विदेश में नौकरी पर गये हुए सरकारी कर्मचारियों को अनुलाभ**—विदेश में नौकरी पर गये हुए सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा दिये गये अनुलाभ।

(xi) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त मकान तथा सवारी की सुविधा।

(xii) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त मकान तथा सवारी की सुविधा।

(xiii) **मन्त्री, आदि को मुफ्त मकान की सुविधा**—मन्त्री, संसद के निर्दिष्ट अधिकारियों अथवा संसद में विपक्ष के नेताओं को दिये गये किराये से मुक्त मकान का मूल्य।

(xiv) कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को निजी उपयोग के लिए दिया गया लैपटॉप (Laptop) एवं कम्प्यूटर्स (Computers)।

(xv) बिना ब्याज या ब्याज की रियायती दर पर ऋण बशर्ते गत वर्ष में ऋण की राशि 20,000 ₹ से अधिक नहीं है।

(xvi) किसी चल सम्पत्ति को दस वर्ष काम में लेने के पश्चात् बिना प्रतिफल लिए इसका हस्तान्तरण परन्तु इस सम्पत्ति में कम्प्यूटर्स, इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं एवं कार शामिल नहीं हैं।

(xvii) कार्यालय सम्बन्धी कार्य के लिए आवश्यक पत्रिकाएं (periodicals) एवं जर्नल (journals)।

(xviii) अवकाश यात्रा रियायत u/s 10(5)।

❑ **चिकित्सा सुविधाएं** (Medical Benefits)

(A) **भारत में चिकित्सा सुविधाएं—पूर्णतया कर-मुक्त**

(क) नियोक्ता द्वारा अपने चिकित्सालय अथवा क्लिनिक में यदि अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा का निःशुल्क प्रबन्ध किया हुआ है और कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठाता है तो ऐसी सुविधा का मूल्य कर-मुक्त होगा।

(ख) यदि चिकित्सा किसी सरकारी चिकित्सालय अथवा किसी स्थानीय सत्ता के चिकित्सालय अथवा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए अनुमोदित चिकित्सालय में हुई हो, तो कर्मचारी द्वारा अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर किये गये व्यय की नियोक्ता द्वारा पूर्ति कर-मुक्त होगी।

(ग) निर्धारित रोगों अथवा बीमारियों के लिए मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित किसी चिकित्सालय में कर्मचारियों द्वारा अपनी अथवा अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर किये गये व्यय की नियोक्ता द्वारा पूर्ति कर-मुक्त होगी।

(घ) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी (उसके परिवार के सदस्यों सहित) के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान कर-मुक्त होगा।

(ङ) कर्मचारी द्वारा चुकाये गये अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम की नियोक्ता द्वारा पूर्ति कर-मुक्त होगी।

[(च) **सीमित कर-मुक्त**—यदि अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा किसी निजी चिकित्सालय अथवा नर्सिंग होम अथवा क्लिनिक में करायी गयी हो तो नियोक्ता द्वारा इस व्यय की पूर्ति 15,000 ₹ तक कर-मुक्त होगी। कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 से यह राशि कर-मुक्त नहीं होगी।]

(B) **भारत के बाहर चिकित्सा होने की दशा में—**

(अ) यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों की भारत के बाहर चिकित्सा पर कोई व्यय किया है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत सीमा तक यह पूर्णतया कर-मुक्त होगा;

(ब) यदि विदेश में चिकित्सा के सम्बन्ध में मरीज तथा उसके साथ उसकी देखभाल करने के लिए गये हुए एक व्यक्ति की विदेश यात्रा तथा विदेश में ठहरने का व्यय नियोक्ता करता है तो यह (i) उस राशि तक कर-मुक्त होगा जितना भारतीय रिजर्व बैंक अनुमति दे दे तथा (ii) यात्रा व्यय तभी कर-मुक्त होगा जबकि कर्मचारी की सकल कुल आय (इस व्यय को छोड़कर) 2,00,000 ₹ से अधिक न हो।

(स) यदि उपर्युक्त व्यय कर्मचारी करता है और उसकी पूर्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है तो भी वह कर-मुक्त होगी यदि उपर्युक्त (ब) की शर्तें सन्तुष्ट हो जाएं।

कॉपीराइट की गई सामग्री

चिकित्सा सुविधाएं—एक दृष्टि में

भारत में चिकित्सा	भारत के बाहर चिकित्सा
(i) नियोक्ता के चिकित्सालय में कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा का मूल्य—पूर्णतया कर-मुक्त।	(i) विदेश में कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर नियोक्ता द्वारा किये गये व्यय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित राशि तक पूर्णतया कर-मुक्त हैं।
(ii) कर्मचारी द्वारा अपनी तथा अपने परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा पर किए गये व्यय की नियोक्ता द्वारा पूर्ति : • यदि चिकित्सा किसी सरकारी चिकित्सालय अथवा स्थानीय सत्ता के अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में हुई हो, • यदि निर्धारित रोगों तथा बीमारियों के लिए मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित किसी चिकित्सालय में चिकित्सा हुई हो बशर्ते कि कर्मचारी कुछ शर्तें सन्तुष्ट करता है—पूर्णतया कर-मुक्त।	(ii) मरीज (जो कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य हो) तथा उसके साथ देखभाल के लिए गए हुए एक व्यक्ति की विदेश में चिकित्सा के सम्बन्ध में यात्रा तथा विदेश में ठहरने के नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय कर-मुक्त हैं बशर्ते कि निम्न शर्तें पूरी हो जाएं : (क) विदेश में चिकित्सा तथा वहां ठहरने के व्यय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित राशि तक कर-मुक्त होंगे; तथा (ख) मरीज तथा उसके साथ देखभाल के लिए गए हुए एक व्यक्ति की विदेश यात्रा पर नियोक्ता द्वारा किया गया व्यय तभी कर-मुक्त होगा जबकि कर्मचारी की सकल कुल आय 2,00,000 ₹ से अधिक न हो।
(iii) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का भुगतान अथवा अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय की नियोक्ता द्वारा पूर्ति—पूर्णतया कर-मुक्त।	
[(iv) निजी चिकित्सालय अथवा नर्सिंग होम अथवा क्लिनिक में कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर व्यय की नियोक्ता द्वारा पूर्ति—15,000 ₹ तक कर-मुक्त (कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 से निष्प्रभावी)।]	(iii) कर्मचारी तथा उसके परिवारीजन की चिकित्सा तथा उसके साथ उसकी देखभाल करने के लिए गए हुए एक व्यक्ति की यात्रा व ठहरने के सम्बन्ध में कर्मचारी द्वारा किये गये व्यय की नियोक्ता द्वारा पूर्ति कर-मुक्त है यदि उपर्युक्त (क) तथा (ख) में दी गई शर्तें पूरी हो जायें।

■ **उदाहरण** (Illustration) 6 **(चिकित्सा सुविधाएं)**

निम्न सूचना से मिस्टर राम की वेतन से सकल आय ज्ञात कीजिए :

	₹
(1) सकल वार्षिक वेतन	1,95,000
(2) नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे प्राइवेट डॉक्टर को चुकाये गये	30,000
(3) नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे उस चिकित्सालय को चुकाये जो आय कर मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है	50,000
(4) कर्मचारी द्वारा मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में किये गये व्यय की नियोक्ता द्वारा पूर्ति	10,000
(5) विदेश यात्रा पर व्यय (देखभाल के लिए गए एक व्यक्ति के व्यय सहित) नियोक्ता द्वारा वहन किये गये	1,00,000
(6) विदेश में ठहरने तथा चिकित्सा पर व्यय नियोक्ता द्वारा वहन	1,50,000
(7) उपर्युक्त (6) में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत	1,00,000
(8) नियोक्ता ने कर्मचारी के चिकित्सा व्ययों की पूर्ति की जो उसने अपने पर आश्रित दादा की चिकित्सा पर व्यय किये	2,000
(9) टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई (जो आय कर कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है) में अपनी पुत्री का कैंसर (जो निर्धारित रोग है) का इलाज कराने पर हुए एक लाख रुपये के व्यय का नियोक्ता ने भुगतान किया।	

From the following information find out the gross income from the salary of Mr. Ram :

	₹
(1) Gross Annual Salary	1,95,000
(2) Medical expenditure directly paid by the employer to private practitioner	30,000
(3) Medical expenditure directly paid by the employer to the hospital approved by the Chief Commissioner of Income Tax	50,000
(4) Reimbursement of medical expenses incurred by the employee in a hospital approved by the Chief Commissioner	10,000
(5) Expenditure on travelling abroad (including that of attendant) borne by the employer	1,00,000
(6) Expenditure incurred on stay and treatment abroad borne by the employer	1,50,000
(7) Out of (6) amount permitted by the Reserve Bank of India	1,00,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

(8) The employer reimbursed the medical expenses incurred by the employee on the treatment of his grand father (Dependant upon him) 2,000
(9) Expenses on cancer (prescribed) treatment of his daughter at Tata Memorial Hospital, Mumbai (approved by the Chief Commissioner of Income Tax) paid by the employer is ₹ 1,00,000.

Solution

Computation of Income from Salary

	₹	₹
1. Gross Salary		1,95,000
2. Medical expenditure directly paid by the employer to private medical practitioner		30,000
3. Medical expenditure directly paid by the employer to approved hospital		Exempt
4. Reimbursement of medical expenses incurred by the employee in an approved hospital		Exempt
5. Expenditure on travelling abroad Not exempt as his G.T.I. exceeds ₹ 2,00,000 [₹ 1,95,000 + 50,000 + 30,000 + 2,000]		1,00,000
6. Expenditure on stay and treatment abroad	1,50,000	
Less : Exempt to the extent permitted by R.B.I.	1,00,000	50,000
7. Reimbursement of medical expenditure on grandfather		2,000
	Gross Salary	3,77,000

नोट— 1. चूंकि कैंसर निर्धारित रोगों में से एक है और टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई, मुख्य कमिश्नर (आय कर) द्वारा अनुमोदित है अतः यह कर-योग्य अनुलाभ नहीं है।
2. चूंकि दादा परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है अतः दादा की बीमारी के इलाज पर किये गये व्यय की पूर्ति कर-मुक्त नहीं है।

❑ अवकाश यात्रा रियायत [धारा 10(5) एवं नियम 2B]

नियोक्ता से प्राप्त अवकाश यात्रा रियायत निर्धारित सीमा तक कर-मुक्त है वशर्ते :

1. राशि यात्रा पर वास्तव में व्यय की गई है;
2. यात्रा भारत में की गई है, यात्रा का स्थान कर्मचारी का निवास स्थान या अन्य स्थान हो सकता है;
3. यात्रा नौकरी में रहते हुए अथवा अवकाश ग्रहण करने पर (Retirement) की गई है;
4. यात्रा कर्मचारी ने स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों ने की है। परिवार के सदस्यों में निम्न शामिल हैं :
   (i) कर्मचारी का जीवन-साथी एवं उसके बच्चे;
   (ii) कर्मचारी के माता-पिता, भाई तथा बहिन जो उस पर पूर्णतया अथवा मुख्यतया आश्रित हों।

दो बच्चों से अधिक बच्चों के सम्बन्ध में छूट नहीं मिलेगी परन्तु यह शर्त निम्न दशाओं में लागू नहीं होगी :

(अ) यदि बच्चों का जन्म 1.10.1998 से पूर्व हो चुका है;

(ब) एक बच्चे के जन्म के पश्चात् एक साथ एक से अधिक बच्चों का जन्म होने पर।

5. वर्ष 1986 से प्रारम्भ करते हुए चार कलेण्डर वर्षों के एक खण्ड में की गई दो यात्राओं के सम्बन्ध में ही छूट मिलेगी यदि किसी व्यक्ति ने चार कलेण्डर वर्षों के किसी खण्ड में छूट नहीं ली है तो वह इस खण्ड के शीघ्र बाद आने वाले खण्ड के प्रथम कलेण्डर वर्ष में छूट पाने का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त वह इस खण्ड में दो यात्राओं के सम्बन्ध में कर छूट प्राप्त कर सकता है।

उदाहरणार्थ, किसी कर्मचारी ने 2014-2017 खण्ड में यात्रा रियायत की छूट नहीं ली है तो वह 2018 में यात्रा रियायत की छूट ले सकता है और इसके अतिरिक्त खण्ड 2018-21 में दो बार यात्रा रियायत की छूट ले सकता है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

कर-छूट सीमा

यात्रा का साधन	कर से छूट की राशि
1. हवाई जहाज द्वारा यात्रा	राष्ट्रीय हवाई जहाज द्वारा सबसे छोटे रास्ते से Economy Fare अथवा वास्तव में खर्च की गई राशि, जो दोनों में कम हो।
2. रेल यात्रा	सबसे छोटे रास्ते से रेल के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराये की राशि अथवा वास्तव में व्यय की गई राशि, जो दोनों में कम हो।
3. यदि यात्रा प्रारम्भ करने के स्थान से पहुंचने के स्थान तक का रास्ता रेल का है परन्तु यात्रा हवाई जहाज छोड़कर किसी अन्य साधन से की गई है।	सबसे छोटे रास्ते से रेल के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराये की राशि अथवा वास्तव में व्यय की गई राशि, जो दोनों में कम हो।
4. यदि यात्रा प्रारम्भ करने के स्थान से पहुंचने के स्थान तक का रास्ता पूर्णतया अथवा अंशतः रेल का नहीं है और यात्रा ऐसे दो स्थानों के बीच की है :	
(अ) यदि ऐसे रास्ते पर मान्य सार्वजनिक परिवहन की सेवा उपलब्ध है।	सबसे छोटे रास्ते से प्रथम श्रेणी अथवा डीलक्स श्रेणी के किराये की राशि अथवा वास्तव में व्यय की गई राशि, जो दोनों में कम हो।
(ब) यदि ऐसे रास्ते पर मान्य सार्वजनिक परिवहन की सेवा उपलब्ध नहीं है।	यह मानते हुए कि यात्रा रेल द्वारा की गई है, सबसे छोटे रास्ते से यात्रा के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराये की राशि अथवा वास्तव में व्यय की गई राशि, जो दोनों में कम हो।

विशिष्ट एवं अविशिष्ट कर्मचारियों की दशा में अनुलाभों के मूल्य पर कर देयता

	विशिष्ट कर्मचारी	अविशिष्ट कर्मचारी
1. फर्राश, चौकीदार, माली या निजी सहायक		
(क) नियोक्ता द्वारा नियुक्त	कर-योग्य	कर-मुक्त
(ख) कर्मचारी द्वारा नियुक्त	कर-योग्य	कर-योग्य
दोनों दशाओं में खर्चों का भुगतान या प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा की गई हो		
2. गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा—		
(क) कनेक्शन कर्मचारी के नाम में	कर-योग्य	कर-योग्य
(ख) नियोक्ता द्वारा पूर्ति (supply)	कर-योग्य	कर-मुक्त
दोनों दशाओं में खर्चों का भुगतान या प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा की गई हो		
3. शिक्षा सुविधा—		
(क) शिक्षा संस्था नियोक्ता की है तथा वही खर्चा कर रहा है अथवा किसी अन्य शिक्षा संस्था द्वारा मुफ्त शिक्षा वशर्ते वहां शिक्षा नियोक्ता के यहां नियोजन के कारण प्रदान की जा रही है—		
(i) शिक्षा सुविधा कर्मचारी के बच्चों को— शिक्षा की लागत या मूल्य 1,000 ₹ प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक नहीं है	कर-मुक्त	कर-मुक्त
(ii) परिवार के अन्य सदस्यों को शिक्षा सुविधा	कर-योग्य	कर-मुक्त
(ख) अन्य शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा	कर-योग्य	कर-मुक्त
4. बिना ब्याज या ब्याज की रियायती दर पर ऋण की सुविधा	कर-योग्य	कर-योग्य
5. टेलीफोन	कर-मुक्त	कर-मुक्त
6. चल सम्पत्ति का उपयोग (कार छोड़कर)	कर-योग्य	कर-योग्य
7. चल सम्पत्ति का हस्तान्तरण	कर-योग्य	कर-योग्य
8. कार :		
(क) कार नियोक्ता की है या उसने किराये पर ली है	कर-योग्य	कर-मुक्त
(ख) कार कर्मचारी की है	कर-योग्य	कर-योग्य
9. यातायात की सुविधा	कर-योग्य	कर-मुक्त

कॉपीराइट की गई सामग्री

अनुलाभों का मूल्यांकन
(VALUATION OF PERQUISITES)

कर-मुक्त अनुलाभों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। मूल्यांकन केवल उन अनुलाभों का किया जाता है जो प्रत्येक दशा में अथवा विशिष्ट दशाओं में कर-योग्य हैं।

नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो अनुलाभ कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को दिए गए हैं उनका मूल्य धारा 17(2) एवं नियम 3 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। 'परिवार के सदस्य' में निम्न शामिल हैं :

(क) जीवन-साथी; (ख) बच्चे एवं उनके जीवन-साथी; (ग) माता-पिता; (घ) कर्मचारी एवं आश्रित।

I. रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन [नियम 3(1)]

रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए कर्मचारियों को दो भागों में बांटा गया है।

(1) सरकारी कर्मचारी, (2) अन्य कर्मचारी

(1) **सरकारी कर्मचारी**—इसमें केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारी आते हैं।

विवरण	मकान की सुविधा का मूल्य	
(क) असुसज्जित मकान	सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित राशि	
(ख) सुसज्जित मकान	(i) (क) में निर्धारित राशि	.....
	(ii) **जोड़ा**—फर्नीचर की लागत का 10% वार्षिक या फर्नीचर का किराया	.....
		.....
	घटाया—कर्मचारी द्वारा दी गई या देय राशि, यदि है तो	.....
	अनुलाभ का मूल्य	.....

नोट—मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए स्थानीय सत्ता (Local authority) तथा वैधानिक निगमों के कर्मचारी तथा सरकार के अधीन किसी निकाय (body) या उपक्रम (undertaking) में प्रति नियुक्ति पर आए सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते।

■ **उदाहरण** (Illustration) 7 **(सरकारी कर्मचारी की दशा में किराये से मुक्त मकान का मूल्यांकन)**

श्री विशन नारायन आगरा के जिलाधीश हैं। वह एक सुसज्जित बंगले में रह रहे हैं जो उन्हें सरकार ने किराये से मुक्त दिया हुआ है। उनका वेतन 1,20,000 ₹ मासिक है। सरकारी नियमों के अनुसार असुसज्जित बंगले का किराया 2,000 ₹ प्रति माह है परन्तु इसका उचित किराया मूल्य 17,500 ₹ मासिक है। उन्हें फर्नीचर, आदि 1,70,000 ₹ की लागत का दिया हुआ है। आय कर के लिए किराये से मुक्त मकान के अनुलाभ का मूल्य ज्ञात कीजिए।

Shri Bishan Narain is District Magistrate of Agra. He is living in a furnished bungalow provided by the government free of rent. His salary is ₹ 1,20,000 per month. The rent of the unfurnished bungalow as per Government rules is ₹ 2,000 per month, but it's fair rental value is ₹ 17,500 per month. He is provided furniture, etc. of the cost of ₹ 1,70,000. Find out the value of rent-free house as a perquisite for the purposes of income tax.

Solution

श्री विशन नारायन सरकारी कर्मचारी हैं अतः किराये से मुक्त असुसज्जित मकान के अनुलाभ का मूल्य सरकारी नियमों के अनुसार होगा; अतः 2,000 ₹ मासिक तथा फर्नीचर की लागत का 10% जोड़ा जायेगा। इस प्रकार,

	₹
किराये से मुक्त असुसज्जित मकान का किराया मूल्य (सरकारी नियमों के अनुसार)	24,000
जोड़ो : फर्नीचर की लागत 1,70,000 ₹ का 10%	17,000
किराये से मुक्त सुसज्जित मकान का मूल्य	41,000

(2) **अन्य कर्मचारी**—

(a) यदि मकान नियोक्ता का है—		
असुसज्जित मकान		
(i)	ऐसे शहर जहां की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार पच्चीस लाख से अधिक है	गत वर्ष की उस अवधि के लिए देय वेतन का 15% जिस अवधि में मकान कर्मचारी के पास रहा।
(ii)	ऐसे शहर जहां की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक है परन्तु पच्चीस लाख से अधिक नहीं है	गत वर्ष की उस अवधि के लिए देय वेतन का 10% जिस अवधि में मकान कर्मचारी के पास रहा।
(iii)	अन्य शहर/कस्बे	गत वर्ष की उस अवधि के लिए देय वेतन का 7.5% जिस अवधि में मकान उसके पास रहा।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(b) यदि मकान नियोक्ता ने किराये पर लेकर दिया है—	किराये की वास्तविक राशि या गत वर्ष की उस अवधि के लिए देय वेतन का 15% जिस अवधि में मकान कर्मचारी के पास रहा, जो दोनों में कम हो।
सुसज्जित मकान	(i) असुसज्जित मकान का मूल्य (ii) **जोड़ा**—फर्नीचर की लागत का 10% वार्षिक या फर्नीचर का किराया
रियायती किराये पर मिले हुए रहने के मकान की सुविधा की रियायत का मूल्यांकन	(i) असुसज्जित/सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य ..... (ii) **घटाया**—कर्मचारी द्वारा देय या दी गई राशि ..... रियायती किराये की सुविधा का मूल्य .....

Valuation of Rent-Free Accommodation (Unfurnished)

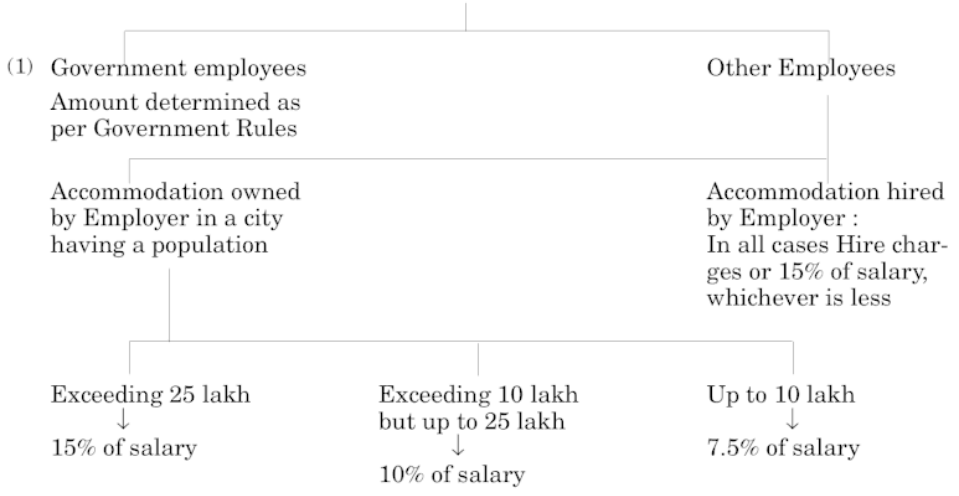

(2) Where furnished accommodation is provided, add 10% p.a. of the cost of furniture if furniture is owned by the employer or Hire charges (if hired) to the value determined in (1) above.

(3) If any amount is recovered from the employee for the accommodation, such amount shall be deducted from the value determined in (1) or (2) as the case may be.

❑ **उदाहरण** (Illustration) 8

एक कम्पनी ने अपने कर्मचारी को रहने का मकान दिया, निम्न सूचनाओं के आधार पर मकान की सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिए :

	₹
(i) मकान का उचित किराया—वार्षिक	70,000
(ii) वेतन	6,00,000

(क) यदि मकान ऐसे शहर में है जहां की जनसंख्या पच्चीस लाख से अधिक है;

(ख) यदि मकान ऐसे शहर में है जहां की जनसंख्या दस लाख से कम है।

A company has provided residential accommodation to an employee. From the following information find out the value of perquisite of accommodation :

	₹
(i) Fair rental value of the house—Annual	70,000
(ii) Salary	6,00,000

(a) The house is situated in a city whose population is more than twenty-five lakh.

(b) The house is situated in a city whose population is less than ten lakh.

कॉपीराइट की गई सामग्री

Solution

(क) मकान की सुविधा का मूल्य वेतन का 15% अर्थात् 90,000 ₹ होगा। मकान के उचित किराये पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

(ख) मकान की सुविधा का मूल्य वेतन का 7.5% अर्थात् 45,000 ₹ होगा। मकान के उचित किराये पर ध्यान नहीं दिया जाता।

■ **उदाहरण** (Illustration) 9

एक कम्पनी ने अपने कर्मचारी को किराये पर लेकर रहने का मकान दिया। निम्न सूचनाओं के आधार पर मकान की सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिए :

	₹
(i) मकान का किराया दिया—वार्षिक	60,000
(ii) वेतन	5,00,000
(iii) मकान में फर्नीचर की लागत	60,000

(iv) कर्मचारी के वेतन में से किराये के सम्बन्ध में 1,000 ₹ मासिक की कटौती की गई।

A company took a house on rent and allotted it to its employee. From the following information find out the value of perquisite of accommodation :

	₹
(i) Rent paid for the year	60,000
(ii) Salary	5,00,000
(iii) Cost of furniture provided in the house	60,000
(iv) Rent charged from employee's salary per month	1,000

Solution

Valuation of accommodation :	₹
(i) 15% of salary or actual rent, whichever is less	60,000
(ii) *Add* : 10% of cost of furniture	6,000
	66,000
(iii) *Less* : Rent charged from employee	12,000
Value of Concessional Accommodation	54,000

❑ (c) **होटल में रहने का स्थान**

यदि नियोक्ता (सरकारी या गैर-सरकारी) कर्मचारी को होटल में रहने का स्थान सुलभ कराता है तो इस अनुलाभ का मूल्य निम्न होगा :

(क) यदि कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है और ऐसी दशा में होटल में रहने की अवधि का योग पन्द्रह दिन से अधिक नहीं है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

(ख) **अन्य दशा में**—अनुलाभ का मूल्य कर्मचारी के गत वर्ष के वेतन का 24% (उस अवधि का जिस अवधि में कर्मचारी को होटल में रहने का स्थान सुलभ कराया गया) या होटल को दी गई या देय राशि, जो दोनों में कम हो, होगा।

यदि कर्मचारी से होटल में रहने के सम्बन्ध में कुछ राशि वसूल की गई है तो उपर्युक्त संगणित राशि में से इसे घटा दिया जाएगा तथा शेष राशि अनुलाभ का मूल्य होगा।

■ **उदाहरण** (Illustration) 10

X की कोलकाता में नियुक्ति हुई। वह वहां 25 दिन होटल में रहा। तत्पश्चात् नियोक्ता द्वारा दिए गए मकान में रहने चला गया। निम्न सूचनाओं के आधार पर होटल में रहने की सुविधा का कर-योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए :

(1) होटल में कमरे का प्रतिदिन किराया 1,000 ₹;

(2) मूल्यांकन के लिए वेतन—गत वर्ष में 7,30,000 ₹;

(3) X से होटल में रहने के लिए नियोक्ता ने राशि वसूल की 200 ₹ प्रति दिन।

X is appointed at Kolkata. He stayed in a hotel for 25 days and thereafter shifted in a house provided by the employer. From the following information determine the taxable value of perquisite, stay in a hotel :

(1) Room rent in hotel ₹ 1,000 per day;

(2) Salary for valuation of accommodation during the previous year ₹ 7,30,000;

(3) The employer recovered ₹ 200 per day from X regarding stay in a hotel.

कॉपीराइट की नई सामग्री

Solution

Computation of Taxable Value of Perquisite—Stay in Hotel	₹
24% of (₹ 7,30,000 × 25 ÷ 365) or Hotel room rent ₹ 25,000, whichever is less (*i.e.*, ₹ 12,000 or ₹ 25,000)	12,000
Less : Amount recovered from X	5,000
Taxable Value of Perquisite	7,000

❑ (d) **कार्यस्थल पर रहने का मकान** (Accommodation provided at site)

यदि कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया गया है जो खान पर (mining site) या तेल खोजने के स्थान पर (onshore oil exploration site) या परियोजना पूरी करने के स्थान पर (project execution site) या बांध पर या विद्युत उत्पादन स्थल पर या समुद्र तट से दूर कार्य-स्थल पर है तो इस अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा, बशर्ते :

(अ) (i) मकान अस्थायी प्रकृति का है

(ii) 800 वर्ग फुट से बड़ा नहीं है

(iii) नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से कम से कम आठ किलोमीटर दूर हो, या

(ब) दूरस्थ क्षेत्र में स्थित हो।

❑ (e) **स्थानान्तरण की दशा में रहने का मकान**

यदि कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है और उसे नये स्थान पर रहने का मकान दिया गया है और कर्मचारी पुराने स्थान के मकान को भी अपने अधिकार में रखता है तो दोनों मकानों में से एक मकान, जिसका मूल्य कम हो, अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। अनुलाभ का मूल्य उपर्युक्त वर्णित विधि से निर्धारित किया जाएगा। कर्मचारी को यह लाभ स्थानान्तरण तिथि से 90 दिन ही प्राप्त होगा। यदि वह दोनों मकान 90 दिन के पश्चात् भी अपने कब्जे में रखता है तो दोनों मकानों के अनुलाभ का मूल्य वेतन में शामिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—(क) रहने के मकान (Accommodation) में निम्न शामिल हैं : मकान, फ्लैट, फार्म हाउस या इनका कोई भाग; होटल, मोटल, गैस्ट हाउस, कारवां, चलते-फिरते घर (mobile home), जहाज या अन्य तैरती हुई संरचना में स्थान।

(ख) **होटल**—होटल में मोटल, Service apartment या गैस्ट हाउस में किराये पर लिया गया स्थान शामिल है।

(ग) **दूरस्थ क्षेत्र**—दूरस्थ क्षेत्र से आशय उस क्षेत्र से है जो किसी ऐसे कस्बे (Town) से कम-से-कम 40 किलोमीटर दूर है जिसकी जनसंख्या 20,000 से अधिक नहीं है।

किराये से मुक्त रहने के मकान के सम्बन्ध में 'वेतन' से आशय (Meaning of salary for rent free house accommodation) :

(घ) **वेतन**—इसमें मूल वेतन, भत्ते, बोनस, कमीशन (जिनका भुगतान मासिक या अन्य प्रकार होता हो) तथा अन्य कोई रोकड़ में भुगतान (उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) शामिल है जो कर्मचारी को एक या अनेक नियोक्ताओं से प्राप्त होता है परन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :

(i) महंगाई भत्ता; बशर्ते कि यह कर्मचारी के सुपरऐनुएशन (superannuation) अथवा सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी सुविधाओं (retirement benefits) की गणना करने में शामिल नहीं होता हो अथवा जो सेवा की शर्तों के अन्तर्गत नहीं मिलता है;

(ii) अग्रिम वेतन या बकाया वेतन;

(iii) कर्मचारियों के प्रॉविडेण्ट फण्ड में दिया गया नियोक्ता का अंशदान;

(iv) वह भत्ते जो कर से मुक्त हैं, उदाहरणार्थ, दौरे पर जाने का यात्रा भत्ता अथवा सवारी भत्ता;

(v) धारा 17(2) में वर्णित अनुलाभों का मूल्य;

(vi) चिकित्सा के खर्चों की प्रतिपूर्ति;

(vii) नौकरी से निकाले जाने (termination of service) या सुपरऐनुएशन या स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति (voluntary retirement) के समय एकमुश्त भुगतान की राशि, यथा ग्रेच्युटी, नौकरी से अलग करने का वेतन (severance pay), अर्जित अवकाश का नकदीकरण (leave encashment), स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति (voluntary retirement benefits), पेंशन की एकमुश्त राशि एवं अन्य इसी प्रकार के भुगतान।

नोट—यदि कर्मचारी गत वर्ष में एक ही अवधि में एक से अधिक नियोक्ताओं के यहां नौकरी कर रहा है और एक नियोक्ता से रहने के मकान की सुविधा प्राप्त है तो मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन के आधार पर मकान की सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा।

कॉपीराइट की गई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 11

एक नियोक्ता ने एक मकान 15,000 ₹ मासिक किराए पर लिया। उसने आधा मकान Mr. A एवं शेष आधा मकान Mr. B को रहने के लिए दे दिया। Mr. A का वार्षिक वेतन 3,00,000 ₹ एवं Mr. B का वार्षिक वेतन 7,00,000 ₹ है। Mr. A एवं Mr. B के लिए किराया-मुक्त मकान का मूल्य ज्ञात कीजिए।

An employer has taken a house on rent @ ₹ 15,000 p.m. He allotted half the house to Mr. A and the other half to Mr. B for residential purposes. The annual salary of Mr. A is ₹ 3,00,000 and of Mr. B ₹ 7,00,000. Find out the value of rent-free house for Mr. A and Mr. B.

Solution

Valuation of Rent-free House

Mr. A

Rent of half house ₹ 90,000
Salary ₹ 3,00,000
Value of rent-free house – (15% of salary or rent paid by the employer for his portion, whichever is less) = ₹ 45,000.

Mr. B

Rent of half house ₹ 90,000
Salary ₹ 7,00,000.
Value of rent-free house – (15% of salary or rent paid by the employer for his portion, whichever is less) = ₹ 90,000.

■ **उदाहरण** (Illustration) 12

निम्न सूचनाओं के आधार पर मकान की सुविधा का मूल्य ज्ञात करने के लिए वेतन की गणना कीजिए :

	₹
1. मूल वेतन	3,92,000
2. महंगाई भत्ता—सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं	48,000
3. मनोरंजन भत्ता	36,000
4. बोनस	32,000
5. कमीशन	40,000
6. कर्मचारी की जीवन-बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया	5,000
7. नियोक्ता ने कर्मचारी के प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में मूल वेतन का 14% अंश दान दिया	26,880
8. सवारी भत्ता जो कार्यालय कार्य के लिए व्यय कर दिया गया	4,200
9. नियोक्ता ने फर्राश की सुविधा प्रदान की	2,400
10. कर्मचारी ने एक माली नियुक्त किया—उसका वेतन नियोक्ता ने दिया	3,000
11. नियोक्ता ने कर्मचारी के बिजली बिलों का भुगतान किया	10,000
12. नियोक्ता ने बिना ब्याज के मकान बनाने के लिए ऋण दिया—गत वर्ष की ब्याज की संगणित राशि	9,000

Compute the salary from the following information for valuing the perquisite of residential accommodation :

	₹
1. Basic pay	3,92,000
2. Dearness allowance—Not as per terms of employment	48,000
3. Entertainment allowance	36,000
4. Bonus	32,000
5. Commission	40,000
6. Premium paid on the life insurance policy of the employee	5,000
7. Employer contributed 14% of basic pay towards recognised provided fund	26,880
8. Conveyance allowance—Spent for performing official duties	4,200
9. Employer provided the facility of a sweeper	2,400
10. Employee appointed a gardener. His salary is paid by employer	3,000
11. Employer paid electricity bills of employee	10,000
12. Employer gave interest-free loan for construction of a house. Computed interest for the Previous Year	9,000

Solution

Computation of Salary for Valuation of Accommodation

	₹
1. Basic Salary	3,92,000
2. D.A. (Not as per terms of employment)	—

कॉपीराइट की नई सामग्री

3. Entertainment Allowance (Taxable allowance)	36,000
4. Bonus	32,000
5. Commission	40,000
6. Payment of insurance premium [perquisite specified in *Sec.* 17(2)]	—
7. Employer's contribution to R.P.F. (Not includible in salary)	—
8. Conveyance Allowance (Exempted Allowance)	—
9. Facility of sweeper [Perquisite specified in *Sec.* 17(2)— Not includible in salary]	—
10. Salary of the gardener (Do)	—
11. Payment of electricity bills (Do)	—
12. Interest (Do)	—
	5,00,000

II. कार की सुविधा का मूल्यांकन [नियम 3(2)]

(1) **यदि कार नियोक्ता की है या उसने किराये या पट्टे पर ली है**—जब कार पूर्णरूपेण व्यापार अथवा पेशे के काम आती है—इस अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी हों।

(2) **जब कार नियोक्ता की है और पूर्णरूपेण कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है :**

अनुलाभ का मूल्य निम्न होगा :	₹
(i) कार को चलाने तथा रख-रखाव का व्यय	.....
(ii) चालक का वेतन—यदि दिया गया हो तो	.....
(iii) कार की घिसावट—@ 10% प्रति वर्ष	.....
	.....
घटाया : कर्मचारी द्वारा दी गई या देय राशि	.....
अनुलाभ का मूल्य	.....

(3) **जब कार नियोक्ता ने किराये या पट्टे पर ली है और पूर्णरूपेण कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है :**

अनुलाभ का मूल्य निम्न होगा :	₹
(i) कार को चलाने तथा रख-रखाव का व्यय	.....
(ii) चालक का वेतन—यदि दिया गया हो तो	.....
	.....
घटाया : कर्मचारी द्वारा दी गई या देय राशि	.....
अनुलाभ का मूल्य	.....

(4) **यदि कार नियोक्ता की है या उसने किराये या पट्टे पर ली है**—कार आंशिक रूप से व्यापार या पेशे के काम आती है तथा आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है :

(अ) कार को रखने व चलाने का पूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है :

	मूल्य
(i) यदि कार छोटी है (कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक नहीं है)	1,800 ₹ प्रति माह
(ii) यदि कार बड़ी है (कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है)	2,400 ₹ प्रति माह
यदि कार चलाने के लिए चालक दिया गया है	900 ₹ प्रति माह अतिरिक्त
(आ) यदि कर्मचारी अपने निजी प्रयोग के सम्बन्ध में व्यय स्वयं वहन करता है :	
(i) यदि कार छोटी है	600 ₹ प्रति माह
(ii) यदि कार बड़ी है	900 ₹ प्रति माह
यदि कार चलाने के लिए चालक दिया गया है	900 ₹ प्रति माह अतिरिक्त

(5) **यदि कर्मचारी के प्रयोग में एक से अधिक मोटर-कार हैं**—यदि नियोक्ता एक या एक से अधिक मोटर-कारों का मालिक है या उसने एक या एक से अधिक मोटर-कारें किराये पर ले रखी हैं और कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को उसने कोई

कॉपीराइट की गई सामग्री

एक विशिष्ट मोटर-कार ही प्रयोग के लिए नहीं दे रखी है बल्कि कई कारों में से एक से अधिक कारों को (सेवा के कर्तव्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के अतिरिक्त भी) प्रयोग करने की स्वीकृति दे रखी है तो कार के अनुलाभ का मूल्य अग्र होगा :

(अ) प्रथम कार के लिए :

(i) यदि कार छोटी है	1,800 ₹ प्रति माह
(ii) यदि कार बड़ी है	2,400 ₹ प्रति माह
यदि कार चलाने के लिए चालक दिया गया है	900 ₹ प्रति माह अतिरिक्त

(आ) अन्य कार अथवा कारों लिए—यह मानकर मूल्यांकन किया जाएगा कि अन्य कार/कारें पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए दी गई हैं।

नोट—जब एक से अधिक कारें कार्यालयीन एवं कर्मचारी के निजी प्रयोग के लिए दी गई हैं और किसी एक कार के खर्चे दूसरी कार से अधिक हैं अथवा उन कारों में से कोई कार बड़ी है और कोई कार छोटी है तो इस सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, नियमों में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है। अतः कारों की सुविधा का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है जिससे कर्मचारी को लाभ हो, अर्थात् बड़ी कार कार्यालयीन एवं निजी कार्य के लिए मानी जा सकती है तथा छोटी कार केवल निजी कार्य के लिए मानी जा सकती है।

(6) **यदि कार कर्मचारी की है**—(क) यदि कार को व्यापार अथवा पेशे के लिए ही चलाने, रख-रखाव व चालक के वेतन का भार नियोक्ता पर है तो इस अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी हों।

(ख) जब कार आंशिक रूप से व्यापार अथवा पेशे के काम आती है और आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है और सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है :

(i) छोटी कार—नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि में से 1,800 ₹ प्रति माह + 900 ₹ प्रति माह चालक का वेतन घटाकर (यदि चालक हो तो) शेष राशि अनुलाभ का मूल्य होगा बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी हों।

(ii) बड़ी कार—नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि में से 2,400 ₹ प्रति माह + 900 ₹ प्रति माह चालक का वेतन घटाकर (यदि चालक हो तो) शेष राशि अनुलाभ का मूल्य होगा बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी हों।

(ग) कार पूर्णरूपेण कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है तो नियोक्ता द्वारा दी गई राशि कार की सुविधा का मूल्य माना जाएगा।

(7) **कर्मचारी का कार के अतिरिक्त** automotive **वाहन**—(क) यदि वाहन को व्यापार अथवा पेशे के लिए ही चलाने एवं रख-रखाव का भार नियोक्ता पर है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी हों।

(ख) जब वाहन आंशिक रूप से व्यापार अथवा पेशे के काम आता है और आंशिक रूप से कर्मचारी के काम आता है और सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है—नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि में से 900 ₹ प्रति माह घटाकर शेष राशि अनुलाभ का मूल्य होगा बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी हों।

निर्धारित शर्तें—जब नियोक्ता या कर्मचारी यह कहता है कि कार पूर्णरूपेण व्यापार या पेशे के काम आई है अथवा कर्मचारी की कार या अन्य वाहन पर व्यापार अथवा पेशे के लिए व्यय 1,800/2,400/900 ₹ से अधिक है तो कर्मचारी को अधिक कटौती मिल सकती है, बशर्ते निम्न प्रलेख रखे जाएं:

(i) व्यापार अथवा पेशे के लिए यात्रा का पूर्ण विवरण, जिसमें यात्रा की तिथि, जाने का स्थान, दूरी तथा इस पर होने वाला व्यय शामिल है;

(ii) नियोक्ता कर्मचारी को एक प्रमाण-पत्र दे जिसमें यह उल्लेख हो कि व्यय पूर्णरूपेण व्यापार अथवा पेशे के लिए ही किया गया है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

Valuation of use of Motor Car
(Taxable only for specified employee)

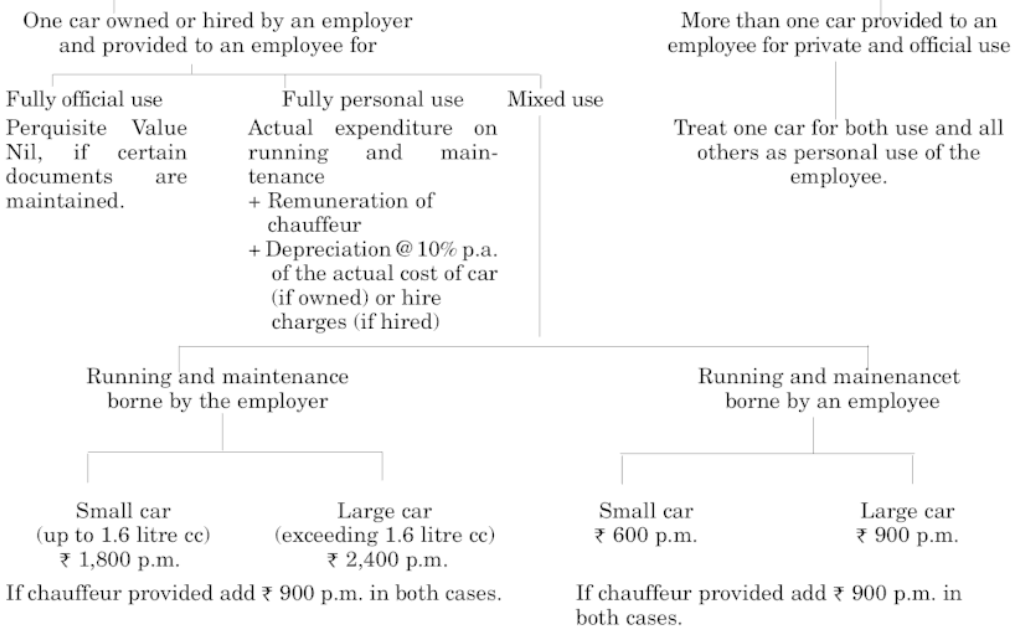

Note : Ignore 'part of a month' while calculating the number of months, the vehicle is used.

Car owned by Employee
(Expenses borne by employer)

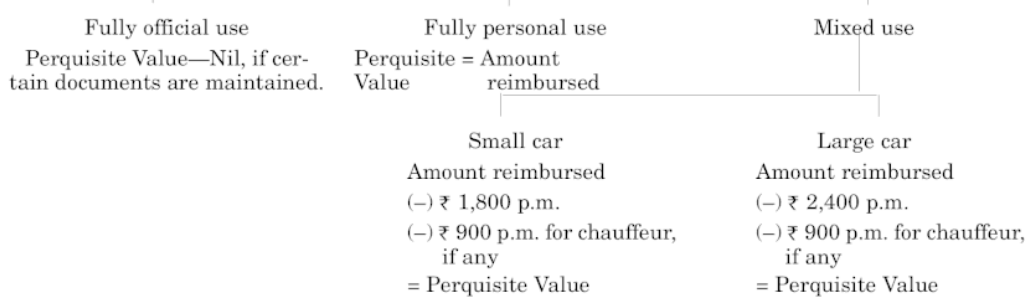

महत्वपूर्ण नोट

1. जब कार नियोक्ता की है या उसने किराये पर ली है तो कार की सुविधा का मूल्य विशिष्ट कर्मचारियों की वेतन से आय में शामिल किया जाएगा।
2. जब कार कर्मचारी की है तो कार की सुविधा का मूल्य चाहे कर्मचारी विशिष्ट हो या अविशिष्ट उसकी वेतन से आय में शामिल किया जाएगा।
3. यदि कार की सुविधा की अवधि में कुछ दिन भी आते हैं तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा और पूरे महीनों के आधार पर ही कार की सुविधा का मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

कॉपीराइट की गई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 13 **(मोटर-कार की सुविधा के मूल्यांकन के सम्बन्ध में)**

निम्न दशाओं में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई मोटर-कार की सुविधा के अनुलाभ का मूल्य ज्ञात कीजिए, **यदि मोटर-कार नियोक्ता की है :**

(i) बड़ी कार : सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन। कार केवल कार्यालय प्रयोग में है।

(ii) बड़ी कार : सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन जो गत वर्ष में 60,000 ₹ है; कार की लागत 2,80,000 ₹ है। कार कर्मचारी के केवल निजी प्रयोग के लिए है।

(iii) बड़ी कार : कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए है। सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन।

(iv) छोटी कार : कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए है। सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन। चालक भी मुफ्त में दे रखा है।

(v) दो छोटी कारें कर्मचारी को कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए दे रखी हैं। कारों के रख-रखाव का व्यय नियोक्ता वहन करता है। इस सम्बन्ध में अन्य सूचनाएं निम्न हैं :

	I कार	II कार
	₹	₹
कार की वास्तविक लागत	3,00,000	2,80,000
कार को चलाने तथा रख-रखाव का व्यय	60,000	50,000

(vi) बड़ी कार : कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के प्रयोग के लिए। निजी कार्य के व्यय कर्मचारी वहन करता है।

Find out the value of the perquisite of Motor-car provided to the employee and **owned by the employer** in the following cases :

(i) Large Car : All expenses are borne by the employer. The car is solely used for official purposes.

(ii) Large Car : All expenses borne by the employer which are ₹ 60,000 p.a. The cost of the car is ₹ 2,80,000. The car is solely used for private purposes of the employee.

(iii) Large Car : Meant for both private and official use. All expenses borne by the employer.

(iv) Small Car : Meant for both private and official use. All expenses borne by the employer. Chauffeur is also provided free of charge.

(v) Two small cars are provided to the employee for private and official purposes. Maintenance expenses of all cars are borne by the employer. Other information in this connection are :

	I Car	*II Car*
	₹	₹
Actual cost of Car	3,00,000	2,80,000
Expenses of running and maintenance	60,000	50,000

(vi) Large Car : Meant for both official and private purposes. Private expenses are borne by the employee.

Solution

(i) अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा क्योंकि कार केवल कार्यालय प्रयोग में है।

(ii) अनुलाभ का मूल्य 60,000 + 28,000 = 88,000 ₹ होगा क्योंकि कार कर्मचारी के केवल निजी प्रयोग में है।

(iii) अनुलाभ का मूल्य $2,400 \times 12 = 28,800$ ₹ होगा।

(iv) ऐसी दशा में मोटर-कार के अनुलाभ के मूल्य की सुविधा 1,800 ₹ प्रति माह की दर से तथा चालक की सुविधा 900 ₹ प्रति माह की दर से की जाएगी। अतः अनुलाभ का मूल्य $= 2,700 \times 12 = 32,400$ ₹ होगा।

(v) प्रथम कार कार्यालय तथा निजी दोनों कार्यों के लिए मानी गई है, अतः इस सुविधा का मूल्य $1,800 \times 12 = 21,600$ ₹ होगा। दूसरी कार पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए मानी जाती है, अतः इस सुविधा का मूल्य निम्न होगा :

	₹
कार को चलाने तथा रख-रखाव का व्यय	50,000
ह्रास : 2,80,000 ₹ का 10%	28,000
सुविधा का मूल्य	78,000

(vi) जब कार के रख-रखाव तथा चलाने के निजी प्रयोग के व्यय कर्मचारी वहन करता है तो बड़ी कार की सुविधा 900 ₹ प्रति माह से आंकी जाएगी अर्थात् 10,800 ₹ ।

नोट—दशा (i) में यह माना गया है कि नियोक्ता ने निर्धारित शर्तें पूरी की हैं।

कॉपीराइट की गई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 14 **(मोटर-कार की सुविधा के मूल्यांकन के सम्बन्ध में)**

निम्न दशाओं में मोटर-कार की सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि मोटर-कार कर्मचारी की है :

(i) कार को व्यापार के लिए ही चलाने, रख-रखाव तथा चालक के वेतन का भार 75,000 ₹ नियोक्ता ने वहन किया तथा नियोक्ता ने निर्धारित शर्तें पूरी की हैं।

(ii) छोटी कार आंशिक रूप से व्यापार के काम आती है और आंशिक रूप से कर्मचारी के काम आती है। कर्मचारी स्वयं कार चलाता है और नियोक्ता ने कार को चलाने तथा रख-रखाव पर पूरे गत वर्ष में 70,000 ₹ व्यय किए तथा नियोक्ता ने निर्धारित शर्तें पूरी की हैं।

Find out the value of the perquisite of Motor-car if a car is owned by the employee :

(i) Expenses relating to running and maintaining the car and chauffeur's salary paid by the employer ₹ 75,000. The expenses relate to the use of a car for business purposes only and the prescribed conditions are satisfied.

(ii) A small car is used partly for business and partly for personal purposes. The employee drives the car himself. The employer has spent ₹ 70,000 during the Previous Year on running and maintaining the car. The prescribed conditions are satisfied.

Solution

(i) नियोक्ता ने कर्मचारी की कार के सम्बन्ध में वे ही व्यय वहन किए हैं जो व्यापार से सम्बन्धित हैं तथा निर्धारित शर्तें पूरी हैं, अतः इस अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

(ii) छोटी कार आंशिक रूप से व्यापार के लिए तथा आंशिक रूप से कर्मचारी के निजी प्रयोग में आती है तथा नियोक्ता ने पूरे व्यय 70,000 ₹ वहन किए हैं और निर्धारित शर्तें पूरी की हैं, अतः इस अनुलाभ का मूल्य निम्न होगा :

	₹
नियोक्ता द्वारा वहन राशि	70,000
घटाया : व्यापार के लिए व्यय 1,800 ₹ प्रति माह	21,600
अनुलाभ का कर-योग्य मूल्य	48,400

III. फर्राश, चौकीदार, माली या निजी सहायक की सुविधा [नियम 3(3)]

इस सुविधा का मूल्य निम्न होगा :

नौकर को देय या दिया गया वेतन	.....
घटाया : कर्मचारी से वसूल की गई राशि, यदि है तो	.....
सुविधा का मूल्य	.....

IV. गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा [नियम 3(4)]

(i) नियोक्ता गैस, बिजली अथवा पानी किसी दूसरी संस्था से खरीद कर देता है	दी गई राशि
या	
(ii) यदि नियोक्ता गैस, बिजली अथवा पानी अपने साधनों से देता है	प्रति इकाई उत्पादन लागत
घटाया : कर्मचारी से वसूल की गई राशि, यदि है तो	.....
सुविधा का मूल्य	.....

V. शिक्षा सुविधा [नियम 3(5)]

(1) शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए नियोक्ता ने अपनी शिक्षा संस्था खोल रखी है अथवा किसी अन्य शिक्षा संस्था द्वारा शिक्षा नियोक्ता के यहां नियोजन के कारण मुफ्त दी जा रही है :

	मूल्य
(क) कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा सुविधा :	
(i) यदि शिक्षा की लागत अथवा मूल्य 1,000 ₹ प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक नहीं है	शून्य
(ii) यदि शिक्षा की लागत अथवा मूल्य 1,000 ₹ प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक है	उस क्षेत्र में इसी स्तर की शिक्षा संस्था की फीस के बराबर
घटाया—इस सुविधा के बदले कर्मचारी से वसूल की गई राशि	.....
सुविधा का मूल्य	.....
(ख) परिवार के अन्य सदस्यों को शिक्षा सुविधा	क (ii) में वर्णित राशि के बराबर
(2) अन्य शिक्षा संस्था में शिक्षा की सुविधा	नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि के बराबर

कॉपीराइट की गई सामग्री

जब नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत 1,000 ₹ प्रतिमाह प्रति बच्चे से अधिक है, तो कर्मचारी के लिए मुफ्त शिक्षा का मूल्य इसकी लागत के बराबर होगा और 1,000 ₹ प्रतिमाह प्रति बच्चे की कटौती नहीं मिलेगी।

[*CIT* vs. *Director, Delhi Public School* (2011) 202 Taxman 318 (P & H)]

VI. यातायात की सुविधा [नियम 3(6)]

यातायात के व्यापार में संलग्न कोई संस्था अपने किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को अपने वाहन में यात्रा करने या माल लाने-ले जाने की निःशुल्क अथवा रियायती दर पर सुविधा प्रदान करती है तो इस सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो इस कार्य के लिए संस्था जनता से वसूल करती है।

यदि इस सुविधा के बदले में कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है तो इसे उपर्युक्त वर्णित राशि में से घटा दिया जाएगा।

एयर लाइन एवं रेलवे के कर्मचारियों की दशा में यातायात की सुविधा का मूल्य कर-मुक्त होगा।

VII. विहित सीमान्त फायदे या सुख-सुविधा [नियम 3(7)]

इसमें निम्न शामिल हैं :

❑ (1) **बिना ब्याज के या ब्याज की रियायती दर पर ऋण की सुविधा** [नियम 3(7)(i)]

यदि नियोक्ता या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्य को बिना ब्याज या ब्याज की रियायती दर पर ऋण देता है तो इस सुविधा का मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा :

(क) गत वर्ष में यदि ऋणों के योग की राशि 20,000 ₹ से अधिक नहीं है—शून्य

(ख) यदि ऋण नियम 3A में वर्णित बीमारियों के इलाज (उदाहरणार्थ—कैंसर, एड्स, क्षय रोग, आदि) के लिए दिया गया है—शून्य

यदि कर्मचारी को चिकित्सा बीमा होने पर कुछ राशि प्राप्त होती है तो इस राशि पर उसे छूट नहीं मिलेगी।

उदाहरणार्थ—यदि कर्मचारी ने कैंसर का इलाज कराने के लिए नियोक्ता से 1,00,000 ₹ का ऋण लिया। उसे 40,000 ₹ चिकित्सा बीमा राशि के मिले। 60,000 ₹ पर ब्याज की राशि कर-मुक्त होगी तथा 40,000 ₹ पर ब्याज की राशि कर-योग्य होगी।

(ग) **अन्य ऋण**—यदि ऋण (उपर्युक्त को छोड़कर) किसी भी अन्य कार्य के लिए लिया गया है तो ब्याज की राशि की गणना उस दर से की जाएगी जो भारतीय स्टेट बैंक उसी प्रकार के ऋण पर वार्षिक की दर से लेता है। ब्याज की दर सम्बन्धित गत वर्ष के प्रथम दिन लागू दर होगी। ब्याज की गणना मासिक अधिकतम शेष पर की जाएगी। यदि कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य से ब्याज के रूप में कोई राशि वसूल की गई है तो इसे उपर्युक्त संगणित राशि में से घटा दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—'मासिक अधिकतम शेष' से तात्पर्य माह के अन्त में प्रत्येक ऋण की शेष राशि के योग से है।

■ **उदाहरण** (Illustration) 15

राम ने 1 मई, 2019 को कार खरीदने के लिए अपने नियोक्ता से 1,00,000 ₹ का ऋण लिया और 1 जून, 2019 से 1,000 ₹ प्रति माह ऋण का भुगतान आरम्भ कर दिया। निम्न दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर-योग्य ब्याज की राशि की गणना यह मानते हुए कीजिए कि कार के लिए ऋण पर भारतीय स्टेट बैंक 10% वार्षिक की दर से ब्याज लेता है।

(i) नियोक्ता ऋण पर कोई ब्याज वसूल नहीं करता।

(ii) नियोक्ता ऋण के मासिक अधिकतम शेष पर 5% की दर से ब्याज वसूल करता है।

Ram borrowed ₹ 1,00,000 on 1.5.2019 from his employer to purchase a Car. He started repayment of loan *w.e.f.* 1.6.2019 @ ₹ 1,000 p.m. In the following circumstances determine the taxable amount of interest for the Assessment Year 2020-21 assuming that the rate of interest on Car loan charged by the State Bank of India is 10% p.a.

(i) The employer does not charge any interest on a loan;

(ii) The employer charges interest @ 5% on the maximum outstanding monthly balance.

Solution **Computation of Chargeable Interest**

(*for the Assessment Year* 2020-21)

(i) *Date*	*Balance*
	₹
31-05-2019	1,00,000
30-06-2019	99,000
31-07-2019	98,000
31-08-2019	97,000
30-09-2019	96,000
31-10-2019	95,000
30-11-2019	94,000
31-12-2019	93,000

कॉपीराइट की नई सामग्री

31-01-2020	92,000
28-02-2020	91,000
31-03-2020	90,000
	10,45,000

Interest on ₹ 10,45,000 @ 10% for one month = ₹ 8,708

	₹
(ii) Interest as calculated in (i)	8,708
Less : Interest charged from Ram @ 5% *i.e.,* half of ₹ 8,708	4,354
Chargeable Interest	4,354

❑ (2) **छुट्टी मनाने के लिए जाने की सुविधा** [**नियम** 3(7)(ii)]

(क) यदि कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य छुट्टी मनाने के लिए जाता है और उसकी यात्रा, घूमने-फिरने (touring), ठहरने या किसी अन्य व्यय का भुगतान या प्रतिपूर्ति नियोक्ता करता है तो इस अनुलाभ का मूल्य वह राशि होगी जो नियोक्ता ने व्यय की है। परन्तु यह नियम [धारा 10(5), नियम 2B के अन्तर्गत आने वाली] अवकाश यात्रा रियायत पर लागू नहीं होगा।

(ख) यदि यह सुविधा नियोक्ता की अपनी है और सभी कर्मचारियों को समान रूप से प्राप्त नहीं है तो इस सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो अन्य एजेन्सियां ऐसी सुविधाओं का मूल्य सर्वसाधारण से लेती हैं।

(ग) यदि कर्मचारी कार्यालय के कार्य से (official tour) बाहर जाता है और उसके साथ उसके परिवार का कोई सदस्य जाता है और नियोक्ता इस सदस्य के लिए कुछ राशि व्यय करता है, तो व्यय की गई राशि अनुलाभ का मूल्य होगा।

(घ) यदि कर्मचारी कार्यालय कार्य (official tour) से बाहर जाता है और कार्यालय कार्य के पश्चात् कर्मचारी छुट्टी मनाने लगता है (official tour extended as vacation) तो बढ़ी हुई अवधि में रुकने या छुट्टी मनाने पर नियोक्ता जो राशि व्यय करता है वह इस सुविधा का मूल्य होगा।

उपर्युक्त वर्णित सभी दशाओं में यदि इस सुविधा के बदले में कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है तो इसे उपर्युक्त संगणित राशि में से घटा दिया जाएगा।

❑ (3) **निःशुल्क भोजन (Food), आदि** [**नियम** 3(7)(iii)]

यदि नियोक्ता कर्मचारी को निःशुल्क भोजन एवं नशीले पेय के अतिरिक्त पेय की सुविधा देता है तो इसका मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा :

(क) कार्य समय में चाय एवं नाश्ते की सुविधा—शून्य

(ख) कार्य के घण्टों में दूरस्थ क्षेत्र या समुद्रतट से दूर कार्यस्थल पर निःशुल्क भोजन एवं नशीले पेय के अतिरिक्त पेय—शून्य

(ग) कार्य के समय में व्यापारिक कार्यस्थल या कार्यालय में निःशुल्क भोजन एवं नशीले पेय के अतिरिक्त पेय अथवा पूर्व भुगतान किए गए वाउचर जिन्हें हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता और जिनके बदले भोजनालय से भोजन प्राप्त किया जा सकता है, तो दोनों दशाओं में भोजन का कर-योग्य मूल्य निम्न होगा :

	₹
नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि	.....
घटाओ : कर्मचारी से वसूल की गई राशि	
50 ₹ प्रति भोजन	.....
भोजन का कर-योग्य मूल्य	.....

❑ (4) **उपहार** [**नियम** 3(7)(iv)]

यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को रीति-रिवाज के अवसर (ceremonial occasion) पर या किसी अन्य रूप से कोई उपहार देता है या वाउचर या टोकन देता है जिसे देकर उपहार प्राप्त किया जा सकता है तो इस अनुलाभ का मूल्य उपहार की लागत के बराबर होगा।

यदि उपहार कर्मचारी को सामाजिक या धार्मिक उत्सवों, यथा दीपावली, क्रिसमस, नव वर्ष, संस्था की वर्षगांठ, आदि पर दिए जाते हैं तो गत वर्ष में इनके मूल्य का योग 5,000 ₹ तक कर-मुक्त होगा। यदि उपहारों का मूल्य 5,000 ₹ से अधिक हो जाता है तो 5,000 ₹ छोड़कर शेष राशि कर-योग्य अनुलाभ होगा।

यदि उपहार रोकड़ में या ऐसे प्रपत्र के रूप में दिया जाता है जिसके बदले रोकड़ प्राप्त की जा सकती है (उदाहरणार्थ,गिफ्ट चेक) तो ऐसा उपहार कर-मुक्त नहीं होगा। (Circular No. 15/2001)

❑ (5) **क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित व्यय** [**नियम** 3(7)(v)]

यदि कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य कुछ राशि व्यय करता है जिसमें सदस्यता शुल्क एवं वार्षिक शुल्क भी शामिल है और ऐसा व्यय नियोक्ता द्वारा दिए गए क्रेडिट कार्ड (जिसमें Add-on-Card भी शामिल है) पर प्रभारित है या उनका भुगतान या प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा की गई है तो ऐसी राशि इस अनुलाभ का मूल्य होगा।

कॉपीराइट की गई सामग्री

यदि उपर्युक्त राशि में से कुछ राशि कर्मचारी से इस अनुलाभ के लिए वसूल की गई है तो शेष राशि अनुलाभ का मूल्य होगा।

यदि व्यय पूर्णरूपेण व्यापार अथवा पेशे के लिए किए गए हैं तथा निर्धारित प्रलेख एवं प्रमाण-पत्र रखे गए हैं तो इस अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

यदि यह कहा जाता है कि व्यय पूर्णरूपेण व्यापार या पेशे के लिए किया गया है तो निम्न सूचनाएं रखने पर ही अनुलाभ का मूल्य शून्य माना जाएगा :

(i) खर्च की गई राशि का विस्तृत ब्यौरा यथा खर्चे की तिथि तथा खर्चे की प्रकृति।

(ii) नियोक्ता कर्मचारी को एक प्रमाण-पत्र दे जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि व्यय पूर्णरूपेण व्यापार अथवा पेशे के लिए ही किया गया है।

❑ (6) **क्लब व्यय** [**नियम** 3(7)(vi)]

यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के क्लब के व्यय (जिसमें वार्षिक या अंशकालिक फीस की राशि शामिल है) का भुगतान करता है या उनकी प्रतिपूर्ति करता है तो इस अनुलाभ का मूल्य नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि के बराबर होगा।

यदि उपर्युक्त राशि में से कर्मचारी से कोई राशि वसूल की गई है तो शेष राशि ही अनुलाभ का मूल्य होगा।

यदि नियोक्ता ने क्लब की निगमित सदस्यता (Corporate membership) ले रखी है और इसका लाभ कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य उठाता है तो अनुलाभ का मूल्य ज्ञात करने के लिए निगमित सदस्यता प्राप्त करने के लिए जो प्रारम्भिक शुल्क दिया गया था उसे शामिल नहीं किया जाएगा।

अपवाद—निम्न दशाओं में इस अनुलाभ का मूल्य शून्य माना जाएगा :

(1) यदि व्यय पूर्णरूपेण व्यापार अथवा पेशे के लिए किया गया है :

(i) निर्धारित प्रलेख एवं प्रमाण-पत्र रखे गए हैं;

(ii) नियोक्ता कर्मचारी को प्रमाण-पत्र दें जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि व्यय पूर्णरूपेण व्यापार अथवा पेशे के लिए ही किया गया है।

(2) यदि नियोक्ता हैल्थ क्लब, स्पोर्ट्स एवं अन्य इसी प्रकार की सुविधाएं सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध कराता है।

❑ (7) **चल सम्पत्ति का उपयोग** [**नियम** 3(7)(vii)]

यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को कोई चल सम्पत्ति उपयोग के लिए देता है (परन्तु पहले वर्णित सम्पत्ति छोड़कर यथा फर्नीचर) तो इस अनुलाभ का मूल्य निम्न होगा :

(i) लैपटॉप तथा कम्प्यूटर्स—शून्य

(ii) अन्य चल सम्पत्तियां :

(क) यदि चल सम्पत्ति का मालिक नियोक्ता है—सम्पत्ति की वास्तविक लागत का 10% प्रति वर्ष।

यदि कोई चल सम्पत्ति पिछले दस वर्षों से अधिक से काम आ रही है तो इस अनुलाभ का मूल्य शून्य माना जाएगा।

(ख) सम्पत्ति किराये पर ली गई है—इस सम्पत्ति का दिया गया या देय किराया।

यदि इस सम्बन्ध में कर्मचारी से कुछ राशि वसूल की गई है तो उपर्युक्त वर्णित राशि में से इसे घटा दिया जाएगा तथा शेष राशि अनुलाभ का मूल्य होगा।

❑ (8) **चल सम्पत्ति का हस्तान्तरण** [**नियम** 3(7)(viii)]

यदि नियोक्ता अपनी कोई चल सम्पत्ति कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को हस्तान्तरित कर देता है तो इस अनुलाभ का मूल्य निम्न होगा :

(क) कम्प्यूटर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं		₹
वस्तु की वास्तविक लागत		.....
घटाया : (i) नियोक्ता द्वारा जितनी अवधि में इस वस्तु का उपयोग किया गया है उस अवधि का पूर्ण प्रतिवर्ष के लिए 50% की दर से W.D.V. के आधार पर ह्रास	.....	
(ii) कर्मचारी से प्राप्त प्रतिफल	.....	.....
शेष अनुलाभ का मूल्य		.....

कॉपीराइट की गई सामग्री

(ख) **मोटर-कार**

मोटर-कार की वास्तविक लागत		.....
घटाया : (i) नियोक्ता द्वारा जितनी अवधि में मोटर-कार का उपयोग किया गया है उस अवधि का पूर्ण प्रति वर्ष के लिए 20% की दर से W.D.V. के आधार पर ह्रास	.....	
(ii) कर्मचारी से प्राप्त प्रतिफल	.....	.....
शेष अनुलाभ का मूल्य		.....

(ग) **अन्य चल सम्पत्ति**

सम्पत्ति की वास्तविक लागत		.....
घटाया : (i) नियोक्ता द्वारा जितनी अवधि के लिए सम्पत्ति का उपयोग किया गया है उस अवधि का पूर्ण प्रतिवर्ष के लिए 10% की दर से सीधी लाइन के आधार पर ह्रास	.....	
(ii) कर्मचारी से प्राप्त प्रतिफल	.....	.....
शेष अनुलाभ का मूल्य		.....

❑ (9) **अन्य लाभ या अनुलाभ** [**नियम** 3(7)(ix)]

यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को कोई अन्य लाभ, अनुलाभ, सेवा, अधिकार या सुविधा प्रदान करता है तो इसका मूल्य Arms' length transaction के आधार पर नियोक्ता की लागत में से कर्मचारी से वसूल की गई राशि घटाकर शेष राशि के बराबर होगा।

अपवाद—यदि नियोक्ता कर्मचारी के टेलीफोन्स (जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल हैं) के व्यय का भुगतान करता है तो यह कर-मुक्त अनुलाभ होगा।

❑ **विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण अंशों** (Sweat Equity Shares) **का मूल्यांकन**

धारा 17 (2) (vi) के लिए विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण अंशों का मूल्य नियम 3(8) के अनुसार किया जाएगा।

1. **साधारण अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उस तिथि को सूचीबद्ध हैं, जिस तिथि को कर्मचारी ने इन्हें लेने का विकल्प दिया है :**

ऐसे अंशों का मूल्य Opening price एवं Closing price का औसत माना जाएगा।

यदि अंश लेने के विकल्प की तिथि को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे अंशों का लेन-देन नहीं हुआ है तो इससे पूर्व की तिथि को लेन-देन के आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा।

'Opening price' से तात्पर्य उस कीमत से है जो उस तिथि को सबसे पहले सौदे के निर्धारण (settlement) के लिए ली गई एवं दी गई है।

'Closing price' से तात्पर्य उस कीमत से है जो उस तिथि को सबसे अन्तिम सौदे के निर्धारण (settlement) के लिए ली गई एवं दी गई है।

यदि स्टॉक एक्सचेंज क्रय एवं विक्रय मूल्य (buy and sell price) दोनों Quote करता है तो अंशों के मूल्यांकन के लिए विक्रय मूल्य लिया जाएगा।

2. **साधारण अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उस तिथि को सूचीबद्ध नहीं है जिस तिथि को कर्मचारी ने इन्हें लेने का विकल्प दिया है :**

ऐसे अंशों का उचित बाजार मूल्य Security and Exchange Board of India में पंजीकृत Category I merchant Banker द्वारा किया जाएगा।

3. **कम्पनी के साधारण अंशों के अतिरिक्त किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूति का मूल्य** [**नियम** 3(9)]

विनिर्दिष्ट प्रतिभूति का उचित बाजार मूल्य Security and Exchange Board of India में पंजीकृत Category I Merchant Banker द्वारा किया जाएगा।

कॉपीराइट की गई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 16 **(सकल वेतन की गणना)**

श्री रामलाल आगरा में एक कम्पनी के मैनेजर हैं। उन्हें प्रत्येक माह 50,000 ₹ मूल वेतन, 500 ₹ मनोरंजन भत्ता तथा 3,000 ₹ महंगाई भत्ता मिलता है।

1. उनका अपना मकान है परन्तु कम्पनी ने उन्हें अग्र सुविधाएं दे रखी हैं :
   (क) एक माली, एक फर्राश, एक चौकीदार तथा एक घरेलू नौकर जिन्हें क्रमशः 150 ₹, 200 ₹, 1,100 ₹ तथा 600 ₹ प्रति माह वेतन मिलता है;
   (ख) 1 सितम्बर, 2019 से रेफ्रिजरेटर का मुफ्त प्रयोग जिसकी लागत 8,400 ₹ है। गत वर्ष में कम्पनी ने इसकी मरम्मत पर 400 ₹ व्यय किये।
2. उनके निम्न दायित्वों का कम्पनी ने भुगतान किया :
   (क) गैस, बिजली तथा पानी के बिलों का भुगतान 15,000 ₹;
   (ख) लॉयन्स क्लब का वार्षिक सदस्यता शुल्क 1,000 ₹।
3. कम्पनी ने उन्हें एक बड़ी कार की सुविधा दे रखी है। कार निजी प्रयोग में भी आती है तथा चालक के वेतन सहित सम्पूर्ण व्यय कम्पनी वहन करती है।
4. उनका पुत्र कम्पनी द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ रहा है। कम्पनी द्वारा प्रत्येक छात्र पर 8,000 ₹ वार्षिक व्यय किया जाता है। यदि उसे आगरा में इसी स्तर के स्कूल में भेजा जाता तो 5,000 ₹ एक वर्ष में व्यय होता।
5. कम्पनी ने उन्हें 300 अंश 100 ₹ प्रति अंश की दर से आवंटित किये जबकि इस प्रस्ताव की स्वीकृति के दिन उचित बाजार मूल्य 120 ₹ प्रति अंश था।
6. वह छुट्टी पर शिमला गये। वहां कम्पनी के अतिथि गृह में ठहरे तथा रहने के स्थान के सम्बन्ध में 5,000 ₹ बचाए।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनके सकल वेतन की गणना कीजिए।

Shri Ram Lal is the Manager of a company in Agra. He receives every month ₹ 50,000 as basic pay, ₹ 500 as entertainment allowance and ₹ 3,000 as dearness allowance.

1. He owns his house but the company has provided him the following amenities:
   (a) a gardener, a sweeper, a watchman and a domestic servant each of whom are paid ₹ 150, ₹ 200, ₹ 1,100 and ₹ 600 per month respectively;
   (b) free use of the refrigerator costing ₹ 8,400 from 1st September, 2019. The company incurred ₹ 400 on its repairs during the previous year.
2. His following obligations were paid by the company :
   (a) Gas, electricity and water bills amounting to ₹ 15,000;
   (b) Annual membership fee to Loin's Club ₹ 1,000.
3. The company has provided him the facility of a large car. The car is used for private purposes also and all expenses including the driver's salary are borne by the company.
4. His son is studying in a school run by the company. The annual expenses incurred by the company per student is ₹ 8,000. Had he been sent for education to a similar school in Agra, a sum of ₹ 5,000 would have been spent during the year.
5. The company allotted him 300 shares at ₹ 100 each, whereas the fair market value on the date on which option is exercised by the employee was ₹ 120.
6. He proceeded on leave to Simla. He stayed there in the guest house of the company and saved ₹ 5,000 on account of accommodation.

Compute his Gross Salary for the Assessment Year 2020-21.

Solution

Computation of Gross Salary
(for the Assessment Year 2020-21)

	₹
Basic Pay	6,00,000
Dearness Allowance	36,000
Entertainment Allowance	6,000
Perquisites :	
Car including driver [(₹ 2,400 + 900) × 12]	39,600
Gardener	1,800
Watchman	13,200

कॉपीराइट की गई सामग्री

Sweeper	2,400
Domestic Servant	7,200
Refrigerator for 7 months	490
Free Education	—
Guest House	5,000
Concession in Shares (₹ 20 × 300)	6,000
Gas, electricity and water bills	15,000
Membership fee to Lion's Club	1,000
Gross Salary	7,33,690

नोट— 1. मुफ्त शिक्षा के अनुलाभ का मूल्य शून्य है क्योंकि व्यय प्रति माह प्रति बच्चा 1,000 ₹ से कम है।
2. रेफ्रिजरेटर के अनुलाभ का मूल्य 8,400 ₹ की लागत का 10% केवल 7 माह के लिए लिया गया है। कम्पनी द्वारा किये गये मरम्मत पर व्यय नहीं जोड़े जायेंगे।
3. माली, चौकीदार, फर्राश तथा घरेलू नौकर की सुविधा का मूल्य उनको दिया गया वास्तविक वेतन होगा।

वेतन के स्थान पर लाभ
(PROFITS IN LIEU OF SALARY)

वेतन के स्थान पर लाभ में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) करदाता द्वारा अपने वर्तमान अथवा किसी पहले नियोक्ता से, नौकरी से हटाने के सम्बन्ध में अथवा नौकरी की शर्तों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की कोई रकम।

(2) किसी वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा करदाता को देय अथवा दिया हुआ कोई भुगतान। यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को कोई राशि व्यक्तिगत भेंट के रूप में देता है जो उसकी अच्छी सेवाओं के कारण न दी गयी हो तो वह राशि उस कर्मचारी के लिए कर-योग्य नहीं होगी।

(3) अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड अथवा किसी अन्य फण्ड में से किया गया कोई भुगतान केवल नियोक्ता के अंशदान तथा उस पर ब्याज की राशि तक कर-योग्य होगा। इस फण्ड में कर्मचारी के स्वयं के अंशदान पर प्राप्त ब्याज कर-मुक्त नहीं है। यह 'वेतन' शीर्षक की बजाय 'अन्य साधनों से आय' के शीर्षक में कर-योग्य है।

(4) Keyman बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त राशि (बोनस सहित)।

(5) यदि करदाता को किसी व्यक्ति से उसके पास नौकरी आरम्भ करने से पूर्व या नौकरी समाप्त करने के पश्चात् कोई राशि एकमुश्त या अन्य प्रकार से प्राप्त हुई या शोध्य (due) है।

अपवाद—धारा 10 के वाक्यांश (10), (10A), (10B), (10C), (11), (12), (13) तथा (13A) में दिये हुए भुगतान 'वेतन के स्थान पर लाभ' में शामिल नहीं किये जायेंगे :

(1) मृत्यु तथा अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेच्युइटी [**धारा** 10(10)]

(2) पेंशन की एकमुश्त राशि [**धारा** 10(10A)]

(3) क्षतिपूर्ति [**धारा** 10(10B)]

(4) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी अथवा स्थानीय सत्ता अथवा सहकारी समिति अथवा किसी विश्वविद्यालय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय केन्द्रीय सरकार की योजनानुसार प्राप्त राशि। [**धारा** 10(10C)]

(5) वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड से भुगतान [**धारा** 10(11)]

(6) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड से भुगतान [**धारा** 10(12)]

(7) अनुमोदित सुपरऐनुएशन फण्ड से भुगतान जो धारा 10(13) के अन्तर्गत हो। इस फण्ड से अन्य कोई भुगतान वेतन शीर्षक में वेतन के स्थान पर लाभ के रूप में कर-योग्य होगा।

(8) मकान किराया भत्ता [**धारा** 10(13A)]

कॉपीराइट की गई सामग्री

प्रॉविडेण्ट फण्ड
(PROVIDENT FUND)

प्रॉविडेण्ट (Provident) शब्द का अर्थ भविष्य के लिए प्रबन्ध करना है। इस फण्ड में कर्मचारी के वेतन में से प्रति मास एक निश्चित दर से रकम काटकर जमा कर दी जाती है तथा नियोक्ता भी अपना अंशदान करता है। जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी से सेवा-निवृत्त होता है तो उस समय यह इकट्ठी रकम ब्याज सहित उसको मिल जाती है और उस समय इससे काफी सहायता मिलती है। यदि अभाग्यवश सेवाकाल में ही कर्मचारी का देहान्त हो जाता है तो इस फण्ड की रकम उसके स्त्री-बच्चों अथवा कानूनी उत्तराधिकारियों को मिल जाती है जिससे उन्हें काफी सहारा मिल जाता है। प्रॉविडेण्ट फण्ड चार प्रकार के होते हैं :

(i) वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड,

(ii) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड,

(iii) अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड,

(iv) सार्वजनिक प्रॉविडेण्ट फण्ड।

(i) **वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड** (Statutory Provident Fund)—यह वह प्रॉविडेण्ट फण्ड है जो भारतीय प्रॉविडेण्ट फण्ड अधिनियम, 1925 द्वारा अनुमोदित है। साधारणतया यह फण्ड सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों में, स्थानीय निकायों में, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान, वैधानिक निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, आदि में रखा जाता है।

(ii) **प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड** (Recognized Provident Fund)—यह वह फण्ड है जो आय कर मुख्य कमिश्नर अथवा कमिश्नर द्वारा स्वीकृत होता है। इसमें कर्मचारी प्रॉविडेण्ट फण्ड ऐक्ट, 1952 के अन्तर्गत बनायी गयी योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रॉविडेण्ट फण्ड भी शामिल है। साधारणतया यह फण्ड अनुसूचित बैंकों, कारखानों व बहुत-सी व्यापारिक संस्थाओं में रखा जाता है। इस प्रकार यह फण्ड निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा रखा जाता है।

(iii) **अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड** (Unrecognized Provident Fund)—यह वह फण्ड होता है जो न वैधानिक हो और न प्रमाणित। इस फण्ड को कोई भी संस्था रख सकती है। यह फण्ड भी निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा रखा जाता है।

(iv) **सार्वजनिक प्रॉविडेण्ट फण्ड** (Public Provident Fund)—इस फण्ड में आम जनता का प्रत्येक व्यक्ति (वेतनभोगी कर्मचारियों सहित) प्रति वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 500 ₹ तथा अधिक-से-अधिक 1,50,000 ₹ जमा कर सकता है। वह अपना धन किस्तों में भी जमा कर सकता है जो एक वर्ष में 12 से अधिक नहीं हो सकती हैं। यह खाता एक व्यक्ति अपने नाम में अथवा अपने ऐसे अवयस्क बच्चे के नाम में खोल सकता है जिसका कि वह संरक्षक है। परन्तु एक व्यक्ति अपने नाम में केवल एक ही खाता खोल सकता है। यह खाता भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसकी सहायक बैंकों में अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत 13 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी बैंक की शाखा में अथवा प्रधान डाकघर (Head Post Office) में खोला जा सकता है। इस फण्ड में जमा पर ब्याज केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित दर से दिया जाता है। यह ब्याज कर से पूर्णतया मुक्त है। इस फण्ड में किसी वित्तीय वर्ष में जमा की गई राशि पर धारा 80C के अन्तर्गत कटौती दी जाती है। 15 वर्ष बाद इस फण्ड की राशि पूर्णतया आहरित की जा सकती है। इस फण्ड से मिली हुई सम्पूर्ण राशि पूर्णतया कर-मुक्त है।

प्रॉविडेण्ट फण्डों के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के नियम जो 'वेतन' शीर्षक से सम्बन्धित हैं, निम्न तालिका से भली प्रकार समझाये जा सकते हैं :

❑ (क) वह राशि जो कुल आय में शामिल की जाती है

वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड	प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड
जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो उसकी आय में केवल उसके वेतन में से कटी हुई रकम (जो इस फण्ड में जमा की गयी हो) जोड़ी जाती है। इस फण्ड में नियोक्ता द्वारा दिया हुआ अंशदान तथा फण्ड के ब्याज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता अर्थात् नियोक्ता का अंशदान तथा फण्ड का ब्याज न तो कर्मचारी की आय में जोड़ा जाता है और न ही उस पर कर लगता है।	जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो (i) उसके वेतन में से कटी हुई रकम (जो इस फण्ड में जमा की गयी हो); (ii) नियोक्ता द्वारा दिये हुए अंशदान का वह भाग जो कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक हो; तथा (iii) फण्ड के ब्याज का वह भाग जो निर्धारित दर 9.5% से अधिक हो, कर्मचारी की आय में जोड़ा जाता है, अर्थात् नियोक्ता का अंशदान वेतन के 12 प्रतिशत भाग तक तथा फण्ड का ब्याज 9.5% की दर तक कर्मचारी की आय में शामिल नहीं किया जाता और न ही उस पर कर लगता है।	जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो उसकी आय में उसके वेतन में से कटी हुई रकम (जो इस फण्ड में जमा की गयी हो) जोड़ी जाती है, परन्तु नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान तथा इस फण्ड का ब्याज प्रत्येक वर्ष उसकी आय में नहीं जोड़ा जाता है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

❑ **(ख) धारा 80C के अन्तर्गत कटौती के लिए योग्य राशि की अधिकतम सीमा**

वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड	प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड
एक कर्मचारी द्वारा इस फण्ड के लिए अपने वेतन में से कटायी हुई राशि 1,50,000 ₹ तक।	एक कर्मचारी द्वारा इस फण्ड के लिए अपने वेतन में से कटायी हुई राशि 1,50,000 ₹ तक।	एक कर्मचारी द्वारा इस फण्ड के लिए अपने वेतन में से कटायी हुई राशि कटौती योग्य राशि में शामिल नहीं की जाती है।

❑ **(ग) नौकरी से सेवा-निवृत्त होने के समय अथवा नौकरी छोड़ने के समय फण्डों से मिली हुई राशि**

वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड	प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड
इस राशि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। न तो यह कर्मचारी की आय में जोड़ी जाती है और न इस पर किसी प्रकार का कर लगता है।	इस राशि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता अर्थात् न तो यह कर्मचारी की आय में जोड़ी जाती है और न उस पर किसी प्रकार का कर लगता है।	(i) नियोक्ता का अंशदान एवं उसके अंशदान पर ब्याज वेतन शीर्षक में जोडा जाता है और उस पर कर लगता है। (ii) कर्मचारी के अंशदान की राशि कर-मुक्त होती है। (iii) कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि 'अन्य साधनों से आय' के शीर्षक में शामिल की जाती है और कर-योग्य होती है।

नोट—प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान की कटौती योग्य राशि की गणना करने के लिए वेतन में शामिल है : मूल वेतन, महंगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तों के अनुसार दिया जाता है या अवकाश सम्बन्धी सुविधाओं की गणना में शामिल किया जाता है) तथा कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन।

अनुमोदित सुपरऐनुएशन फण्ड
(APPROVED SUPERANNUATION FUND) [**धारा** 10(13)]

इस फण्ड का उद्देश्य कर्मचारियों को अवकाश ग्रहण करने के बाद अथवा सेवा-निवृत्त होने से पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने पर अथवा उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवाओं अथवा बच्चों अथवा आश्रितों को वार्षिकी देना है। यह वह फण्ड है जो मुख्य कमिश्नर अथवा कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है।

कर-मुक्त राशि—इस फण्ड से निम्न भुगतान पूर्णतया कर-मुक्त हैं :

(i) कर्मचारी की मृत्यु पर भुगतान, अथवा (ii) एक निश्चित उम्र पर कर्मचारी के सेवा-निवृत्त (Retire) होने पर अथवा कर्मचारी के कार्य करने योग्य न रहने पर इस प्रकार सेवा-निवृत्त होने से पूर्व कर्मचारी को वार्षिकी की एकमुश्त राशि का भुगतान अथवा (iii) कर्मचारी के निर्धारित पेंशन योजना खाते (धारा 80CCD में वर्णित) में अन्तरण।

नोट—कर्मचारी के एक वर्ष में निर्धारित पेंशन योजना, सुपरऐनुएशन फण्ड और प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में अंशदान के सम्बन्ध में एक संयुक्त उच्च सीमा 7,50,000 ₹ होगी। (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से प्रभावी)

❑ **धारा 80C के अन्तर्गत कटौती-योग्य राशि** (Qualifying Amount for deduction u/s 80C)

गत वर्ष में इस फण्ड में कर्मचारी के अंशदान की राशि धारा 80C के अन्तर्गत कटौती पाने योग्य अन्य राशियों सहित 1,50,000 ₹ तक Qualify करेगी।

नोट—धारा 80C के विस्तृत अध्ययन के लिए अध्याय "कुल आय की गणना करने के लिए सकल कुल आय में से की जाने वाली कटौतियां" देखें।

कटौतियां (DEDUCTIONS) [**धारा** 16]

'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतियां दी जाती हैं :

(i) मानक कटौती (Standard Deduction) 40,000 ₹ तक,

नोट—कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 से मानक कटौती 50,000 ₹ तक मिलेगी।

(ii) मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कटौती (Deduction regarding Entertainment Allowance), तथा

(iii) नियोजन कर के सम्बन्ध में कटौती (Deduction regarding Employment Tax)।

(1) **मनोरंजन भत्ता**—मनोरंजन भत्ते की रकम कर्मचारी की कुल आय में 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत पहले जोड़ दी जाती है और फिर इस सम्बन्ध में निम्न कटौती दी जाती है : [**धारा** 16(ii)]

(अ) **सरकारी कर्मचारी की दशा में**—

निम्न में से सबसे कम राशि की कटौती मिलेगी :

(i) मनोरंजन भत्ता; (ii) मूल वेतन का 20%; (iii) अधिकतम राशि 5,000 ₹।

(आ) **गैर-सरकारी कर्मचारी की दशा में**—अन्य किसी कर्मचारी के लिए (वैधानिक निगम अथवा स्थानीय सत्ता के कर्मचारी सहित)—शून्य

नोट—यदि कर्मचारी नियोक्ता के ग्राहकों के मनोरंजन पर कुछ व्यय (मनोरंजन भत्ते में से या अपने पास से) करता है तो उसे इस सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं मिलेगी।

कॉपीराइट की गई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 17 **(सरकारी कर्मचारियों के मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में)**

श्री आर. एस. तिवारी, एक सरकारी कर्मचारी है। वर्ष 2019-20 में उसे 60,000 ₹ मासिक वेतन, 4,000 ₹ मासिक महंगाई भत्ता, 500 ₹ मासिक मोटर-कार भत्ता तथा 1,000 ₹ मासिक किराये के मूल्य का किराये से मुक्त रहने का मकान मिला। उसे 1 जनवरी, 2015 से (जब उसकी पदोन्नति हुई) 400 ₹ मासिक मनोरंजन भत्ता भी मिलने लगा। उसने इस राशि में से कार्यालय के सम्बन्ध में कोई व्यय नहीं किया। धारा 16(ii) के अन्तर्गत कटौती-योग्य राशि की गणना कीजिए।

Shri R. S. Tiwari is a government employee. During the year 2019-20 he got ₹ 60,000 p.m. as salary, ₹ 4,000 p.m. as dearness allowance, ₹ 500 p.m. as car allowance and rent-free house of the value of ₹ 1,000 p.m. He was also given entertainment allowance of ₹ 400 p.m. with effect from 1st January, 2015 when he was promoted and that he did not spend any amount out of this for official purposes. Calculate the amount deductible under section 16(ii).

Solution

श्री तिवारी एक सरकारी कर्मचारी है अतः उसे धारा 16(ii) के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत होगी चाहे उसने इस सम्बन्ध में कार्यालय के लिए कोई व्यय नहीं किया है। कटौती की राशि निम्न में जो सबसे कम होगी वह स्वीकृत होगी :

(i) 7,20,000 ₹ की मूल वेतन का 1/5 अर्थात् 1,44,000 ₹, अथवा (ii) 5,000 ₹, अथवा (iii) वास्तविक प्राप्त राशि अर्थात् 4,800 ₹।

उपर्युक्त में सबसे कम राशि 4,800 ₹ है और इसी की कटौती धारा 16(ii) के अन्तर्गत स्वीकृत होगी। इस आशय के लिए वेतन में कोई अतिरिक्त लाभ अथवा प्राप्तियां शामिल नहीं की जाएंगी।

(2) **नियोजन कर** (Employment Tax)—किसी विधान के अन्तर्गत लगाये गये नियोजन कर के लिए करदाता द्वारा चुकाई गई राशि की कटौती स्वीकृत है। [**धारा** 16(iii)]

ध्यान दें—1. यदि नियोजन कर की राशि का भुगतान नियोक्ता ने किया है तो इसे वेतन में जोड़ा जाएगा और फिर इसकी कटौती दी जाएगी।

2. नियोजन कर की अधिकतम राशि 2,500 ₹ तक हो सकती है।

नोट—कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 से मानक कटौती मिलती है।

नोट—करदाता द्वारा नई वैकल्पिक कर व्यवस्था को अपनाने की दशा में धारा 16 की कटौतियां स्वीकृत नही होगीं। (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से प्रभावी)

CHART SHOWING COMPUTATION OF INCOME FROM SALARIES

	₹
1. Salary/Wage	.....
2. Advance Salary or Arrears of Salary	.....
3. Dearness Pay	.....
4. Dearness Allowance	.....
5. Bonus	.....
6. Fees	.....
7. Commission	.....
8. Allowances (Taxable part)	.....
9. Value of taxable perquisites	.....
10. Profits in lieu of or in addition to salary or wages (Amount of Compensation)	.....
11. Amount received in respect of encashment of earned leave during service	.....
12. Contribution of employer in RPF in excess of 12% of salary	.....
13. Interest on RPF in excess of 9.5%	.....
On retirement of Employee-add :	
14. Unrecognised Provident Fund :	
(a) Share of Employer	.....
(b) Interest on share of employer	.....
15. Taxable part of gratuity	.....
16. Taxable part of encashment of earned leave	.....
17. If retrenched-taxable part of retrenchment compensation	.....
18. In case of voluntary retirement-taxable part of volunatry retirement compensation	.....

कॉपीराइट की नई सामग्री

19. Pension :		
(a) Taxable part of commuted pension		.....
(b) Pension from the date of retirement till the end of previous year		.....
Gross Salary Income		.....
Less :		
1. Standard Deduction Max. ₹ 50,000	.....	
2. Entertainment allowance Max. ₹ 5,000 (In case of Govt. Employee)	.....	
3. Professional Tax	.....	.....
Taxable Salary		.....

यदि कुल आय की गणना करनी हो और वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई आय न हो तो कर-योग्य वेतन ही सकल कुल आय मानी जायेगी और इसमें से धारा 80C से 80U के अन्तर्गत कटौतियां घटाकर शेष राशि कुल आय होगी।

■ **उदाहरण** (Illustration) 18

श्रीमती किशन प्यारी एक लिमिटेड कम्पनी से 20,000 ₹ मासिक वेतन तथा 3,500 ₹ मासिक मनोरंजन भत्ता पा रही है। उसे 1,200 ₹ मासिक सवारी भत्ता, दो माह के वेतन के बराबर बोनस तथा एक माह के वेतन के बराबर कमीशन भी मिल रहा है। उसने गत वर्ष में 2,000 ₹ नियोजन कर के चुकाये।

उसे कम्पनी ने जयपुर में एक किराये से मुक्त सुसज्जित मकान भी दिया हुआ है जिसके लिए कम्पनी 90,000 ₹ वार्षिक मकान का किराया तथा 8,700 ₹ वार्षिक फर्नीचर के लिए भुगतान कर रही है। इस मकान के सम्बन्ध में 18,000 ₹ बिजली व पानी के व्यय भी कम्पनी द्वारा वहन किये जाते हैं।

उसे कम्पनी द्वारा गत वर्ष में 300 दिन 80 ₹ प्रति भोजन की लागत का कार्यालय समय में कार्यस्थल पर भोजन दिया गया। कम्पनी ने उससे 20 ₹ प्रति भोजन वसूल किए।

उपर्युक्त सूचना से श्रीमती किशन प्यारी की कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन से कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Smt. Kishan Pyari is drawing a monthly salary of ₹ 20,000 and entertainment allowance of ₹ 3,500 per month from a Ltd. Co. She is also getting conveyance allowance of ₹ 1,200 per month, a bonus equal to two months' salary and commission equal to one month's pay. During the previous year, she paid ₹ 2,000 as employment tax.

She is provided with a rent-free furnished house by the company at Jaipur. The company paying ₹ 90,000 p.a. as the rent of this house and ₹ 8,700 p.a. for furniture and fittings. The electric and water charges amounting to ₹ 18,000 are also borne by the company in respect of this house.

She is also provided with lunch by the company during working hours at work place. The cost of which is ₹ 80 per day for 300 days during the previous year. The company recovered ₹ 20 per meal from her.

From the above information calculate Smt. Kishan Pyari's taxable income from salary for the Assessment Year 2020-21.

Solution **Computation of Taxable Salary of Smt. Kishan Pyari**
(for the Assessment Year 2020-21)

		₹
Salary		2,40,000
Bonus		40,000
Commission		20,000
Entertainment Allowance		42,000
Value of rent-free house		60,000
Electric and water charges paid by the company		18,000
Lunch—(₹ 80 – 20 – 50) × 300		3,000
	Gross Income from Salary	4,23,000
Less : (i) Standard Deduction	50,000	
(ii) Employment Tax	2,000	52,000
	Taxable Salary	3,71,000

नोट— किराये से मुक्त मकान का मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया गया है :

	₹
वेतन का 15% (अर्थात् 2,40,000 + 40,000 + 20,000 + 42,000) = 3,42,000 ₹ का 15%	
या 90,000 ₹ जो दोनों में कम हो	51,300
जोड़ो : फर्नीचर का किराया	8,700
किराये से मुक्त मकान का मूल्य	60,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 19

मिस्टर P को 30,000 ₹ प्रति माह वेतन मिलता है। उसको वेतन के 10% के बराबर महंगाई भत्ता, 5,000 ₹ प्रति माह मकान किराया भत्ता और 1,000 ₹ प्रति माह प्रोक्टर भत्ता भी मिलता है। 2019-20 गत वर्ष में वह तीन माह के लिए भारत के बाहर रहा था और इस अवधि का वेतन तथा भत्ता उसको भारत के बाहर ही दिये गये। जितने दिन वह भारत के बाहर रहा, उतने दिन का प्रोक्टर भत्ता उसको नहीं दिया गया। उसने अपने निवास के लिए प्रयुक्त मकान किराया 4,000 ₹ प्रति माह की दर से दिया। उसके पास अपना एक स्कूटर भी है जिसको वह भारत में अपनी सेवा के सम्बन्ध में प्रयोग करता है जिसके लिए उसे कोई सवारी भत्ता नहीं मिलता है। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी वेतन शीर्षक की आय निकालिए।

Mr. P gets a salary of ₹ 30,000 per month. He also gets dearness allowance @ 10% of the salary, house rent allowance of ₹ 5,000 per month and proctor's allowance of ₹ 1,000 per month. During the Previous Year 2019-20, he was out of India for three months and the salary and allowances for this period were paid to him abroad. He was not paid any proctor's allowance while he remained out of India. He paid ₹ 4,000 per month as the rent of the house occupied by him for his residence. He also owned a scooter which he used for the purpose of his employment in India for which he did not get any conveyance allowance. Find out his income from salary for the Assessment Year 2020-21.

Solution

Computation of Taxable Salary
(*for the Assessment Year* 2020-21)

		₹
Salary for the year		3,60,000
Dearness Allowance		36,000
House Rent Allowance		48,000
Proctor's Allowance for 9 months		9,000
	Gross Income from Salary	4,53,000
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	4,03,000

नोट— 1. गत वर्ष 2018-19 के लिए उसका वेतन पूरे 12 माह का लिया जायेगा न कि 9 माह का।

2. उपर्युक्त प्रश्न में मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में सब विकल्पों में सबसे कम राशि वेतन के 1/10 भाग से अधिक किराये के वास्तविक व्यय का आधिक्य है, अर्थात् (48,000 – 36,000) = 12,000 ₹। अतः करदाता को प्राप्त कुल मकान भत्ते की 60,000 ₹ की राशि में से 12,000 ₹ घटा दिये जायेंगे तथा शेष 48,000 ₹ कर-योग्य होगा।

3. स्कूटर के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं मिलेगी।

■ **उदाहरण** (Illustration) 20

मिस्टर A को 18,000 ₹ प्रति माह वेतन तथा वेतन का 10% महंगाई भत्ता मिल रहा है। उसे 8,000 ₹ प्रति वर्ष मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में उसे तीन माह के वेतन के बराबर बोनस मिला। उसे एक कस्बे (जिसकी जनसंख्या चार लाख से कम है) में किराये से मुक्त एक असुसज्जित रहने का मकान भी मिला हुआ है जिसका उचित किराया 5,000 ₹ प्रति माह है। गत वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए 'वेतन' शीर्षक में आय की गणना कीजिए।

A, gets ₹ 18,000 per month as salary and dearness allowance at 10 per cent of the salary. He is getting entertainment allowance of ₹ 8,000 p.a. During the Previous Year ended 31st March, 2020, he received a bonus of three months' salary. He is also provided with a rent-free house (unfurnished) in a town (whose population is less than four lakh) whose fair rent is ₹ 5,000 per month. Find out his income under the head 'Salaries' for the Assessment Year relevant to the Previous Year 2019-20.

Solution

Computation of Taxable Salary
(*for the Assessment Year* 2020-21)

		₹
Salary		2,16,000
Dearness Allowance		21,600
Bonus		54,000
Entertainment Allowance		8,000
Value of Rent-free house		20,850
	Gross Income from Salary	3,20,450
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	2,70,450

नोट—किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्य वेतन का 7.5% होगा।
अतः (वेतन + बोनस + मनोरंजन भत्ता) का 7.5% = 2,16,000 + 54,000 + 8,000 = 2,78,000 ₹ का 7.5% = 20,850 ₹।

कॉपीराइट की गई सामग्री

■ **उदाहरण** (Illustration) 21

मिस्टर X एक फैक्टरी में (जिसका मालिक एक व्यक्ति है) 20,000 ₹ मासिक वेतन पर सेवारत है। गत वर्ष में वेतन के अतिरिक्त उसे दो माह के वेतन के बराबर बोनस मिला। फैक्टरी ने करदाता को एक मकान 1,400 ₹ मासिक किराये पर लेकर दिया हुआ है। करदाता का एक पुत्र U.S.A. में पढ़ रहा है और उसके खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैं जो हिसाबी वर्ष के लिए 14,000 ₹ हुए। उसे नियोक्ता ने एक छोटी कार दे रखी है जो अंशतः निजी प्रयोग में है और अंशतः कार्यालय के प्रयोग में है। कार के सम्पूर्ण व्यय फैक्टरी चुकाती है। उसे 800 ₹ मासिक मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी वेतन से कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Mr. X is employed in a factory (owned by an individual) on a monthly salary of ₹ 20,000. In addition to the salary, he received a bonus of two months' salary during the previous year. The factory has provided the assessee with a rent-free unfurnished accommodation. The rent paid by employer ₹ 1,400 p.m. One son of the assessee is studying in the U.S.A. and his expenses are borne by the employer, which for the accounting year amount to ₹ 14,000. He is provided with a small car by the employer which he uses partly for private purposes and partly for official purposes. All the expenses in respect of the car are paid by the factory. He is getting entertainment allowance @ ₹ 800 per month. Find out his taxable income from salary for the Assessment Year 2020-21.

Solution

Computation of Taxable Salary
(for the Assessment Year 2020-21)

	₹
(i) Salary	2,40,000
(ii) Bonus for two months	40,000
(iii) Entertainment Allowance	9,600
(iv) Value of Perquisites :	
(a) Rent-free house	16,800
(b) Education expenses of the assessee's son borne by the employer	14,000
(c) Car @ ₹ 1,800 p.m.	21,600
Gross Salary	3,42,000
Less : Standard Deduction	50,000
Taxable Salary	2,92,000

नोट— किराये से मुक्त मकान के अनुलाभ का मूल्य—किराये की राशि या वेतन का 15% जो भी दोनों में कम हो।
इस आशय के लिए वेतन (2,40,000 + 40,000 + 9,600) = 2,89,600 ₹ होगी।

	₹
वेतन का 15%	43,440
नियोक्ता द्वारा दिया गया किराया	16,800
किराये से मुक्त मकान का मूल्य	16,800

■ **उदाहरण** (Illustration) 22

X एक कम्पनी में भोपाल (जनसंख्या 25 लाख से अधिक) में सेवारत है, वह 40,000 ₹ मासिक वेतन तथा वेतन का 20% महंगाई भत्ता पा रहा है। उसे नगर क्षतिपूरक भत्ता 4,000 ₹, चिकित्सा भत्ता 6,000 ₹, बोनस 16,000 ₹ तथा कमीशन 4,000 ₹ भी मिल रहा है। उसे नियोक्ता के स्वामित्व वाला एक किराये से मुक्त असुसज्जित मकान भी मिला हुआ है जिसका उचित किराया मूल्य 60,000 ₹ वार्षिक है। उसे मुफ्त एक फर्राश तथा एक रसोइया मिला हुआ है जिनका वेतन क्रमशः 300 ₹ तथा 700 ₹ मासिक है तथा एक माली भी मिला हुआ है जिसका वेतन 250 ₹ मासिक है। उसे निजी प्रयोग के लिए बिजली भी मुफ्त मिली हुई है जिसके लिए नियोक्ता ने गत वर्ष में बिजली कम्पनी को 6,000 ₹ का भुगतान किया है। उसकी कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर-योग्य वेतन की गणना कीजिए।

X, an employee in a company, in Bhopal (population exceeds 25 lakh) is drawing ₹ 40,000 p.m. as salary and dearness allowance @ 20% of his salary. He is also getting city compensatory allowance ₹ 4,000, medical allowance ₹ 6,000, bonus ₹ 16,000 and commission ₹ 4,000. He is provided with a rent-free unfurnished house owned by the employer of the fair rental value of ₹ 60,000 per annum. He is provided free of charge a sweeper and a cook whose wages are ₹ 300 and 700 p.m. respectively and a gardener whose wages are ₹ 250 p.m. He is also given free electricity for personal use for which the employer has paid ₹ 6,000 during the year to Electric Supply Company. Compute his taxable salary for the Assessment Year 2020-21.

कॉपीराइट की गई सामग्री

Solution

Computation of Taxable Salary of Mr. X
(*for the Assessment Year* 2020-21)

		₹
Salary		4,80,000
Dearness Allowance		96,000
City Compensatory Allowance		4,000
Medical Allowance		6,000
Bonus		16,000
Commission		4,000
Value of rent-free house		76,500
Sweeper		3,600
Cook		8,400
Gardener		3,000
Electricity		6,000
	Gross Salary	7,03,500
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	6,53,500

नोट— 1. अनुलाभ कर-योग्य हैं क्योंकि वेतन से मौद्रिक आय 50,000 ₹ से अधिक है।
2. किराये से मुक्त मकान का मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया गया है :
इस आशय के लिए वेतन = 4,80,000 + 4,000 + 6,000 + 16,000 + 4,000 = 5,10,000 ₹
वेतन का 15% = 76,500 ₹.

■ **उदाहरण** (Illustration) 23 **(विशेष भत्तों के सम्बन्ध में)**

निम्न सूचना से श्री अशोक, जो सिक्किम में एक ट्रान्सपोर्ट कम्पनी में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है, की कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर-योग्य वेतन की गणना कीजिए :

(i) वेतन 20,000 ₹ प्रति माह।
(ii) महंगाई भत्ता 1,500 ₹ प्रति माह।
(iii) एक माह के वेतन के बराबर बोनस।
(iv) दूरस्थ बस्ती भत्ता 1,500 ₹ प्रति माह।
(v) ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता 3,000 ₹ प्रति माह।
(vi) बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता 195 ₹ प्रति माह (तीन बच्चों के लिए 65 ₹ प्रति माह प्रति बच्चा)।
(vii) श्री अशोक का एक पुत्र हॉस्टिल में शिक्षा के लिए रहता है और नियोक्ता उसके हॉस्टिल व्यय की पूर्ति के लिए 400 ₹ प्रति माह देता है।
(viii) 450 ₹ प्रति माह मनोरंजन भत्ता।

From the following information compute the taxable income under the head 'Salaries' of Shri Ashok, who is working as a driver with a transport company at Sikkim for the Assessment Year 2020-21 :

(i) Salary ₹ 20,000 p.m.
(ii) Dearness Allowance ₹ 1,500 p.m.
(iii) Bonus equal to one month's pay.
(iv) Remote Locality Allowance ₹ 1,500 p.m.
(v) Allowance to meet his personal expenses while on duty ₹ 3,000 p.m.
(vi) Children Education Allowance ₹ 195 p.m. (for three children @ ₹ 65 p.m. per child).
(vii) One son of Shri Ashok lives in a hostel for studies and the employer pays ₹ 400 p.m. to meet hostel expenditure.
(viii) Entertainment Allowance ₹ 450 p.m.

Solution

Computation of Taxable Salary
(*for the Assessment Year* 2020-21)

		₹	₹
(i) Salary			2,40,000
(ii) Dearness Allowance			18,000
(iii) Bonus			20,000
(iv) Remote Locality Allowance		18,000	
Less : Exempt u/s 10(14)(ii) up to ₹ 1,300 p.m., at Sikkim falls in Area A		15,600	2,400

कॉपीराइट की नई सामग्री

(v) Personal Expenses Allowance	36,000	
Less : Exempt u/s 10(14)(ii) 70% of the allowance or ₹ 10,000 p.m., whichever is less	25,200	10,800
(vi) Children Education Allowance received (65 × 12 × 3)	2,340	
Less : Exempt u/s 10(14)(ii) up to ₹ 100 per child for a maximum of two children (65 × 12 × 2)	1,560	780
(vii) Hostel Expenses	4,800	
Less : Exempt u/s 10(14)(ii) at ₹ 300 p.m. per child for a maximum of two children	3,600	1,200
(viii) Entertainment Allowance		5,400
	Gross Salary	2,98,580
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	2,48,580

■ **उदाहरण** (Illustration) 24 **(प्रॉविडेण्ट फण्ड के सम्बन्ध में)**

एक व्यक्ति 24,000 ₹ प्रति माह वेतन प्राप्त करता है जिसका 15% वह प्रॉविडेण्ट फण्ड में जमा करता है जबकि नियोक्ता का चन्दा 14% है। उसको नियोक्ता की ओर से मुम्बई में एक किराये से मुक्त रहने का मकान भी मिला हुआ है। उसने अपने नियोक्ता से 32,000 ₹ बोनस का भी प्राप्त किया। उसके प्रॉविडेण्ट फण्ड में 10 प्रतिशत की दर से 2,000 ₹ ब्याज के जमा किये गये।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी कर-योग्य वेतन की गणना कीजिए यदि प्रश्न में दिया गया प्रॉविडेण्ट फण्ड (अ) वह फण्ड है जिस पर प्रॉविडेण्ट फण्ड एक्ट, 1925 लागू होता है; तथा (ब) एक प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड है।

An individual is in receipt of a salary of ₹ 24,000 per month, 15 per cent of which he contributes to a provident fund to which his employer contributes 14 per cent. He is provided with a rent-free house by the employer, in Mumbai. He also received from his employer ₹ 32,000 as a bonus. The amount of interest credited to his provident fund at 10 per cent per annum is ₹ 2,000.

Ascertain his taxable salary for the Assessment Year 2020-21 if the provident fund in question is (a) a provident fund to which the Provident Fund Act, 1925 applies; (b) a recognized provident fund.

Solution

Computation of Taxable Salary

(for the Assessment Year 2020-21)

(a) ***Provident Fund to which the P.F. Act, 1925 applies*** :		₹
Salary		2,88,000
Bonus		32,000
Value of rent-free house : 15% of salary ₹ 3,20,000		48,000
	Gross Salary	3,68,000
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	3,18,000
(b) ***Recognized Provident Fund*** :		
Salary		2,88,000
Bonus		32,000
Employer's contribution in excess of 12% of salary		5,760
Interest on R.P.F. in excess of 9.5%		100
Value of rent-free house : 15% of salary ₹ 3,20,000		48,000
	Gross Salary	3,73,860
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	3,23,860

■ **उदाहरण** (Illustration) 25 **(प्रॉविडेण्ट फण्ड के सम्बन्ध में)**

श्रीमती P 50,000 ₹ प्रति माह वेतन तथा 5,000 ₹ प्रति माह महंगाई वेतन पर सेवारत है। वह अपने वेतन एवं महंगाई वेतन का 14% एक प्रॉविडेण्ट फण्ड में देती है जिसमें उसका नियोक्ता भी इतना ही देता है। प्रॉविडेण्ट फण्ड पर ब्याज का निर्धारण 12% की दर से किया जाता है जो गत वर्ष के लिए 36,000 ₹ है। उसको 2,000 ₹ प्रति माह के हिसाब से मकान किराया भत्ता भी मिलता है। वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त मकान किराया 6,000 ₹ प्रति माह देती है। उसकी कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर-योग्य वेतन क्या होगी; यदि प्रश्न में दिया गया प्रॉविडेण्ट फण्ड (अ) वैधानिक, (ब) प्रमाणित, तथा (स) अप्रमाणित है।

कॉपीराइट की गई सामग्री

Mrs. P is an employee getting monthly salary of ₹ 50,000 *plus* a dearness pay of ₹ 5,000 p.m. She contributed 14% of his salary and dearness pay to a provident fund to which her employer contributes an equal amount. Interest on provident fund is determined at the rate of 12 per cent per annum which amounted to ₹ 36,000 for the previous year. She also gets a house rent allowance of ₹ 2,000 p.m. She has actually paid ₹ 6,000 p.m. as a rent of the house occupied by her for her residence. What will be her taxable salary for the Assessment Year 2020-21; if the provident fund is (a) Statutory, (b) Recognized, and (c) Unrecognized.

Solution

Computation of Taxable Salary
(for the Assessment Year 2020-21)

		₹
(a) ***Statutory Provident Fund*** **:**		
Salary		6,00,000
Dearness Pay		60,000
House Rent Allowance		18,000
	Gross Salary	6,78,000
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	6,28,000
(b) ***Recognized Provident Fund*** **:**		
Salary		6,00,000
Dearness Pay		60,000
House Rent Allowance		18,000
Employer's Contribution to P.F. in excess of 12% of her salary including D.P.		13,200
Interest on P.F. in excess of the prescribed rate *i.e.,* 9.5%		7,500
	Gross Salary	6,98,700
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	6,48,700
(c) ***Unrecognized Provident Fund*** **:**		
Salary		6,00,000
Dearness Pay		60,000
House Rent Allowance		18,000
	Gross Salary	6,78,000
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	6,28,000

नोट— 1. नियम 2A के अन्तर्गत सबसे कम राशि वास्तव में चुकाये गये किराये का वेतन के 10% पर आधिक्य है, (72,000 – 66,000) = 6,000 ₹; अतः 24,000 ₹ के कुल किराये भत्ते में से 6,000 ₹ घटाकर शेष 18,000 ₹ कर-योग्य होंगे।

2. प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड के लिए वेतन में महंगाई वेतन शामिल है, क्योंकि महंगाई वेतन को सेवा की शर्तों के अन्तर्गत मिला हुआ माना जाता है। अतः सेवा की शर्तों के अन्तर्गत मिला हुआ महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन तथा विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन भी वेतन में शामिल किया जाता है।

3. अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड की दशा में मालिक का अंशदान तथा प्रॉविडेण्ट फण्ड पर ब्याज प्रति वर्ष वेतन में नहीं शामिल किया जाता है।

■ **उदाहरण** (Illustration) 26

मिस्टर रमेश की 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की आय का विवरण निम्न प्रकार है :

(i) वेतन—45,000 ₹ प्रति माह।

(ii) दो माह के वेतन के बराबर बोनस।

(iii) कुत्ता भत्ता—750 ₹ प्रति माह।

(iv) विशेष भत्ता—600 ₹ प्रति माह।

(v) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी का अंशदान—वेतन का 15%।

(vi) फण्ड में नियोक्ता का अंशदान—वेतन का 15%।

(vii) प्रॉविडेण्ट फण्ड में 9.5% वार्षिक की दर से 28,000 ₹ ब्याज जमा।

(viii) उसे कार्यालय में मुफ्त भोजन दिया जाता है जिसकी लागत प्रति भोजन 30 ₹ है।

(ix) नियोक्ता ने उसे एक छोटी कार निजी तथा कार्यालय प्रयोग के लिए दे रखी है। निजी प्रयोग के व्यय वह स्वयं अपनी जेब से करता है।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मिस्टर रमेश की वेतन से आय की गणना कीजिए।

कॉपीराइट की गई सामग्री

The following are the particulars of the income of Mr. Ramesh for the Previous Year ended on 31st March, 2020:

(i) Salary—₹ 45,000 p.m.
(ii) Bonus equal to two months' pay.
(iii) Dog Allowance—₹ 750 p.m.
(iv) Special Allowance—₹ 600 p.m.
(v) Employee's contribution to a Recognized Provident Fund @ 15% of salary.
(vi) Employer's contribution to the fund @ 15% of the salary.
(vii) Interest credited to the provident fund @ 9.5% p.a. is ₹ 28,000.
(viii) He is provided with free lunch in the office. The cost per meal is ₹ 30.
(ix) The employer has given him a small car which he uses for personal and the official purposes. He meets the expenses for the personal purposes from out of his pocket.

Compute the income of Mr. Ramesh from salaries for the Assessment Year 2020-21.

Solution

Computation of Taxable Salary
(for the Assessment Year 2020-21)

		₹
Salary		5,40,000
Bonus		90,000
Dog Allowance		9,000
Special Allowance		7,200
Employer's Contribution to R.P.F. in excess of 12% of Salary		16,200
Lunch—Exempt (Cost does not exceed ₹ 50 per meal)		—
Car @ ₹ 600 p.m.		7,200
	Gross Salary	6,69,600
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	6,19,600

■ **उदाहरण** (Illustration) 27

X, जो एक फर्म में कर्मचारी है, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करता है :

	₹
(i) मूल वेतन	1,44,000
(ii) महंगाई भत्ता	28,800
(iii) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में स्वयं का अंशदान जिसकी गणना मूल वेतन पर की गई	20,160
(iv) उपर्युक्त फण्ड में नियोक्ता का अंशदान	20,160
(v) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड के शेष पर ब्याज (निर्धारित दर से अधिक नहीं है)	14,000
(vi) बोनस	12,000

(vii) उसे एक छोटी कार नियोक्ता द्वारा दी गई है जिसके रख-रखाव तथा चलाने के सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है। कार निजी तथा कार्यालय काम के लिए प्रयोग होती है।

(viii) X को कोलकाता में एक किराये से मुक्त रहने का मकान भी मिला हुआ है जिसके लिए नियोक्ता ने 1,250 ₹ प्रति माह किराया दिया। X को एक रेफ्रिजरेटर तथा एक वातानुकूलन यन्त्र भी प्रयोग के लिए दिया हुआ है जिनकी लागत क्रमशः 8,000 ₹ तथा 12,000 ₹ थी और 1.4.2019 को अपलिखित मूल्य क्रमशः 4,500 ₹ तथा 7,000 ₹ था।

(ix) X के जीवन पर 2,40,000 ₹ की एक पॉलिसी पर X के नियोक्ता ने 12,000 ₹ का जीवन बीमा प्रीमियम दिया।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए X की कर-योग्य वेतन की गणना कीजिए।

X, an employee of a firm furnished the undernote particulars of his income for the year ended 31st March, 2020 :

	₹
(i) Basic Salary	1,44,000
(ii) Dearness Allowance	28,800
(iii) Own contribution to recognized provident fund calculated on basic salary	20,160
(iv) Employer's contribution to the said fund	20,160
(v) Interest on balances in recognized provident fund (not exceeding the prescribed rate)	14,000
(vi) Bonus	12,000

कॉपीराइट की गई सामग्री

(vii) He was provided with a small car for which the employer paid all the running and maintenance cost. The car was used for personal as well as office purposes.

(viii) X was also provided with rent-free accommodation at Kolkata for which the employer paid a rent of ₹ 1,250 per month. X was allowed the use of one refrigerator and an air-conditioner costing ₹ 8,000 and ₹ 12,000 respectively while their written-down values on 1-4-2019 were ₹ 4,500 and ₹ 7,000 respectively.

(ix) Life Insurance Premium of ₹ 12,000 was paid by X's employer on an insurance policy for ₹ 2,40,000 on X's life.

Compute X's taxable salary for the Assessment Year 2020-21.

Solution

Computation of Taxable Salary of Mr. X
(*for the Assessment Year* 2020-21)

		₹
Income from Salary **:**		
Salary		1,44,000
Dearness Allowance		28,800
Bonus		12,000
Employer's contribution in excess of 12% of salary		2,880
Perquisites **:**		
Car— (₹ 1,800 × 12)		21,600
Life Insurance Premium Paid by employer		12,000
Value of rent-free house		17,000
	Gross Salary	2,38,280
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	1,88,280

नोट—1. किराये से मुक्त मकान का मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया गया है :

किराया दिया 15,000 ₹ या वेतन का 15% (1,44,000 + 12,000 = 1,56,000) = 23,400 ₹, जो दोनों में कम हो	15,000
जोड़ो : रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलन यन्त्र की लागत (20,000 ₹) का 10%	2,000
Value of Rent-free House	17,000

■ **उदाहरण** (Illustration) 28

श्री बी (आयु—56 वर्ष) 31.03.2020 को समाप्त वर्ष में एबीसी लि. से निम्नलिखित आय प्राप्त करता है :

(i) वेतन @ 65,000 ₹ प्रतिमाह।

(ii) भोजन भत्ता (वास्तविक कुल व्यय—20,000 ₹) @ 2,000 ₹ प्रतिमाह।

(iii) श्री 'बी' और उसके परिवार के सदस्यों के उपचार संबंधी मेडिकल व्यय की वापसी 15,000 ₹।

(iv) परिवहन भत्ता @ 1,800 ₹ प्रतिमाह (वास्तविक कुल व्यय—10,000 ₹)।

(v) मात्र 6,000 ₹ प्रतिमाह के किराये पर मेरठ में उपलब्ध कराया गया असुसज्जित फ्लैट (नियोक्ता द्वारा भुगतान किया किराया—18,000 ₹ प्रतिमाह)

(vi) नियोक्ता कंपनी द्वारा श्री 'बी' को 10.01.2020 को निम्नलिखित सम्पत्तियां बेची गईं :

बेची गई सम्पत्तियां

	कार	कम्प्यूटर	फ्रिज
नियोक्ता को सम्पत्ति की लागत	4,00,000 ₹	60,000 ₹	20,000 ₹
खरीदने की तिथि (उसी दिन से प्रयोग में लाई गई)	10-06-2017	12-07-2016	05-04-2017
विक्रय मूल्य	2,00,000 ₹	8,000 ₹	12,000 ₹

(vii) 1 अक्टूबर, 2019 को कंपनी द्वारा उसे घरेलू उपयोग के लिए अपना म्यूजिक सिस्टम उपलब्ध कराया। उसका मालिकाना अधिकार उसे नहीं दिया गया। नियोक्ता द्वारा म्यूजिक सिस्टम अप्रैल 2009 में 15,000 ₹ में खरीदा गया था।

(viii) वह अपने वेतन मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 18% कटौती कराता है और जिसमें नियोक्ता भी इसी दर से अपनी ओर से योगदान देता है। उक्त मान्यता प्राप्त भविष्य निधि खाते में विगत वर्ष के लिए 12.5% की वार्षिक दर से 50,000 ₹ की ब्याज राशि भी जमा की गई।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री 'बी' की वेतन से आय की गणना कीजिए।

कॉपीराइट की गई सामग्री

Mr. B (Age : 56 years) receives the following incomes from ABC Limited during the year ending 31-03-2020 :

(i) Salary @ ₹ 65,000 p.m.

(ii) Tiffin allowance (actual total expenditure : ₹ 20,000) @ 2,000 p.m.

(iii) Reimbursement of medical expenditure for the treatment of 'B' and his family members ₹ 15,000.

(iv) Transport allowance @ ₹ 1,800 p.m. (actual total expenditure : ₹ 10,000)

(v) Unfurnished flat provided at Meerut at a nominal rent of ₹ 6,000 p.m. (rent paid by the employer : ₹ 18,000 p. m.)

(vi) Employer Company sells the following assets to 'B' on 10.01.2020 :

Assets Sold	*Car*	*Computer*	*Fridge*
Cost of asset to the employer	₹ 4,00,000	₹ 60,000	₹ 20,000
Date of Purchase (Put to use on the same day)	10-06-2017	12-07-2016	05-04-2017
Sale price	₹ 2,00,000	₹ 8,000	₹ 12,000

(vii) On 1st October, 2019 the company gives its music system to him for domestic use. Ownership is not transferred. Cost of music system (in April 2009) to the employer is ₹ 15,000.

(viii) He has contributed 18% of his salary to recognised provident fund account to which his employer made a matching contribution : Interest @ 12.5% p.a. amounting to ₹ 50,000 has been credited to the aforesaid recognised provident fund account during the previous year.

Determine the salary income of 'B' for the Assessment Year 2020-21.

Solution

Computation of Taxable Salary

(*for the Assessment Year* 2020-21)

		₹	₹
1.	Salary		7,80,000
2.	Tiffin Allowance (Fully taxable)		24,000
3.	Reimbursement of medical expenditure (Not exempt)		15,000
4.	Transport Allowance (Not exempt)		21,600
5.	House at concessional rent [15% of salary *i.e.,* 7,80,000 + 24,000 + 21,600) = ₹ 1,23,840 or ₹ 2,16,000, whichever is less]	1,23,840	
	Less : Rent charged	72,000	51,840
6.	*Assets Sold* :		
	Car		56,000
	Computer		—
	Fridge		4,000
	(See note)		
7.	Music system for domestic use (Asset used for more than ten years, hence the value of perquisite would be nil)		—
8.	Contribution of the employer to RPF in excess of 12% of salary ₹ 7,80,000		46,800
9.	Interest on RPF in excess of 9.5%		12,000
		Gross Salary	10,11,240
	Less : Standard Deduction		50,000
		Taxable Salary	9,61,240

Note : Computation of perquisite value of Assets sold :

(i) Car (Dep. @ 20% on WDV method) :		
Cost of Car		₹
Depreciation I year		4,00,000
	WDV	80,000
Depreciation II year		3,20,000
		64,000
		2,56,000
Less : Sale price		2,00,000
	Value of perquisite	56,000
(ii) Computer (Dep. @ 50% WDV method) :		
Cost of Computer		60,000
Depreciation I year		30,000
	WDV	30,000
Depreciation II year		15,000
	WDV	15,000
Depreciation III year		7,500
	WDV	7,500
Less : Sale Price		8,000
	Value of perquisite	Nil
(iii) Fridge : (Dep : @ 10% SLM)		
Cost of Fridge		20,000
Less : Depreciation for two years		4,000
Less : Sale price		16,000
	Value of perquisite	12,000
		4,000

■ **उदाहरण** (Illustration) 29

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मि. एक्स (जो एक कम्पनी का कर्मचारी है) की वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए :

(क) वेतन 60,000 ₹ प्रति माह।

(ख) महंगाई भत्ता 10,000 ₹ प्रति माह।

(ग) मनोरंजन भत्ता 1,000 ₹ प्रति माह।

(घ) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान 88,800 ₹। उसका स्वयं का अंशदान 88,800 ₹।

(ङ) निधि से संचित शेष पर ब्याज 10% वार्षिक दर से 50,000 ₹।

(च) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 500 ₹ प्रति माह।

(छ) चिकित्सा भत्ता 1,200 ₹ प्रति माह।

(ज) उसके नियोक्ता ने उसे एक बड़ी कार कार्यालय तथा निजी दोनों कार्यों के लिए दी है। कार के सभी व्यय नियोक्ता करता है।

(झ) नियोक्ता ने उसे शहर में (जनसंख्या 12 लाख) असुसज्जित मकान की सुविधा दी है। नियोक्ता 2,000 ₹ प्रति माह किराया लेता है, मकान का उचित वार्षिक किराया 90,000 ₹ है।

Compute taxable income under the head salary of Mr. X (an employee of a company) for the Assessment Year 2020-21 :

(a) Salary ₹ 60,000 p.m.

(b) D. A. ₹ 10,000 p.m.

(c) Entertainment Allowance ₹ 1,000 p.m.

(d) Employer's contribution to Recognized Provident Fund ₹ 88,800. His own contribution was ₹ 88,800.

(e) Interest @ 10% p.a. on Credit Balance of Recognized P.F. amounted to ₹ 50,000.

(f) City Compensatory Allowance ₹ 500 p.m.

(g) Medical Allowance ₹ 1,200 p.m.

(h) He has been provided with a large Car for both official and personal use. Employer bears all the expenses of the car.

(i) He is provided an unfurnished house by the employer in a city (population 12 lakh). The fair rental value of the house is ₹ 90,000 p.a. Employer charges ₹ 2,000 from him per month as rent.

कॉपीराइट की नई सामग्री

Solution

Computation of Taxable Salary
(for the Assessment Year 2020-21)

		₹
Salary		7,20,000
Dearness Allowance		1,20,000
Entertainment Allowance		12,000
Employer's Contribution to R.P.F. in excess of 12% of salary		2,400
Interest on P.F. in excess of 9.5%		2,500
City Compensatory Allowance		6,000
Medical Allowance		14,400
Car—(₹ 2,400 × 12)		28,800
Concession in Rent :	₹	
Rent-free house 10% of Salary ₹ 7,52,400	75,240	
Paid by the assessee	24,000	
Concession in Rent		51,240
	Gross Salary	9,57,340
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	9,07,340

■ **उदाहरण** (Illustration) 30

श्री चौधरी कोटा में (जनसंख्या 25 लाख से अधिक) एक कम्पनी में क्रय अधिकारी हैं। गत वर्ष 2019-20 में अपनी आय के सम्बन्ध में उन्होंने निम्नलिखित विवरण दिये हैं :

(i) शुद्ध मूल वेतन 3,20,000 ₹ है, जो आय कर 2,000 ₹, प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान 20,000 ₹ और बंगले का किराया 8,000 ₹ काटने के पश्चात् है।

(ii) बोनस 10,000 ₹।

(iii) कर्तव्य सम्बन्धी यात्रा के लिए भत्ता 25,000 ₹।

(iv) चिकित्सा बिलों की कम्पनी द्वारा पूर्ति 15,000 ₹ (उसका इलाज भारत में सरकारी अस्पताल में हुआ है)।

(v) वे कम्पनी के एक बंगले में रहते हैं। कम्पनी ने इस बंगले पर एक माली और एक रसोइये की सुविधा दी है जिन्हें प्रत्येक को 250 ₹ प्रति माह तथा 800 ₹ प्रति माह क्रमशः वेतन दिया जाता है। कम्पनी ने इस बंगले के 4,800 ₹ के बिजली के बिल और 1,200 ₹ के पानी के बिल चुकाये।

(vi) उन्हें एक बड़ी कार की सुविधा कार्यालय एवं निजी कार्यों के लिए दी गयी है। कार को चलाने एवं रख-रखाव के व्यय (चालक सहित) कम्पनी द्वारा वहन किये जाते हैं।

(vii) उनके भविष्य निधि खाते में निम्नलिखित राशियां जमा हुईं :

(अ) स्वयं का अंशदान—20,000 ₹। (ब) कम्पनी का अंशदान—20,000 ₹। (स) 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज—19,000 ₹।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी वेतन से कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Shri Chaudhry is Purchase Officer in a company in Kota (population exceeding 25 lakh). He furnished the following particulars regarding his income for Previous Year 2019-20 :

(i) Net basic salary ₹ 3,20,000 which is after deducting ₹ 2,000 for income tax, ₹ 20,000 as contribution to recognized provident fund and rent of the bungalow ₹ 8,000.

(ii) Bonus ₹ 10,000.

(iii) Travelling Allowance for official duty travelling ₹ 25,000.

(iv) Reimbursement of medical bills ₹ 15,000 (treatment was done in a Government hospital in India).

(v) He lived in a bungalow belonging to the company. The company has provided on this bungalow the facility of a gardener and a cook each of whom is being paid a salary of ₹ 250 per month and ₹ 800 per month respectively. The company paid in respect of this bungalow ₹ 4,800 for the electric bill and ₹ 1,200 for the water bill.

(vi) He has been provided with a large car for official and personal use. The maintenance and running expenses of the car (including the driver) are borne by the company.

(vii) The following amounts were deposited in his provident fund account:
(a) own contribution ₹ 20,000, (b) company's contribution ₹ 20,000, and (c) interest @ 9.5% p.a. ₹ 19,000.
Compute his taxable income from salary for the Assessment Year 2020-21.

कॉपीराइट की गई सामग्री

Solution

Computation of Taxable Salary
(*for the Assessment Year* 2020-21)

	₹	₹
Salary	3,20,000	
Income tax deducted	2,000	
Contribution to Provident Fund	20,000	
Rent deducted	8,000	3,50,000
Bonus		10,000
Travelling Allowance [Exempt u/s 10(14)(i)]		Nil
Electric Bill paid by employer		4,800
Water Bill paid by employer		1,200
Value of rent-free house being 15% of salary including Bonus (15% of ₹ 3,60,000)	54,000	
Less : Rent paid	8,000	
Concession in Rent		46,000
Gardener		3,000
Cook		9,600
Car [(₹ 2,400 + 900) × 12]		39,600
Excess of employer's contribution to R.P.F. over 12% of salary		Nil
Excess of interest over prescribed rate		Nil
Gross Salary		4,64,200
Less : Standard Deduction		50,000
Taxable Salary		4,14,200

नोट—सरकारी अस्पताल के चिकित्सा के बिलों की कम्पनी द्वारा पूर्ति पूर्णतया कर-मुक्त है।

■ **उदाहरण** (Illustration) 31

मि. गुप्ता 2006 से इन्दौर की टेक्सटाइल्स कम्पनी में कार्यरत हैं। उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित उनकी आय का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है :

(i) शुद्ध मूल वेतन 4,00,000 ₹ निम्न कटौतियों के पश्चात् हुआ :
प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान 72,500 ₹, वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर बंगले का किराया।

(ii) महंगाई भत्ता 1,000 ₹ प्रति माह (इसमें से 200 ₹ प्रति माह सेवा-निवृत्ति लाभों हेतु वेतन माना जाता है)।

(iii) दो बच्चों हेतु शिक्षा भत्ता 150 ₹ प्रति माह प्रति बच्चे की दर से।

(iv) बिक्री पर कमीशन 1% की दर से 10,000 ₹।

(v) मनोरंजन भत्ता 700 ₹ प्रति माह।

(vi) कार्यालय कार्य हेतु यात्रा भत्ता 30,000 ₹। यात्रा पर वास्तविक व्यय 22,000 ₹ हुआ।

(vii) ये कम्पनी के मकान में रहते हैं, जिसका उचित किराया 10,000 ₹ प्रति माह है। कम्पनी की ओर से उन्हें एक चौकीदार तथा एक रसोइया दिया गया है। प्रत्येक का 4,000 ₹ प्रति माह का भुगतान कम्पनी द्वारा किया गया है।

(viii) कम्पनी ने उनको एक बड़ी कार कार्यालय एवं निजी प्रयोग के लिए दे रखी है। कार को चालू हालत में रखने और उसकी देखभाल के खर्चों का भुगतान कम्पनी द्वारा किया जाता है।

(ix) प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 47,500 ₹ है। भविष्य निधि में 10% की दर से 50,000 ₹ ब्याज के जमा किये गये हैं।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी वेतन से आय की गणना कीजिए।

Mr. Gupta is an employee of a Textile Company of Indore since 2006. He has submitted the following particulars of his income for the Financial Year 2019-20 :

(i) Net basic salary ₹ 4,00,000 after deduction of contribution to recognized provident fund ₹ 72,500 and rent of bungalow @ 10% of salary.
(ii) D.A. ₹ 1,000 per month (₹ 200 p.m. enters into retirement benefits).
(iii) Education Allowance for two children at ₹ 150 p.m. per child.
(iv) Commission on Sales @ 1% ₹ 10,000.
(v) Entertainment Allowance ₹ 700 p.m.
(vi) Travelling Allowance for his official tours ₹ 30,000. Actual expenditure on tour amounted to ₹ 22,000.

कॉपीराइट की नई सामग्री

(vii) He resides in the bungalow of the company. Its fair rent is ₹ 10,000 p.m. A watchman and cook have been provided by the company at the bungalow who were paid ₹ 4,000 p.m. each.

(viii) He has been provided with a large motor-car for his official as well as personal use. The running and maintenance costs are borne by the company.

(ix) Employer's contribution to R.P.F. is ₹ 47,500 and the interest credited to this fund at 10% rate amounted to ₹ 50,000.

Compute income from salary for the Assessment Year 2020-21.

Solution

Computation of Taxable Salary
(for the Assessment Year 2020-21)

	₹	₹
(1) Salary received	4,00,000	
Cont. to R.P.F.	72,500	
Rent deducted @ 10% of gross salary *i.e.*, 1/9th of the total of above (*viz.* ₹ 4,72,500)	52,500	5,25,000
(2) Dearness Allowance (₹ 2,400 enters into retirement benefits)		12,000
(3) Education Allowance for two children exempt up to ₹ 100 per child only		1,200
(4) Commission on Sales		10,000
(5) Entertainment Allowance		8,400
(6) Travelling Allowance in excess of actual expenditure		8,000
(7) Concession in rent		30,750
(8) Watchman		48,000
(9) Cook		48,000
(10) Car (₹ 2,400 × 12)		28,800
(11) Employer's Cont. to R.P.F. in excess of 12% of salary of ₹ 5,25,000 + 2,400 + 10,000		Nil
(12) Interest on P.F. in excess of 9.5%		2,500
Gross Salary		7,22,650
Less : Standard Deduction		50,000
Taxable Salary		6,72,650

नोट—किराये से मुक्त रहने के मकान के मूल्यांकन की गणना के लिए

	₹
वेतन = 5,25,000 + 2,400 + 1,200 + 10,000 + 8,000 + 8,400 = 5,55,000 ₹	
वेतन का 15%, अर्थात् 5,55,000 ₹ का 15% =	83,250
घटाया : वेतन से कटौती	52,500
किराये की रियायत	30,750

■ **उदाहरण** (Illustration) 32

श्री काली चरन शर्मा मुम्बई में कार्यरत है। उन्हें 1 जनवरी, 2011 से 36,000-1,000-44,000-2,000-60,000 ₹ की ग्रेड मिलती है। उन्हें वेतन का 20% महंगाई भत्ता और 10,000 ₹ प्रति माह मकान किराया भत्ता दिया जाता है। उन्होंने 13,000 ₹ प्रति माह किराए पर एक मकान लिया है। वे प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन और महंगाई भत्ते का 17% अंशदान देते हैं जिसमें नियोक्ता का भी इतना ही अंशदान है। उन्हें एक छोटी कार दी गई है जो उनके निजी उपयोग में भी आती है। कार के कार्यालयीन प्रयोग के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। उन्हें निःशुल्क बिजली और पानी की सुविधा फैक्टरी से प्राप्त हुई है जिसकी लागत 4,000 ₹ है। उन्हें गैस एवं टेलीफोन की सुविधा दी गई है जिनके बिलों का भुगतान क्रमशः 1,200 ₹ तथा 2,000 ₹ नियोक्ता ने किया।

उसकी वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ज्ञात कीजिए।

Shri Kali Charan Sharma is employed in Mumbai. He is in the grade of ₹ 36,000-1,000-44,000-2,000-60,000 since 1st January, 2011. He is paid 20% of salary as dearness allowance and ₹ 10,000 per month as house rent allowance. He has hired accommodation on a monthly rent of ₹ 13,000. He contributes 17% of his salary and dearness allowance to the Recognised Provident Fund towards which the employer contributes an equal amount. He has been given a small car which is used by him for his personal purposes also. All the expenses relating to the official use of the car are incurred by the employer. He has the amenity of free electric and water from factory cost ₹ 4,000. He has been provided Gas and Telephone, the Bills of which ₹ 1,200 and ₹ 2,000 respectively have been paid by the employer.

Compute his Income from Salary for the Assessment Year 2020-21.

कॉपीराइट की गई सामग्री

Solution

Computation of Taxable Salary
(for the Assessment Year 2020-21)

	₹	₹
Salary (44,000 × 9)	3,96,000	
(46,000 × 3)	1,38,000	5,34,000
Dearness Allowance (20%)		1,06,800
House Rent Allowance		28,080
Employer's contribution to R.P.F. in excess of 12% of Salary		32,040
Car (600 × 12)		7,200
Electricity and water		4,000
Gas		1,200
Telephone—Exempt		—
	Gross Salary	7,13,320
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	6,63,320

नोट : 1. मकान किराया भत्ता की कर-योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है :
निम्न में से सबसे कम राशि कर-मुक्त होगी :
(i) वास्तविक प्राप्त मकान किराया भत्ता 1,20,000 ₹, अथवा
(ii) वास्तव में चुकाए गए किराये का वेतन के 10% पर आधिक्य (1,56,000 – 64,080) = 91,920 ₹, अथवा
(iii) वेतन का 50% (क्योंकि मकान मुम्बई में है) = 3,20,400 ₹।
उपर्युक्त में सबसे कम राशि, अर्थात् 91,920 ₹ कर-मुक्त होगी और मकान किराये भत्ते का शेष भाग (1,20,000 – 91,920) = 28,080 ₹ कर-योग्य होगा।
2. टेलीफोन अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त हैं।

■ **उदाहरण** (Illustration) 33

श्री मनोज कुमार को 15,000 ₹ प्रति माह मूल वेतन, 1,500 ₹ प्रति माह महंगाई वेतन तथा 500 ₹ प्रति माह महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। गत वर्ष में उसे निम्न भत्ते भी प्राप्त हुए :

(1) चलते ट्रक में ड्यूटी करते समय उसके निजी व्ययों की पूर्ति के लिए 60,000 ₹ भत्ता।

(2) दो पुत्रों की शिक्षा के लिए 120 ₹ मासिक प्रति पुत्र शिक्षा भत्ता।

(3) ये दोनों पुत्र छात्रावास में रह रहे हैं जिन पर श्री मनोज कुमार 500 ₹ प्रति माह प्रति पुत्र व्यय कर रहे हैं। उसे इस व्यय की पूर्ति के लिए 350 ₹ प्रति माह प्रति पुत्र छात्रावास भत्ता मिल रहा है।

(4) जनजाति क्षेत्र भत्ता 350 ₹ प्रति माह।

(5) सवारी भत्ता 100 ₹ प्रति माह जो वह व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग करता है।

(6) मकान किराया भत्ता 3,000 ₹ प्रति माह।

श्री मनोज कुमार ने अपने रहने के लिए एक मकान बिलासपुर में 4,000 ₹ प्रति माह के किराये पर लिया हुआ है। वह अपने प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 12% अंशदान करता है तथा नियोक्ता भी इतना ही अंशदान करता है।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री मनोज कुमार की कर-योग्य वेतन की गणना कीजिए।

Shri Manoj Kumar is getting ₹ 15,000 p.m. as basic pay, ₹ 1,500 p.m. as dearness pay and ₹ 500 p.m. as dearness allowance. During the Previous Year he received the following allowances also :

(1) ₹ 60,000 as an allowance for reimbursement of personal expenditure while on duty during the running of a truck.
(2) ₹ 120 p.m. per son as education allowance for the education of his two sons.
(3) Both these sons are living in a hostel on whom Sri Manoj Kumar is spending ₹ 500 p.m. per son. He is getting ₹ 350 p.m. per son as Hostel Allowance for meeting this expenditure.
(4) ₹ 350 p.m. as Tribal Area Allowance.
(5) ₹ 100 p.m. as Conveyance Allowance which is used by him for private purposes.
(6) ₹ 3,000 p.m. as House Rent Allowance.

Sri Manoj Kumar has taken a house for his residence at Bilaspur at ₹ 4,000 per month as rent. He contributes 12% of his basic pay and dearness pay to his Recognised Provident Fund and the emplpyer also contributes a similar amount.

Compute the taxable salary of Shri Manoj Kumar for the Assessment Year 2020-21.

कॉपीराइट की गई सामग्री

Solution

Computation of Taxable Salary
(for the Assessment Year 2020-21)

Income from Salary :		₹
Basic Pay		1,80,000
Dearness Pay		18,000
Dearness Allowance	₹	6,000
Running Allowance	60,000	
Less : Exempt (70% of ₹ 60,000)	42,000	18,000
Education Allowance (120 × 12 × 2)	2,880	
Less : Exempt (100 × 12 × 2)	2,400	480
Hostel Allowance (350 × 12 × 2)	8,400	
Less : Exempt (300 × 12 × 2)	7,200	1,200
Tribal Area Allowance	4,200	
Less : Exempt (200 × 12)	2,400	1,800
Conveyance Allowance for private purposes		1,200
House Rent Allowance		7,800
	Gross Salary	2,34,480
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	1,84,480

नोट—मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में निम्न तीन विकल्पों में से सबसे कम राशि कर-मुक्त होगी :

(1)	मकान किराया भत्ते की वास्तविक राशि	36,000
(2)	वेतन के 10% पर कर्मचारी द्वारा चुकाये गये किराये का आधिक्य : (48,000 – 10% of ₹ 1,98,000)	28,200
	इस आशय के लिए वेतन (1,80,000 + 18,000) = 1,98,000 ₹	
(3)	1,98,000 ₹ के वेतन का 2/5	79,200

उपर्युक्त में सबसे कम राशि 28,200 ₹ है जो कर-मुक्त होगी और H.R.A. के शेष 7,800 ₹ कर-योग्य होंगे।

■ **उदाहरण** (Illustration) 34

मिस्टर X 'एक भारतीय नागरिक' भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय में सेवारत हैं। 1 अगस्त, 2019 को उनका स्थानान्तरण इटली में भारतीय दूतावास में हो गया। 1 अक्टूबर, 2019 को वह किसी आवश्यक सरकारी काम से भारत बुला लिए गये। 1 जनवरी, 2020 को उन्हें पुनः इटली भेज दिया गया। 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी आय का निम्न विवरण है :

(i) वेतन 60,000 ₹ प्रति माह।

(ii) महंगाई भत्ता Mr. X के वेतन का 20% भारत में मिलता था।

(iii) किराये से मुक्त रहने का मकान भारत में रहने की अवधि में दिल्ली में तथा इटली में रहने की अवधि में रोम में मिला हुआ था। दिल्ली में मकान का किराया सरकारी नियमों के अनुसार 2,000 ₹ प्रति माह है तथा रोम में मकान का किराया 80,000 ₹ प्रति माह है। दिल्ली का मकान असुसज्जित था; परन्तु रोम के मकान में 4,00,000 ₹ की लागत का फर्नीचर भी दिया हुआ था।

(iv) भारत तथा इटली में एक बड़ी कार मिली हुई है जो निजी तथा सरकारी काम में प्रयोग होती है। मोटर-कार मिस्टर X स्वयं चलाते हैं।

(v) मनोरंजन भत्ता 10,000 ₹ मासिक इटली में मिलता था।

(vi) विदेशी भत्ता 20,000 ₹ प्रति माह मिलता था।

(vii) इटली में उनके तथा परिवार की चिकित्सा पर किए गये 15,000 ₹ के व्यय की भारत सरकार ने पूर्ति की।

मिस्टर X की कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए। वेतन माह के अन्तिम दिन देय होता है।

Mr. X, an Indian citizen, is employed in the Foreign Ministry of the Government of India. On 1st August, 2019 he was transferred to the Indian Embassy in Italy. On 1st October, 2019 he was called back to India for an urgent official work. On 1st January, 2020 he was again sent back to Italy. The particulars of his income for the year ended 31st March, 2020 are as under :

(i) Salary at ₹ 60,000 p.m.

(ii) Dearness Allowance @ 20% of the salary of Mr. X paid in India.

कॉपीराइट की गई सामग्री

(iii) Rent-free house in Delhi while in India and in Rome while in Italy was provided to him. The rent of the house in Delhi was ₹ 2,000 p.m. as per government rules, and the rent of the house in Rome was ₹ 80,000 p.m. The house in Delhi was unfurnished; but furniture costing ₹ 4,00,000 was provided in the house of Rome.
(iv) He has been provided with a large car both in Delhi and in Rome, which is being used for personal as well as official purposes. The car is driven by Mr. X himself.
(v) He got Entertainment Allowance in Italy at ₹ 10,000 p.m.
(vi) He was getting Overseas Allowance @ ₹ 20,000 per month.
(vii) The Government of India reimbursed ₹ 15,000 medical expenses incurred on the treatment of himself and his family in Italy.

Find out the taxable income under the head 'Salaries' for the Assessment Year 2020-21. Salary is due on the last day of the month.

Solution

Computation of Taxable Income from Salary
(for the Assessment Year 2020-21)

	₹
Salary for full year	7,20,000
Dearness Allowance for 7 months while he was in India	84,000
Value of rent-free house in Delhi for 7 months	14,000
Car provided in Delhi for 7 months ₹ 2,400 p.m.	16,800
Gross Income from Salary	8,34,800
Less : Standard Deduction	50,000
Taxable Income from Salary	7,84,800

नोट— 1. विदेश में सरकारी कर्मचारी को दिए गये समस्त भत्ते तथा अनुलाभ कर-मुक्त हैं।
2. वेतन सम्पूर्ण वर्ष की कर-योग्य है क्योंकि भारत में अर्जित मानी जाती है चाहे भले ही यह विदेश में देय हो तथा वहां भुगतान की जाए।
3. किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्य सरकारी नियमों के अनुसार 2,000 ₹ प्रति माह की दर से 7 माह का 14,000 ₹ हुआ।

■ **उदाहरण** (Illustration) 35

मि. डी. श्री निवासन एक सरकारी अधिकारी हैं। गत वर्ष 2019-20 की उनकी प्राप्तियां निम्न प्रकार हैं :

1. मूल वेतन 12,000 ₹ प्रति माह, महंगाई भत्ता वेतन का 150 प्रतिशत (सेवा की शर्तों के अधीन), नगर क्षतिपूरक भत्ता 200 ₹ प्रति माह। 1 जनवरी, 2020 को उनका पुनरीक्षित वेतन 36,000 ₹ मासिक निश्चित हुआ। इस पर 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं 500 ₹ प्रति माह नगर क्षतिपूरक भत्ता देय था। 1 मार्च, 2020 को वेतन पुनरीक्षण के कारण 17,500 ₹ अविशिष्ट राशि भी प्राप्त हुई।
2. दौरा भत्ता 4,000 ₹।
3. अतिरिक्त समय कार्य भत्ता 3,000 ₹।
4. कर्तव्य-पालन के व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ता 1,500 ₹।
5. किराया मुक्त आवास जिसका शासकीय नियमों के अनुसार किराया 300 ₹ प्रति माह है, जबकि ऐसे मकान का उचित किराया 1,500 ₹ प्रति माह होता है। फर्नीचर की लागत 40,000 ₹ है।
6. वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड में उनका अंशदान वेतन का 8.33 प्रतिशत है।
7. समूह बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान 400 ₹ है।
8. कर्मचारी द्वारा चुकाया गया प्रोफेशनल टैक्स 500 ₹ एवं आय कर 6,200 ₹।
9. मनोरंजन भत्ता 500 ₹ प्रति माह।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन से कर-योग्य आय की गणना कीजिए। उनका वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय होता है।

Mr. D. Shri Nivasan is a Government officer. During the Previous Year 2019-20 his emoluments were as under:

1. Basic Salary ₹ 12,000 per month, Dearness allowance 150% of salary (under the terms of employment), city compensatory allowance ₹ 200 per month. From 1st January, 2020 his salary has been revised at ₹ 36,000 per month. 5% D.A. and ₹ 500 per month city compensatory allowance are payable. On 1st March, 2020 he gets ₹ 17,500 as arrears on account of salary revision.
2. Tour Allowance ₹ 4,000.
3. Overtime Allowance ₹ 3,000.
4. Special Allowance for duty performance ₹ 1,500.
5. Rent free house rent of which is ₹ 300 per month according to government rules, fair rent of such house is ₹ 1,500 per month. Cost of furniture ₹ 40,000.
6. His contribution to Statutory Provident Fund is 8.33%.

कॉपीराइट की नई सामग्री

7. Employer's contribution to Group Insurance Scheme ₹ 400.
8. Professional tax ₹ 500 and Income tax ₹ 6,200 paid by the employee.
9. Entertainment Allowance ₹ 500 p.m.

Compute Income from salary for the Assessment Year 2020-21. The salary becomes due on 1st day of next month.

Solution

Computation of Taxable Salary
(*for the Assessment Year* 2020-21)

	₹	₹
Salary : ₹ 12,000 × 10	1,20,000	
₹ 36,000 × 2	72,000	1,92,000
D.A. : ₹ 1,20,000 × 150 ÷ 100	1,80,000	
₹ 72,000 × 5 ÷ 100	3,600	1,83,600
C.C.A. : ₹ 200 × 10	2,000	
₹ 500 × 2	1,000	3,000
Arrears		17,500
Tour Allowance—Exempt u/s 10(14)(i)		—
Overtime Allowance		3,000
Special Allowance for duty—Exempt u/s 10(14)(i)		—
Rent free house : ₹ 300 × 12	3,600	
Furniture : 10% of ₹ 40,000	4,000	7,600
Contribution to Gr. insurance—Exempt		—
Entertainment Allowance		6,000
	Gross Salary	4,12,700
Less : (i) Standard Deduction	50,000	
(ii) Entertainment Allowance (Govt. employee)	5,000	
(iii) Professional tax	500	55,500
	Taxable Salary	3,57,200

■ **उदाहरण** (Illustration) 36

निम्नलिखित विवरण श्री राजीव मेहता की गत वर्ष 2019-20 की आय से सम्बन्धित है :

वह बेंगलुरू में एक सूती वस्त्र मिल में 25,000 ₹ प्रति माह पर कार्यरत हैं। उन्हें अपने द्वारा की गई बिक्री पर 1% कमीशन पाने का अधिकार भी है। गत वर्ष में उनके द्वारा की गई बिक्री 40,00,000 ₹ थी। गत वर्ष में उन्हें निम्नलिखित भत्ते एवं अनुलाभ प्राप्त हुए :

(i) महंगाई वेतन 6,000 ₹ प्रति माह।
(ii) बोनस—दो माह के मूल वेतन के बराबर।
(iii) मनोरंजन भत्ता 2,000 ₹ प्रति माह।
(iv) मकान किराया भत्ता 5,000 ₹ प्रति माह।
(v) नियोक्ता ने श्री राजीव मेहता के आयकर दायित्व के 10,000 ₹ चुकाए।
(vi) नियोक्ता ने उन्हें शिमला जाने के लिए 35,000 ₹ अवकाश यात्रा रियायत के दिए।
(vii) उन्हें गैस, बिजली तथा पानी की सुविधा भी प्रदान की गई है तथा नियोक्ता ने इन पर 15,000 ₹ व्यय किए।
(viii) नियोक्ता द्वारा उन्हें 1,000 ₹ मूल्य की रुई मुफ्त में दी गई।
(ix) उन्होंने तथा उनके नियोक्ता दोनों ने प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन का 15% अंशदान किया तथा गत वर्ष में इस खाते में 9% की दर से 30,000 ₹ ब्याज के जमा हुए।
(x) उन्होंने बेंगलुरू में अपने लिए किराए पर लिए गए आवास के लिए 6,000 ₹ प्रति माह किराया चुकाया।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

The following particulars relate to the income of Shri Rajeev Mehta for the Previous Year 2019-20 :

He is employed in a cotton textile mill at Bengaluru on a monthly salary of ₹ 25,000. He is also entitled to a commission @ 1% of sales effected by him. The sale effected by him during the previous year amounted to ₹ 40,00,000. He received the following allowances and perquisites during the previous year :

कॉपीराइट की गई सामग्री

(i) Dearness Pay @ ₹ 6,000 per month.
(ii) Bonus @ two months basic salary.
(iii) Entertainment Allowance @ ₹ 2,000 per month.
(iv) House Rent Allowance @ ₹ 5,000 per month.
(v) The employer paid ₹ 10,000 towards the income-tax liability of Sri Rajeev Mehta.
(vi) The employer provided him L.T.C. of ₹ 35,000 for going to Shimla.
(vii) He has also been provided with gas, electricity and water facility and employer spent ₹ 15,000 on these.
(viii) The employer gave him cotton worth ₹ 1,000 free of cost.
(ix) He and his employer both contributed 15% of his salary to his recognised provident fund and interest credited to this fund @ 9% amounted to ₹ 30,000 during the previous year.
(x) He spent ₹ 6,000 per month as the rent of the house occupied by him in Bengaluru.

Compute his taxable income under the head 'Salaries' for the Assessment Year 2020-21.

Solution

Computation of Taxable Income from Salary
(*for the Assessment Year* 2020-21)

		₹
1. Salary		3,00,000
2. Commission on sales		40,000
3. Dearness pay		72,000
4. Bonus		50,000
5. Entertainment Allowance		24,000
6. House Rent Allowance		29,200
7. Income Tax		10,000
8. L.T.C. (Assumed as per rules, hence exempt)		—
9. Gas, electricity and water		15,000
10. Cotton		1,000
11. R.P.F. contribution excess over 12% on ₹ 4,12,000 *i.e.*, @ 3%		12,360
12. Interest on R.P.F. in excess of 9.5%		Nil
	Gross Salary	5,53,560
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Income from Salary	5,03,560

Note : 1. House rent allowance :

Exempt least of the following :	₹
H.R.A. received	60,000
H.R. paid — 10% of Salary ₹ 4,12,000 (₹ 72,000 – 41,200)	30,800
40% of ₹ 4,12,000	1,64,800

Taxable H.R.A. (₹ 60,000 – 30,800) = ₹ 29,200

2. If item No. 8 is treated as gift, it will be exempt upto ₹ 5,000.

■ **उदाहरण** (Illustration) 37

श्री यशवन्त की 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए निम्नांकित विवरण से वेतन की आय ज्ञात कीजिए :

(i) वेतन 27,500 ₹ प्रतिमाह एवं महंगाई भत्ता वेतन का 60%।

(ii) निजी एवं कार्यालयीन कार्य हेतु एक छोटी कार नियोक्ता ने दी, समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा किये जाते हैं। यह सुविधा उन्हें 1 अगस्त, 2019 से प्राप्त हुई है। इसके पूर्व कार का उपयोग केवल कार्यालय आने-जाने एवं कार्यालयीन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए करते थे।

(iii) भोपाल में सुसज्जित निःशुल्क मकान उचित किराया 36,000 ₹ वार्षिक। मकान नियोक्ता के स्वामित्व का है।

(iv) वह प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में 15% अंशदान देते हैं, नियोक्ता का अंशदान 15% है। फण्ड में 14% से 5,600 ₹ का ब्याज जमा हुआ।

(v) नियोक्ता ने उनके निवास पर टेलीफोन सुविधा दी है, जिसके बिलों का भुगतान गत वर्ष में 3,600 ₹ नियोक्ता द्वारा किया गया।

(vi) उन्हें कार्य के दौरान प्रतिदिन एक समय मुफ्त भोजन की सुविधा दी गई है, जिस पर कम्पनी को 65 ₹ प्रति भोजन लागत आती है। यह सुविधा गत वर्ष में 248 दिन प्राप्त हुई।

कॉपीराइट की गई सामग्री

(vii) कम्पनी ने उन्हें निःशुल्क हैल्थ क्लब की सुविधा दी है जिस पर 600 ₹ प्रति माह लागत आती है। यह सुविधा कम्पनी के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध है।

(viii) नियोक्ता ने उनके वेतन से 15,000 ₹ उद्गम स्थान पर आयकर एवं 2,500 ₹ व्यवसाय कर की कटौती की है।

Compute income from salary of Shri Yashwant for the Previous Year ending 31st March, 2020 from the following details :

(i) Salary ₹ 27,500 per month and dearness allowance 60% of salary.
(ii) The employer provided him a small motor car for official and personal use. Expenses are borne by the employer. This facility is provided to him from 1st August, 2019. Prior he used the car for commuting between residence and office and official works.
(iii) Unfurnished rent free house at Bhopal fair rent ₹ 36,000 annually and the employer is owner.
(iv) He contributes to R.P.F. 15%. The employer's contribution is also 15%. ₹ 5,600 interest was credited to the fund at the rate of 14%.
(v) The employer provided him free telephone facility at his residence and bills paid by the employer during the previous year ₹ 3,600.
(vi) He is provided free meal, such a facility is given for 248 days during the previous year. The cost per meal is ₹ 65.
(vii) Free use of health club facility provided by the company and cost of such facility is ₹ 600 p.m. This facility is available for each employee of the company.
(viii) The employer deducted ₹ 15,000 as income tax and ₹ 2,500 professional tax from his salary.

Solution

Computation of Income from Salary
(*for the Assessment Year* 2020-21)

		₹
1. Salary		3,30,000
2. D.A.		1,98,000
3. Car (₹ 1,800 × 8)		14,400
4. Unfurnished rent-free house 15% of ₹ 3,30,000 (Assumed population more than 25 lakh)		49,500
5. Employer's contribution to RPF excess over 12%		9,900
6. Interest on RPF excess over 9.5%		1,800
7. Telephone (Exempt)		—
8. Free meal [(₹ 65 – 50) × 248]		3,720
9. Health Club (Exempt)		—
	Gross Salary	6,07,320
Less : (i) Standard Deduction	50,000	
(ii) Professional tax	2,500	52,500
	Income from Salary	5,54,820

■ **उदाहरण** (Illustration) 38

मि. मनोज की आय का विवरण निम्न प्रकार है :

(i) वेतन (उद्गम स्थान पर 28,000 ₹ आयकर काटने के बाद) 3,80,000 ₹ वार्षिक।
(ii) महंगाई भत्ता (सेवाओं की शर्तों के अधीन) 42,000 ₹ वार्षिक।
(iii) शिक्षा भत्ता (3 बच्चों के लिए) 15,700 ₹ वार्षिक।
(iv) चिकित्सा भत्ता (वास्तविक चिकित्सा व्यय 14,000 ₹ का) 37,200 ₹ वार्षिक।
(v) किराया-मुक्त मकान (जयपुर में) कम्पनी 8,000 ₹ प्रति माह किराया चुकाती है। मकान सुसज्जित है एवं उसके फर्नीचर का किराया 25,050 ₹ वार्षिक है।
(vi) घरेलू नौकर, फर्राश एवं चौकीदार जिनका प्रत्येक का वेतन 1,250 ₹ प्रति माह है, कम्पनी द्वारा चुकाया जाता है।
(vii) कम्पनी द्वारा उनके रिफ्रेशर कोर्स पर व्यय 8,000 ₹।
(viii) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में उनका अंशदान 31,000 ₹ एवं नियोक्ता का अंशदान 36,000 ₹।
(ix) नियोक्ता ने मि. मनोज के निवास पर मुफ्त टेलीफोन की सुविधा दे रखी है जिसके बिल नियोक्ता ने 8,000 ₹ चुकाये।
(x) वृत्ति कर 7,000 ₹ मि. मनोज ने दिया।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 'कर-योग्य वेतन से आय' की गणना कीजिए।

कॉपीराइट की गई सामग्री

The following particulars are of Mr. Manoj's income :

(i) Salary (after deducting ₹ 28,000 for income tax at source) ₹ 3,80,000 p.a.
(ii) Dearness Allowance (Under the terms of employment) ₹ 42,000 p.a.
(iii) Education Allowance (for 3 children) ₹ 15,700 p.a.
(iv) Medical Allowance (actual medical expenditure ₹ 14,000) ₹ 37,200 p.a.
(v) Rent-free house (in Jaipur) the company paid ₹ 8,000 per month as rent. The house is furnished and the rent of the furniture is 25,050 p.a.
(vi) A domestic servant, a sweeper and a watchman were paid by the company @ ₹ 1,250 per month each.
(vii) The company spent ₹ 8,000 on his refresher course.
(viii) His contribution to R.P.F ₹ 31,000 and employer's contribution ₹ 36,000.
(ix) The company has provided a free telephone at Mr. Manoj's residence and paid bill amounting to ₹ 8,000.
(x) Professional tax ₹ 7,000 paid by Mr. Manoj.

Compute taxable income from salary for the Assessment Year 2020-21.

Solution

Computation of Taxable Income from Salary

(*for the Assessment Year* 2020-21)

	₹	₹
1. Salary (₹ 3,80,000 + 28,000)		4,08,000
2. D.A. (under terms of employment)		42,000
3. Education Allowance	15,700	
Less : Exempt ₹ 100 p.m. for two children	2,400	13,300
4. Medical Allowance (fully taxable)		37,200
5. Rent-free house		1,00,125
6. Servants (₹ 3,750 × 12)		45,000
7. Refresher course—Exempt		—
8. Contribution to R.P.F. ₹ 36,000 Does not exceed 12% of Salary ₹ 4,50,000		—
9. Telephone—Exempt		—
	Gross Salary	6,45,625
Less : (i) Standard Deduction	50,000	
(ii) Professional tax	7,000	57,000
	Taxable Income from Salary	5,88,625

Note : 1. Rent-free house—₹ 96,000 or

15% of ₹ 4,08,000 + 42,000 + 13,300 + 37,200, whichever is less	75,075	
Add : Rent of furniture	25,050	1,00,125

2. Employer's contribution in RPF cannot exceed the contribution of employee. [Schedule IV, Rule 4(C)]

■ **उदाहरण** (Illustration) 39

निम्न सूचनाओं के आधार पर श्री महेश की कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 'वेतन' से कर-योग्य आय की गणना कीजिए :

1. मूल वेतन 50,000 ₹ मासिक,
2. महंगाई भत्ता मूल वेतन का 30%,
3. टेलीफोन भत्ता 500 ₹ मासिक,
4. कर्मचारी का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम नियोक्ता ने दिया 4,000 ₹,
5. कर्मचारी के निजी उपयोग के लिए नियोक्ता ने सुविधा प्रदान की—लैपटॉप लागत 60,000 ₹ तथा कम्प्यूटर लागत 40,000 ₹,
6. घर-वार संभालने वाले के वेतन की नियोक्ता ने प्रतिपूर्ति की ₹ 24,000,
7. श्री महेश ने नियोजन कर के 2,000 ₹ दिए।

From the following information compute taxable income under the head 'Salaries' of Shri Mahesh for the Assessment Year 2020-21 :

1. Basic Salary ₹ 50,000 p.m.,
2. Dearness Allowance 30% of basic salary,
3. Telephone Allowance ₹ 500 p.m.,
4. Medical insurance premium paid by the employer on the health of employee ₹ 4,000,
5. Employer provided the facility of laptop costing ₹ 60,000 and computer costing ₹ 40,000 for personal use,
6. Salary of house-keeper reimbursed by employer ₹ 24,000,
7. Shri Mahesh paid employment tax ₹ 2,000.

कॉपीराइट की नई सामग्री

Solution

Computation of Taxable Salary
(for the Assessment Year 2020-21)

		₹
1. Basic salary		6,00,000
2. D. A.		1,80,000
3. Telephone Allowance		6,000
4. Medical insurance premium paid on the health of employee (Exempt)		—
5. Facility of laptop and computer (Tax-free perquisite)		—
6. Salary of house-keeper		24,000
	Gross Salary	8,10,000
Less : (i) Standard Deduction	50,000	
(ii) Employment tax	2,000	52,000
	Taxable Salary	7,58,000

■ **उदाहरण** (Illustration)40 **(पैकेज)**

एक कम्पनी ने राम को मुम्बई में 10,00,000 ₹ वार्षिक के पैकेज पर नौकरी में रखा। कम्पनी ने 10,00,000 ₹ को निम्न में बांट कर वेतन दिया :

	₹
1. मूल वेतन	4,80,000
2. विशेष भत्ता	2,64,000
3. यातायात भत्ता	19,200
4. टेलीफोन सुविधा	4,800
5. मकान किराया भत्ता	1,20,000
6. अनुमोदित अधिवार्षिता निधि में अभिदाय	1,00,000
7. नाश्ते की सुविधा	12,000
	10,00,000

राम ने 15,000 ₹ मासिक मकान किराया दिया।

वेतन से करयोग्य आय की गणना कीजिए।

A company appointed Ram in Mumbai at a package of ₹ 10,00,000 p.a. The company bifurcated ₹ 10,00,000 as under for the payment of salary :

	₹
1. Basic Salary	4,80,000
2. Special Allowance	2,64,000
3. Transport Allowance	19,200
4. Telephone Facility	4,800
5. House Rent Allowance	1,20,000
6. Contribution in Approved Superannuation Fund	1,00,000
7. Refreshment	12,000
	10,00,000

Ram paid house rent ₹ 15,000 p.m.
Compute taxable income from salary.

Solution

Computation of Taxable Salary

	₹
1. Basic salary	4,80,000
2. Special Allowance	2,64,000
3. Transport Allowance (Not Exempt)	19,200
4. Telephone facility (Exempted Perquisite)	—

कॉपीराइट की गई सामग्री

5. House Rent Allowance		—
6. Contribution in Approved Superannuation Fund (Tax-free up to ₹ 1,50,000)		—
7. Refreshment—Tax-free		—
	Gross Salary	7,63,200
Less : Standard Deduction		50,000
	Taxable Salary	7,13,200

Note : *Computation of exempted H.R.A* :

Least of the following is exempt :	₹
(a) H.R.A received	1,20,000
(b) Rent paid –10% of salary (₹ 1,80,000 – 48,000)	1,32,000
(c) 50% salary ₹ 4,80,000	2,40,000
Exempted H.R.A.	1,20,000

संक्षेप (SUMMARY)

1. **वेतन की परिभाषा**—किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा की गयी सेवाओं के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह वेतन कहलाता है। इस पारिश्रमिक में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त उन सुविधाओं का द्रव्य-तुल्य मूल्य भी शामिल होता है जो कर-योग्य हैं।

2. **वेतन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें**—(**क**) **मालिक व कर्मचारी का सम्बन्ध**—वेतन शीर्षक में आय होने के लिए भुगतान करने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच में मालिक तथा कर्मचारी का सम्बन्ध आवश्यक है।

(**ख**) **विदेशी वेतन तथा पेंशन**—विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन तथा पेंशन से आय वेतन शीर्षक में कर-योग्य है।

(**ग**) **सेवा समाप्त होने के बाद प्राप्तियां**—ये वेतन के रूप में कर-योग्य हैं।

(**घ**) **पेंशन**—एक अवकाश प्राप्त कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन वेतन के रूप में कर-योग्य होती है। पेंशन की एकमुश्त राशि एक सीमा तक कर-मुक्त है।

(**ङ**) **कर-मुक्त वेतन**—यदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कर-मुक्त वेतन प्राप्त होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मचारी के वेतन पर देय आय कर नियोक्ता द्वारा वेतन के अतिरिक्त चुकाया जायेगा। ऐसी दशा में कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय में शुद्ध प्राप्त वेतन तथा नियोक्ता द्वारा उसके वेतन पर चुकाया गया आय कर भी शामिल होगा, परन्तु अनुलाभों के मूल्य पर नियोक्ता द्वारा दिया गया आयकर कर-मुक्त होगा।

(**च**) **नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियां**—नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से की गई कटौतियां वेतन में शामिल की जाती हैं। उदाहरणार्थ, रहने व भोजन की सुविधा के सम्बन्ध में कटौती।

(**छ**) **संसद सदस्य का वेतन**—यह वेतन शीर्षक में कर-योग्य नहीं है क्योंकि संसद सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होता है।

(**ज**) **फर्म से वेतन**—फर्म के साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" के रूप में कर-योग्य है, न कि वेतन के रूप में।

(**झ**) **पारिवारिक पेंशन**—यह "अन्य साधनों से आय" के शीर्षक में कर-योग्य है।

3. **वेतन के विभिन्न रूप**—अवकाश वेतन, क्षतिपूर्ति, फीस, बोनस, ग्रेच्युइटी, पेंशन की एकमुश्त राशि, वार्षिकी, विदेशी पेंशन, आदि।

4. **भत्ते**—यह निम्न तीन प्रकार के हैं :

(**क**) **कर-योग्य भत्ते**—महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नौकर भत्ता, वार्डन भत्ता, परिवार भत्ता, नगर-क्षतिपूरक भत्ता, आदि।

(**ख**) **निर्धारित सीमा तक कर-मुक्त भत्ते**—मकान किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता, कतिपय विशेष भत्ते, यातायात भत्ता, आदि।

(**ग**) **पूर्णतया कर-मुक्त भत्ते**—विदेश भत्ता, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता, आदि।

5. **अनुलाभ**—तीन प्रकार के होते हैं :

(i) **प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर-योग्य अनुलाभ**—किराये से मुक्त मकान की सुविधा, कर्मचारी के दायित्व का भुगतान, कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, आदि।

(ii) **विशेष दशाओं में कर-योग्य अथवा विशिष्ट अनुलाभ**—कार, नौकर, माली, गैस, बिजली, पानी, शिक्षा, आदि की सुविधाएं।

(iii) **सबके लिए कर-मुक्त अनुलाभ**—चिकित्सा, नाश्ता, मनोरंजन, टेलीफोन, परिवार नियोजन, छात्रवृत्ति, अवकाश यात्रा रियायत, आदि की सुविधाएं।

6. **अनुलाभों का मूल्यांकन**—नियम 3 देखें।

कॉपीराइट की गई सामग्री

7. **कटौतियां**—यह तीन प्रकार की होती हैं :

(अ) **मानक कटौती** 50,000 ₹ तक।

(ब) **मनोरंजन भत्ते की कटौती**—(i) सरकारी कर्मचारी—वेतन का 1/5 अथवा 5,000 ₹, जो दोनों में कम हो; (ii) अन्य कर्मचारी—शून्य

(स) **नियोजन कर के सम्बन्ध में कटौती**—सम्पूर्ण कर की राशि।

8. **प्रॉविडेण्ट फण्ड**—चार प्रकार के होते हैं :

(अ) वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड, (ब) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड, (स) अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड, (द) सार्वजनिक प्रॉविडेण्ट फण्ड।

Appendix
व्यक्तिगत व्ययों के लिए विशेष भत्ता

भत्ते का नाम (1)	स्थान (2)	भत्ते की अधिकतम कर-मुक्त राशि (3)
1. **विशेष क्षतिपूरक भत्ता जो निम्न प्रकृति का हो :** • विशेष पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता • अधिक ऊंचाई के स्थान का भत्ता • असमान प्रकृति की जलवायु का भत्ता बर्फ से ढके हुए स्थान का भत्ता • पहाड़ से खिसक कर नीचे गिरे हुए ढेर के स्थान का भत्ता	I. मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू तथा कश्मीर के निर्दिष्ट स्थान	800 ₹ प्रति माह
	II. जम्मू-कश्मीर का सियाचिन क्षेत्र	7,000 ₹ प्रति माह
	III. उपर्युक्त I तथा II में वर्णित क्षेत्रों के अतिरिक्त समुद्र तल से 1,000 मीटर अथवा उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान	300 ₹ प्रति माह
2. **विशेष क्षतिपूरक भत्ता जो निम्न प्रकृति का हो :** • सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता, अथवा • दूरस्थ बस्ती (Locality) भत्ता, अथवा • कठिन क्षेत्र भत्ता, अथवा • अशान्त क्षेत्र भत्ता।	(A) छोटा अण्डमान, निकोबार, नरकोण्डम टापू, उत्तरी व मध्य अण्डमान, लक्षद्वीप तथा मिनीकॉय टापू, सिक्किम, कतिपय Demarcation रेखाओं के बिन्दुओं से उत्तर के स्थान, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग, मिजोरम, जम्मू तथा कश्मीर के कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के कुछ बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र	1,300 ₹ प्रति माह
	(B) भारत के Continental shelf तथा भारत के पृथक् आर्थिक क्षेत्र में स्थित Installations	1,100 ₹ प्रति माह
	(C) अरुणाचल प्रदेश, नगालैण्ड, दक्षिण अण्डमान, मिजोरम का जिला लुंगलेई, त्रिपुरा, जम्मू तथा कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र [ऊपर A में वर्णित क्षेत्रों के अतिरिक्त]	1,050 ₹ प्रति माह
	(D) मिजोरम का जिला आइजोल, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर [जो ऊपर (A) तथा (C) में न आये हों] पंजाब और राजस्थान के कुछ क्षेत्र, हरियाणा में हिसार, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, मिजोरम एवं त्रिपुरा। कर्णप्रयाग, गऊचर, चमोली, रुद्रप्रयाग, असकोटे	750 ₹ प्रति माह
	(E) कर्नाटक के शिमोगा जिले में जोग झरने का क्षेत्र	300 ₹ प्रति माह
	(F) हिमाचल प्रदेश में (A), (C) एवं (D) में वर्णित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्र तथा सम्पूर्ण असम और मेघालय	200 ₹ प्रति माह

कॉपीराइट की गई सामग्री

3. विशेष क्षतिपूरक भत्ता जो निम्न प्रकृति का हो :		
(i) जनजाति क्षेत्र भत्ता (Tribal Area Allowance)	मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा ओडिशा	200 ₹ प्रति माह
(ii) अनुसूचित क्षेत्र भत्ता		
(iii) एजेन्सी क्षेत्र भत्ता		
4. परिवहन की किसी व्यवस्था (संस्था) में सेवारत किसी कर्मचारी को वाहन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के दौरान वाहन पर ड्यूटी करते समय उसके निजी व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकृत भत्ता	सम्पूर्ण भारत	ऐसे भत्ते का 70 प्रतिशत या 10,000 ₹ प्रति माह (जो दोनों में कम हो), यदि कर्मचारी को कोई दैनिक भत्ता नहीं मिल रहा है।
5. बच्चों की शिक्षा का भत्ता	सम्पूर्ण भारत	100 ₹ प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम दो बच्चों तक
6. अपने बच्चों के लिए किये गये छात्रावास के व्ययों की पूर्ति के लिए कर्मचारी को स्वीकृत भत्ता	सम्पूर्ण भारत	300 ₹ प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम दो बच्चों तक
7. क्षतिपूरक लड़ाई के मैदानी क्षेत्र का भत्ता	1. अरुणाचल प्रदेश के तिरप तथा चंग लांग जिले, आदि 2. मणिपुर और नगालैण्ड सम्पूर्ण 3. सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्र	2,600 ₹ प्रति माह
8. क्षतिपूरक लड़ाई के मैदान का संशोधित भत्ता	पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के निर्धारित क्षेत्र तथा सम्पूर्ण मिजोरम एवं त्रिपुरा	1,000 ₹ प्रति माह
9. Counter-insurgency allowance की प्रकृति का विशेष भत्ता जो सेना के उन सदस्यों के लिए स्वीकार किया जाता है जो अपने स्थायी डेरे से दूर कार्यरत होते हैं	सम्पूर्ण भारत	3,900 ₹ प्रति माह
10. कार्य स्थल पर आने-जाने के लिए यातायात भत्ता	सम्पूर्ण भारत	1,600 ₹ प्रति माह (कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 से निष्प्रभावी) अन्धे कर्मचारी अथवा गूंगे एवं बहरे कर्मचारी अथवा अपाहिज कर्मचारी की दशा में 3,200 ₹ प्रति माह
11. खानों में जमीन के अन्दर असमान एवं अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारियों को भत्ता	सम्पूर्ण भारत	800 ₹ प्रति माह
12. अधिक ऊंचाई के स्थान (असमान प्रकृति की जलवायु) का भत्ता जो सशस्त्र सेना के सदस्यों को अधिक ऊंचाई पर काम करने पर दिया जाता है	(अ) 9,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई (ब) 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई	1,060 ₹ प्रति माह 1,600 ₹ प्रति माह
13. अत्यन्त सक्रिय क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता जो सशस्त्र सेना के सदस्यों को दिया जाता है	सम्पूर्ण भारत	4,200 ₹ प्रति माह
14. द्वीप ड्यूटी भत्ता जो सशस्त्र सेना के सदस्यों को दिया जाता है	अण्डमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह	3,250 ₹ प्रति माह

कॉपीराइट की गई सामग्री

प्रश्न
(QUESTIONS)

❑ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions)

1. 'वेतन' शीर्षक की आय में किराया-मुक्त मकान का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?
   How the value of rent-free house is calculated under the head income from 'Salaries'?
2. (अ) 'वेतन' शीर्षक में कर-योग्य आयें कौन-सी हैं?
   (ब) कौन-से मद 'अनुलाभों' में जोड़े जाते हैं और कर-योग्य हैं?
   (a) What are the incomes that are chargeable to Income tax under the head 'Salaries'?
   (b) What are the items that are included in the term 'perquisites' and are taxable?
3. अनुलाभ का क्या अर्थ है? कर-मुक्त अनुलाभ के पांच उदाहरण दीजिए।
   What is meant by perquisites? Give five examples of tax-free perquisites.
4. टिप्पणी लिखिए (Write notes on) :
   (a) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance given by employer to employee)
   (b) मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance)
5. प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड तथा अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में अन्तर बताइए।
   Distinguish between recognized provident fund and unrecognized provident fund.
6. एक वेतन पाने वाला कर्मचारी जिस-जिस प्रॉविडेण्ट फण्ड का सदस्य बन सकता हो उनके नाम बताइए और उनमें से प्रत्येक के बारे में जो आय कर विधान है उसका वर्णन कीजिए।
   Name the different kinds of provident funds of which a salaried employee may be a member, and state the income tax provisions regarding each.
7. अवकाश यात्रा रियायत के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के क्या प्रावधान हैं ?
   What are the provisions of the Income Tax Act regarding Leave travel concession ?
8. चिकित्सा सुविधा पर एक नोट लिखिए।
   Write a note on medical benefits.
9. पूर्णतया कर-मुक्त भत्तों की विवेचना कीजिए।
   Discuss the fully tax-free allowances.
10. टिप्पणियां लिखिए : (i) अनुमोदित सुपरऐनुएशन फण्ड; (ii) चिकित्सा सुविधा; (iii) निःशुल्क शिक्षा की सुविधा; (iv) चल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का मूल्यांकन।
    Write notes on : (i) Approved Superannuation Fund; (ii) Medical Facility; (iii) Free Education Facility; (iv) Valuation of transfer of movable asset.
11. वेतन शीर्षक में स्वीकृत कटौतियों की विस्तार से विवेचना कीजिए।
    Discuss fully the deductions allowable under the head 'Salaries'.

❑ लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

1. मकान किराया भत्ता पर टिप्पणी लिखिए।
   Write a note on House rent allowance.
2. 'वेतन' शीर्षक की आय में किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?
   How the value of Rent Free House is calculated under the head 'Salaries"?
3. वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड तथा प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
   Differentiate between Statutory Provident Fund and Recognised Provident Fund.
4. चार कर-मुक्त भत्ते बताइए।
   Give four exempted allowances.
5. वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड क्या है?
   What is Statutory Provident Fund?
6. मनोरंजन भत्ता क्या है? सरकारी कर्मचारी की दशा में इस सम्बन्ध में कटौती की गणना कैसे होगी?
   What is Entertainment Allowance? How to calculate deduction in case of Govt. employee?
7. अनुलाभ क्या है?
   What are perquisites?
8. प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड क्या है?
   What is Recognised, Provident Fund?
9. वेतन के बदले लाभ से आप क्या समझते हैं?
   What do you understand by profit in lieu of salary?

कॉपीराइट की गई सामग्री

10. कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा दिए गए नियोजन कर के सम्बन्ध में आप क्या व्यवहार करेंगे?
How do you treat employment tax paid by an employer on behalf of employee?

12. नियोक्ता द्वारा फर्राश एवं चौकीदार को दिए गए वेतन के सम्बन्ध में आप क्या व्यवहार करेंगे?
How do you treat the wages paid to sweeper and watchman by the employer?

12. विशिष्ट कर्मचारी कौन है?
Who is a specified employee?

13. सार्वजनिक प्रॉविडेण्ट फण्ड क्या है?
What is Public Provident Fund?

14. चार कर-योग्य भत्ते लिखिए।
State any four taxable allowances.

15. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को देते हुए ''मनोरंजन भत्ता'' तथा ''मकान किराया भत्ता'' को समझाइए।
Explain "Entertainment Allowance" and "House Rent Allowance" giving provisions of Income Tax Act, 1961.

❑ वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

1. निम्नलिखित में से कौन-सी आय कर-मुक्त है? बताइए :
(क) महंगाई भत्ता (ख) नगर क्षतिपूरक भत्ता
(ग) विदेश भत्ता (घ) चिकित्सा भत्ता
State, which of the following allowance is exempted?
(A) Dearness Allowance (B) City Compensatory Allowance
(C) Foreign Allowance (D) Medical Allowance

2. शिक्षा भत्ता कर-मुक्त है :
(क) एक व्यक्ति के लिए (ख) चार व्यक्तियों के लिए
(ग) दो व्यक्तियों के लिए (घ) इनमें से कोई नहीं
Education allowance is exempted for :
(A) One person (B) Four persons
(C) Two persons (D) None of these

3. एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 ₹ वेतन तथा 10,000 ₹ मनोरंजन भत्ता मिला उसने मनोरंजन पर 6,000 ₹ व्यय किए। उसे धारा 16 (ii) में कटौती मिलेगी :
(क) 10,000 ₹ (ख) 6,000 ₹
(ग) 5,000 ₹ (घ) शून्य
A Government employee received salary ₹ 1,20,000 and entertainment allowance ₹ 10,000 during the previous year. He spent ₹ 6,000 on entertainment. He is entitled to deduction u/s 16 (ii) :
(A) ₹ 10,000 (B) ₹ 6,000
(C) ₹ 5,000 (D) Nil

4. निम्न में से कौन-सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर-मुक्त है?
(क) महंगाई भत्ता (ख) मकान किराया भत्ता
(ग) विदेश भत्ता (घ) इनमें से कोई नहीं
Which of the following allowance is totally exempt from the Income Tax?
(A) Dearness Allowance (B) House Rent Allowance
(C) Foreign Allowance (D) None of these

5. एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम रकम है :
(क) 5,000 ₹ (ख) 7,500 ₹
(ग) वेतन का 1/5 (घ) बिल्कुल नहीं
The maximum amount for deduction as entertainment allowance to a government employee is :
(A) ₹ 5,000 (B) ₹ 7,500
(C) 1/5th of salary (D) Not at all

6. सकल वेतन में से कटौती मिलती हैं :
(क) व्यवसाय कर (ख) मनोरंजन कर
(ग) आयकर (घ) बीमा प्रीमियम
Deduction allowed from gross salary :
(A) Professional Tax (B) Entertainment Tax
(C) Income Tax (D) Insurance Premium

7. वेतन में शामिल है :
(क) मजदूरी (ख) पेंशन
(ग) बिक्री पर कमीशन (घ) ये सभी

कॉपीराइट की गई सामग्री

Salary includes :
(A) Wages (B) Pension
(C) Commission on sale (D) All of these

8. वेतन में शामिल होते हैं :
(क) नकद प्राप्तियां (ख) अनुलाभ
(ग) वेतन के स्थान पर लाभ (घ) ये सभी
Salary includes :
(A) Cash receipts (B) Perquisites
(C) Profit in lieu of salary (D) All of these

9. मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है :
(क) सरकारी कर्मचारी को (ख) गैर-सरकारी कर्मचारी को
(ग) (क) एवं (ख) दोनों को (घ) इनमें से कोई नहीं
Deduction for entertainment allowance is availed by :
(A) Govt. Servant (B) Non-Govt. Servant
(C) Both (A) and (B) (D) None of these

10. प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड खाते में जमा ब्याज कर-मुक्त है :
(क) 8% तक (ख) 9% तक
(ग) 9.5% तक (घ) 10% तक
Interest credited in recognised provident fund account is exempt up to :
(A) 8% (B) 9%
(C) 9.5% (D) 10%

11. कर्मचारी को 12 लाख जनसंख्या वाले शहर में नियोक्ता का मकान रहने को दिया गया है। मकान की सुविधा का मूल्य होगा :
(क) वेतन का 15% (ख) वेतन का 10%
(ग) वेतन का 7.5% (घ) उचित किराया
Value of facility of a house, owned by the employer provided to an employee in the city where the population is 12 lakh, shall be :
(A) 15% of salary (B) 10% of salary
(C) 7.5% of salary (D) Fair rent

12. माली की सुविधा का मूल्य कर-योग्य होता है :
(क) प्रत्येक कर्मचारी के लिए (ख) विशिष्ट कर्मचारी के लिए
(ग) अधिकारी के लिए (घ) डायरेक्टर के लिए
Value of the facility of gardener is taxable for :
(A) Every employee (B) Specified employee
(C) Officer (D) Director

13. नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत 1,200 ₹ प्रतिमाह प्रति बच्चा है। कर्मचारी के लिए बच्चे की निःशुल्क शिक्षा के लिए कर-योग्य मूल्य होगा :
(क) 1,000 ₹ प्रतिमाह (ख) 1,200 ₹ प्रतिमाह
(ग) 200 ₹ प्रतिमाह (घ) शून्य
Cost of education for the employer is ₹ 1,200 p.m. per child. For employee taxable value of free education to his child shall be :
(A) ₹ 1,000 p.m. (B) ₹ 1,200 p.m.
(C) ₹ 200 p.m. (D) Nil

14. निजी चिकित्सालय बिलों की प्रतिपूर्ति कर-मुक्त होती है :
(क) 8,000 ₹ तक (ख) शून्य
(ग) 20,000 ₹ तक (घ) 25,000 ₹ तक
Reimbursement of medical bills of a private hospital is exempt up to :
(A) ₹ 8,000 (B) Nil
(C) ₹ 20,000 (D) ₹ 25,000

15. मकान किराया भत्ता :
(क) पूर्णतः करमुक्त होता है (ख) एक सीमा तक करमुक्त होता है
(ग) बड़े शहरों में करमुक्त होता है (घ) सरकारी कर्मचारी के लिए करमुक्त होता है
House Rent Allowance is :
(A) Fully Exempted (B) Exempted to a certain limit
(C) Exempted in Big Cities (D) Exempted for Govt. Employees

कॉपीराइट की गई सामग्री

16. आगरा में रहने वाले कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता कर-मुक्त है, वास्तविक मकान किराया भत्ता 10% वेतन से अधिक दिया गया किराया या जो भी कम हो।

(क) वेतन का 40% (ख) वेतन का 50%
(ग) वेतन का 60% (घ) वेतन का 75%

The HRA paid to an employee residing in Agra is exempt up to the lower of actual HRA, excess of rent paid over 10% of salary or :

(A) 40% of salary (B) 50% of salary
(C) 60% of salary (D) 75% of salary
whichever is less.

[**उत्तर** : **1.** (ग), **2.** (ग), **3.** (ग), **4.** (ग), **5.** (क), **6.** (क) **7.** (घ), **8.** (घ), **9.** (क), **10.** (ग), **11.** (ख), **12.** (ख), **13.** (ख), **14.** (ख), **15.** (ख), **16.** (क)]

❑ **बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं अथवा गलत** (State whether the following Statements are True or False)

1. किराये से मुक्त सुसज्जित मकान के मूल्यांकन में फर्नीचर की लागत का 12% जोड़ा जाता है।
12% of the cost of furniture is added in the valuation of rent free furnished house.

2. अन्धे अथवा विकलांगता के कारण अक्षम व्यक्ति को प्रदत्त आवागमन भत्ता 3,200 ₹ प्रति माह तक कर-मुक्त है।
Transport allowance to blind or orthopedically handicapped persons is exempt from tax up to ₹ 3,200 per month.

3. विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन एवं पेंशन 'वेतन' शीर्षक में कर-योग्य है।
Salary and pension received from Foreign Government are taxable under the head 'Salaries'.

4. सारे अनुलाभ कर-योग्य हैं।
All perquisites are taxable.

5. नौकरी करते हुए अवकाश के बदले प्राप्त वेतन पूर्णतः कर-योग्य है।
Any salary in lieu of leave received during service is fully taxable.

6. एक कर्मचारी की विधवा को प्राप्त पारिवारिक पेंशन वेतन शीर्षक में कर-योग्य होती है।
Family pension received by a widow of an employee is taxable under the head 'Salaries'.

7. विशिष्ट कर्मचारी को प्राप्त टेलीफोन सुविधा कर-योग्य अनुलाभ है।
Facility of telephone provided to a specified employee is a taxable perquisite.

8. साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन, 'वेतन' शीर्षक में कर-योग्य है।
Salary received by a partner from the firm is assessable under the head 'Salaries'.

9. कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान वेतन के 15% तक कर-मुक्त है।
Employer's contribution in employee's recognised provident fund is tax free upto 15% of salary.

[**उत्तर** : **असत्य**—(1), (4), (6), (7), (8), (9); **सत्य**—(2), (3), (5)]

दीर्घ अंकीय प्रश्न
(LONG NUMERICAL QUESTIONS)

1. मिस्टर X एक कम्पनी में 15,000 ₹ प्रति माह पर सेवारत है। वह प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड का सदस्य है जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 15% अंशदान करता है। इस वर्ष में उसके प्रॉविडेण्ट फण्ड के 1,00,000 ₹ के शेष पर 12,000 ₹ ब्याज जमा किया गया। उसकी वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाली वार्षिक वृद्धि की करयोग्य राशि की गणना कीजिए।
Mr. X is employed in a Company at ₹ 15,000 per month. He is a member of recognised provident fund to which he and his employer contributes 15% of his salary. During the year he was given credit of ₹ 12,000 as interest on the provident fund balance of ₹ 1,00,000. Calculate the taxable amount of annual accretion to be included in his income under the head 'Salaries'. (**4.1**)

Ans. ₹ 7,900.

2. निम्न दशाओं में वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाली किराये भत्ते की राशि की गणना कीजिए:

(अ) मूल वेतन 20,000 ₹ मासिक, महंगाई वेतन मूल वेतन का 10%, विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से पूरे वर्ष का कमीशन 1,20,000 ₹, मकान का किराया भत्ता 5,000 ₹ मासिक, करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया 4,000 ₹ मासिक। मकान आगरा में स्थित है।

(ब) मूल वेतन 30,000 ₹ मासिक, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10%, मकान किराया भत्ता 5,000 ₹ मासिक, करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया 7,000 ₹ प्रति माह। मकान मथुरा में स्थित है।

(स) मूल वेतन 20,000 ₹ प्रति माह, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10%, मकान किराया भत्ता 2,000 ₹ प्रति माह, करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया 5,000 ₹ प्रति माह। मकान दिल्ली में स्थित है।

Find out the amount of the house rent allowance which shall be included in the income under the head salaries in each of the following cases :

कॉपीराइट की गई सामग्री